

युगीन
शैक्षिक चिन्तन



कलासन प्रकाशन

कल्याणी भवन

मॉडर्न मार्केट बीकानेर

द्वारा प्रकाशित

युगीन शैक्षिक चिन्तन

प्रा (डॉ) जमनालाल बायती
(पूर्व वरिष्ठ सम्पाक- शिविरा नयाशिक्षक)
उप प्रधनाचार्य
राजकीय उच्च अध्ययन
शिक्षा सस्थान याकानर (राजस्थान)
1996

कलासन प्रकाशन, बीकानर

सस्करण	प्रथम 1996
मुद्रक	कल्याणी प्रिण्टर्स माल गोदाम रोड बीकानेर दूरभाष 526890
प्रमुख वितरक	कामेश्वर प्रकाशन तेलीवाडा चौक बीकानेर-334 005 [राज] फोन 0151-524330
मूल्य	120/-
आवरण	पारस भसाली

आत्म कथ्य

समय समय पर लिख कुछ नियन्त्रा का सकलन पाठको के सम्मुख प्रस्तुत है। शिक्षा से जुडे अधिकारी नियोजक शिभक तथा उच्च शिक्षा के अध्येता इस कृति से लाभ उठा सकत हैं। पुस्तक की गुणवत्ता का सही मूल्यांकन तो पाठक ही कर सकते हैं; पुस्तक किसी भी रूप में यदि पाठको को कुछ नया सांचने के लिए उद्यत कर सकी ता लेखक अपना श्रम सार्थक मानेगा।

पुस्तक की रचना में लेखक को उसकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा माहेश्वरी से भरपूर सहयोग मिला है। श्रीमती कृष्णा को धन्यवाद देकर उनके सहयोग का अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि यह पुस्तक उन्हीं की है।

पुस्तक को अल्प समय में पाठका तक पहुचाने के लिये लेखक कलासन-प्रकाशन के मालिक श्री मनमोहन जी कल्याणी को अन्तर्मन से धन्यवाद देता है।

पुस्तक के सुधार के लिये पाठकों के रचनात्मक सुझावा की प्रतीक्षा रहगी।

राजकीय उच्च अध्ययन शिभा सस्थान
बैकानेर 334001 (राजस्थान)

प्रो (डॉ) जमनालाल बायती
उप-प्रधानाचार्य

सस्करण	प्रथम 1996
मुद्रक	कल्याणी प्रिण्टर्स माल गोदाम रोड, बीकानेर दूरभाष 526890
प्रमुख वितरक	कामेश्वर प्रकाशन तेलीवाडा चौक बीकानेर-334 005 [राज] फोन 0151-524330
मूल्य	120/-
आवरण	पारस भसाली

आत्म कथ्य

समय समय पर लिख कुछ निबन्धों का सकलन पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है। शिक्षा से जुड़े अधिकारी नियाजक शिक्षक तथा उच्च शिक्षा के अध्यापक इस कृति से लाभ उठा सकते हैं। पुस्तक की गुणवत्ता का सही मूल्यांकन तो पाठक ही कर सकते हैं। पुस्तक किसी भी रूप में यदि पाठकों को कुछ नया सोचने के लिए उद्यत कर सकी तो लेखक अपना श्रम सार्थक मानेंगा।

पुस्तक की रचना में लेखक का उसकी धनपत्नी श्रीमती कृष्णा माहेश्वरी से भरपूर सहयोग मिला है। श्रीमती कृष्णा का धन्यवाद देकर उनका सहयोग का अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि यह पुस्तक उन्हीं की है।

पुस्तक को अल्प समय में पाठकों तक पहुंचाने के लिये लेखक कलासन-प्रकाशन के मालिक श्री मनमाहन जी कल्याणी को अन्तर्गत से धन्यवाद देता है।

पुस्तक के सुधार के लिये पाठकों के रचनात्मक सुझावों की प्रतीक्षा रहगी।

राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान
बक्रानर 334001 (राजस्थान)

प्रो (डॉ) जमनालाल बायती
उप-प्रधानाचार्य

अनुक्रम

शिक्षा का स्वरूप	1
अगली सन्नी की शिक्षा का सम्भावित स्वरूप	6
शिक्षा म नवाचार	17
शिक्षा का विकासानुखी क्षेत्र	30
ध्यवसाय के रूप म अध्यापन	40
मूल्या का सकट	50
वैचारिक प्रदूषण	57
शिक्षा मे नैतिक एव आचरण मूल्य	64
मूल्या का मापन एव मूल्यांकन	77
मित्रता के लिए शिक्षा	86
सबदनशीलता के लिए शिक्षा	96
विकास के लिए शिक्षा	103
उपभोक्ता की शिक्षा	115
डिग्री नाकरी अलग-अलग	119
अन्तर्विषयी शोध	128
समाज विज्ञाना म अनुसधान की स्थिति	142

शिक्षा का स्वरूप

इस विषय पर प्रस्तुत किए जाने वाले अपने विचारों को विद्यार्थी क परीक्षा में लिखे उत्तरों से आरम्भ करने का लोभ लेखक सवरण नहीं कर पा रहा है। अधशास्त्र क प्रश्न पत्र में आर्थिक विकास सूचक पांच प्रमाण मागे थे। किन्तु विद्यार्थी न इस प्रश्न का उत्तर यों आरम्भ किया

' परीक्षा भवन में बैठे- बैठे परीक्षार्थी आर्थिक विकास के प्रमाण यों लिख रहे हाग- भामनाय कारखाना या मिलों की स्थापना हुई है पकी सडक कई गुनी बढ गई है खतों की पैदावार बढी है बिजली का उत्पादन कई गुना बढ गया है जगह- जगह चिकित्सालय खुल गए हैं उनम आने वाले रोगिया की सख्या बढी है तालाबों और बाधा की सख्या म वृद्धि हुई है रेलमार्गों का विस्तार हुआ है नए रेलमार्ग बने हैं कारखाना से बाहर आने वाले सभी प्रकार क वाहना की सख्या में भारी वृद्धि हुई है चिकित्सा तथा अभियान्त्रिकी शिक्षा के संस्थाना की प्रवेश क्षमता बढाई गई है वहा काम करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सख्या मे वृद्धि हुई है महानगरों में बहुमजिली इमारतें बनी है बन रही है विद्यालयो तथा महाविद्यालया की सख्या कई गुनी बढी है उनम शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी बढे हैं। आदि आदि।'

स्पष्ट है कि यह उत्तर किसी सामान्य विद्यार्थी या 13-17 या 18 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यार्थी का नहीं है। किसी उम्रशुदा या समझदार आदमी का उत्तर हागा जिसे एक या अन्य कारण से हायर सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की जरूरत रही होगी। उसने पीडा के साथ आगे लिखा परीक्षक महोदय आप कृपा कर ठण्डे मस्तिष्क से अपने विवेक से साच्चिए कि क्या यही शिक्षा है? यही विकास है? आदमी विकास के लिए है या विकास आदमी के लिए? इसे कोई सोच ही नहीं रहा है। आज मनुष्य मनुष्य के ही खून का प्यासा हा रहा है बलात्कार- चारी- डकैती क समाचारों से समाचार पत्र भरे पड हैं बनिया हल्दी में ईट पीस धनिये मे घोडे की लीद तथा हाँग म मक्की का आटा मिला कर बेच रहा है कार्यालया में कर्मचारी मिलते ही नहीं हैं फिर समय पर कार्य निष्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता

अनुक्रम

शिक्षा का स्वरूप	1
अगली सदी की शिक्षा का सम्भावित स्वरूप	6
शिक्षा में नवाचार	17
शिक्षा का विकासानुसूची क्षेत्र	30
व्यवसाय के रूप में अध्यापन	40
मूल्या का संकट	50
वैचारिक प्रदूषण	57
शिक्षा में नैतिक एवं आचरण मूल्य	64
मूल्यों का मापन एवं मूल्यांकन	77
मित्रता के लिए शिक्षा	86
सवेदनशीलता के लिए शिक्षा	96
विकास के लिए शिक्षा	103
उपभोक्ता की शिक्षा	115
डिग्री नौकरी अलग-अलग	119
अन्तर्विषयी शिक्षा	128
समाज विज्ञान में अनुसंधान की स्थिति	142

शिक्षा का स्वरूप

इस विषय पर प्रस्तुत किए जाने वाले अपने विचारों को विद्यार्थी क परीक्षा में लिखे उत्तरों से आरम्भ करने का लोभ लेखक सवरण नहीं कर पा रहा है। अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र में आर्थिक विकास सूचक पांच प्रमाण मागे थे। किन्ता विद्यार्थी न इस प्रश्न का उत्तर यों आरम्भ किया

“ परीक्षा भवन में बैठे- बैठे परीक्षार्थी आर्थिक विकास के प्रमाण यों लिख रहे हाग- भीमकाय कारखाना या मिलों की स्थापना हुई है पकी सड़कें कई गुनी बढ गई हैं खेतों की पैदावार बढी है बिजली का उत्पादन कई गुना बढ गया है जगह- जगह चिकित्सालय खुल गए हैं उनमें आने वाले रोगियों की सख्या बढी है तालाबों और बाधों की सख्या में वृद्धि हुई है रेलमार्गों का विस्तार हुआ है नए रेलमार्ग बने हैं कारखाना से बाहर आने वाले सभी प्रकार के वाहनो की सख्या में भारी वृद्धि हुई है चिकित्सा तथा अभियान्तिकी शिक्षा के संस्थानों की प्रवेश क्षमता बढाई गई है यहां काम करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सख्या में वृद्धि हुई है महानगरों में बहुमजिली इमारतें बनी हैं बन रही हैं विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की सख्या कई गुनी बढी है उनमें शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी बढे हैं। आदि आदि।”

स्पष्ट है कि यह उत्तर किसी सामान्य विद्यार्थी या 13-17 या 18 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यार्थी का नहीं है। किसी उग्रशूदा या समझदार आदमी का उत्तर होगा जिसे एक या अन्य कारण स हायर सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की जरूरत रही होगी। उसने पीडा के साथ आगे लिखा परीक्षक महोदय आप कृपा कर ठण्डे मस्तिष्क से अपने विवेक स साचिए कि क्या यही शिक्षा है? यही विकास है? आदमी विकास के लिए है या विकास आदमी के लिए? इसे कोई सोच ही नहीं रहा है। आज मनुष्य मनुष्य के ही खून का प्यासा हो रहा है बलात्कार- चारी- डकैती के समाचारों से समाचार पत्र भरे पडे हैं बनिया हल्दी में ईंट पीसे धनिये में घोड की लीद तथा हींग में मक्की का आटा मिला कर बेच रहा है कार्यालयों में कमचारी मिलते ही नहीं हैं फिर समय पर कार्य निष्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता

है निर्माता घटिया दवाइया बना कर रोगियों के प्राणों से खेल रहे हैं। मनुष्य इतना सवेदनहीन हो गया है कि पड़ोस में बौन रहता है उम क्या कष्ट है यह जानना ही ही चाहता कॉलोनी के माध्यम से विकसित संस्कृति ने लोगों को अलग-थलग रहने में विवश कर दिया है ये दूसरों से मिलना जुलना ही नहीं चाहते टी बी ने भी इस विचारधारा के विकास में मदद की है औद्योगिक एवं प्राविधिक विकास से देश सिमट गया है और मानवीय गुणों का लोप हो गया है। कारखानों के पास विकसित गद्दी झुग्गी झोपडियों में मानवीय सम्बन्धों का क्या रूप बदला है? मानवता का कितना हास हुआ है यह किसी से छिपा नहीं है। यह कितना सही है कि आदमी जितना अधिक साक्षर [शिक्षित नहीं] हुआ है उतना ही अधिक वह सुधरे हुए तरीके से झूठ बोलना सीख गया है। धोखा देने की सुधरी हुई तकनीक सीख गया है तथा ज्ञान होने पर स्वकेन्द्रित बतला कर अपने को दोष से बच निकलने का प्रयत्न करता है।

प्रश्न उठता है कि क्या यही शिक्षा है? यह शिक्षा का प्रतिफल है? नहीं ऐसा नहीं है। सर्वाधिक हानिकारक बात यह हुई कि शिक्षा का अर्थ रोटी- रोजगार लिया जाने लगा है नौकरी शिक्षा का पर्याय समझा जाने लगा है। यहीं से हास आरम्भ हो गया। शिक्षा का अर्थ है- सा विद्या या विमुक्तये अर्थात् विद्या वह है जो भुक्तिये शिक्षा का अर्थ है विनयी बनना विनीत होना सवेदनशील बनना सामाजिक-सांस्कृतिक आध्यात्मिक नैतिक दृष्टि से उपयागी नागरिक बनना। आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर नागरिक बनना शिक्षा का एक उद्देश्य हो सकता है पर इसे ही शिक्षा के उद्देश्यों में प्रथम स्थान पर नहीं माना जा सकता। आर्थिक उद्देश्य ही सब कुछ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि शिक्षा के उद्देश्यो को क्रमानुसार लिपिबद्ध किए जाए तो आर्थिक आत्मनिर्भरता को नीचे जोड़ा जा सकता है पर इसे शीर्षस्थ स्थान तो कदापि नहीं दिया जाना चाहिए।

शिक्षा का उद्देश्य है- बालक का सर्वांगीण विकास उसके सोचने विचारने का क्षेत्र विस्तृत हो पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिन्तन कर सके सकुचित दृष्टिकोण का त्याग कर सके एक दूसरे के कष्टों में काम आना उसका दुःख बाटना बड़ा का आदर करना गुरुजनों के प्रति विनीत बनना छोटे स्वार्थ का बड़े स्वार्थ के सामने त्याग करना परिवार के सदस्यों के साथ सराहनीय व्यवहार करना पड़ोसी के प्रति सहानुभूति हमदर्दी रखना सवेदनशील बनना प्राणिमात्र के प्रति दयालु बनना श्रम के प्रति निष्ठा रखना आदि मानवीय गुणों का विकास। सरासरी हमारी शिक्षा का रूप उसकी

व्यवस्था भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक- आर्थिक-नैतिक- आध्यात्मिक तथा दार्शनिक धरती से जुड़ा होना चाहिए।

प्रकारान्तर से शिक्षा का अर्थ सीख हुए ज्ञान से बदली हुई परिस्थितिया में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है अर्थात् नई स्थितियों में समायोजन करना ही शिक्षा है। गांधी ने इसी को या कहा- मनुष्य में [या बालक में] प्राप्त प्रकृतिदत्त दैहिक आध्यात्मिक सामाजिक नैतिक और सौंदर्यात्मक सम्भावनाओं को गुणों का प्रकटीकरण करवाना। इसी दृष्टि से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय में पढाए जाने वाले विषयों का प्रावधान होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। जब तक बालक का एक भाषा पर अधिकार न हो जाए तब तक दूसरी भाषा का अध्ययन-अध्यापन आरम्भ न किया जाए। भाषा-शिक्षण के उद्देश्यों में एक अभिव्यक्ति उद्देश्य भी है। ऐसा मानने के पर्याप्त आधार हैं कि बालक मातृभाषा में ही सर्वाधिक अच्छी अभिव्यक्ति कर सकता है। प्राथमिक विद्यालय में बालक को 5 वर्ष की आयु पूरी करने के पूर्व प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। पूरे देश में ऐसा बानूना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस उम्र तक बालक को खेलने-कूदने के पर्याप्त अनगिनत अवसर मिलने चाहिए। इस कच्ची उम्र में उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाकर उसका बचपन नहीं छीनना चाहिए।

मनुष्य नारोग रहे उसे बीमारी न हो इसके लिए आवश्यक है कि बालक को स्वास्थ्य-विज्ञान का ज्ञान कराया जाए, व्यायाम का अभ्यास हो। उच्च स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा चिकित्सा विधि अभियान्त्रिकी में मानवीय सम्बन्धों पर अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। अध्यापन समाज कार्य प्रबन्धन आदि के पाठ्यक्रमों में अन्य गुणों के साथ ही व्यावसायिकता का अधिक विकास हो ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए। यह आज के समाज की अनुभूत आवश्यकता है।

शिक्षा की सीढ़ी सभी प्रान्तों में एक समान होनी चाहिए। इससे अभिभावकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर वे कठिनाई का सामना करने से बच सकें। ऐसा होने पर उनका कहीं भी प्रवेश आसानी से हो सकेगा। समग्रत शिक्षा के रूप के सम्बन्ध में जो भी परिवर्तन किए जाएं वे आधे मन से न हों पूरे मन से दृढ़ता के साथ दूरगामी फलितार्थों की दृष्टि से किए जाएं। पाठ्यक्रम में जो भी बातें जोड़ी जाएं या हटाई जाएं उनका सभी स्तरों पर दृढ़ता से पालन हो।

मूल्यांकन शिक्षा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। पढाने वाला शिक्षक ही स्वयं मूल्यांकन करे उसने अध्यापन के समय किन-किन उद्देश्यों को दिमाग

मे रखा है इस दृष्टि से यही अच्छा मूल्यांकन कर सकता है यही मूल्यांकन वैध भी होता है। पर आज परीक्षाएँ तो विडम्बना हो गई हैं शिक्षकों पर भाति- भाति के दबाव आत हैं ये सही मूल्यांकन ही करेगा यह सदहास्पद ही रहता है। मूल्यांकन की सामाजिक या लोक स्वीकृति बनी रहनी चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण पत्र में समय की पात्रन्दी गुण की 'सी' ग्रेड दी गई है तो न तो विद्यार्थी अपना प्रमाण पत्र बदलना चाहता है तथा न ही नियोक्ता उस देखने में रुचि रखता है। नियोक्ता भी नियुक्ति के पूर्व बोर्ड के प्रमाण पत्र को देख लेना पर्याप्त मानता है। प्रयत्न यह किया जाए कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को दिए 'सी' ग्रेड की महत्ता स्थापित की जाए तथा नियोक्ता उसे देखे ही। तभी शिक्षक का सम्मान बढ़ेगा। पर यहाँ यह भी जरूरी है कि शिक्षक को भी मूल्यांकन में ईमानदार वैध तथा वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा।

आज शिक्षा का स्तर यह है कि अधिस्नातक शिक्षक कार्यभार सम्भालने का आवेदन पत्र नहीं लिख सकता गणित सहित स्नातक बाजार में सब्जी खरीदते समय चालाक मालिन से ठग लिया जाता है इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार अहम् प्रश्न है इस पर समय रहते विचार किया जाना चाहिए।

आज व्यवहार में देखा जाता है कि शिक्षा की ललक हर व्यक्ति में बढ़ी है। पान बेचने वाला भी अपने बच्चे को एम ए बी ए पास देखना चाहता है। इससे संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या में कई गुनी वृद्धि हो गई है तथा आज लोक कल्याणकारी राजनैतिक व्यवस्था में उन्हें प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। बड़ी-बड़ी कक्षाओं में विद्यार्थियों पर शिक्षक वैयक्तिक ध्यान नहीं दे पाता है। शिक्षा प्रशासकों को ऐसे साधन एवं तरीके खोजने चाहिए जिससे प्रत्येक विद्यार्थी का शिक्षक से निजी सम्पर्क बन सके तथा शिक्षक अपने विद्यार्थियों में वांछित गुणों का विकास कर सके।

इस बात पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए कि अध्यापक के पद पर सही व्यक्ति का चयन हो। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए आशार्थी हैं। एक प्रथम श्रेणी में एम ए पास माता-पिता की आना न मानन वाला परीक्षा में उदण्डतापूर्वक अनैतिक तरीकों से नकल करना पड़ोसी से सदैव लड़ने झगड़ने वाला बातचीत में गाली-गलोज करन वाला तथा दूसरा आशार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विनीत माता-पिता की इज्जत करन वाला सहपाठियों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करने वाला पड़ोसियों के साथ सवेदनशील शालीन आदि गुणों वाला। कोई भी

विवेकमय या समझदार आदमी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण आशार्थी को शिक्षक के पद पर नियुक्त कर लगा। ऐसे ही अध्यापक सहायक शिक्षण सामग्री की रचना भी कर सकते हैं तथा कक्षा के उपयोग कर अध्ययन का रचिप्रद बना सकते हैं।

यह याद रखा जाना अत्यन्त जरूरी है कि बड़-बड़ भवनो में ही अच्छी शिक्षा दी जाएगी। यह कोई आवश्यक नहीं है। छोटी इमारतों में शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्वाह किया जा सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शिक्षक को बालक के हित में पूरे मन से काम करने को तत्पर बनाया जाए। भव्य भवना का शिक्षकों के परिश्रम-कक्षा के मधुर एवं प्ररणास्पद वातावरण जहां बालक सांख्यता है म सांथा कोई सम्बन्ध नहीं है।

कक्षाध्यापन के समय बालक का समग्र व्यक्तित्व शिक्षक के सम्मुख रहना चाहिए। बालक किस परिवार से आया है भाई बहिन की शिक्षा का स्तर क्या है माता-पिता कितना मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या परिवार की पहली पीढ़ी ही विद्यालय में आई है इन सबसे भी बालक का सीखने के लिए उत्प्रेरणा मिलती है। यदि शिक्षक के दिमाग में ये सब बात रही हैं तो कम प्रयत्न तथा कम समय में अधिक चीजें बालक को सिखाई जा सकता हैं तथा बालक प्रसन्नतापूर्वक इन बातों को आत्मसात् कर लंगा। संक्षेप में ऐसा होने पर शिक्षक बालक का अधिक हित साधन कर सकता है।

इन सब बातों के साथ शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि शिक्षा का प्रबन्ध विरेन्द्रित हो। जिसमें हर आदमी अपना महत्व अनुभव कर सक। शिक्षा के प्रत्येक कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति लगाव अनुभव कर उस कार्य को अपना निजी कार्य मान। सभ्य में शिक्षा प्रशासन एवं प्रबन्ध में यह बात अनुप्राणित होनी चाहिए कि उपयुक्त बालक का सही अध्यापक से उपलब्ध सीमित साधनों से कम से कम लागत पर प्रसन्नतापूर्वक वातावरण में सही विषयों की उपयुक्त समय पर शिक्षा प्राप्त हो।

□

अगली सदी की शिक्षा का सम्भावित स्वरूप

एक समय था जब गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को विद्याभ्यास कराते थे न अधिक विद्यार्थी होते थे फलतः गुरु शिष्यों में गाढ़े पारिवारिक सम्बन्धों का विकास हो जाता था न आज की तरह परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र से ही जांच होती थी शिक्षक ही मौखिक परीक्षा देने के अतिरिक्त उनके द्वारा दिया परीक्षा परिणाम सर्वत्र सम्मान पाता था। शिष्य के व्यक्तिगत विकास का उत्तरदायित्व शिक्षक पर होता था। आज शिक्षा से शिष्य के व्यक्तिगत विकास की अपेक्षा की जाती है। प्रथम- नागरिकों को विश्व अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था बनाना तथा दूसरा- उन्हें ज्ञान कौशल तथा ज्ञानोपयोग की दृष्टि से एक नागरिक बनाना। आज स्थितियों में बहुत परिवर्तन आ गया है मात्र 50-60 वर्ष बाद इसीसर्वा सदी का शुभारम्भ होने वाला है। आज की शिक्षा स्वरूप की ही नहीं यरन् 50-60 वर्ष पूर्व वाली शिक्षा भी नहीं

2 बक्षोजति के पूर्व जहा आवश्यक हो वहा सेतु पाठ्यक्रम आरम्भ किये जायगे और

3 अनुपयुक्त विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने से ही विधिवत रोक लिया जायेगा।

इस बात की पूरी सम्भावना बताई जा सकती है कि अगली शताब्दी में इन सुझावा पर गम्भीरता से विचार होगा।

आज चारों ओर से आवाज आ रही है कि शिक्षण सस्थाओं में आरक्षण से कार्य का स्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। यदि यह सही पाया जाता है तो शिक्षण सस्थाओं में मुख्यत उच्च शिक्षा तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में आरक्षण पर सावधानी पूर्वक फिर से विचार किया जा सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में भी मात्र उत्कृष्टता या श्रेष्ठता का ही उच्च शिक्षा का आधार बताया गया है। (मेरिट एलोन विल बी दी बेसिस) आरक्षण के विरोध में आज विश्व में यह बात जोर से उछाली जा रही है कि या तो श्रेष्ठ बनिये या फिर मच छोड़िये। प्रकृतिस्त गुणा लक्षणों तथा योग्यताओं का अधिकतम विकास हो यही सामाजिक न्याय है प्रजातान्त्रिक देशों का कल्याणकारी उद्देश्य है। यदि कोई राष्ट्र ऐसे महत्वहीन विषयों पर उलझ जायेगा तो अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। इक्कीसवीं सदी में श्रेष्ठता या उत्कृष्टता पर ध्यान दिया ही जायेगा उसका समुचित उपयोग होगा ऐसी प्रबल सम्भावना लगता है।

स्कूल शिक्षा समाप्त कर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले लगभग 80 प्रतिशत विद्यार्थी मानविकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं तथा उसमें से अधिकांश विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं जिनको सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी प्रकार नहीं खपाया जा सकता। इसलिये अगली सदी में उच्च शिक्षा सस्थान तथा उनमें भी मानसिकी सकार्यों के विकास की सम्भावना बहुत कम रह जायगा।

विद्यार्थी अर्थपूर्ण स्कूली कार्यक्रम के लिए आवाज उठायेंगे कार्यात्मक साक्षरता पर जोर दिया जायेगा। अस्तित्व बनाये रखने तथा फलने-फूलने के लिए युवाओं का क्या जानना चाहिए समाज तथा देश को किस प्रकार के ज्ञान तथा कौशल की आवश्यकता है इस प्रकार यदि जीवन से जुड़ी उपयोगी शिक्षा पर यदि आग्रह किया गया तो शिक्षण सस्थाओं से विद्यार्थियों का अलगाव दूर होगा उनकी उनसे सलग्नता बढ़ेगी। आज तो स्थिति यह है कि उन्हें विद्यालय आने का प्रयोजन या उद्देश्य ही मालूम नहीं है। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि हर स्तर पर शिक्षा अपने आप में पूर्ण हो। उच्च प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए प्राथमिक या महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सीनियर

अगली सदी की शिक्षा का सम्भावित स्वरूप

एक समय था जब गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को विद्याभ्यास कराते थे न अधिक विद्यार्थी होते थे फलतः गुरु शिष्यों में गाढ़े पारिवारिक मधुर सम्बन्धों का विकास हो जाता था न आज की तरह परीक्षा के लिए 3-3 घंटों के प्रश्न पत्र से ही जांच होती थी शिक्षक ही मौखिक परीक्षा लेते थे और उनके द्वारा दिया परीक्षा परिणाम सर्वत्र सम्मान पाता था। शिष्य के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व शिक्षक पर होता था। आज शिक्षा से दो मुख्य कार्यों की अपेक्षा की जाती है। प्रथम- नागरिकों को विश्व अर्थव्यवस्था के प्रति सचेत बनाना तथा दूसरा- उन्हें ज्ञान कौशल तथा ज्ञानोपयोग की दृष्टि से जागरूक नागरिक बनाना। आज स्थितियों में बहुत परिवर्तन आ गया है। मात्र पाच छ वर्ष बाद इक्कीसवीं सदी का शुभारम्भ होने वाला है। आज की शिक्षा भूतकाल की ही नहीं बरन् 50-60 वर्ष पूर्व वाली शिक्षा भी नहीं है। तो क्या अगली सदी की शिक्षा आज की सदी की शिक्षा से भिन्न नहीं होगी? हाँगी वह अवश्य ही भिन्न होगी। धुंधला ही सही पर आने वाली सदी की शिक्षा का उसके स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है।

अगली शताब्दी में यह बात जोर पकड़ सकती है कि शिक्षा के क्षेत्र में सख्यात्मक विकास की अपेक्षा गुणवत्ता पर अधिक आग्रह किया जाये। प्राथमिक शिक्षा सबको मिले सम्पूर्ण साक्षरता हो पर उच्च शिक्षा पात्र विद्यार्थियों को ही मिले हर किसी को निरुद्देश्य उच्च शिक्षा में प्रवेश न दिया जाये। वे आधे मन से पढ़ते हैं रोजगार मिलने पर पढ़ना छोड़ देते हैं इससे सत्र के मध्य अन्य विद्यार्थी को प्रवेश भी नहीं दिया जा सकता और इससे मानवीय साधनों का दुरुपयोग होता है। ज्ञान की गहरी भूख वाले सुपात्र विद्यार्थियों को ही उच्च शिक्षा के लिये प्रवेश दिया जाये। इस समस्या के हल के लिए अगली शताब्दी में निम्नलिखित तीन बातों की सम्भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं -

1 पात्र एवं चुनिन्दा विद्यार्थियों को ही उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश मिलेगा

2 कक्षात्रति के पूर्व जहा आवश्यक हो वहा सेतु पाठ्यक्रम आरम्भ किये जायेगे और

3 अनुपयुक्त विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने से ही विधिवत रोक लिया जायेगा।

इस बात का पूरी सम्भावना बताइ जा सकती है कि अगली शताब्दी में इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार होगा।

आज चारों ओर से आवाज आ रही है कि शिक्षण सस्थाओं में आरक्षण से कार्य का स्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। यदि यह सही पाया जाता है तो शिक्षण सस्थाओं में मुख्यत उच्च शिक्षा तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में आरक्षण पर सावधानी पूर्वक फिर से विचार किया जा सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में भी मात्र उत्कृष्टता या श्रेष्ठता को ही उच्च शिक्षा का आधार बताया गया है। (मेरिट एलोन विल बी दी बेसिस) आरक्षण के विरोध में आज विश्व में यह बात जार स उछाला जा रही है कि या तो श्रेष्ठ बनिये या फिर मच छोडिये। प्रकृतिदत्त गुणा लक्षणों तथा योग्यताओं का अधिकतम विकास हो, यही सामाजिक न्याय है प्रजातान्त्रिक देशों का कल्याणकारी उद्देश्य है। यदि कोई राष्ट्र ऐसे महत्वहीन विषयों पर उलझ जायेगा तो अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। इक्कीसवीं सदी में श्रेष्ठता या उत्कृष्टता पर ध्यान दिया ही जायेगा उसका समुचित उपयोग होगा ऐसी प्रबल सम्भावना लगती है।

स्कूल शिक्षा समाप्त कर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले लगभग 80 प्रतिशत विद्यार्थी मानविकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं तथा उसमें से अधिकांश विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्ताण हात है जिनको सावजनिक सेवाओं में किसी भी प्रकार नहीं खपाया जा सकता। इसलिये अगली सदी में उच्च शिक्षा मस्थान तथा उनमें भी मानसिकी सकार्यों के विकास की सम्भावना बहुत कम रह जायेगी।

विद्यार्थी अर्थपूर्ण स्कूली कार्यक्रम के लिए आवाज उठायेंग कार्यात्मक साभरता पर जार दिया जायगा। अस्तित्व बनाये रखन तथा फलन-फूलने के लिए युवाओं को क्या जानना चाहिए, समाज तथा देश के किस प्रकार के ज्ञान तथा कौशल की आवश्यकता है इस प्रकार यदि जीवन से जुडी उपयोगी शिक्षा पर यदि आग्रह किया गया तो शिक्षण सस्थाओं से विद्यार्थियों का अलगाव दूर होगा उनको उनसे सलग्रता चडेगी। आज तो स्थिति यह है कि उन्हें विद्यालय आने का प्रयोजन या उद्देश्य ही मालूम नहीं है। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि हर स्तर पर शिक्षा अपने आप में पूर्ण हो। उच्च प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए प्राथमिक या महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सीनियर

माध्यमिक परीक्षा पास हाना अनिवार्य न हो प्रवेश के लिए सम्भव है ऐसी दृढता आवश्यक न हो। प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद ही यह नागरिक के रूप में विकसित हो।

आने वाली सदी की शिक्षा का स्वरूप क्या होगा या उसके किस रूप में परिवर्तन की सम्भावना हो सकती है अगली सदी की शिक्षा के परिवर्तन को सुविधा एवं स्पष्टता की दृष्टि से कुछ विशिष्ट शीर्षकों में लिपिबद्ध किया जा रहा है जो नीचे की पक्तियाँ स्पष्ट करती हैं -

शिक्षादर्शन या शिक्षा के सिद्धान्त

शिक्षा के सामाजिक तथा वैयक्तिक उद्देश्यों में भारी परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तथा सामाजिक उद्देश्य शिक्षा के प्रमुख प्रयोजन माने जाते थे- इन्हीं की दृष्टि से विषय वस्तु का चयन होता है। शिक्षा मुख्यतः दो प्रकार से मानी जाती है - उदार या साहित्यिक या कृताबी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा या सस्कृति के संरक्षण के लिये शिक्षा या आध्यात्मिक विकास या अवकाश के लिए शिक्षा या वैयक्तिक कौशल प्राप्ति के लिए शिक्षा की जगह अब शिक्षा को ब्रेड एण्ड बटर या रोटी रोजी से जोड़ा जा रहा है। आज समझ-बूझ भाई-चारे विश्वबधुत्व या वैयक्तिक विकास के लिए शिक्षा आदि उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं रह गये हैं। इसी दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होने की प्रबल सम्भावना है तथा आशा की जानी चाहिए कि आने वाली सदी में रोजगार के लिए शिक्षा-शिक्षा के उद्देश्यों में प्रमुखता से जुड़ जाये। अंग्रेजों के समय में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य लिपिक तैयार करना था। दूसरे शब्दों में आने वाली सदी तक व्यावसायिक शिक्षा का इतना विकास हो जाये कि शिक्षा के अन्य उद्देश्य ओझल हो जाये। किसी को यह मानने में आपत्ति नहीं हानी चाहिए कि रोजगार के लिए शिक्षा-शिक्षा का बहुत ही सकुचित उद्देश्य है। पर शिक्षा मंत्रालय को जिस प्रकार मानव ससाधन विकास मंत्रालय शीर्षक से नये रूप में परिभाषित किया गया है उसी भाँति सम्भव है रोजगार के लिए शिक्षा उद्देश्य स्वीकार करते हुए शिक्षा को मानव ससाधन विकास की प्रक्रिया में केन्द्र बिन्दु माना जाय तथा शिक्षा सही अर्थों में कार्य कर सके।

मनोविज्ञान के स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार बालक के विकास पर उसके वशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पडता है। प्रौढ शिक्षा दूरस्थ शिक्षा सायकलीन वक्षाय पत्राचार पाठ्यक्रम आकाशवाणी एवं दूर दर्शन से पाठों का प्रसारण टेप केसेट आदि के विकास एवं विस्तार से देश में साक्षरता

का प्रतिशत बढ़गा जिसके फलस्वरूप माता पिता आने वाले समय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बालकों की साव समझ सामान्य ज्ञान, सूचनाएँ तथा बुद्धि स्तर निश्चित रूप से सकारात्मक ढंग से प्रभावित होगा।

पाठ्यवस्तु

वैज्ञानिक एवं प्रायोगिक विकास से विश्व छोटे से दायरे में सिमट कर रह गया है। भौतिक रूप से देश भले ही पास-पास आ गये हों पर वे अभी अपने छोटे-छोटे स्वार्थों में ही उलझे रहते हैं इससे मानवता के वृहद् हितों को हानि पहुँची है। इस दृष्टि से विध्वनागरिकता की बातें जोर पकड़ सकती हैं। आपसी भाई-चारे तथा सवदनशीलता का विकास सूचक बातें पाठ्यक्रम में जोड़ी जा सकती हैं। सयुक्त परिवार एक प्रकार से सामाजिक जीवन में बीमा का कार्य करत है पर आजकल एकाकी परिवार ही अधिक विकसित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सयुक्त परिवार आने वाली सदी की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं।

आज औद्योगिक विकास तथा अणुयुग अपन विकास का चरम सीमा पर है। लगता है अब ज्ञान तथा सूचना के युग का बोलबाला रहेगा। अगली सदी के पुस्तकालय आज के पुस्तकालयों से भिन्न होंगे वहाँ भारी भक्कम पुस्तकों की जगह माइक्रो फिल्मस उपलब्ध रहेगी जिनका विद्यार्थी अनेक रूप में प्रचुरता से उपयोग करेंगे। कम्प्यूटर के माध्यम से हर घर कार्यालय सस्था औद्योगिक सस्थान में उनका आवश्यकतानुसार सूचनाएँ संग्रह ही नहीं रहेगी वरन् वे सूचनाएँ अद्यतन भी होंगी।

इन परिवर्तनों के कारण शिक्षकों की ट्रेनिंग तथा पुन ट्रेनिंग की आवश्यकता निरन्तर बना रहेगी तथा उनके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु भी निरन्तर आवश्यकता एवं समय के अनुसार बदलती रहेगी।

शिक्षण विधियाँ -

प्याख्यात्मक विधि से अध्यापन जिसमें विद्यार्थी मात्र श्राव्य बन कर रह जाता है अपना महत्व खो देगा। अगली सदी में सिखाने की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल रहेगा। इसी दृष्टि से समूह कार्य कार्य गोष्ठी दल कार्य अभिक्रमिता अध्ययन स्लाइड्स ऑवर हड पोजेक्टर टप रिकार्डर्स कसेट्स पुस्तकालय अध्ययन स्रोत विधि का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ेगा ऐसी आशा की जानी चाहिए। जब सम्पूर्ण साक्षरता का नारा जोर पकड़ रहा है तो स्वअधिगम (सल्फ लर्निंग) के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार कर शिक्षार्थी को उपलब्ध कराई जायेगी जिससे वे अपनी गति से तथा अपने

फुर्सत के समय का उपयोग कर शिक्षा का लाभ उठावेंगे। जनसाधारण के लिये ये लर्निंग पब्लिकेशन बड़े महत्व के हो जायेंगे। इन सब कार्यों के लिये भूमिका निर्वहन ग्रेन स्टार्मिंग अभिनवीकरण सरस्वती यात्राये महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। इन सब गतिविधियों के लिए शिक्षकों का पुन प्रशिक्षण भी जरूरी होगा। इन सब कार्यों के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसार अध्यापक के पद पर नितान्त मरी व्यक्ति का चयन किया जायेगा जो अध्यापन को समर्पित शिक्षा में प्रयोगो का समर्थक सत्य का अन्वयक तथा अनुसंधान कार्य में रचि-सम्पन्न हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षण सस्थाएँ विज्ञान अनुसंधान तथा सस्कृति के संरक्षण परिवर्द्धन तथा संशोधन को केन्द्र बन जायेगी।

अध्यापक-विद्यार्थी सम्बन्ध -

ऊपर के विवचन के आधार पर कहा जा सकता है कि अगली सदी में बालक की युद्धि एवं उसके तार्किक स्तर में अभूतपूर्व सुधार होगा। ऐसा होने पर बच्चों से बिना सोचे समझे आज्ञा पालन की आशा नहीं की जा सकती। यदि माता-पिता ने किसी काम को करने से बच्चे को मना किया तो सम्भव है बालक तत्काल आज्ञा का पालन न करे। गुणावगुण की दृष्टि से वह आज्ञा को देखेगा समझ में न आने पर बालक माता-पिता से तर्क वितर्क भी कर सकता है। अपेक्षा यह भी की जा सकती है कि मातापिता से तर्क करके सन्तुष्ट हाकर ही उनकी आज्ञा का पालन करे। इसी भाति यदि कक्षा में अध्यापक ने उसे कभी दण्ड स्वरूप बेंच पर खड़ा होने को कहा तो वह तत्काल अध्यापक की आज्ञा मान लेगा ऐसा भी नहीं सोचा जाना चाहिए। बालक बेंच पर खड़ा होने के पूर्व अपने अपराध का कारण तथा उसकी गम्भीरता भी जानना चाहेगा तभी वह आज्ञा पालन करेगा। अध्यापकों तथा माता-पिताओं को भी बालक के इन तर्कपूर्ण विवादो को सुनने समझने को तथा उत्तर देने के लिए अपने आपको तैयार करना चाहिए। उन्हें यह बात अपने दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए कि वे आयु में बड़े होने से तथा अधिक अनुभवी होने से अपनी हर बात बच्चों से मनवा लेंगे।

विद्यार्थी तो विनीत है उसके शालीन तथा विनीत न होने का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न यदि है तो मात्र यह कि बाल सुलभ जिज्ञासा वृत्ति पर ध्यान दिया जाये और बालक की समय पर उचित मार्गदर्शन की आशा धुमिल न हो। बालक कोई भी कार्य करने के पूर्व अध्यापक या माता-पिता की आज्ञा का पालन करने के पूर्व यदि अपनी शका का समाधान या जिज्ञासा का हल चाहता है तो अध्यापक एवं माता-पिता को इसे स्वीकार करना चाहिए

और उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। निज्ञासा वृत्ति को वशाभूत हो कर ही बालक पूछ रहा है तथा इसे अनुशासनहीनता या अवज्ञा के रूप में नहीं लेना चाहिए।

कक्षा व्यवस्था -

आज कक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन आ गया है। आज अभिक्रमिit अध्ययन विधा कोई नई बात नहीं रह गई है। यही बात दूरदर्शन के लिए भी कही जा सकती है। सम्पन्न विद्यालयों में दूरदर्शन का शिक्षण में भरपूर उपयोग हो रहा है। इस विधा में सही उत्तर उत्प्रेरणा के रूप में प्रयोग किया जाता है विद्यार्थी उत्प्रेरणा पाकर अपनी गति से आगे बढ़ता चलता है। इस तकनीक के प्रयोग होने पर कक्षाकर्म आज के समान नहीं होंगे। अध्यापन स्वअधिगम के सिद्धान्त के अनुसार आगे बढ़ता चला जाएगा। इससे स्पष्ट है कि 21वीं शताब्दी में कक्षाकक्ष का रूप आज से निश्चित रूप से भिन्न होगा और आज के कक्षाकक्ष उस समय तक आउट डेटेड हो जायेंगे।

इक्कीसवीं शताब्दी में विद्यालय भवनो तथा प्रयोगशालाओं का सधन उपयोग होगा-विद्यालय पारियों में लगेंगे व भवन कभी बेकार खाली नहीं रहेंगे। भवन का विद्यालय में अवकाश के समय सामुदायिक केन्द्र के रूप में उपयोग होगा पुस्तकालय-वाचनालय सामान्य नागरिकों के लिए खोल दिये जायेंगे। विद्यालय पारियों में लगने से एक लाभ यह भी होगा कि शिक्षा की अवसर लागत समाप्त हो जायेगी क्योंकि बच्चे अपनी सुविधानुसार पारी में पढ़ सकेंगे तथा शेष समय पिता के साथ काम कर उनकी मदद कर सकेंगे या पृथक से अशकालीन या पूर्ण समय का काम कर परिवार की आय बढ़ा सकेंगे। शाखाओं का लम्बा अवकाश कृषकों की सुविधानुसार या फसलों के कार्याधिक्य के समय रखा जाय-कृषकों की ऐसी मांग प्रस्तुत हो सकती है।

इससे भी अधिक किसान शोषण से मुक्त होने के लिए शिक्षा की मांग करेंगे। इससे सम्भव है खेतों तथा चण्णारों पर ही स्कूल चलाने लगे। कई बच्चे तो परिवार के छोटे-छोटे कार्यों को छोड़ कर भी पढ़ना पसंद करेंगे। वे पढ़ाई का प्रमाण पत्र प्राप्त कर उच्च पदों की ऊँची-ऊँचा नौकरियों की आशा करते हैं वे महत्वाकांक्षाएँ सजोये रहेंगे फिर चाहे वे एक ही कक्षा में कई वर्ष रह कर पास करें। पाठ्यक्रम को राष्ट्र की तथा गांव की आवश्यकताओं से जोड़ा जायेगा। यदि ऐसा सही अर्थों में हो गया तो पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की संख्या बहुत घट जायेगी क्योंकि तब शिक्षा उनको अर्थपूर्ण लगने लगेगी।

विज्ञान के विकास के साथ साथ मनोरंजन के साधना में भी विकास हुआ है एवं विस्तार भी। खेलने तथा मनोरंजन के साधनों का उपयोग करने के बाद विद्यार्थी के पास समय ही कहा बचेगा कि वह गृह कार्य पूरा करे। ऐसी स्थिति में विद्यालयों को पुनर्विचार करना पड़ेगा और बहुत सम्भव है विद्यार्थियों को या तो गृह कार्य से मुक्ति मिल जायेगी या फिर यदि किसी अध्यापक ने गृह कार्य पर जोर दिया या आग्रह किया तो उन्हें गृह कार्य कक्षा में ही अध्यापक के मार्गदर्शन में ही पूरा करना पड़े। ऐसी स्थिति में बच्चों को भारी भ्रम बस्ता घर से लाने से मुक्ति मिल जाय तथा पुस्तक विद्यालय में ही रखी रहे। इससे शिष्यों को अद्यतन जानकारी रखनी होगी अन्यथा वे छात्रों में विवाद के पात्र हो सकते हैं। विद्यार्थी जब विद्यालय से घर जायेंगे तो उन्हें गृह कार्य का भूत नहीं सताया करेगा।

मनोरंजन के इन साधनों का एक प्रभाव कक्षा के सामाजिक सगुण (सोशल कोहेसन) पर भी पड़ेगा। व्यवहार में आप देखते हैं कि आज चारों ओर कालोनी संस्कृति विकसित हो गई है। इन कालोनिया में उच्च आय वर्ग के नागरिक मध्य या निम्न आय वर्ग के नागरिकों के घरों पर या मध्यम आय वर्ग के नागरिक निम्न आय वर्ग के नागरिकों के यहां नहीं आते-जाते इससे न केवल प्राचीन सामाजिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वरन् विद्यार्थियों का ठीक प्रकार से समाजीकरण भी नहीं हो रहा है बालक अलग बलग रहने लगे हैं तथा अपने से निम्न आय वर्ग के बालकों से मिलना जुलना बंद कर रहे हैं उनके सामाजिक सम्बन्धों का क्षेत्र अब छोटा हो रहा है। इस भाँति उनकी सामाजिक दुनिया छोटे से क्षेत्र में सिक्कुड कर रह जायेगी और वे केवल अपने आप में केन्द्रित होते जायेंगे। पडासी या सहकर्मी या सहपाठी के प्रति उनकी संवेदना समाप्त हो जायेगी इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रह जायेगा कि पडासी किस कष्ट या दुःख दर्द में रह रहा है। एक विस्तृत क्षेत्र में होने वाली अन्त क्रिया (इन्टरेक्सन) से विद्यार्थी वर्ग घटित हो जायगा। दूरदर्शन ने भी इस विचार के विकास में मदद की है। बच्चे अपने ही घरों में दूरदर्शन के सामने बैठे रहते हैं किसी से मिलते जुलते ही नहीं इससे सांस्कृतिक रूप से पिछड़ने (कल्चरल लेग) की पूरी पूरी सम्भावना है। यह पिछड़ापन बालक को किस प्रकार प्रभावित करेगा यह तो भविष्य ही बतायेगा।

मूल्यांकन एवं परीक्षाएँ -

आज परीक्षा व्यवस्था शिक्षा प्रशासकों के लिये सस्था प्रधानों के लिये सबसे गम्भीर समस्या बनी हुई है। परीक्षाओं के आयोजक नवल रोकने

के जो जो भी उपाय करते हैं परीक्षार्थी उन्हें नकारते हुए नकल करने के नये नये तरीके खोज लेते हैं। आज लगभग सभी शिक्षा बोर्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्नपत्रों में जोड़ रहे हैं। सम्भव है अगली सदी में विश्वविद्यालयों की परीक्षार्थियों में भी इन्हें जोड़ा जाय। इससे प्रश्नों की संख्या बढ़ जायेगी तथा परीक्षार्थियों को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षा की तकनीक तथा दर्शन से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण देना होगा। यदि ऐसा हो सका तो परीक्षा की वैधता बढ़ जायेगी। यह भी सम्भव है कि वार्षिक परीक्षा के बजाय सिमेंस्टर प्रणाली चालू हो जाय। कुछ विश्वविद्यालयों में इसे आरम्भ किया गया है अन्य कुछ ने इसे चालू कर स्थगित कर दिया। सम्भव है इस अनुभव का लाभ उठाकर सभी सावधानियां बरतते हुए पुनः सही एवं पूरे मन से तथा गम्भीरता के साथ इसे चालू कर दिया जाय।

आज जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं वे मुख्यतः सूचनाओं की परीक्षा होती हैं। आने वाले समय में कौशल तथा ज्ञानोपयोग की दृष्टि से परीक्षा का स्थान महत्वपूर्ण बन जाय।

आज अधिकांश परीक्षाओं में अंक दिये जाते हैं जो कई अवांछित तत्वों तथा बुराइयों को जन्म देते हैं कई छात्र तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। कई स्थानों पर 48 प्रतिशत तथा कई स्थानों पर 45 प्रतिशत पर द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाती है। जो भी स्थिति हो 47 या 44 प्रतिशत को तृतीय श्रेणी दी जायेगी। व्यवहार में यह अन्तर सूक्ष्मातिसूक्ष्म है जिसमें नापने या गिनने की भी गलती हो सकती है तथा विद्यार्थी का अहित हो सकता है। इस मानवीय कमजोरी को दूर करने के लिए ग्रेडिंग पद्धति अगली सदी में विधिवत अपनाई जा सकती है।

परीक्षाओं में नकल की समस्या से परेशान होकर कई शिक्षाशास्त्री अगली शताब्दी में परीक्षा ही समाप्त कर देने का सुझाव देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा संस्थान के खुलने के दिना की संख्या तथा विद्यार्थी के उपस्थित होने के दिना की संख्या का प्रमाण पत्र परीक्षार्थी को दे दिया जाये। आखिर इस परीक्षा का उपयोग ही क्या है? जब नियोक्ता या अन्य पाठ्यक्रम वाले अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं। चिकित्सा अभियान्त्रिकी शिक्षा आयुर्वेद समाजकार्य आदि सभी अपनी परीक्षाएं आयोजित कर प्रवेश देते हैं इसी भांति बैंक तथा अन्य नियोक्ता अपनी अपनी परीक्षाएं आयोजित करते हैं तो इन परीक्षाओं की उपयोगिता या वैधता ही क्या है? लगता है कि इनकी सामाजिक स्वीकृति समाप्त हो गई है तो फिर विद्यार्थी को उसके विद्यालय में उपस्थिति के दिना की संख्या का प्रमाण पत्र दे कर पिंड छुड़ा लेना समीचीन लगता है।

अगली सदी में इस बात की भी प्रबल सम्भावना हो सकती है कि विधि द्वारा खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली को मान्यता प्रदान कर दी जाय। एसी स्थिति में प्रश्नपत्र बनाना सरल नहीं होगा- शिक्षकों को सदैव ही अपने को अद्यतन बनाये रखना होगा। किस विषय या प्रकरण पर कौनसी नई पुस्तक बाजार में आई है- इसे टाला नहीं जा सकता। विद्यार्थियों का भी विस्तृत अध्ययन के लिए अपने आपको तैयार करना होगा-उन्हें अधिक मानसिक व्यायाम की आदत डालनी होगी तभी वे भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे या सम्मानपूर्ण उत्तीर्ण होंगे।

शिक्षा का प्रबन्ध

शिक्षा का प्रबन्ध अगली शताब्दी तक एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर जायेगा फिर भी इस क्षेत्र में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन की तो आशा नहीं की जा सकती पर इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि शिक्षा के प्रबन्ध में निजी प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयास सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला कर आगे बढ़ सकते हैं। कंडक्टर या टाटा या बिडला बंधुओं के योगदान के समान ही कई समाजसेवी और भी आ सकते हैं तथा शिक्षा का आर्थिक भार वहन करने को तत्पर हो सकते हैं। सरकार निजी प्रयासों का शिक्षा के विस्तार के लिए धन पर शत प्रतिशत अनुदान दे कर प्राथमिक शिक्षा को महत्व दे रही है। जनसाधारण की जेब पर कुछ ही विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करे भविष्य में यह भी सम्भव नहीं होगा।

शिक्षा का स्तर गिरने का एक प्रमुख कारण स्वयं शिक्षा का विस्तार है। स्वतन्त्रता के बाद विद्यालय उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी तथा शिक्षक कई गुने बढ़े हैं। पर उनके परिबीक्षण के लिए उपयुक्त कार्मिकों का आप्रवेश नहीं हुआ है उनकी भर्ती नहीं हुई है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है। पर आने वाले समय में इस पक्ष पर उचित ध्यान दिया जायेगा ऐसी सम्भावना बताई जा सकती है।

शिक्षा प्रशासन के पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाया जा रहा है जो अगली सदी तक पूर्ण विकसित हो जायेगा। अब प्रशासन का स्थान प्रबन्धन के पाठ्यक्रम ले रहे हैं। पर अभी तक उच्च प्रशासकों को प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। प्रबन्धन के नये पाठ्यक्रमों में प्राधिकारिता का प्रत्यायोजन पक्ति एवं सूत्र सम्प्रेषण प्रणाली संगठन विधि एवं शोध निर्णय प्रक्रिया मानवीय सम्बन्ध आदि नये प्रकरणों को सम्मिलित किया जा रहा है जो प्रशासकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इस प्रकार अगली सदी का शिक्षा

प्रशासन एवं प्रबन्धन उद्देश्यों पर आधारित होगा तथा सख्ती से पालन भी किया जायेगा।

अगली शताब्दी में निजी विद्यालयों या अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों या पब्लिक स्कूलों की मांग असीमित रूप से माता पिता द्वारा उठाई जा सकती है। पर इसे सरकार कानून बना कर, सम्भव है नियन्त्रित कर लगी क्योंकि कोई भी सरकार अभिभावकों को विद्यालय प्रबन्धकों के शापण से अवश्य ही बचाने का उपाय खोजेगी वह उनको प्रबन्धकों की दया पर नहीं छोड़ सकती। समाज के प्रभावी नेता व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भिन्न भिन्न क्षेत्रों में खोलने का प्रयास करेंगे ऐसे पाठ्यक्रम छोटी छोटी अवधि के भी हो सकते हैं जिससे वे रोजगार माध्यम या साधन बता कर प्रवशाधियों को आकर्षित कर सकेंगे। पर स्थिति में निरन्तर उतार चढ़ाव आता रहेगा इसकी पूरी पूरी सम्भावना रहेगी।

आज हर कार्य कन्द्रीकरण पद्धति से हो रहा है। किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश सेवा में आप्रवेश, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक परीक्षा का आयोजन परीक्षाफलों की घोषणा आदि। इस व्यवस्था में नोकरशाही के कारण कई स्तरों पर कार्य बिगड़े हैं तथा उनका वाछित स्तर बना नहीं रह पाया है। आज स्थान स्थान पर विकेन्द्रीकरण के लाभ गिनाये जा रहे हैं। स्वायत्तशासी विद्यालय एवं महाविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के शोध संस्थान इसी विचारधारा के पोषक हैं। सम्भव है अगली शताब्दी में इनका पूर्णरूप विकास हो जाय। निजी विश्वविद्यालय भी इसी प्रकार का विचार है जो क्रमशः चल पकड़ सकता है। शिक्षा में नवाचार तथा प्रयोग के आधार पर इक्कीसवीं सदी में इन कार्यों का महत्व बढ़ सकता है। कुछ निजी संस्थान यहां तक कि मान्यताहीन संस्थान भी शिक्षा का वाछित स्तर बनाये रखते हुए अच्छे पाठ्यक्रम चला रहे हैं तथा समाज में सम्मान प्राप्त किये हुए हैं।

यदि कभी प्रधानाचार्य में खेलकूद प्रतियोगिताओं की तिथियों की घोषणा की या विद्यालय बस का रास्ता निश्चित कर दिया तो यह विद्यार्थियों को सहर्ष स्वीकार होगा ही ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तिथियों की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता या बस के रास्ते का सुविधाजनक या असुविधाजनक होने पर विद्यार्थियों की राय भी ली जानी चाहिए। इस प्रकार के प्रधानाचार्य के निर्णयन में विद्यार्थी भी महत्वपूर्ण भूमिका रख सकते हैं इसी भाँति विद्यालय प्रशासन में भी विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भागीदारी हो सकती है। इक्कीसवीं सदी में विद्यार्थी सदैव ही प्रधानाचार्य की हा में हा मिला देंगे ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए।

अगली सदी में दूरस्थ शिक्षा के विकास की प्रयत्न सम्भावनायें हैं।

प्रथम तो नियोज्य पूर्व से कार्य कर रहे अपने कर्मचारियों को नई विधियाँ से प्रशिक्षित करना चाहते हैं जिससे वे नवाचार या विवेकीकरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन से परिचित हो सकें। इस कार्य में स्वयं कर्मचारी भी रुचि लेंगे क्योंकि वे अधिक शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य उज्वल बनाना चाहेंगे। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था अवकाश के समय में कार्यालय समय से पूर्व या बाद में सप्ताहात में की जा सकती है इससे पृथक भवनों की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा उपलब्ध भवना का ही सघन उपयोग किया जा सकेगा पत्राचार पाठ्यक्रमों का विस्तार होगा।

जो किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके या बदली हुई स्थितियों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है या महिलायें अब अपनी शिक्षा जारी रख कर अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करना चाह रही हैं जो गरीब या निचले वर्ग के लोग औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा सके उनके लिए मुक्त शिक्षा संस्थान वरदान सिद्ध होंगे। पाश्चात्य देशों में शिक्षित महिलायें अन्य विषयों की उदाहरणार्थ मनाविज्ञान समाजशास्त्र प्रबंधन गृह अर्थशास्त्र आन्तरिक सञ्जा आदि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रचुरता से आगे आ रही हैं तथा वे अनौपचारिक शिक्षा संस्थाओं से नियमित छात्र न बन सकने के कारण लाभ उठा रही हैं। ऐसे पाठ्यक्रम अगली सदी में अति लोकप्रिय होंगे इसकी पूरी पूरी सम्भावना है।

यदि धुंधले भविष्य से दुनिया को बाहर लाना है इस सम्बन्ध में इसीसवीं शताब्दी के विद्यार्थी से बहुत कुछ आशा की जानी चाहिए, नव विकास के प्रतिमान से उन्हें परिचित कराना चाहिए। आज मानवता विकास के उस बिन्दु पर पहुँच गई है जहाँ भौतिक सम्पदा भी निरर्थक हो रही है। अब तो प्रश्न यह है कि प्राप्त सम्पदा का उपयुक्त वितरण कैसे हो? तथा मानव प्रकृतिदत्त अपनी क्षमताओं योग्यताओं तथा कौशलों का प्रकृति से सतुलन बनाते हुए विकास कैसे करे? इस सार्थक एवं महत्वपूर्ण कार्य के लिए सबकी आँखें विद्यालयों पर लगी हुई हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसीसवीं शताब्दी के विद्यार्थी को अधिगम की नव प्रक्रिया जाननी होगी।

संक्षेप में अगली सदी की शिक्षा का सम्भावित स्वरूप पर ऊपर की पक्तियों में प्रकाश डाला गया है।

शिक्षा मे नवाचार

विद्यालय समाज के लघु रूप म शैक्षिक सुधार तथा समाज की पुन रचना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय दिन-रात समस्याओ तथा चुनौतिया का सामना करते है। समाज की समस्याये मूलत विद्यालय की ही समस्याये हैं। इसलिए विद्यालयों को अद्यतन ज्ञान नवीन तकनीक नई सूझबूझ से जानकर होना चाहिए, उन्हें समस्याओं के हल के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इन समस्याआ तथा चुनौतियों को हल करने क लिए नवीन कार्यक्रमो नये साधनों तथा नवाचारों पर कार्य करत हैं प्रयोग करते है। इसी भाति विद्यालयों द्वारा भिन्न-भिन्न तरीकों से शैक्षिक नवाचारा पर कार्य किया जाता है। समाज मे परिवर्तनों के कारण विद्यालयो के सामने समस्याये आती रहती है। विद्यालया में परिवर्तन पर आग्रह ही शैक्षिक नवाचारों पर विचार करने के अवसर प्रस्तुत करता है। शैक्षिक प्रशासक तथा नियोजक ही शैक्षिक समस्याओं तथा चुनौतियों का सामना करते हैं।

सामान्यतया नवाचार से अर्थ लिया जाता है-परम्पराओ से हटना कार्य सम्पन्न करने की रोन की विधिया से हटना उनम परिवर्तन करना। 'नवाचार शार्टर आक्सफोर्ड इग्लिश डिक्सनेरी' के अनुसार का अर्थ है- नवीनताओं का समावेश पूर्व से चली आ रही परम्पराओ में विकल्प की स्थापना नवीन अनुभव तथा सुस्थापित विधियों में परिवर्तन। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने एक प्रकाशन मे नवाचार को इस प्रकार परिभाषित किया है। उसके अनुसार नवाचार का अर्थ है कि परम्परागत प्रक्रियाओं विशेषत दैनन्दिन अनुभवों नियमों तथा उनमें हेर-फेर ही नहीं करन् उनम उन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है जो बडे समय तथा धैर्य क साथ किये गये वैज्ञानिक अध्ययन का फल होती हैं और जिनका उद्देश्य लक्ष्य तथा साधन के बीच सर्वोपयुक्त सामञ्जस्य स्थापित करना तथा यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक प्रयत्न से सर्वाधिक फल मिले। इसी भाति शैक्षिक नवाचार को शैक्षिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में नये तत्व के समावेश के रूप में- एक प्रेरक शक्ति एव सुस्थापित एव परम्परागत रूप से भिन्न व्यावहारिक राय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

नवाचार शब्द की सन्धि-विच्छेद करे ता दो शब्द सामने आत है नव तथा आचार। नव शब्द नवीन का सूचक है तथा आचार शब्द परिवर्तन का। अत नवाचार का अर्थ हुआ -ऐसा परिवर्तन जो स्थापित विधियों परम्पराओं तथा प्रक्रियाओं में नवीनता का समावेश कर।

शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार मूलतः प्रयोग क वाल एव शिक्षा प्रणाली का अग बनने के पहले की स्थिति है। यदि किसी तत्व तकनीक अवस्था या कारक का प्रभाव ज्ञात करने की याजना बनाई जाती है तो यह योजना ही प्रयोग कहलाती है। स्पष्ट है कि प्रयोग का क्षेत्र छोटा होगा। प्रयोग के अनुभव से लाभ उठा कर ही उसका क्षेत्र विस्तृत किया जायेगा। क्षेत्र को विस्तृत बनाने के पूर्व सशोधन यदि कोई हो तो किया जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्साह जरा ज्यादा ही दिखता है विचार-विमर्श तथा अनुभव के आधार पर उनकी सफलता के प्रति आश्वस्त ही रहा जाता है। फिर भी प्रयोग के रूप में समय सीमा तथा क्षेत्र का सीमांकन कर डर या सन्देह या अनिश्चय की स्थिति मिटा लेना चाहते हैं। इसका महत्व इसलिए भी है कि यह प्रयोग सामान्य व्यवस्था से दूर हट कर कुछ नवीनता लिए हुए है कार्य विधि में परम्परा से हट कर विचार किया गया है। प्रयोग से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रयोग पर आधारित परिवर्तन शिक्षा प्रणाली या व्यवस्था के अनुकूल रहेगा या नहीं। इस प्रकार पन्नालाल वर्मा (1983)¹ कहते हैं-“नवाचार शिक्षा प्रणाली के अग बनाये जाने का पूर्वाभ्यास मात्र है।”

नवाचार को स्वीकार करने की प्रक्रिया कई अवस्थाओं से गुजरती है। ई एम रोजर्स के अनुसार ये अवस्थाएँ निम्नलिखित पाच हैं-बोध या जानकारी रचि मूल्यांकन परीक्षण और अंगीकरण

व नवाचारों को स्वीकार करने वाले अधिकारियों को भी पाच भागों में बाँटते हैं-

1 प्रवर्तक 2 प्रारम्भिक अंगीकारी 3 प्रारम्भिक बहुसंख्यक 4 विलम्बित बहुसंख्यक तथा 5 फिसड्डी

नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक उपयोगिता को प्रेरणा मानना ठीक है क्योंकि जत्र तक शैक्षिक उपयोगिता या लाभ की सभावना दिखाई नहीं देती तब तक शिक्षक या शिक्षण संस्था उन शैक्षिक नवाचारों को कार्यरूप देने का निर्णय नहीं ले पायेंगे अर्थात् उन शैक्षिक नवाचारों पर

1 डा पन्नालाल वर्मा (राजस्थान में नवाचार दशा और दिशा) शिविरा चौकानेर प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जनवरी 1983 पृष्ठ 361

कोई भी कार्य करने की जोखिम नहीं उठायोगे। स्पष्टतः अध्यापक को अपने काम में सुधार की तत्काल शिक्षा स्तर उन्नयन करने की उनकी जीवन-अभिलाषा ही नवाचार की ओर प्रेरित करती है। दूसरे शब्दों में अध्यापक में अपने काम के प्रति असंतोष हो उन्हें सुधार की सभावनाएँ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो तथा उन सभावनाओं पर कार्य करने की दृढ़ इच्छा तथा निश्चय ही शिक्षा में नवाचार के लिए रीढ़ की हड्डी है। इस भाँति शैक्षिक नवाचार शैक्षिक प्रगति का रथ माना जा सकता है।

यहाँ कुछ और नवाचार शब्द की परिभाषा देना अप्रासंगिक नहीं होगा—कोई विचार व्यवहार या वस्तु जो नया है और वर्तमान रूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, नवाचार कहलाता है।

-- एचजी बार्नेट

नवाचार एक ऐसा विचार है जिनमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है।

-- ईएम रोजर्स

नवाचार सचेत रह कर किया जाने वाला नवीन तथा विशिष्ट परिवर्तन है जिसे किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी माना जाता है।

-- एमबी माइल्स

एक अभिवृत्ति कौशल एवं उपकरण या इनमें से दो या दो से अधिक लक्ष्य जिन्हें एक व्यक्ति या संस्कृति द्वारा पहले व्यावहारिक दृष्टि से न अपनाया गया हो ही नवाचार का सम्प्रत्यय है।

-- एच एस भोला

शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से श्रेष्ठ एवं मितव्ययी अध्यापन तकनीकें उपलब्ध कराना शैक्षिक प्रशासन में परिवर्तन लाना तथा शिक्षण संस्था को जागरूक एवं गतिशील बनाये रखना है। शैक्षिक नवाचार का उद्देश्य अध्यापन-विधि शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक नियोजन तथा शैक्षिक चिन्तन को अधिकाधिक बौद्धिक तर्क सगत सजग सहज तथा उपयोगितावादी मानदण्डों पर अग्रसर करना है। शैक्षिक नवाचार अध्यापक की इस बात में मग्न करता है कि उसके प्रयत्न बेकार न जाएँ तथा उसके प्रयत्नों का अधिकाधिक सुफल मिले।

देश में समय-समय पर विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर कार्य किया गया है। कुछ नवाचार भिन्न भिन्न स्थानों पर समुक्त प्रयासों के रूप में शुरू किये गये हैं। उनकी भविष्य में क्या स्थिति होगी? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के क्षेत्रीय सेवा प्रसार विभाग ने 1965 में एक मासिक पत्र 'दि न्यू प्रैक्टिसेज

इन स्कूल्स' नाम से शुरू किया था जो दुर्भाग्यवश अपने शीशव म ही 1959 में बंद हो गया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन महाविद्यालय की सहायता से 1970-71 में भी प्रान्तों में चल रहे 58 शैक्षिक नवाचारों का अध्ययन किया।

यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित जान पड़ता है कि नवाचार तथा नये या ताजा विचार (Innovations or New or Recent Trends) में कैसे भेद किया जायेगा? किसको नवाचार कहा जाये तथा किसको नया विचार। नये या ताजा विचार सापेक्षिक शब्द हैं। नील के विद्यालय में मुक्त अनुशासन था किसी प्रकार का आदेश विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता था। शिक्षार्थी प्रकृति से ही सीखते थे संभव है यह विचार डूंगरपुर जिले की तहसील के किसी गाव के लिये आज भी सिद्धान्तत शैक्षिक नवाचार माना जाय। इसी भाँति प्रधानाध्यापक वाक्पीठ जो लगभग तीन दशकियों से राजस्थान में कार्य कर रही है उदयपुर जिले की भीम तहसाल के किसी भी गाव के लिए शैक्षिक नवाचार नहीं है जबकि यह प्रधानाध्यापक वाक्पीठ का सम्प्रत्यय अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में नवाचार माना जा सकता है। इस प्रकार किसे नवाचार माना जाय तथा किसे नहीं इस पर देश तथा काल की दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए।

एक अन्य स्थान पर वर्मा बड़ी पीडा के साथ इन नवाचारों पर समीक्षात्मक दृष्टि डालते हुए कहते हैं कि 'कई नवाचारों का दम घुट चुका है कई मृतप्राय हैं कुछ अतिसरभण का पाडा भोग रहे तो कुछ सबल के लिए तरस रहे हैं और कुछ शिक्षा प्रणाली का अग बन चुकने के बाद भी अपना चोला नहीं छोड पा रहे हैं।

शैक्षिक नवाचारों का वर्गीकरण

शैक्षिक नवाचारों को दो वर्गों में बाटा जा सकता है-

- 1 सैद्धान्तिक नवाचार।
- 2 सगठनात्मक नवाचार।

सैद्धान्तिक नवाचार - इसका सबध चिन्तन से है। यह कार्य हर शिक्षक के वश का नहीं है। इस बौद्धिक कार्य के लिए गिने चुने अध्यापक ही आगे आ सकेंगे। सैद्धान्तिक नवाचार का एक उदाहरण देखिए- आज परीक्षाओं में नकल करने की दुष्प्रवृत्ति बेहिसाब घर करती जा रही है नकल को रोकने के लिए जो भी उपाय किये जाते रहे हैं वे सब प्रयत्न असफल हो गये हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचा जाने लगा है कि विद्यार्थियों को मात्र उसकी विद्यालय में उपस्थित रहने के दिनों की नकल करने को रोकने के लिए

जोभी उपाय जाते रहे है। का प्रमाण पत्र दे दिया जाय तथा जो उसको जीविका या काम दे रहे हैं, वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसकी परीक्षा ले लें। लाक सेवा आयोग भी तो अपने स्तर पर परीक्षाएँ आयोजित करता है।

सगठनात्मक नवाचार - इन नवाचारों में शिक्षण विधि या शिक्षा की सीढी में परिवर्तन को गिनाया जा सकता है जैसे- व्यक्तिनिष्ठ अध्यापन 10+2+3 शिक्षा योजना या अभिक्रमित अध्ययन

कई बार नवाचारों का यह भद स्पष्ट नहीं दीख पायेगा। किसी एक नवाचार को दोनों वर्गों में रखा जा सकेगा।

शैक्षिक नवाचारों को एक अन्य प्रकार से भी वर्गीकृत किया जा सकता है

1 सामाजिक अन्त क्रियात्मक वर्ग और

2 समस्या समाधान मूलक वर्ग

शैक्षिक नवाचारों के विभिन्न पक्ष

शैक्षिक नवाचारों पर विचार करते समय इनके विभिन्न पक्षों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए

सामाजिक एवं मानवीय पक्ष - इसमें सदेह नहीं कि शैक्षिक नवाचारों को अपनाने से तथा उनपर सफलतापूर्वक कार्य करने से शिक्षा से जुड़े विभिन्न वर्गों (शिक्षक प्रशासक नियोजक पर्यवेक्षक चिन्तक आदि) में से किसी एक वर्ग को सम्मान मिल जाये या वह वर्ग अधिक प्रकाश में आ जाये। कुछ नवाचार मानवीय कल्याण के विरुद्ध भी माने जाने लगे हैं जैसे परीक्षाफलों का मशीनों पर तैयार होना इसी भाँति अभिक्रमित अध्ययन विधि अध्यापकों में यह भय पैदा कर रही है कि इससे तो अध्यापकों का प्रतिस्थापन हो सकता है- इससे अध्यापक बर्कार हो जायेंगे। यह एक सदेह मात्र ही है जिसका अध्यापक तथा प्रशासक साथ बैठ कर धैर्य के साथ सदेहों का निराकरण कर सही स्थिति समझ सकते हैं।

तकनीकी पक्ष - शैक्षिक नवाचारों पर कार्य करते समय इस बात पर आग्रह रहता है कि वह सामान्य अध्यापक के उपयोग के लिए हो। वह इतना उलझनपूर्ण या तकनीकी पूर्ण न बन जाय कि उसको समझने के लिए भी एक चोटी की शिक्षा प्राप्त तकनीशियन की जरूरत पड़े। इसलिए कई बार प्रशासक यह कहते पाये जाते हैं कि नवाचारों की योजना सब की समझ में आने वाली हो तथा प्रभारी अध्यापक का स्थानान्तरण होने पर भी उस पर कार्य जारी रखा जा सके तथा उस पर किया गया व्यय तथा मानवीय श्रम व्यर्थ न चला जाये। फिर भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि सभी अध्यापक उसको समझ लेंगे। यह तो निश्चित रूप से मानना ही चाहिए कि नवाचारों

यह होता है कि मानवीय प्रयत्न तथा धन की बचत होने लगती है। इनके अपनाने से समाज के आर्थिक तकनीकी ज्ञान एवं मानवीय श्रम का सर्वाधिक समुचित उपयोग होने लगता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा में नवाचारों का प्रवेश शैक्षिक दृष्टि से लाभप्रद लगता है। अब तक लगभग 20-22 शोध अध्ययन (सभी प्रारंभिक प्रकृति के) शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र में हुए हैं। इन शोध अध्ययनों में प्रधानाध्यापक वाक्पीठ शोध वाक्पीठ सूक्ष्म अध्ययन अभिक्रमित अध्ययन प्रहर पाठशाला विद्यालय सगम कार्य अनुभव विद्यालय योजना, रात्रि पाठशाला आदि सम्मिलित हैं। इन शोध अध्ययनों की अध्यापक उपयोगिता जानते हैं। साधारणतया इन कार्यों से विद्यालयों का सम्मान बढ़ता है तथा शैक्षिक उपयोगिता स्वयं स्पष्ट है। इन शोधों की उपयोगिता बहुतांशों में अध्यापकों द्वारा नवाचारों की स्वीकृति पर निर्भर है।

नवाचारों की विशेषताएँ

1 यह एक नया विचार है। 2 गुणवत्ता की दृष्टि से वर्तमान स्थितियों से नवाचार श्रेष्ठ विचार है। 3 यह एक सुधार के लिए जानबूझ कर दिया गया नियोजित प्रयास है। 4 नवाचार में विशिष्टता का तत्त्व विद्यमान रहता है। 5 नवाचार का उपयोगिता स्वीकार करते हुए इस जानबूझ कर अपनाया जाता है।

शैक्षिक नवाचारों संबंधी शोध की कठिनाइयाँ

नवाचारों के प्रसारण का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। नवाचारों को अध्यापकों ने किस सीमा तक स्वीकार कर लिया है या शिक्षा-प्रशासकों ने किसी सीमा तक उन पर विश्वास कर लिया है-यह एक पृथक शोध का विषय है जो काफी उलझनपूर्ण तथा तकनीकी पूर्ण है। नवाचारों की स्वीकृति पर सुस्पष्ट सूझ-बूझपूर्ण शोध कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा। अभिक्रमित- अध्ययन विधि के अपनाने से अध्यापक के प्रतिस्थापन की संभावना बढ जाती है। इस तथ्य को स्वयं शिक्षक किस सीमा तक स्वीकार करने को तत्पर हैं उनके उत्तरों के विकल्प इस प्रकार हो सकते हैं -

- | | | |
|-----------------------|------------------------|---------|
| 1 निश्चित रूप से सहमत | 2 सहमत | 3 तटस्थ |
| 4 असहमत | 5 निश्चित रूप से असहमत | |

इसे पंच-बिन्दु मापनी कहा जाता है इसे और अधिक विकसित किया जा सकता है। इसी तथ्य पर प्रशासकों की भी प्रतिक्रिया जानी जा सकता है तथा उनसे भी इन्हीं विकल्पों पर उत्तर लिये जा सकते हैं। इसी भाँति शैक्षिक प्रशासन संबंधी नवाचार शिक्षक किस सीमा तक पसंद करते

हैं? मान लीजिए शिक्षा प्रशासन में सम्प्रेषण प्रणाली नीचे से ऊपर की ओर पुनर्गठित की जाये। अध्यापकों के उत्तरो के विकल्प या बन सकते हैं -

- 1 दृढता से पसद
- 2 पसद
- 3 अनिश्चित
- 4 नापसद
- 5 दृढता से नापसद।

इस प्रस्तावित सम्प्रेषण प्रणाली को स्वयं शिक्षा प्रशासक में किस सीमा तक स्वीकार करने के लिए तत्परता है? प्रथम उदाहरण में दिये गये उत्तर के विकल्पों को यहाँ भी काम में लाया जा सकता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि जितने अधिक बिन्दुओं पर मापन होगा मूल्यांकन उपकरण की विश्वसनीयता उतनी ही अधिक बढ़ जायेगी।

फिर भी वैधता की समस्या तो बनी ही रहेगी क्योंकि भारतीय स्थितियों में प्रशासकी या अनुसूची पर उत्तरदाताओं से सही उत्तरों की या उनके मन की सही बात की आशा नहीं की जा सकती तथा शोधकर्ता प्रत्यक्ष शिक्षक मित्र के पास जाकर उनके व्यवहार का निरीक्षण नहीं कर सकता है। जो उत्तर प्रशासकी या अनुसूची पर आप पाए, संभव है उत्तरदाता उनके अनुसार व्यवहार न करे। उनके लिए साक्षात्कार या निरीक्षण या अवलोकन का सहारा लिया जा सकता है। शैक्षिक नवाचार स्वयं उभरता क्षेत्र हैं। अतः इस क्षेत्र में विधिवत शोध अध्ययन उतना ही और कठिन कार्य है फिर भी इस चुनौती पूर्ण क्षेत्र में अब तक प्रारम्भिक प्रकृति के 20-22 शोध अध्ययन सम्पन्न हुए हैं जिनके विषय क्षेत्र ऊपर बताये गये हैं। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि शैक्षिक नवाचारों पर शोध कार्य करना बड़ी टेढ़ी खीर है-समय धैर्य सतत प्रयत्न तथा सहनशीलता की बड़ी आवश्यकता होती है। हर शिक्षक हर दृष्टि से तैयार हो ही यह जरूरी नहीं है।

शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र में शोध हेतु अधुनातन शीर्षक

शैक्षिक शोध कार्यकर्ताओं को निम्न क्षेत्रों में अपने प्रयत्न को केन्द्रित करना चाहिए-

- 1 सम्प्रेषण प्रणालियाँ
- 2 अनुदेशन प्रणालियाँ
- 3 विद्यालय का संगठनात्मक षातावरण
- 4 प्राधिकार का प्रत्यायोजन

इस विषयों पर आयु, लिंग शैक्षिक योग्यता अनुभव पद की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए।

5 नवाचारों की स्वीकार्य क्षमता

6 शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों/ प्रशासकों/ पर्यवेक्षण अधिकारियों की नवाचारों के प्रति धारणा।

7 विद्यालयों में नवाचारों को अग्रसर करने के लिए उत्तरदायी घटकों को जानना।

नीचे अतिरिक्त सूची दी जा रही है जिन पर फक्षा में काम करने वाले विभिन्न स्तरों के व्यक्ति अपनी रुचि के विषय पर कार्य आरम्भ कर सकते हैं।

1 अविभक्त विद्यालय व्यवस्था

2 शिशु क्रीडा केन्द्र

3 पत्र वाचन सगोष्ठी

4 युनिसेफ विज्ञान शिक्षण योजना

5 सामुदायिक शिक्षा

6 प्राथमिक शिक्षा हेतु व्यापक उपागमन

7 परीक्षा प्रणाली में नवाचार

8 समाजोपयोगी उत्पादन कार्य

9 मल्टी-पाइन्ट एन्ट्री

10 विद्यालय एवं जिला शिक्षा योजनाएँ

11 विद्यालय सगम

12 शिक्षानुसंधान वाक्पीठ

13 व्यापक आंतरिक मूल्यांकन योजना

14 नैदानिक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षा

15 स्वायत्तशासी विद्यालय

16 अनौपचारिक शिक्षा

17 प्रधानाध्यापक वाक्पीठ

18 क्रियाशील अवकाश

19 पुस्तकालय एवं वाचनालय सेवाएँ

20 दलीय परिवीक्षण

21 कार्यानुभव

22 सीधो-कमाओ

23 खेल-कूद

- 24 प्रौढ शिक्षा
- 25 रूरल इन्स्टीट्यूट्स
- 26 चल विद्यालय
- 27 मूक विद्यालय
- 28 योग शिक्षा
- 29 टेलिविजन द्वारा शिक्षा
- 30 शिक्षक अभिभावक सघ
- 31 कठपुतली द्वारा शिक्षा
- 32 दुपहरी का भोजन
- 33 शिक्षण सामग्री एवं पौशाक का विद्यार्थी की उपस्थिति पर प्रभाव' आदि-आदि

शैक्षिक नवाचारों का विरोध-

सिद्धान्त रूप में इन नवाचारों के लाभों से परिचित होते हुए भी अध्यापक तथा प्रशासक दोनों ही कई बार इनका विरोध करते देखे जाते हैं। अब स्थितियाँ बदलने लगी हैं तथा सभी प्रशासक नवाचारों पर न्यूनाधिक रूप से ध्यान देने लगे हैं। ऐसा माना जा सकता है कि कुछ समय जब तक संक्रमण काल रहेगा नवाचारों को विरोध का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा से जुड़े किसी एक विशिष्ट वर्ग को हानि हो सकती है- यथा ऊपर के उदाहरण में परीक्षाफलों को तैयार करना। स्थितियों में परिवर्तन आया है पर आज भी अध्यापक नवाचारों को तत्काल अस्वीकार करने को तत्पर नहीं हैं तो भी वे उसके प्रति उदासीन तो हैं ही नवाचारों पर कार्य करने के लिए सभी अध्यापक कुछ सीमा तक अपने आपको सक्षम नहीं पाते हैं। अध्यापकों के शैक्षिक नवाचारों के प्रति उदासीन होने या विरोध करने के निम्न कारण हो सकते हैं -

- 1 नवाचारों के अपनाने से कार्य सम्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन करना होगा जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं।
- 2 कुछ क्षेत्रों में उदाहरणार्थ- परीक्षाफलों की तैयारी या अभिक्रमित अध्ययन (चाहे सदेह के कारण ही) यदि मशीना का अध्यापकों से प्रतिस्थापन हो गया तो सेवा से पृथक् कर दिये जायेंगे। इस प्रकार उन्हें रोजगार छिने का डर होता है।
- 3 जहाँ मशीनों की सहायता ली जायेगी वहाँ अध्यापकों को अधिक तेज गति से कार्य करना होगा फलतः उन्हें जल्दी थकान होगी एवं जीवन का विस्तार कम हो जायेगा।
- 4 नवाचार के अच्छे फल का श्रेय स्वयं अध्यापकों को मिलने का डर

प्रशासक पर्यवेक्षण अधिकारियों शैक्षिक-नियोजकों को मिल जायेगा अतः वे क्या व्यर्थ का झड़ट मोल लें?

नवाचारों के इन विरोधों को श्रीवास्तव ' ने दो भागों में बाटा है -

1. व्यक्तित्व जनित प्रतिरोध कारक-इसमें वे सम्मिलित करने हैं- सन्दुलन आदत प्राथमिकता पराश्रितता नैतिकमन आत्मविश्वास हीनता असुरक्षा एव प्रतिगमन तथा आत्म परितोपी भविष्यवाणी।

2. क्रियात्मक प्रतिरोध।

वास्तविकता यह है कि शैक्षिक-नवाचारों का विरोध शिश्ना से जुडे विभिन्न ढगों के सोचने-विचारने के पिछडेपन का परिणाम है। वे रोज जिस ढग से सोचते विचारते हैं कोई भी काम जिस ढग से लम्बे समय से सम्पादित करते चले आ रहे हैं उस लीक को छोडना नहीं चाहते वे जोखिम उठाने को ही तैयार नहीं हैं- वे परम्परा से करते आये अपने तरीके से ही कार्य करने के लिए तैयार हैं। इसके सिवाय वे इस बात क लिए पूर्णत आक्षस्त ही नहीं हैं कि परिवर्तित तरीके से कार्य करना अधिक लाभप्रद ही होगा।

सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से शैक्षिक नवाचारों का सदैव समर्थन किया है। यद्यपि प्रशासक पर्यवेक्षण अधिकारी कई बार शैक्षिक नवाचारों का सदैव विरोध इसलिए करते हैं कि सामान्य अध्यापक इन कार्यों के लिए अतिरिक्त धन स्टेशनरी एव खाली कालाश की माग करेंगे। न कवल इतना ही बल्कि कई बार अध्यापक अधिक शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति से भेंट करने का आग्रह करेंगे जिससे उन्हे विद्यालय सचालन म बाधा पहुचेगी।

प्रशासक पर्यवेक्षण अधिकारी जिस ढग से काम कर रहे हैं जिस व्यवस्था के वे अभ्यस्त हैं उनमें परिवर्तन करना उनको अच्छा नहीं लगता। शैक्षिक नवाचारों का श्रेय वे अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे अध्यापकों को देना नहीं चाहते स्वयं कार्यालय के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास इन कार्यों के लिए समय नहीं है। ऐसी स्थिति में न तो वे स्वयं कार्य करते हैं तथा न ही अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे अध्यापकों को इन कार्यों के लिए प्रोत्साहन देते हैं। शैक्षिक नवाचारों के प्रति उच्चाधिकारी यदि विरोध प्रकट करते हैं या तटस्थ रहते हैं तो यह उनके साहस के अभाव का ही सूचक माना जाना चाहिए।

शकर शरण श्रीवास्तव शिश्ना म नवाचार एव आधुनिक प्रवृत्तिया आगरा
हर प्रसाद भार्गव 4/230 कचहरी घाट 1987-88 पृष्ठ 14 15 16

एक समय था जब शैक्षिक नवाचारों पर कार्य करने के लिए निजी शिक्षण सस्थाओं या गैर सरकारी अभिकरण अत्यधिक तत्परता बरतते थे। पर आज स्थिति में भारी परिवर्तन आ गया है जो स्पष्ट देखने लगा है। कइ उच्च पदा पर आसीन अधिकारी स्वयं शैक्षिक नवाचारों को अपनाने उन पर कार्य करने के लिए सभा-सम्मेलना कार्य-गोष्ठियों या कार्य-शालाओं में आग्रह करते देखे जाते हैं। पिछले 5-7 वर्षों में स्थितियां में भारी परिवर्तन आया है जो शिक्षा के क्षेत्र में शुभ लक्षण है। फिर भी प्रयत्नों का विस्तार अपेक्षित है। देश की शीपस्थ सस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने तो नवाचार पर किये कार्यों को मगवाकर पुरस्कृत करना भी आरम्भ किया है। क्या यही सही रूप में प्रेरणा है? जैसे लोक सेवा आयाग राजस्थान द्वारा होने वाली प्रधानाध्यापक की प्राथमिक परीक्षा में नवाचारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इससे इनकी उपयोगिता स्वयं स्पष्ट है और यदि शैक्षिक अधिकारी नवाचारों पर कार्य करने की गुंजाइश मानते हैं तो शीपस्थ अधिकारी को ऐसी स्थितियां पैदा करनी चाहिए कि अध्यापक प्रशासक पर्यवेक्षण अधिकारी नियोजक चिन्तक आदि सभी एक स्थान पर बैठकर शैक्षिक नवाचारों का क्षेत्र अधिकार आदि सभी स्पष्ट कर एक मधुर एक्क एव समरसतापूर्ण स्थिति पैदा कर सकें।

□

शिक्षा का विकासोन्मुखी क्षेत्र

न्यूनाधिक रूप से सभी देश अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोध के निष्कर्षों का सहारा लेते रहे हैं तथा परी कथन शिक्षा के क्षेत्र में भी समान रूप से व्यवहृत है। पिछले कुछ वर्षों से इस दिशा में दृढ़ संगठित एवं व्यवस्थित प्रयत्न किये गये हैं। इनमें प्रमुख हैं—उच्च अधिकारियों का प्रशिक्षण अनुभूत अध्यापन विधियाँ सुनियोजित सहगामी क्रियाएँ, कार्यालय का वैज्ञानिक प्रबन्ध कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत किया जाना आदि। इन परिवर्तित प्रयासों के पर्याप्त आधार हैं स्कुली बालकों की संख्या में कई गुनी वृद्धि शिक्षा की भूमिका में परिवर्तन शिक्षा के अर्थ का क्षेत्र विस्तृत होना तथा विद्यालय स अभिभावकों की अपेक्षाओं में वृद्धि होना। बालकों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप विद्यालयों शिक्षकों अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जिससे उनके मानवीय सम्बन्धों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है तथा इनमें पेचीदगी बढ़ गई है। अब इन सम्बन्धों को वैज्ञानिक दृष्टि से सही परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न किया जाना लगा है। आज हर माता-पिता की अपेक्षा है कि बच्चा पुस्तकों का कम से कम भार उठाये तथा कम से कम समय में अधिक से अधिक उपलब्धि व ज्ञान कम से कम खर्च एवं प्रयत्न में प्राप्त कर ले। आज यह धारणा इतनी अधिक और क्रान्तिकारी रूप में विकसित हो गयी है कि अब प्रायः पुराने लेखकों की पुस्तकें अपूर्ण मानी जाने लगी हैं। उनके समय में नई पुस्तकों के अभाव में वे पुस्तकें ठीक रही होंगी पर आज उनकी पुस्तकें विद्यार्थी समाज की आवश्यकता पूरी नहीं कर रही हैं। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि पुराने लेखक शिक्षाविद अध्यापक बहुत पीछे रह गये हैं। पुराने शिक्षा शास्त्री या शिक्षा प्रशासक या शैक्षिक नियोजनकर्त्ता जिन सूचनाओं तथा तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते थे विचार विमर्श करते थे आज के तथ्य व सूचनाएँ ही बदल गई हैं—जैसे कक्षा अध्यापन के सामान्य उद्देश्य। आज की स्थितियों में यह सम्प्रत्यय समीचीन नहीं माना जाता। भूगोल अध्यापन के उद्देश्य हिन्दी अध्यापन के उद्देश्यों से सर्वथा भिन्न है फिर सामान्य उद्देश्य का प्रश्न ही क्या रहा? सभी विषयों के अपने विशिष्ट उद्देश्य हैं।

शिक्षा की प्रशासनिक समस्याओं को हल करने में अनुभव पर आधारित परम्परा से चली आ रही निर्णय प्रक्रिया साधारण बोध प्रशासनिक चातुर्य सामान्य नेतृत्व प्रत्युत्पन्नमति आदि पर आग्रह कम होता जा रहा है। आजकल परिवर्तन परिवर्द्धन एव सशोधन के साथ ही कर्मचारियों या अधिकारियों की सहभागिता का सिद्धान्त जोर पकड़ रहा है। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि विकासशील देश में जिस गति एव मात्रा में परिवर्तन आना चाहिए, यह नहीं आ रहा है। सम्भवतः इसका कारण शिक्षा से जुड़े अधिकारियों एव कर्मचारियों में खतरा न उठाने की प्रवृत्ति रही है और यह भी सम्भव है कि एक लम्बे समय से सोचने विचारने के तरीके से बाहर निकल कर कल्पना ही नहीं कर रहे हैं।

शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों का विकास या नवाचार का अर्थ है—शैक्षिक परिवर्तना के महत्वपूर्ण घटक के रूप में सुस्थापित एव परम्परागत रूप से भिन्न नये तत्वा की प्रेरक शक्ति एव व्यावहारिक रूप में स्थापित किये जाने वाले एव परिभाषित किये जाने वाले प्रयास। तकनीकी दृष्टि से इसका अर्थ है— प्रशासनिक संगठन कक्षाध्यापन अध्यापन विधियाँ तकनीकी प्रक्रियाओं में सजगतापूर्वक नियोजित एव व्यवस्थित सुधार। शैक्षिक नवाचार का सार यों बताया जा सकता है— एक ऐसी प्रवृत्ति की रचना या विकास करना जो लम्बे समय से चली आई व्यवस्था को आदर्श मानने को तैयार न हो और उसमें परिवर्तन परिवर्द्धन एव सशोधन के अवसर एव उपाय ढूँढती रहती है। जिसके फलस्वरूप कई बार ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं कि क्या ऐसा करना आवश्यक ही है और यदि हा तो इसके करने की सर्वोत्तम विधि या तकनीक क्या हो सकती है?

शिक्षा के अर्थ की व्यापकता

साधारण नागरिक की दृष्टि से शिक्षा का अर्थ ही बदल गया है। एक समय था जब शिक्षा को कक्षा में दिय गये अनुदेशन का ही पर्याय माना जाता था। बच्चा कक्षा में सीख रहा है या नहीं विद्यालय समय में बच्चा आज्ञाकारी है या नहीं उसकी सीखने की गति क्या है पूरे समय कक्षा में रहता है या नहीं आदि इसी प्रकार के प्रश्नों पर अध्यापक का ध्यान कन्द्रित रहता था। आज शिक्षा का अर्थ बहुत विस्तृत एव व्यापक माना जाता है तथा शिक्षा को विकासशील विषय (या अनुशासन) के रूप में लिया जाने लगा है। कोई भी तथ्य जो बालक की उपलब्धि को अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे उसे शिक्षा में समाविष्ट किया जाने लगा है। बच्चे यदि कहना नहीं मानते हैं तो क्यों? स्थितियाँ में क्या व कैसे परिवर्तन किया जाये कि प्रवेश

पाने वाले सभी बच्चे शिक्षा पूरी करके ही विद्यालय छोड़ें अध्यापक बच्चों के कल्याण में अधिक रुचि लें स्कूल भवन क्रीडागण तथा प्रयोगशालाओं का अधिक तथा गहन उपयोग कैसे किया जा सकता है तकनीकी विकास के कारण शताब्दी या आधी शताब्दी बाद किस प्रकार के विद्यालय भवनों की आवश्यकता होगी अभिक्रमिता अध्ययन विधा के विकसित होने पर कक्षा-कक्षों में किस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक हो जायेगा? ये या इनसे जुड़े कई प्रश्न हैं जो आज से 40-50 वर्ष पूर्व शिक्षा से बाहर समझे जाते थे। पर आज शिक्षा का अर्थ ही बदल गया है तथा बालक के बेहतर हित में इन सब पर विचार किया जाने लगा है। आज शिक्षा शास्त्र कक्षा में अनुदेशन तक ही सीमित नहीं है उसमें मनोविज्ञान के साथ ही शिक्षा का दर्शन शिक्षा का अर्थशास्त्र शिक्षा का समाज शास्त्र शिक्षा का विकास शास्त्र शिक्षा का मनोविज्ञान एवं शिक्षा की सांख्यिकी आदि भी सम्मिलित किये जाने लगे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव व्यवहार के व्यापक क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए शिक्षाशास्त्र विकासशील अनुशासन बन गया है तथा सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। यही कारण है कि शिक्षकों की तैयारी के कार्यक्रम को प्रशिक्षण कहने के बजाय अब शिक्षा कहा जाने लगा है। बेचलर आफ टीचिंग (बी टी) की जगह बेचलर आफ एजुकेशन तथा ट्रेनिंग कॉलेज की जगह कॉलेज ऑफ एजुकेशन कहा जाने लगा है।

विविधलक्षी विषय सामग्री का समावेश

अब तक बालक को गिने-चुने विषय पढ़ा देना गृह कार्य देना जाचना परीक्षा सना तथा परीक्षा फला की घोषणा ही विद्यालय जीवन के प्रमुख कार्यकलाप माने जाते थे। आज विद्यालय की इन क्रियाओं में अनगिनत वृद्धि हो गई है जैसे विद्यालय सगम घस व्यवस्था विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ विभिन्न विद्यालयों में उपलब्ध विषय-सकाय तथा उनकी प्रवेश क्षमता सरस्वती यात्राएँ, केफेटेरिया सेवा प्रौढ शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों तथा बैंक डाकघर सहकारी समिति मिल कारखानों का भ्रमण एवं प्रत्यक्ष ज्ञान छात्र ससद प्रयोगशाला की देखभाल विद्यालय अभिलेख की देखभाल एवं रख-रखाव भवन मरम्मत विद्यालय उद्यान बागवानी तथा कृषि फार्म विद्यालय पत्रिका शिक्षक अभिभावक सब खेलों की व्यवस्था तथा प्रतियोगिता इन कार्यों के लिए धन संग्रह या जन सहयोग या चेरिटी शो। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बालक के सर्वांगीण विकास का प्रत्येक कार्य विद्यालय की गतिविधियों में गिना जाने लगा है। विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्यों के अनुरूप इसमें विषय सामग्री की विविधता के साथ ही क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है।

व्यावहारिक अध्ययनों पर बल

अब तक शाध कार्य उपाधि प्राप्त करने की दृष्टि से ही किये जाते रहे हैं उपाधि क बाद ये शोध ग्रन्थ पुस्तकालय की आलमारियों म बन्द हो जाते थ। अब इस दृष्टिकोण में बदलाव आया है। शोध क क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया जान लगा है। शोध कार्य में स्वय शिक्षक को भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाने लगा है क्वाकि वह ही कक्षा म अध्यापन म गुणात्मक सुधार क लिए पूणत उत्तरदायी है। इससे वह स्वय शोध निष्कर्षों के प्रकाश म अपनी कार्यविधि म सशोधन एव परिवर्तन कर सके। शुद्ध तात्विक शोध की अपेक्षा कक्षा-कक्ष की गतिविधियों म सुधार की शोध योजनाओं पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाने लगा ह। ऐसी योजनाओं म क्षत्राय एव लैंगिक भेद क आधार पर बालका की उपलब्धि गृहकार्य शुद्धीकरण, कक्षा-कक्ष में समायोजन शिक्षका के साथ व्यवहार, विद्यालय की सम्पत्ति के प्रति ममत्व एव विनय का सम्प्रत्यय प्रमुख है। पिछले कुछ समय से मानवीय मूल्या के विकास के तरीके एव साधना पर भी प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जाने लगा है। य सब इस प्रकार क शोध प्रयत्न है कि अध्यापक स्वय अपना अन्तर्दर्शन कर सकता है अपनी समस्या का निर्धारण कर हल खोजने को तत्पर बन सकता है यदि कहीं कमी दिखती है तो वह सुधार करने को स्वतन्त्र है। इससे स्वय शिक्षक अपने स्थान के प्रति आश्वस्त हुआ है तथा शोध निष्कर्षों से लाभ उठाने की ललक उसके मन में जगी है।

अन्तर्विषयी अनुसधानों पर बल

क्रियात्मक अनुसधान के साथ ही इस बात का प्रभाव स्पष्ट होने लगा है कि बालक को न तो अलग-अलग पढाया जा सकता है तथा न ही बालक को ज्ञान टुकड़ों मे दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि बच्चों को पढाते समय उनको समग्र स्थिति-भाई-बहिनों की शिक्षा सगी साथियों का स्तर माता-पिता की माली हालत आदि सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसी भाति किसी विषय, उदाहरणार्थ नागरिक-शास्त्र पढाते समय उसका सामाजिक सदर्भ छोड देना वाछनीय नहीं होगा। मान लीजिए, बच्चों की उपलब्धि न्यून है। इस पर शोध कई चरणों में तथा कई स्तरा पर की जायेगी तभी समस्या को सही रूप में पहचान कर हल किया जा सकेगा। मनोवैज्ञानिक उसकी बुद्धिलब्धि जाच रहे हैं समाजशास्त्री उसकी पारिवारिक स्थिति पर ध्यान रखे हुए है निर्देशन कार्यकर्ता घर पर पढने-लिखने की सुविधाओं तथा माता-पिता की सहायता पर ध्यान दे रहे हैं विषयाध्यापक देख रहे हैं कि बच्चे को किस विषय में तथा किस विशिष्ट प्रकरण में सर्वाधिक मार्ग-दर्शन

की आवश्यकता है। इतना ही नहीं यदि समस्या और भी गम्भीर हुई तो सहायता की और भी दिशाएँ खोजी जा सकती हैं। घर पर आरामदायक फर्नीचर उपलब्ध है या नहीं हवादार तथा प्रकाश वाला कमरा है या नहीं बच्चा आवश्यकतानुसार नौद ल पा रहा है या नहीं वहीं परिवार के बड़े सदस्य जमीन या अन्य किसी प्रकार के मुकद्दमा में तो फसे हुए नहीं हैं क्योंकि ये सभी बातें भी न्यूनधिक रूप से बालक की उपलब्धि को प्रभावित करती हैं। यदि ऐसा है तो इन्जानियर डाक्टर तथा वकील से भी सहायता ली जा सकती है। इन सब प्रयत्न का आधार यह है कि बालक के हित में एक से अधिक मस्तिष्क स्पष्ट एवं कारगर साव-विचार कर सकते हैं। इससे दिन-प्रतिदिन अन्तविषयी शोध के जोर पकड़न का आधार एवं क्षेत्र स्पष्ट होता है।

पाठ्यक्रम की पुनर्रचना

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज इन परिवर्तनों के फलस्वरूप शिक्षा का स्वरूप शिक्षा की विधियों विद्यार्थियों की रचिया-आवश्यकताओं एवं देश की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं में भारी फेर-बदल हो गया है। फलतः शैक्षणिक नियोजनकर्ता शिक्षा-शास्त्री तथा शिक्षाविद् पाठ्यक्रम की पुनर्रचना के लिए मानस तैयार कर रहे हैं। आज प्राथमिक स्तर की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना का विचार जोर पकड़ रहा है। ऐसा करने के पीछे आशय यह है कि शिक्षा को जीवन से जोड़ी जा सके उसे अधिक सारपूर्ण बनाया जाये।

अन्त सेवा शिक्षा का विस्तार

पिछले कुछ समय से पूर्व से नियोजित शिक्षकों का अन्त सेवा प्रशिक्षण शिविरो के माध्यम से अभिस्थापन किया जा रहा है जिससे वे अपने ज्ञान तथा अपनी विषय सामग्री को अद्यतन बना सके तथा अध्यापन विधियों तथा तकनीकों का अधुनातन ज्ञान प्राप्त कर सकें। शिक्षक से प्रशासक या पर्यवेक्षक अधिकारी बनते ही उसे भिन्न प्रकार की प्रशासनिक विधि जानने की आवश्यकता होती है एवं उससे भिन्न प्रकार के कार्य के निष्पादन की अपेक्षा की जाती है। इसके लिए विभिन्न अभिकरण कार्य कर रहे हैं—शिक्षा महाविद्यालय से जुड़े विस्तार सेवा विभाग राग्या में स्थापित शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान या परिपद्, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिपद्, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिपद्, राग्य लोक प्रशासन संस्थान एवं राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान। इनमें से अन्तिम पांच संस्थान उच्च स्तर के विशिष्ट व्यावसायिक एवं प्रशासन

सम्बन्धी पाठ्यक्रम संचालित करते हैं एवं अन्तिम सस्थान का कार्य क्षेत्र तो भारत से बाहर पड़ोसी राष्ट्रों में भी फैला हुआ है। विकसित देशों में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का बाहुल्य है। शिक्षा-प्रशासकों से अधिक उच्च तथा व्यवस्थित तकनीक का व्यावसायिक कौशलों का तथा प्रशासनिक प्रणालियाँ के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है तथा ये सस्थान अपने कार्यक्रम या पाठ्यक्रम इन्हीं अपेक्षाओं के अनुसार नियोजित करते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में जनसम्पर्क

आज शिक्षा का सम्बन्ध केवल छात्र उसके माता-पिता तथा उसके अध्यापक से ही नहीं रह गया है वरन् शिक्षा के बारे में इन सबके सिवाय शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता सामान्य जनता शिक्षा प्रशासक एवं शिक्षा नियोजक आदि सभी रचि लने लगे हैं। शिक्षा सस्थान अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों का जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा सामान्य जनता में प्रचार करती है। यही कारण कि विश्वविद्यालयों में जनसम्पर्क अधिकारी दायी भूमिका निभाते हैं—शिक्षा से जन-प्रतिनिधि गणमान्य व्यक्ति लोकप्रिय व्यक्ति तथा जननेता क्या अपेक्षाएँ रखते हैं जनसम्पर्क अधिकारी यह जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारियों को पहुँचाते हैं जिससे उनको अपने कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर उनमें सहायन करने में सरलता होती है। शिक्षा की नवीन योजनाओं तथा विद्यालयों की समस्याओं से जन-साधारण को परिचित कराकर उनसे सहयोग प्राप्त करना आज की परिस्थितियों में अपरिहार्य हो गया है। छात्रों को समाज के आदर्शों सिद्धान्तों मूल्यों विचारधाराओं तथा दर्शन से परिचित कराने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के व्याख्यान तथा वैज्ञानिक कलाकार साहित्यकार एवं समाज सुधारकों के प्रयोगात्मक कार्यों की जानकारी देने के लिए प्रसार भाषण-मालाओं का आयोजन किया जाने लगा है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम से अब जन-कल्याण की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। इस दृष्टि से सभी शिक्षा सस्थानों में जनसम्पर्क अधिकारी के पद का सृजन न्यायोचित लगता है।

विभिन्न विभागों में समन्वय

यालवर, राष्ट्रीय सेवा योजना रेडक्रास सोसायटी एन सी सी आई एम सी ए जैसा संगठन तो अभिन्न रूप से शिक्षा सस्थानों से जुड़े हुए ही हैं। ये संगठन राष्ट्र एवं समाज हित की विचारधारा विद्यार्थियों में विकसित करते हैं आज स्थिति यह है कि विद्यार्थियों को शिक्षा उपयोगी रूप में तभी दी जा सकती है जबकि शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न संगठनों में समन्वय हो। इन विभिन्न संगठनों या विभागों को इस प्रकार से गिनाया जा सकता

है— राज्य या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एम प्रशिक्षण परिषद् या संस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विश्वविद्यालय साहित्य अकादमी हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उद्योग विभाग वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नियोजन विभाग समाज कल्याण विभाग भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् तथा संस्कृति विभाग आदि। प्रत्येक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक विभाग या संगठन या अभिकरण की गतिविधियों तथा क्रियाओं को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करें एवं उनसे जीवन्त सम्बन्ध बनाये रखें। ऐसा करने से निस्सन्देह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का समुचित विकास किया जा सकता है। इसलिए इन सब विभागों का समन्वय विद्यार्थियों के बेहतर हित के लिए उपयोगी है।

तुलनात्मक शिक्षा पर आग्रह

जब शोध में विभिन्न चरों को समाविष्ट कर उनका प्रभाव देखा जाता है तो सहज ही जिज्ञासा बनती है कि किस चर या तथ्य का अधिक प्रभाव है। अध्यापक के पास विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ एवं तथ्य होते हैं वह उनमें तुलना करके देखता है पता लगाता है कि अमुक समस्या के लिए कौनसा उपचार अधिक कारगर या प्रभावी सिद्ध हो रहा है। परीक्षाओं में सामूहिक नक़ल आज सभी शिक्षा अधिकारियों तथा परीक्षा नियन्त्रकों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। भारत में इस प्रवृत्ति के विकास के लिए बाह्य परीक्षा के प्रमाण पत्र या उपाधि पत्र को अत्यधिक महत्व देना रहा है। इस समस्या के हल के लिए जरूरी है कि जहाँ-जहाँ यह समस्या पाई जाती है उन देशों में इस समस्या के लिए उत्तरदायी कारणों की जानकारी प्राप्त की जाये तथा प्राप्त निष्कर्षों का प्रकाश में बंदम लिए जायें। उदाहरण के लिए, भारत की तुलना में यह समस्या अमेरिका में कम गम्भीर है तो वहाँ इसके लिए उत्तरदायी कारण हैं— संस्था का आंतरिक मूल्यांकन सत्र में एक से अधिक बार मूल्यांकन शिक्षार्थी के बारे में संस्था प्रधान की राय सूचक निष्पक्ष टिप्पणी। इसी आधार पर भारत में भी आन्तरिक मूल्यांकन तथा सिमेस्टर प्रणाली पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है। मोटे रूप से यह मानने के पर्याप्त आधार है कि 'शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन में शिक्षार्थी का सांचन-विवारण का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा यह सहिष्णु बनता है। हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ विश्वविद्यालयों में तो तुलनात्मक शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया जा रहा है कि एम एड स्तर पर इसका एक अनिवार्य प्रश्न पत्र ही जोड़ दिया गया है।

विज्ञान के रूप में शिक्षाशास्त्र

अब तक शिक्षा को कला माना जाता रहा है। अमुक मूल्यों का विकास

किया जाना चाहिए, व्यक्तित्व के विकास के समय अमुक घटकों पर आग्रह किया जाना चाहिए, इस भाँति अब तक शिक्षा पर आदर्शात्मक रूप में ही विचार किया गया है। शिक्षा-शास्त्र में किसी घटना या तथ्य या उप विषय का विधिवत क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है इस अर्थ में शिक्षा शास्त्र को विज्ञान ही कहा जाना चाहिए। पर न केवल इतना ही पाठ्यात्मक दश तो इससे भी कहीं आगे बढ़ गए हैं। एक दशक से पाठ्यात्मक देशों में शिक्षा को चिकित्सा अभियान्त्रिकी अपराध शास्त्र तथा भौतिक विज्ञानों के समान ही विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के क्षेत्र में बहुत प्रयास हुए हैं। मुख्यतः अध्यापन कार्य में शिक्षा में निपुण व्यक्तियों को ही नियोजित किया जाता है तथा अन्य हर किसी व्यक्ति से अध्यापन की आशा नहीं की जाती। शिक्षा के लक्ष्य दैनिक पाठ के लक्ष्यों का निर्धारण पाठोपस्थापना की तकनीक खोजपूर्ण प्रश्न छात्रों की पहल का लाभ उठाना पाठ का प्रभावी प्रस्तुतीकरण विद्यार्थियों की अधिगम में सहभागिता प्रश्न की तकनीक छात्रों से पाठित उत्तर प्राप्त करना श्यामपट लेखन छात्रों को सीखने के लिए उत्प्रेरित करना पाठगत की कुशलता आदि कौशल दक्षताओं का चतुर्थी लक्षणों तथा तकनीकों का धनने वाले अध्यापकों में उनके प्रशिक्षण के दौरान विकास किया जाने लगा है। भारत में भी इस प्रकार के छुट-पुट प्रयत्न शिक्षा के प्रगत अध्ययन केन्द्र बड़ौदा तथा अन्य स्थानों पर हुए हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आने वाले समय में शिक्षा को विज्ञान ही माना जायेगा फिर भले ही वह आदर्शात्मक विज्ञान ही हो।

शिक्षा का स्वतन्त्र विषय/अनुशासन के रूप में उभरना

व्यापक क्षेत्र को समाविष्ट करती हुई विविधतापूर्ण अनुभवों पर आश्रित विषय सामग्री क्रियात्मक अनुसंधान विज्ञान के रूप में शिक्षा शास्त्र अन्तर्विषयी शोध निष्कर्ष पिछले दो दशकों से एक स्वतन्त्र विषय के रूप में प्रतिष्ठा पाने को उत्सुक है। कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षा शास्त्र को पृथक् सहाय के रूप में मान्यता मिल गई है पर अन्य शेष विश्वविद्यालयों में शिक्षा शास्त्र को पृथक् सहाय के रूप में न मानते हुए कहीं कला सहाय में समाविष्ट किया गया है तो कहीं समाज विज्ञान सहाय में ही समाविष्ट कर रखा है। शिक्षाशास्त्र को जोधपुर एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्रमशः कला एवं समाज विज्ञान सहाय में समाविष्ट किया गया है। देश में स्कूल शिक्षा के कुछ बार्डों ने शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में स्वतन्त्र विषय के रूप में स्थान दिया है। यही स्थिति कुछ विश्वविद्यालयों के स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी करी जा सकती है। उदाहरणार्थ कुरुक्षेत्र अलीगढ़ आगरा फानपुर गौहाटी बलकत्ता आदि विश्वविद्यालयों में स्नातक परीक्षा के

विषयों में शिक्षा भी एक विषय है तथा शिक्षा विषय सहित छात्रक यदि चाहें तो दो वर्षीय अधिस्नातक शिक्षा विषयक पाठ्यक्रम भी अध्ययन के लिए चुन सकते हैं। पर इन पाठ्यक्रमा का उद्देश्य कौशलयुक्त निष्णात अच्छे अध्यापक उपलब्ध करना कदापि नहीं है। इतिहास या समाजशास्त्र या भूगोल या अर्थशास्त्र या दर्शन शास्त्र में एम ए पास व्यक्ति बैंक में या अन्यत्र लिपिक बन सकता है या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकता है। ठीक इन्हीं सब विषयों की भांति शिक्षा शास्त्रों में एम ए पास व्यक्ति भी अध्यापक पद के साथ ही अन्य सभी पदों के लिए भी समान रूप से पात्र है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि शिक्षा शास्त्र विषय की सामग्री में अभूतपूर्व विस्फोट हुआ है विकास हुआ है ऐसी स्थिति में उसके स्वतन्त्र विषय बनने की पूरी-पूरी सम्भावना उजागर हुई है। एक समय था जब इस विषय की सामग्री को अगुलियों पर गिना जा सकता था तथा समाज विज्ञान में शिक्षा को उच्च विषय (अनुशासन) होने का स्तर न दिये जाने के पीछे एक सुव्यवस्थित सिद्धान्त का अभाव ही था पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। यद्यपि शिक्षा में वैज्ञानिक अध्ययन-अध्यापन की परम्परा अभी नहीं है एवं शैक्षिक शोध को जनसाधारण से स्वीकृति भी नहीं मिल पाई है। फिर भी शिक्षा से जुड़े लोगों को शिक्षा शास्त्र को एक विषय के रूप में उदारता एवं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए।

शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्थाएँ

आज यह निश्चित मान लिया गया है कि शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था भारत में निरक्षरता नहीं मिटा सकता। निरक्षरता के उपचार के रूप में वैकल्पिक व्यवस्थाएँ सोची गई हैं— अशकालीन शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयास प्रौढ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा। प्रौढ शिक्षा की मद पर ध्यान की राशि शिक्षितों की सख्या तथा उनकी शिक्षा के स्तर पर भी प्रश्न चिह्न लगाया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हर शिक्षार्थी नियमित रूप से निश्चित समय पर स्कूल में ही पढ़े सभी विषयों की परीक्षा दें तथा पास भी हो। शिक्षा के इस औपचारिक बन्धन से शिक्षार्थी को मुक्ति देने की आवाज बल पकड़ रही है। किसी निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ कर सभी विषयों में परीक्षा पास करना जरूरी न हो ऐसी व्यवस्था भारत के लिए अधिक हितकर हो सकती है जिसमें शिक्षार्थी अपनी रुचि के विषयों में अपनी गति से और फुर्सत के समय में पढ़ कर कुशलता प्राप्त कर ले इसे ही अनौपचारिक व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में एक ही छात्र अपनी उपलब्धियों के अनुसार प्राप्त समय में उदाहरणार्थ छठी कक्षा की अग्रेजी

नवीं शताब्दी की हिन्दी पाठ्यपुस्तकें की भूगोल दसवीं शताब्दी की गणित तथा सातवीं शताब्दी का इतिहास एक ही साथ पढ़ सकता है। इस प्रावधान को 'मल्टीपाइन्ट एण्ट्री' की सजा दी गई है। कुछ अंशों में भारत में इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता मानी जा रही है। निरक्षरता समाप्त करना ही इन सभी व्यवस्थाओं के मूल में है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षाशास्त्र का अर्थ समय-समय पर बदलता रहा है फलतः इसके स्वरूप तथा अर्थ में भी परिवर्तन आया है। आज शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होकर बात इसमें सम्मिलित की जान लगी है। आने वाले समय में जीवन और पेशेवादी होने वाला है तब शिक्षा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। शान्ति निश्चयीकरण, स्वचालन उत्तरदायित्व वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास भाई-चारा एवं नगरीकरण आदि के लिए शिक्षा महत्व प्राप्त कर लेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जनसंख्या विस्फोट तथा उसका नियन्त्रण अस्वास्थ्यकर उत्पादनों पर रोकथाम भी कर नहीं पायेंगे। इसी लिए शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता रूप में भी सरल भूमिका की अपेक्षा की जाती है। शिक्षा शास्त्र के एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में इन भूमिकाओं के निर्वहन के लिए निस्संदेह नागरिक में नवीन गुणों एवं क्षमताओं की जरूरत होगी। आज शिक्षा के इस बदलते हुए अर्थ तथा विकसित होते हुए क्षेत्र को देख कर स्वयं अनुशासन के रूप में शिक्षा शास्त्र के 'विकास तथा निर्माण' की पर्याप्त एवं उच्चल सम्भावना व्यक्त की जाती है।

□

व्यवसाय के रूप में अध्यापन

शिक्षा के क्षेत्र में आयोजकों प्रशासकों तथा अध्ययन से जुड़े स्वयं शिक्षकों द्वारा अध्यापन के लिए आवश्यक गुणों प्रविधियों तकनीकों तथा विशिष्टताओं के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। विभिन्न स्तरों के शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यवसाय शब्द कई बार प्रयोग हो सकता है पर व्यवसायी के गुणों तथा अन्य लक्षणों को किसी व्यवसायी सघ द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता। किसी व्यवसायी सघ द्वारा उनका स्तरीकरण नहीं किया गया। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त अध्यापक स्वयं अपने को निम्न मानते हुए यह स्वीकार करते हैं कि अध्यापन सेवा का व्यवसाय के रूप में विकास हो। महत्वपूर्ण यह है कि अध्यापन व्यवसाय के सम्प्रदाय को कितना ध्यान दिया गया है तथा इस सम्प्रदाय का शिक्षकों विद्यालयों बालकों तथा उनके सरभकों के लिये क्या महत्व है तथा वे इससे क्या अर्थ लेते हैं?

धधे की अपेक्षा व्यवसाय का उच्च एवं सम्मानजनक अर्थ लिया जाता है एवं व्यवसाय शब्द उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है। शायद ऐसा इसलिये रहा होगा कि जनसाधारण के अनुसार व्यवसाय में लगे व्यक्ति उच्च शिक्षित होते हैं न कि वे पारिवारिक व्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं व्यवसायी सामाजिक पद-सोपान की दृष्टि से भी उच्च वर्गों से जुड़े होते हैं जबकि धधे निम्न वर्ग के लोगो से। इससे स्पष्ट होता है कि व्यवसाय व्यक्ति को दी जाने वाली प्राप्त स्थिति को जनसाधारण से स्वीकार करता है।

व्यवसाय का अर्थ

व्यवसाय के रूप में अध्यापन विषय पर भारत में बहुत कम साहित्य का सृजन हुआ है ऐसी स्थिति में उसके विधिवत प्रकाशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रशासकीय अधिकारियों ने भी अध्यापन को व्यवसाय सज्ञा न देकर समाज सेवाओं में सम्मिलित किया है। पश्चात्प देशों में भी कुछ उत्साही लेखकों के नाम इस क्षेत्र में यदाकदा लिये जाते रहे हैं जिन्होंने भी अपने ढंग से विषय का प्रस्तुतीकरण किया है।

Tawney (1920)¹ ने व्यवसाय की परिभाषा इस प्रकार की है- व्यवसाय किसी दिये हुए कार्य को सम्पन्न करने के लिये एक उद्योग (ट्रेड) के रूप में निश्चित रूप से अपूर्ण पर युद्धिमता से व्यवस्थित क्रियाओं को कहा जाना चाहिए। देखने में लगता है कि यह युद्धिमतापूर्ण व्यवस्थित क्रिया नैतिकता पर आधारित है तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोक कल्याण पर आग्रह है। विवेकपूर्ण व्यक्ति लोक कल्याण से हट जाय ऐसा नहीं माना जा सकता है।

जनसाधारण व्यवस्था तथा व्यवसायी को सामान्य अर्थ में लेते रहे हैं। साधारण दृष्टि से व्यवसाय (occupation) का अर्थ किसी ध्ये में अधिक समय तक कार्य करना है तथा उस ध्ये के लिये कम से कम अवधि का प्रशिक्षण होता है। उदाहरण के लिये ट्रक ड्राइवर का कार्य इस दृष्टि से व्यवसाय माना जाना चाहिए इस प्रकार के अर्थ में सामाजिक प्रतिष्ठा समुक्त नहीं हैं। इसके दूसरी ओर किसी ध्ये को व्यवसाय कहलाने के लिए इस ध्ये से संबंधित प्रशिक्षण की अवधि कोई प्रभाव नहीं डालती है। नई सदियों से एक ही काम करते आ रहे हैं पर उसे व्यवसाय नहीं माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक व्यवसाय का अपना क्षेत्र होता है- व्यवसाय में लगे लोग एक विशिष्ट भाषा शैली का प्रयोग करते हैं उनको अपनी व्यवहार प्रणाली होती है उनकी अपनी विशिष्टताएँ होती हैं। सरस्वती यात्राएँ, सम्प्राप्ति दक्षताएँ, शिक्षक-शिष्या प्रशिक्षण दीक्षान्त समारोह उपचारात्मक शिक्षण आदि शब्दों का शिष्या के क्षेत्र में एक विशिष्ट अर्थ में ही प्रयोग होता है। यहाँ के रीति-रिवाज परम्पराएँ वहाँ के निवासी ही पूरी तरह से सीख पाते हैं। व्यवसाय के लिए बौद्धिक प्रशिक्षण के फलस्वरूप विशिष्ट दक्षता एवं चातुर्य प्राप्त किया जाते हैं। व्यवसाय कहलाने के लिए यही मुख्य लक्षण है। किसी भी ध्ये को व्यवसाय कहलाने के लिए निम्न लक्षण गिनाये जा सकते हैं।

1 कार्य या सेवा को सम्पन्न करने के लिए विशिष्ट ध्ये का पर्याप्त लम्बी अवधि का प्रशिक्षण दिया जाय। स्नातक स्तर पर भी पर्याप्त तैयारी की जाय। चिकित्सा विधि तथा अभियान्त्रिकी का क्षेत्र में वास्तविक कार्य आरम्भ करने के पूर्व एग्जेंटिसशिप सहित पाँच से सात वर्ष तक का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है।

2 इण्डियन बार काउन्सिल या इण्डियन काउन्सिल ऑफ मेडीसिन्स या इन्जीनियर्स इण्डिया जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कोई अधिकरण हो जो व्यवसाय

1 R H Tawney The Acquisitive society New york
Harcourt Brace and World Inc 1920 p 92

के लिए राष्ट्र के सामने एक सत्रल आवाज उठा सके। यह अभिकरण ही सदस्यों को कार्य सपन कहने की अनुमति प्रदान करे लाइसेंस दये। नियोग्यता होने पर या कार्य का वाछित स्तर प्राप्त न होने पर अभिकरण द्वारा स्वीकृत मानदण्ड प्राप्त न होने पर अनुमति को रद्द किया जाए, व्यक्ति को लाइसेंस लौटा देने को कहा जाये। पिछले दिना राष्ट्रीय शिक्षक शिभा परिषद् को अधिक प्रभावी बनाने का क्रम शुरू हुआ है। इसे विधार्थी शक्तिया देकर अधिक कारगर बनाया जा रहा है। आशा की जाती है कि शक्ति सम्पन्न होने पर यह सस्था घटिया या निम्न स्तर का काम करने वाले शिक्षकों या सस्थाओं को काम करने से रोक सकेगी।

3 विधि तथा चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य से जुडे दोनों सम्भागी ही पारिश्रमिक तप करते हैं। सेवाओं के विक्रय की अपेक्षा मूलतः सेवाओं या परामर्श तथा पारिश्रमिक या वेतन का परस्पर निर्धारण एव आदान प्रदान होता है। ग्राहक तथा क्रेता दोनों में व्यक्तिगत सबध रहते हैं तथा दोनों एक दूसरे का विधास करते हैं।

4 पारस्परिक सामूहिक प्रतिष्ठा से आशय यह है कि मौलिक व्यवसाय सामाजिक प्रतिष्ठा का सकेत करते हैं। व्यवसाय में लगे समूह की व्यावसायिक उत्तरदायित्व की सजगता सम्पन्न की जाने वाली सेवाओं की उत्कृष्टता तथा सेवा में लगे सदस्यों के लिए कौशल क्षमताओं चातुर्यों का प्रमाणीकरण तथा प्रशिक्षण मे प्रवेश पर नियन्त्रण के माध्यम से गुणात्मकता को बनाये रखा जाता है। किसी भी व्यवसाय को सम्पन्न करने के लिए उत्तम कौशल तथा बौद्धिक प्रयत्नों की जरूरत होती है जो प्रशिक्षण की अवधि तथा कार्य के स्तर पर निर्भर करती है।

5 एक आचार सहिता जिसे वैधानिक रूप से लागू किया जा सके कार्य का उच्च स्तर बनाये रखने के लिए भी आचार सहिता जरूरी है और इसलिए भी कि अदक्ष या निम्न श्रेणी के सदस्यो की अनुमति रद्द कर उन्हें कार्य करने से रोका जा सके। पिछले दिनों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विद्यालयी शिक्षकों के लिए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा से जुडे शिक्षको के लिए आचार सहिता तैयार की गई है। पर इस सम्बन्ध में अभी भी किये जाने के लिए बहुत क्षेत्र हैं।

6 व्यवसाय कहलाने के लिए क्षेत्र निश्चित होना चाहिए। चिकित्सा का क्षेत्र जीवविज्ञान तथा रोगनिदान है तथा वकालत का क्षेत्र राज्य शासन सरकार कानून तथा सविधान है।

क्या अध्यापन व्यवसाय है?

एक ल्ये समय से कहिय थीसवीं शताब्दी के पूर्व तक भारत में अध्यापन को सेवा ही माना जाता था न कि व्यवसाय। अध्यापक समर्पण की भावना से बच्चों का पढाते थे तथा समान ही उनकी पालन-पापण की व्यवस्था करता था। अध्यापन को सेवा भावना से अपनाने के आधार पर ही एकलव्य तथा द्रोणाचार्य आरूणी तथा उसके गुरु कृष्ण-सुदामा तथा उनके गुप्तसदीपन के सवध भारतीय शिक्षा के इतिहास में अमर हो गये हैं। अब देखना यह है कि क्या भारत में आज अध्यापन कार्य को ऊपर दी गई इन कसौटियों पर व्यवसाय कहा जा सकता है? यदि नहीं तो इस दिशा में क्या प्रयत्न और किये जाने चाहिए?

अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए स्नातक के लिए शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम एक सत्र का है। प्राथमिक शिक्षक का पाठ्यक्रम अवश्य ही दो सत्रों का है। व्यायाम शिक्षक शिशु शिक्षक उद्याग शिक्षक माटिसरी किण्डर मार्टन कॉस्मिक ट्रेनिंग एक एक सत्र की ही उपलब्ध है प्रवेश की पात्रता के लिए ग्यारह वर्षीय विद्यालयशिक्षा जरूरी है शिक्षाधि स्नातक पाठ्यक्रम भी एक ही सत्र का है। इसके विपरीत संगीत चित्रकला गृह विज्ञान के अध्यापन हेतु बिना प्रशिक्षण के भी काम चला लिया जाता है। अध्यापन को अपनाने वालों के लिए स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छोटे या सहायक (Subsidiary) विषय के रूप में शिक्षण तकनीक मनोविज्ञान तथा सामाजिक मूल्यों का विकास किया जाय तथा प्राथमिक अध्यापक के लिए भी ऐसी ही किसी व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।

पिछले वर्षों में 5-7 विश्वविद्यालयों में (उदाहरणार्थ कुरुक्षेत्र गौहाटी अलीगढ़ कलकत्ता आगरा आदि) शिक्षा अधिस्नातक पाठ्यक्रम दो वर्ष का बनाया गया है पर उसका उद्देश्य दूसरा है। शिक्षा को एक अनुशासन मानकर अन्य विषयों के समान ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का विकास किया गया है। कोई आवश्यक नहीं कि इस पाठ्यक्रम से अध्यापन कौशल एवं चातुर्य का विकास हो।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में चार वर्षीय शिक्षा के पाठ्यक्रम आरंभ किये गये थे-पर इन पाठ्यक्रमों से शिक्षा दीक्षा प्राप्त शिक्षक भी अच्छा प्रभाव बनाने में असफल रहे वे भी व्यवसाय के प्रति समर्पित शिक्षक तैयार न कर सके। केवल उत्तरप्रदेश सरकार एक सत्र के प्रशिक्षणोपरान्त लाइसेंस ऑफ टीचिंग की उपाधि देती थी- इसे भी कुछ सस्थाओं में स्थगित कर दिया गया तथा यह उपाधि भी

अन्य मानदण्डों पर व्यवसाय नहीं कहला सकती।

अध्यापन कार्य में लगे व्यक्तियों की प्रबुद्ध वर्ग के सदस्य गिने जाने चाहिए तथा राष्ट्रीय जीवन में उनकी सेवाओं को पर्याप्त महत्व स्थान तथा मान्यता दी जानी चाहिए। यदि अध्यापन को व्यवसाय की ही श्रेणी में लाना है तो प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम का विकास किया जाना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्नातक पाठ्यक्रम को समृद्ध कर अवधि बढ़ाई जा सकती है एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को भी समृद्ध किये जाने की पर्याप्त सम्भावनाये हैं। अन्य अल्पावधि पाठ्यक्रमों पर भी फिर से विचार किया जाना चाहिए, यदि वे लम्बी अवधि के न चल सके तो बद कर दिये जाने चाहिए।

अध्यापन कार्य में बालक को अध्यापक द्वारा पढाया जाना है। विद्यार्थी शिक्षक के ज्ञान पर विश्वास कर इसके लिए निम्न बातें जरूरी हैं- प्रथम- अध्यापक द्वारा बालक का सामान्य शिक्षा देना है या विभिन्न विषयों का अध्यापन करना है। गणित एक सामान्य विषय है-जिसका जीवन में पग-पग पर व्यावहारिक उपयोग है। सामान्य विषयों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट विषयों के अध्यापन की अपेक्षा की जा सकती है फिर यह विशिष्ट विषय का ज्ञान उसके धर्मों से जुड़ा हो सकता है।

द्वितीय- अध्यापक अपना काम दक्षता के साथ कर सके इसके लिये भी कुछ विषयों को शिक्षक शिक्षा में सम्मिलित किये गये हैं- मनोविज्ञान शिक्षण विधि सामाजिक मूल्य आदि। शिक्षक शिक्षा के इस कार्यक्रम में कक्षा अध्यापन का व्यावहारिक अभ्यास भी जोड़ा जाता है। शिक्षण विधि पर निरन्तर प्रयोग हो रहे हैं तथा आज भी अन्तिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

मनोविज्ञान सामाजिक मूल्य तथा शिक्षण विधि के ज्ञान की मात्रा ही अध्यापक को सामान्य नागरिकों के पृथक करता है और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि चिकित्सा तथा वकालत के समान ही अध्यापन को भी व्यवसाय माना जाना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रम का सीधा जनता से कोई संबंध नहीं है पर विद्यालय उनके बच्चों को किस प्रकार कैसे शिक्षित कर रहा है- इस रूप में तो ये विद्यालय से संबंधित है ही तथा ये विद्यालय से भिन्न राय भी रख सकते हैं। यदि अध्यापन भी चिकित्सा की तरह व्यवसाय हो विशिष्ट तकनीकपूर्ण एवं कौशल युक्त हो तो सभव है जनसाधारण विद्यालय के साथ याद-विवाद नहीं करेंगे।

इतना सब होते हुए भी आज कोई यह स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है कि अध्यापन कार्य चिकित्सा या वकालत की तरह तकनीकी पूर्ण

है। कारण कि अध्यापक आज भी अपने को किसी विशिष्ट कार्य को सम्पन्न करने के लिए उत्तरदायी मानते ही नहीं हैं। अध्यापक कई बार ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि ये कोई भा विषय पढा सकते हैं। व यह साच भी नहीं पाते कि एसी शिथिल टिप्पणी से अध्यापन का व्यवसाय बनाने के लिये कितना धका लगा है?

अध्यापन काय क लिए प्रशिक्षण प्राप्ति ही एक प्रकार से अनुमति या लाइसेंस माना जाता रहा है। पर यह अनुमति देने वाली सस्था चिकित्सा या वकालत की स्वीकृति देने वाली सस्था स भिन्न है क्याकि यह स्वायत्तशासी सस्था है सबल है चाछित स्तर प्राप्त न हान पर अनुमति रद्द कर दती है। यह अभिकरण ही प्रमाणीकरण की शर्त तय करती हैं, परिवर्तन तथा सरााधन करती हैं। पाठकों को स्मरण हागा कि 1955 में जब शिभकों की कमी अनुभव की गई तो अल्पकालीन प्रशिक्षण देकर ही उनका भर्ती की गई। आज भी कई जगह अप्रशिक्षित अध्यापक काम करत हुए मिल जात हैं। कवल यहा नहीं कई उदाहरणों में तो प्रशिक्षण तो दूर अधूरी शिभा प्राप्त व्यक्तियों की भी भर्ती अध्यापका के पदों पर कर ली गई। एसा गणित विज्ञान गृहविज्ञान विभ्रजला तथा संगीत विषया म होता रहा है। दुर्गम स्थान या पिछडी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में एसे ही शिभक मिल सकत है पर चिकित्सा या वकालत या अभियान्त्रिकी क क्षेत्र में एसा नहीं हाता। अधूरी शिभा प्राप्त व्यक्ति इन धधो म कहीं नहीं मिलेंगे। एसा सभय नहीं है कि बिना चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा पाये व्यक्ति को इस व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति मिल जाय या उसे शल्पत्रिया करने को कह दिया जाय-वही बात अभियान्त्रिकी या वकालत के लिये भी कही जा सकती है।

यह अपेक्षा की जाती है कि इससे उपयुक्त प्रत्याशियों का चयन हागा। विश्वविद्यालय या राज्य स्तर पर बनी पात्रता सूचियों क आधार पर प्रत्याशियों को प्रवेश दिया जाने लगा है अत किसी को असन्ताप भी नहीं हाता। हा इन परीक्षाओं का रूप अभी निश्चित नहीं हो पाया है। कहीं एक प्रश्नपत्र हाता है तो कहीं दो या तीन भी कहीं सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हाते हैं तो कहीं सञ्चित उत्तर वाले भी। अभी ये परीक्षाए शैशावास्था ही है तथा समय बीतने पर तथा अनुभवों से साखते हुए ये परीक्षाए स्थायी रूप ले लेगी। इससे अध्यापन को व्यवसाय के रूप म विकसित करने क लिए मदद मिलेगी।

चिकित्सा तथा वकालत में क्रेता तथा विभ्रता या ग्राहक तथा व्यवसायी का सीधा तथा व्यक्तिगत सवध रहता है। इस पहलू पर शिक्षा के क्षेत्र में भी वहुत लिखा गया है। वैयक्तिक निर्देशन तथा शिभण आज के समय की

ज्वलन्त समस्या हैं। प्रायः शिक्षक अधिकांश समय दलों में कार्य करते हैं तथा दल के सदस्य या कक्षा के विद्यार्थी विशिष्ट लक्षण रखते हैं उनकी भिन्न भिन्न आवश्यकताएँ होती हैं हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाया जाय तो अध्यापक के लिए अध्यापन दुरूह हो जाता है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि शत प्रतिशत वैयक्तिक शिक्षण सीधे तथा व्यक्तिगत संबन्ध नहीं बनाये जा सकते पर इस दिशा में यह प्रयत्न तो किया ही जाना चाहिए कि अध्यापन को व्यवसाय बनाने के लिए कक्षा का आकार छोटा से छोटा हो या कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम हो जिससे आवश्यकता के समय शिक्षक छात्रों के साथ वैयक्तिक संबन्ध बना सके। यहाँ तर्क दिया जा सकता है कि वकील तथा चिकित्सक की सेवाएँ प्राप्त करने के लिये काफी ग्राहक होते हैं तथा अधिक ग्राहक ही अधिक सफलता के सूचक हैं। वे हर ग्राहक को व्यक्तिगत आधार पर ही देखते हैं। अपवाद रूप में चिकित्सा मनोविज्ञानी के समान अध्यापक सामूहिक निर्देशन के सिद्धान्त पर भी आग्रह कर सकते हैं।

अध्यापन को व्यवसाय बनाने के लिए इस बात के निश्चय ही प्रयत्न किये जाने चाहिए कि कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के वैयक्तिक संबन्धों के लिए अधिकाधिक अवसर दिये जाय प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाय उसकी नियोग्यता जानी जाय उसकी कमी का क्षेत्र ज्ञात किया जाय तथा तदनुसार उपचार किया जाय एवं बालक को लाभ पहुँचाया जाय।

सेवाओं के लिए निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक के इस विदु पर चिकित्सा या अभियान्त्रिकी या वकालत तथा अध्यापन में समानता लगती है पर एक अन्य प्रश्न उठता है कि पारिश्रमिक कौन तय करता है। चिकित्सा तथा वकालत में संबन्धित पक्षों द्वारा या व्यावसायिक संघों द्वारा यह तय किया जाता है जबकि अध्यापन में राज्य अन्य सेवाओं के समान तय करता है। शिक्षक सभ समय समय पर राज्यों से समझौता करके वेतन बढ़वाते रहते हैं। कुछ राज्यों में तो विधानसभाओं में से प्रस्ताव पारित करवाकर एक्ट बनवा दिये हैं। इनका उत्त्पन्न होने पर दोनों पक्षों में से कोई न्यायालय से सहायता के लिये आवेदन कर सकते हैं।

वेतन के रूप में पारिश्रमिक निश्चित होने चाहिए। ज्यों-ज्यों शिक्षक की योग्यता तथा कार्य क्षमता बढ़ती है उसे मिलने वाला पारिश्रमिक भी उसी अनुपात में बढ़ता रहना चाहिये। चिकित्सा वकालत या अभियान्त्रिकी के व्यवसाय में यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह किसकी सेवाओं

का उपयोग करें। क्या अध्यापन में ऐसा संभव है। यदि हा तो किसी सस्था के पास संभव है ढेर सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो जाय तथा दूसरे के पास एक भी न रहे। ऐसी स्थिति में उसे घोर आर्थिक कठिनाइया सहनी पड सकती हैं। पर हा कुछ अशा में ऐसा व्यवहार मे देखा जा सकता है। कई बार अभिभाषक किसी विशिष्ट शिक्षा पद्धति से पास तो नहीं पर विद्यालय विशेष में ही अपने बच्चो को भर्ती कराना चाहते हैं। एसा करने के उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक सन्द्घ पुस्तकालय उद्यतन प्रयोगशालाए, सुरभ्य ब्रीडागण आदि कई कारण हो सकते हैं। कुछ अशों म इस दृष्टि स अध्यापन को व्यवसाय कहा जा सकता है।

अपनी बात को जनता के सामने रखने के लिये एक शक्तिशाली व्यावसायिक सगठन-

कोई भी चिकित्सक आख या दात का डाक्टर होने से पूर्व सामान्य चिकित्सक है तथा चिकित्सक व्यावसायिक सघ का सदस्य हैं। यही बात वकीलो या अभियान्त्रिकों म लगे व्यक्तिया के लिये कही जा सकती हैं। पर अध्यापन के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्राथमिक, माध्यमिक महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षक चित्रकला भाषा गृहविज्ञान सगीत व्यायाम उद्योग इतिहास भूगोल अराजपत्रित तथा राजपत्रित अध्यापक सघ में सभी अध्यापन मे लगे अध्यापक बट हुए हैं फलत उनकी आवाज बलहीन एव मद हो जाती हैं। सभी शिक्षकों की राय में मतेक्य नहीं हैं। जब शिक्षक प्राथमिक कक्षाओ से माध्यमिक कक्षाओ के रूप म या निम्न वेतनशृखला से उच्च वेतन शृखला मे पदोन्नत हो जाता है तो अपने पिछले जीवन में बनी निकटता या लगाव को भूल जाते हैं पदोन्नति के बाद निम्न वेतन शृखला मे कार्य कर रह शिक्षकों के हितो का परिलामों को वे भूल जाते हैं। कुछ विषय कठिन माने जाते हैं उदाहरणार्थ- अग्रेजी तथा गणित। इन विषयो के पढाने वाले शिक्षक भी पृथक अपने मघ बना लेते हैं तथा अपने को अलग थलग एव महत्वपूर्ण समझने लगते हैं अन्य शिक्षको की तुलना मे अपने को समाज से अधिक मान्यता प्राप्त समझने लगते हैं तथा उद्योग कृषि चित्रकला एव सगीत शिक्षकों को अपने से हीन मानने लगते हैं। समग्र अध्यापक जाति के हित उनकी दृष्टि से ओजल हो जाते हैं।

कुछ अध्यापक सघ राजनैतिक दलों से जुड जाते हैं इससे भी कभी कभी सदस्यों को भारी हानि उठानी पडती है। यदि सत्तारूढ दल उदाहरण के लिए कांग्रेस है तो जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ से जुडा अध्यापक सघ सरकार से वाछित लाभ नहीं उठा सकता न सरकार ही उनकी भागो पर शिष्ट मण्डल के ज्ञापनो पर ध्यान देती है।

यदि अध्यापन को चिकित्सा तथा वकालत के समान व्यवसाय बनाना है तो प्रथम स्थान पर इस बात की आवश्यकता है कि सभी शिक्षक अपना स्तर घटान तथा विषयों का महत्व भूल कर एक व्यावसायिक सघ के रूप में संगठित हो जाय एवं आवश्यक लक्षणों का विकास किया जाय स्वयं शिक्षक अपने को एक ही सघ का सदस्य बनाए, उससे सम्बद्ध करे। इस प्रकार के साहित्य की व्यापक रचना की जाय तथा शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किया जाय कि अध्यापन का व्यवसाय के रूप में ही न माना जाय।

मूल्यांकन

इस प्रकार कार्य करने तथा सोचने विचारने के दो केन्द्रीय विषय दीखते हैं। प्रथम-अध्यापक तथा गैर अध्यापक के धंधे सबधी सस्कृति रीति रिवाज तथा कार्य कलाप में अन्तर तथा द्वितीय-अध्यापकों के कार्य करने की शर्तें तथा स्थितियों पर सघ के रूप में शिक्षकों का नियन्त्रण जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अभिभावकों का शिक्षा संस्थाओं से निकट सम्पर्क ही इन कार्यों का स्रोत है। सामान्य नागरिक जानता है कि विद्यालय में अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार के साथ ही स्वयं शिक्षक तथा शिक्षक सघ भी शिक्षा का प्रभावित करने वाले अभिकरणों में से एक हैं। यह सभी स्वीकार करेंगे कि आधुनिक समय में विद्यालय के कार्यकलापों में सभी रुचि लेने लगे हैं। यह रुचि शिक्षा के लिये अच्छी तथा बुरी दोनों रूपों में हो सकती है।

एक लम्बे समय से बालक की उपलब्धियों पर बालक तथा विद्यालय के सामाजिक एवं अन्यान्योन्नत कार्यकलाप तथा सस्कृति का प्रभाव स्वीकार किया जाता रहा है। महानगरो में इन सबधों का विकास नहीं हो पाता है तथा मधुर सबधों का अभाव कई नई समस्याओं को जन्म दे रहा है। अध्यापक तथा गैर अध्यापक के विचारों का अन्तर अध्यापकों के कार्य करने की स्थितियों तथा शर्तों में अन्तर को कभी सराहनीय नहीं कहा जा सकता चूंकि अन्ततः ये सामाजिक सबध ही बालक के अधिगम को प्रभावित करते हैं।

जब तक शिक्षा पर सरकार का नियन्त्रण है पाठ्यक्रम शिक्षकों की नियुक्ति उनका घतन नई संस्था या उसकी क्रमान्ति आदि पर सरकार का निर्णय है एक मात्र कार्यकारी प्रभाव डालता है तथा शिक्षक तथा शिक्षार्थी के क्रेता तथा विक्रेता के रूप में सबधों का विकास करना कठिन ही नहीं असंभव लगता है। शिक्षका की नियुक्ति सरकार करती है तथा विद्यालय में प्रवेश के समय शिक्षकों की राय का कोई महत्व नहीं है। शिक्षका के घतन

निधारण में भी बच्चों या उनमें अभिभावकों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। व्यक्तिगत सवधा का जहा तक प्रश्न है बड़ी बड़ी कम्पानियों में उनके विकास का अवसर ही नहीं आते हैं। फिर मानकीकरण की समस्या भी महत्वपूर्ण है। एक बार शिक्षक का रोजगार प्राप्त करने के बाद, यदि वह शिक्षक निम्न स्तर का हुआ तो भी सरकारी सेवा में पृथक करना अध्यापन काय से वचित करना अत्यन्त कठिन है। इससे भी अधिक मानकीकरण स्वयं भी कठिन लगता है। कुछ अर्थों में स्वातशासी संस्थाओं में ऐसा हो सकता है पर वहा भी मानकीकरण का सिद्धान्त शत प्रतिशत रूप से कार्य करेगा ही सदह से परे नहीं है। हा यदि शिक्षक स्वयं एक संस्था के रूप में विकसित हो तो मानकीकरण ही नहीं पारिश्रमिक की समस्या भी हल हो सकता है। इस विदु पर एक अन्य दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए कि वकील केवल पारिश्रमिक पाता है चिकित्सक पारिश्रमिक एवं वतन दोनों पाता है जबकि अध्यापक केवल वतन पाता है। इस पर सामजस्य कैसे बँटाया जायेगा? व्यवसाय का एक सवाधिक महत्वपूर्ण लक्षण स्तर बनाये रखना है (Quality Maintain) करना है। यदि इसे किसी प्रकार लाया जा सके ता अध्यापन व्यवसाय का बहुत बड़ा हित हो सकता है।

ऊपर की विवेचन से लेखक का यह आशय कदापि नहीं है कि अध्यापन को व्यवसाय के रूप में मान्यता मिले या व्यवसाय न माना जाय या अध्यापन में व्यावसायिकता अच्छी है या बुरी ऐसा भी कहीं संकत नहीं किया गया है। इसे समझन का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि अध्यापन को व्यवसाय न मानने से इसमें लगे कार्यरत अध्यापकों की कक्षा अध्यापन की दृष्टि से क्या हानि हो रही है अध्यापक क्या खा रहे हैं। विपरीत स्थिति में वे क्या लाभ उठा सकते हैं? फिर चाह वह आर्थिक शैक्षिक इसका सामाजिक नैतिक या अन्य लाभ ही हो। अध्यापन को व्यवसाय के रूप में मान्यता दिलाकर विद्यार्थी को क्या लाभ पहुँचाया जा सकता है। लाभ कैसा ही हो अन्ततः उसका उपयोग विद्यार्थी समुदाय के लिये ही होगा।

□

मूल्यों का सकट

आज चारा ओर अनैतिकता अपनी चरम सीमा पर है। दया-निर्माता प्राणलेवा घटिया दवाइया बनाता है व्यापारी हल्दी में ईंट पीसवा लेता है चायला म सफेद छाटे-छोट बकर मिला कर बेचता है केसर में लकड़ी का रंगीन बुराण मिला देता है इन्जीनियर पुल बनाते समय मीमेट की जगह अधिक बालू मिला कर कमगोर पुल बना देता है सरकारी कार्यालयों में आसानी से कार्य नहीं होता किसी दस्तावेज की नकल चाहिए- रथेली गर्म करो रेल या बस में जगह का आरम्भ करवाना है तो उत्तर मिलता है सीट उपलब्ध नहीं है रिश्त दो तो अमुक स्थान पर आरक्षण सहित टिकट लाकर दे दगे निर्माणाधीन भवन की ईंट रातोंरात गायब हो जाती हैं महाविद्यालयों में छात्राओं की साईकिलों को कुए म डाल देने के उदाहरण भी सुनने को मिलते हैं चलते पाहनों म कई महिलाओं द्वारा यात्रिया की जेबें काटने की घटनाए भी प्रकारा में आइ हैं सता में पद पर आरूढ मंत्री अपने चहेतो की सिफारिश अन्य मंत्रियों तक पहुचाते हैं कभी विभागाध्यक्ष बरिष्ठता का हनन कर अल्पना कम लम्बी सर्विस तथा कम अनुभव वालों को ऊपर पहुचा देते हैं फलस्वरूप आघात न सह पाने क कारण ऐसे उदाहरणों में की गई हत्यायें भी यदा-कदा प्रकारा में आती रही हैं दहेज की बलिबेदी पर चढ़ने वाली महिलाआ के दु खद अत के समाचार सदैव समाचार-पत्रों में मिल ही जायेंगे। तो ये रह गए हैं आज जीवन के मूल्य।

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि आज विश्व को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है उन सब में एक मौलिक कठिनाई मूल्यों के सकट की है। वास्तविकता यह है कि सभी कठिनाइयों के मूल में मूल्यों का सकट ही है और आश्चर्य यह है कि इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

ज्ञान का विस्फोट

सभी क्षेत्रों में ज्ञान का विस्फोट हुआ है तथा शोध कार्य जारी हैं पर मूल्यों का क्षेत्र इस दृष्टि से अछूता ही है। इसका कारण यह बताया जाता है कि विज्ञान मूल्यों से मुक्त है या मुक्त रखा जाए। यह विचार कई

वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में जमा हुआ है यद्यपि यह विचार भ्रमपूर्ण है। इस क्षेत्र में दिखावा बहुत किया गया है तथा सही अर्थों में काम बहुत कम हुआ है। कुछ ही प्रयत्न हुए हैं पूरे मन से बहुत काम कम हुआ है। रो-धोकर कुछ अधूरा कार्य किया गया है। आखिर ऐसा क्या? इसका मूल कारण यह है कि मानव स्वभाव के स्थिर होने पर एव सदियों से चले आए मूल्य प्रतिमान पर न तो कोई प्रश्न किया जाता है तथा न ही उन मान्यताओं पर कुछ बहस की जाती है। इन मान्यताओं को या मूल्य प्रतिमानों को मनु, बुद्ध, जोरोस्टर ईसा, मुहम्मद आदि से जोड़ दिया जाता है। प्रत्यक्ष में चाह इन मूल्यों के प्रति आदर न हो या इनके प्रति निरन्तर प्रतिकूल व्यवहार किया जा रहा हो फिर भी इन्होंने न्यूनाधिक रूप से समाज की सेवा की है। अतः समाज को इन मूल्यों का अनुगृहीत होना चाहिए। अब इसी मान्यता पर प्रश्न-चिन्त लगाया जा रहा है।

मूल्यों का यह सकट कई आधारों पर परखा जा सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में नीत्से ने मूल्यों के सङ्क्रमण पर प्रकाश डाला। उनका दर्शन पूर्व-प्राथमिकता के विचारों पर आधारित था तथा गभीर अज्ञानता का घोटक था। उसके द्वारा प्रतिपादित नये मूल्यों की वैधता जिनसे उसने पुराने मूल्यों का प्रतिस्थापन किया था पर ही प्रश्न-चिन्त लगा दिया।

मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र के नए निष्कर्षों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सही है कि उन्हें सार्वभौमिक मान्यता नहीं मिली है उस पर और विचार किया जाना शेष है यद्यपि ये विचार आरम्भ करने के लिए पर्याप्त सामग्री भी प्रस्तुत करते हैं। वास्तविकता यह है कि अन्य कोई विकल्प ही नहीं है।

प्रथम बिन्दु जो विचारणीय है या होना चाहिए, वह यह है कि हृदय तथा मस्तिष्क के बीच कोई दीवार न हो। ज्ञान तथा उस प्राप्त करने की विधियाँ अन्ततः नैतिक मूल्यों से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं। ये याद मानदण्ड नहीं हैं जिन्हें कि तटस्थ रहते हुए विज्ञान के नैतिक पक्ष पर लागू किया जा सके।

वाइटहेड के अनुसार जहाँ प्राप्य ज्ञान घटनाओं के क्रम को बदल सकता है वहीं अज्ञानता अभिशाप के दाप से जुड़ा हुआ है। उसने जोर देकर बताया कि आधुनिक जीवन की स्थितियों में नियम अपरिहार्य हैं पूर्ण हैं धर्म /वर्ण धूमिल है जो कि प्रज्ञा की महत्त्वहीन मानता है। यह विश्व सहित भारत के सामने एक प्रकार का विशिष्ट चेतावनी है।

ज्ञान तथा अभ्यास

इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्रारम्भ के रूप में प्रज्ञा की युगीन शैक्षिक विन्त 1/51

अवहेलना मूल्यों का ही प्रभाव है। फिर भी इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि श्रेष्ठ गुणा का ज्ञान तथा उनका अभ्यास दा भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं। विकृत मस्तिष्क दुर्योधन दुःख प्रकट करता है कि मैं अच्छाई जानता हूँ पर उसका अनुगमन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि बुराई क्या है? फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ या उससे अपने को बचा नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह सतुलित मस्तिष्क वाले अर्जुन की समस्या भी उससे भिन्न नहीं है। वे गीता में पूछते हैं कि यह कौनसी या क्या वस्तु है जो मनुष्य को अपनी इच्छा के विपरीत बुराई करने को बाध्य करती है। यही महान् समस्या है रहस्य है।

आधुनिक मनोविज्ञान इसका आशिक उत्तर देता है। फ्रायड ने बहुत पहले विलियम जेम्स ने बताया था कि मनुष्य के व्यवहार तथा अभ्यास में अचेतन मन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस विचार का फ्रायड जुग तथा अन्य प्रबुद्ध मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से विकास किया यद्यपि अपने अध्ययन के तरीकों तथा निष्कर्षों में भिन्न रहते हुए भी मानव मन के गतिशील क्रिया-कलापों में अचेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करते हैं तथा उसकी कार्य-प्रणाली का भी गत्यात्मक मानते हैं। वास्तविक प्रेरक ऊपरी सतह पर नहीं हैं परन्तु नीचे गहरे हैं। गहरा या धारीक या सूक्ष्म मनाविज्ञान व्यवहार के आधारों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है।

यह कैसा सूक्ष्म मनोविज्ञान है जो समस्याओं में और मुख्यतः व्यवसाय तथा अभ्यास के अन्तर के बारे में बताता है? यह बताता है कि हमारी कठिनाई उस संघर्ष या विरोध की उपज है जो चेतन तथा अचेतन के बीच पैदा होता है। इन कठिनाइयों का हल मुख्यतः संभव सीमा तक संघर्षों एवं विरोधों के निवारण पर निर्भर करता है। मानवीय व्यवहार के संचालन का मूल अचेतन मन में है तथा सज्ञात व्यवहार अचेतन मन के विवेकपूर्ण या औचित्यपूर्ण अभिप्रेरकों की उपज है।

आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि यह स्थिति वास्तविकता को स्वीकार करने की अपेक्षा स्वप्नों में विचरण करती है जो कि मनुष्य के अन्तःस्थल के भावों को बताती है। जागृत अवस्था में अचेतन मन के साथ प्रत्यक्ष संबंध बना नहीं रह सकता। उस तक पहुँच केवल अप्रत्यक्ष रूप से सकेतो या कल्पनाओं से ही संभव है। संक्षेप में यह सकेत या कल्पना या विधास ही अचेतन मन की भाषा है। इस स्थिति को स्वीकार करना मनुष्य की भूमिका तथा उसके महत्व को नए मानदण्ड पर देखना है। ऐसा होने पर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि असहाय चेतन मन तथा नैतिकता किस प्रकार अचेतन क्षेत्र में ऊपर की ओर उन्मुखी है। इसका आशय यह नहीं है कि इच्छा शक्तिहीन है या क्षीण है पर ऐसा पयात्तता से तो दूर है। आधुनिक मनुष्य के साथ मुख्य समस्या ही उसकी मानवीय इच्छाओं के विस्तार

पर आखें मूढ़ कर देखना है। व्यवहार में देखा जाता है कि इच्छा शक्ति के सीमा से अधिक विस्तार का अनुमान भयकर प्रतिक्रिया लाता है। यही सही मनोविज्ञान है।

इच्छा शक्ति

जब आदमी अपनी इच्छा शक्ति से यह गतिरोध या ठट्ठाव अनुभव करता है तो यह सहज ही एक ऐसे सहारे की आशा करता है जोकि उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं है या उसकी इच्छा शक्ति से किसी प्रकार संबंधित नहीं है। यह महत्वहीन नहीं है कि इस सहारे पर भगवान या नियम या अन्य कोई शक्ति के रूप में विचार किया जाए। मनुष्य का सदिया का अनुभव है कि इस प्रकार का आधार तथा पहुँच वाली शक्ति सभी दृश्यमान वस्तुओं के पीछे रहती है। यह स्वयं अपनी ओर नहीं बढ़ती है पर यदि हम चाहें तो उससे अपने को सम्बद्ध बना सकते हैं। धर्म ग्रन्थों के अनुसार उठो जागो पूछो खोजो तथा प्राप्त होने तक प्रयत्न करते रहो। आप खटखटाइये आप द्वार खुला पायेंगे। यही शाश्वत मूल्य है जो अन्य सभी मूल्यों का स्रोत है यह एक समन्वयकारी घटक है। इसके न होने पर सभी मूल्य हवा हो जायेंगे वे सारहीन लगेंगे।

महात्मा गांधी की शक्ति का रहस्य उस लय या भावना में निहित है जो अदम्य इच्छा-शक्ति के अभ्यास तथा समर्पण की अनन्त भावना के सतुलन से प्राप्त होती है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि अदम्य इच्छा-शक्ति तथा समर्पण की उत्कृष्ट भावना एक दूसरे को पुनर्मिलन प्रदान करती है। इच्छा शक्ति या गर्व ही स्वयं उसी की बहुत बड़ी भाषा है। जनसाधारण की समझ से परे होते हुए ध्यान करता है। एक यही विचार अज्ञेय है।

मनोवैज्ञानिक रूप से बात कर तो देखा जाता है कि पाषाण युगान् अभाषीय तथा स्वरहित विचारों ने ही मानव व्यवहार को निर्देशित किया है तथा अनुभव मनोविज्ञान से पृथक् नहीं है। पर फिर भी साधारणतः मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में इसे समुचित रूप से स्थान नहीं दिया गया है। इन अविवेकी सघटकों को पृथक् कर देने की भी कोई सम्भावना नहीं है। ऐसा सोचना निर्मूल है कि आदमी अपने उद्देश्य विचार, भावनाएँ तथा सवेग शीघ्र ही भूल जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो मनुष्य के रूप में हम अपनी श्रेष्ठता खो देंगे।

यह जानना जरूरी है कि हम सब विवेक तथा परिपक्वता के भिन्न-भिन्न स्तर पर सहज गति से कार्य व्यवहार करते हैं। इसके दूसरी ओर एक महान मनोवैज्ञानिक ने तो यह भी कह दिया कि कुछ विवेकहीनता मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मानवीय मूल्यों के रूप में विवेकीकरण क संकुचित विचार पर, सावधानी के साथ समाज मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र दोनों ने पुनर्वसन का आग्रह किया है। इन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व

का विकास शून्य में या समाज से पृथक या जगल में नहीं होता है बल्कि वह निश्चित रूप से समाज में ही विकसित होता है। इस अवसर पर विश्वास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार भूमिका निर्वहन करता है तथा समाज के सम्बद्ध उसी से निर्देशित है। एक प्रयुक्त समाजशास्त्री के अनुसार "यदि व्यक्ति पूछता है कि वह वैयक्तिक रूप से भूमिका तथा अभियान या पहचान के रूप में क्या है? वह कितना महत्वपूर्ण है? तो इसका एक ही उत्तर हो सकता है कि अमुक स्थितियों में उसका यह रूप है? वह कितना महत्वपूर्ण है? तो इसका एक ही उत्तर हो सकता है कि अमुक स्थितियों में उसका यह रूप है तथा इससे भिन्न स्थितियों में उसका यह रूप है। इस सब का हमारे मूल्यों के परिष्कार तथा नीतिशास्त्र के लिए क्षणिक उपयोग है।

भारतीय मूल्य

एक उदाहरण से मूल्यों का सम्प्रत्यय स्पष्ट हो जायगा। सामान्यतया इमानदारी गुण का मूल्यो के क्रम में बहुत ऊँचे स्थान पर अंकन किया जाता है फिर भी आज के ज्ञान के प्रकाश में इस गुण का स्थान लोक विरुद्ध या शकाकुल हो गया है। इस प्रकार आज कोई भी अपनी भूमिका का (गभीरता से) निर्वहन करने के साथ ही अपने को भूमिका से दूर तथा असंबंध भी रख सकता है। यहाँ भारतीय तथा पश्चिमी मूल्यों में एक मौलिक अन्तर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन समय से पास्कल तथा उसके समकालीन अस्तित्ववादियों अनुसार प्रतिबद्धता नैतिक मूल्यों में गूढ विषयक शीर्षस्थ स्थान पर गिना जाता था। इसके दूसरी ओर भारत में आध्यात्मिकता से अलगाव या असम्बद्धता सभी मूल्यों के योग के बराबर जाना जाता है। इस प्रकार ईश्वर को नियता तथा दर्शन के रूप में चित्रित किया जाता है तथा ससार की सभी वस्तुएँ उसका बनाई हुई मानी जाती हैं। उसकी भाषा में अनेकार्थ वाले गूढ सूत्र समाविष्ट हैं जो वास्तविकता या कृत्रिमता के रूप में उसके वर्णन को असंभव बना देते हैं या वर्णनातीत होता है। यह कुछ ऐसी वस्तु है जिसे गभीरता से नहीं लिया जाता पर अलगाव से अनुभव की जा सकती है।

इस सत्य को महात्मा गांधी के उदार स्पष्ट तथा अटल नीति के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। वे 26 वर्ष के लम्बे अन्तराल तक बाहर रहे तथा टॉल्स्टॉयस्किन तथा थोरो आदि पश्चिमी विचारकों से प्रभावित हुए। उनके जीवन का तरीका भारतीय था लेकिन उनकी नैतिकता महात्मा

इसा से प्रभावित थी और यही कारण है कि व पश्चिमी देश क लोगा को प्रभावित कर सक। इसी भाति मीडलटन मरे ने गाधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक "हिन्द स्वराज" के विषय में आह्लाद क साथ लिखा- "हिन्द स्वराज" पुस्तक आज के समय की महत्वपूर्ण एव पवित्रतम पुस्तक है। यह प्रश्न आसानी स पूछा जा सकता है कि गाधी जी भारत क थे उनकी पुस्तक ' हिन्द स्वराज" कितने भारतीयों ने पढी है तथा इस पुस्तक के लिए मीडलटन मरे के समान महत्वपूर्ण राय बनाई है?

प्रकृति एव दर्शन

मूलत हिन्दूत्व का अलगाव क्षमा कीजियेगा गाधी जी द्वारा प्रतिपादित मूल्या क पद सोपान मे समाविष्ट नहीं है। य पूरे हृदय स पौराणिक तथा शास्त्रोक्त पर स्वप्रवत दुनिया में कभी प्रवेश न कर सक जिस पर सम्पूर्ण हिन्दू प्रकृति एव दर्शन निर्भर है। यदि कोई व्यक्ति यह साच कर आश्चर्य करे कि गाधी जी का दर्शन व नीतिशास्त्र भारत में अस्थायी तथा बाल्य मूल्या पर आधारित हाते हुए भी सार्वभौम प्रदर्शन पूर्ण रहा तथा भारत में जन समुदाय को आक्रुपित करने में असफल रहा तो इसका केवल एक ही उत्तर है कि नीति तथा दर्शन पृथक् नहीं किये जा सकते थे एक दूसरे को छाड नहीं सकते उनका सबध दूध और उसकी सफदी जैसा है। गाधी जी से भिन्न आगे चल कर पण्डित नेहरू ने हिन्दू प्रकृति तथा उससे जुड गूड दर्शन को आशिक ही समझा। सामान्य आदमी की उनके प्रति गहरी प्रतिक्रिया जो भी हो फ्रायड के अर्थ में दो विरोधी गुणों से सन्निहित रही- चेतन श्रद्धा तथा अचेतन विरोधी सिद्धान्त या प्रतिकूल मत। इस अज्ञात विरोध या सघर्ष ने सोचने क लिए रास्ता बतया है। इस मूल्याकन में आधुनिक मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र का समर्थन मिला है।

मूल्या के सङ्कट पर विचार करते समय मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्प्रत्य विस्तृत अर्थों में लिया गया है जब कि आग व्यक्तित्व पर ऋतुत सङ्कुचित तथा आग के सदर्भ से परे विचार किया गया है इस सबध म आधुनिक ज्ञान ने इस प्रकार से विस्तार में (मनोविज्ञान ने गहन रूप म तथा समाज शास्त्र न विस्तृत रूप में) सहायता की है फलस्वरूप हमारी नैतिकता का क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है हाना चाहिए।

न्यूटन के सिद्धान्त के अनुसार पदार्थ का अणु अन्य अणु को प्रभावित करता है खींचता है तथा समान रूप से प्रतिक्रिया करता है। यही सिद्धान्त नैतिकता क क्षेत्र में प्रभाव डालता है। अभा समय है कि आइन्स्टान तथा

आइन्सटीन के बाद के वैज्ञानिकों ने कई क्षेत्रों में जो प्रभाव डाला है उदाहरणार्थ सादृश्यता सिद्धान्त आदि पर विचार किया जाय।

आधुनिक मौलिक चिंतक मार्शल ने समस्याओं के हल के लिए पुराने एक समान तरीके की जगह क्षेत्रीय या बहुविध तरीकों का स्थान दिया। यही बात मूल्यों के क्षेत्र में भी समान रूप में लागू होती है। मूल्यों का केवल उनकी समन्वयवादी प्रकृति के साथ लाभप्रद अध्ययन किया जा सकता है। "माध्यम ही सदेश है" मार्शल का महत्वपूर्ण वाक्यांश है।

इस पत्र में मूल्यों के महान् एव विस्तृत क्षेत्र के मात्र किनारे को स्पर्श किया गया है। मूल्यों की सहायता के पृथक्-पृथक् पहलू पर स्वतंत्र रूप से विचार करने की अपेक्षा समग्र रूप से विचार करना उपयोगी लगता है। ऐसा विचार करते समय सम्पूर्ण मनुष्य जीवन पर-विषकी या अविषकी वैयक्तिक या सामूहिक-दृष्टि रखनी चाहिए। जब तब हम कोई विचार न बनायें न कोई छोटा है न कोई बड़ा न कोई सम्बद्ध है न कोई अप्रासंगिक। यद्यपि हर तथ्य पर समय तथा काल के सदर्थ में विचार करना चाहिए। उन पर समयानुसार विचार करना ही समस्या के समग्र रूप पर हल हेतु सश्लिष्ट ढंग से प्रहार करना है अन्यथा हम असमजस में ही पड़े रहेंगे जैसा कि विलियम जैम्स कहता है- " यह सम-रसता ही गत्यात्मक सतुलन है जिसमें स्वतंत्रता के साथ ही मर्यादाएँ, गतिशीलता के साथ विश्राम देना समाविष्ट है। इसे ही हिन्दू दर्शन में सत्य कहा गया है जो धर्म का हृदय है। यही समरसता मनुष्य तथा समाज एव समान प्रकृति के बीच स्वस्थ सतुलित परस्पर सहजीविका प्रदान करती है तब मनुष्य नहीं ब्रह्माण्ड का मात्र घर बन जाता है।

□

वेचारिक प्रदूषण

आज चारों ओर दो बातों पर चर्चा की जा रहा है। प्रथम है नैतिक शिक्षा या मानव मूल्यों की प्रतिस्थापना तथा दूसरी है पर्यावरण शुद्धि। दोनों ही समस्याओं की अपनी अपनी गम्भीरता एवं अपना-अपना महत्व है। देखने में दोनों समस्याएँ पृथक-पृथक लगती हैं पर जरा गम्भीर होकर, शान्त चित्त से सोचें तो समस्या एक ही लगती हैं। मानव मूल्यों की स्थापना पर्यावरण शुद्धि समस्या तो है पर इस पर मानव मूल्यों की स्थापना के साधन के रूप में भी विचार किया जा सकता है। पर्यावरण शुद्धि या संरक्षण स्वयं अपने आप में कोई साध्य नहीं है। साध्य तो मानव कल्याण या मानव मूल्यों की स्थापना ही है तथा पर्यावरण शुद्धि या पर्यावरण संरक्षण तो उसका इस साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है।

आज का मानव जीवन सदियों के प्रयत्नों से सुधरा हुआ रूप है। मनुष्य जैसे-जैसे समझदार तथा सुसंस्कृत होता गया जैसे-जैसे उसने अपने जीवन को कृत्रिमता, हेय बंधनों में जकड़ लिया। जब वह असभ्य या जंगली था धोखा देना या झूठ बोलना नहीं सीखा था तब तक वह अपने साथियों का हित सोचा करता था तथा प्रकृति के साथ ताल-मेल या तारतम्य बनाये रखता था मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए रेल मोटर, वायुयान रेडियो टेलीविजन अणुशक्ति चिकित्सा आदि का विकास किया परन्तु इन सभी के उपयोग का सूत्र असंतुलित कर प्रकृति के सुन्दर वातावरण को प्रदूषित कर दिया तथा मानव को तरह-तरह के रोगों के जाल में फसा लिया- एक प्रकार से वह अपने द्वारा बनाये जाले में स्वयं ही फस गया।

कारखाने में फालतू धवी वस्तुओं को नदी या सागर में गिराया जाता है इससे जल प्रदूषित हो जाता है इससे मछलियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। फल-कारखाने व फैक्ट्रियों के विषाक्त एवं कीटाणु युक्त जल से नदी सागर तथा तालाबों में मछलियाँ आदि मर जाती हैं। न केवल इतना ही बल्कि नदियों का पानी मानव के लिए जहर बन जाता है। अनेक वैज्ञानिकों ने यह आशंका व्यक्त की है कि मधुरा की रिफाइनरी से निकलने वाले अपशिष्ट पानी से जमुना नदी का पानी तो निश्चित रूप से दूषित

होगा और साथ ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल की सुन्दरता पर भा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी-पूरी सम्भावना है जिससे उसका सौन्दर्य नष्ट हो सकता है।

यह मानना चाहिए कि जितना खतरा बाह्य जगत को है उतना ही खतरा अन्तर जगत या वैचारिक धरातल या मनागत को भी है। अतः मानव मात्र को सजग रहना चाहिए कि प्रदूषण के बाह्य प्रभावों से अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को कैसे बचाया जाये यह विधासपूर्वक कहा जा सकता है कि साक्षरता का स्तर जितना ऊँचा और उसका प्रतिशत जितना अधिक बढ़ा है उतना ही अधिक मानव मूल्य का ह्रास हुआ है। हास इस अर्थ में कि अधिक पढ़ा-लिखा व्यक्ति उतने ही अधिक सुधर हुए तरीकों से तथा धारीकी से धाखा देना सीख गया है झूठ बोलना सीख गया है नैतिक अनैतिक तराके से धन बटारने के तरीके सीख गया है। प्राण लेना देनाइया घटिया खाद्यान्न तथा धनिकों के औद्योगिक संस्थानों पर रोग के भारे जाने वाले छापे पसका प्रमाण हैं। इन कामों के लिये मानव अपना व्यवहार इस तरह बना रहा है कि दूसरों को बुरा न लगे या दूसरों को बुरा लगने पर आत्मसन्तुष्ट होने का बहाना बना कर बच जाये।

वैचारिक प्रदूषण के प्रसार में या स्पष्ट करें तो मानव मूल्यों के हास में हिंसात्मक एवं घृणावर्द्धक चलचित्र तथा श्रेष्ठ दृश्य सामग्री का भी कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा है। एक बार चण्डीगढ़ का एक समाचार पढ़ा था कि उच्च अधिकारियों के बच्चा ने मात्र आनन्द लेने के लिए सिविल लाइन्स में शौचालय के मार्ग में घरा में प्रवेश कर विभिन्न वस्तुओं को नुकसान पहुँचाया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि बच्चों ने ये कार्य सिनेमा देखकर सीखे थे। इन फिल्मों में हिंसा मार धाड़ बलात्कार खून चोरी-डकैती हत्या आदि के कुकृत्य प्रचुरता से दिखाये जाते हैं। इस प्रकार के कुकृत्यों की हिंसात्मक फिल्मों से आज भी यदा कदा तागे वाले या इसी प्रकार के अन्य लोग यात्रियों को या तो एकान्त में ले जाकर चाकू छूरे की नोक पर सूटते हैं या उनके साथ कुकृत्य करते हैं। यह सब घटिया फिल्मों का ही प्रभाव है।

पिछले दिनों जयपुर में विद्यालयों तथा धार्मिक स्थानों के बाहर महिलाओं के अर्द्धनग्न चित्रों को देखकर उनके विरोध में जनसाधारण ने प्रचार किया था। ये विज्ञापन के साधन के रूप में काम में लिये जा रहे थे। इनसे विज्ञापन दाताओं को लाभ हो रहा है या नहीं यह दूसरी बात है। पर इससे सामान्य जनता के मन में पाशविक या कुत्सित प्रवृत्तियों का विकास सहज है। आँखों के सामने एक ही चित्र की बार-बार आवृत्ति होने से देर सबेर प्रभाव तो पड़ता ही है।

यह उपचारहीन काय हा ऐसा नहीं कहा जा सकता। सरकार की कानून व्यवस्था को जरा कठोरता से व्यवहार कर इसका निवारण किया जा सकता है। ऐसा करने से जनता का एक छोटा लाभान्वित होने वाला वर्ग अप्रसन्न हो सकता है पर समाज को बड़ हित के सामने छोटे हित के त्याग के लिए तत्पर रहना चाहिए।

यह वैचारिक प्रदूषण का ही फल है कि आन चारों आर अवाञ्छनीय गतिविधिया ही दृष्टिगोचर हो रही हैं। चिकित्सालयों में रोगियों की समय पर देख-भाल नहीं की जाती है प्राणलेषा घटिया दवाइया बनाई जाती है स्वस्थ रहने के लिये भ्रष्टाचार का ही नाश किया जा रहा है छात्रावासा में भौद लेने की गालिया लेकर छात्र-छात्रायें तनाव से मुक्ति पाते हैं खाद्यान की उपज बढ़ाने के लिए जंगल काट कर खेती की जा रही है। फिर उन्हें भले ही मवेशियों के लिए चरागाह या जंगली हिसक जानवरों के घरने विकरने के लिए जगह न मिले सब्जियों के पौधा पर चिड़िया न बैठे इसके लिए उन पौधों पर जहरीली दवाइया छिड़की जाती है फिर भले ही उन दवाओ से चिड़िया मर जाये बनिया पीसी मिर्च में लकड़ी का बुरादा या हल्दी में ईंट पीसवा कर बचता है उन्हें इन चीजों के खाने वालों के स्वास्थ्य की कोई चिन्ता नहीं है। आय दिन शोध ग्रन्थों में पूख के शोध ग्रन्थों की नकलों के समाचार पढे जाते हैं। शोध छात्रों को एक या अन्य कारणों से परेशान किया जाता है या छात्रावासा का अपहरण किया जाता है। अनुतोर्ण छात्राओं को स्वर्ण पदक दिलवाये जाते हैं। किसी-किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य बरार करवाये जाते हैं। शोध छात्रों से मिठाइया साँडिया फर्नीचर तथा अन्य कीमती उपहार लेना या अपने बच्चा का उनके साथ सिनेमा भेजना क्या विकृत मस्तिष्क के घातक नहीं हैं? किराया तय कर ताग से चलने पर गन्तव्य स्थान पर पहुँच कर तागे वाला लड-झगडकर अधिक पैसे ले लेता है यह सब आखिर क्या हो रहा है। क्या इस वैचारिक या सामाजिक प्रदूषण नहीं कहा जाये? वस्तुतः आज मानव मूल्या की खोज गुलर का फूल सिद्ध हो रही है।

इस प्रकार प्रदूषण भर्तों में तथाकथित पढे-लिखे सम्पन्न टेकेदार विज्ञानवता प्रकाशक राजनयिक उद्योगपति तथा युद्धिजीवी लोग पाये जाते हैं। वे तन मन धन से समर्पित हाकर सश्रद्धा उपासना करत हैं और इच्छा करते हैं कि चंद दिना में ही श्री सम्पन्न हाकर दानवीर, समाज सेवी तथा अति विशिष्ट लाक हितैषी बन जाये। यह बात अलग है कि उनकी सम्पन्नता

आस-पास के सम्पर्क में आने वाले हजारों लोगों को किसी न किसी रूप में रोगी पशु, पागल एवं मृत समान बना देती है। वहाँ के जलवायु में वायु मण्डल में अन्तर आ जाता है प्रकृति विकृत हो जाती है वनस्पति वर्ष-सकर हो जाती है। कई बार पर्यावरण रक्षा की बात की जाती है प्रदूषण रोकने का प्रयास भी सुनते हैं। पर लगता है यह सब दीखावा है और प्रदूषण दैत्य का भाई है जो विश्व में फैल जायेगा।

व्यवहार में देखने पर स्पष्ट होता है कि आज राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक नैतिक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण तथा सर्व शक्तिमान द्वारा प्रदत्त उपहारों में अर्थात् प्राकृतिक दानों में सामञ्जस्य नहीं है। एक तरफ खाद्यान्न वृद्धि के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है चरागाह जोती जा रही है। दूसरी तरफ मवेशियाँ व लिए घास कम हो रही है सिचाई के लिए नदियों का बाध कर जगह-जगह पानी रखा जा रहा है तथा दूसरी ओर स्नाना को पाने का पानी ही उपलब्ध नहीं हो रहा है प्रकृति का अपना सौन्दर्य है। इस प्रकार जीवन में समरसता (हारमनी) समाप्त होती जा रही है। इस प्रकार सौन्दर्यानुभूति का विचार लुप्त होता जा रहा है। वास्तविकता यह है कि आज की सभ्यता या जीवन प्राकृतिक सम्पदा के उपयोग पर ही निर्भर हो गया है। आज प्रकृति का उपयोग न कर उसका शोषण किया जा रहा है। यही कारण है कि प्राकृतिक शक्तियाँ मात्रा में कम होती जा रही हैं- उनकी गम्भीरता भी कम होती जा रही है तथा यह स्वीकार करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि प्राकृतिक शक्तियाँ प्रदूषित हो रही हैं।

एक उदाहरण देखिए-बम्बई का पास समुद्री जल का निरन्तर प्रदूषित होने के कारण मछलियाँ आदि जल के जीवाँ में मोनोमेटियाँ एक विशेष प्रकार का रोग फैल रहा है। बम्बई से आगे पुणे के रास्ते पर एक स्थान निरन्तर प्रयास करके मच्छर समाप्त कर दिये इससे आदमियों का मच्छरों के आतंक से छुटकारा पाना तो समझ में आता है पर इससे छिपकली दुबली-पतली होने लगी तथा डाक्टरों ने पाया कि आदमियों को मच्छरों से प्रतिरोध करने की शक्ति (रेजिस्टेन्स पावर) क्षीण हो गई अब वे छोटी-छोटी बीमारियों से पीड़ित रहने लगे। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति के नियमों के विपरीत नहीं चलना चाहिए। मच्छर-मच्छर की जगह रहेंगे तथा अपना काम करेंगे। आखिर मच्छर भी तो किसी के लिए उपयोगी होंगे ही। कई बार कहा जाता है कि रासायनिक खाद प्रयोग करके गोभी या मटर की अधिक मात्रा में फसल प्राप्त की जाने लगी है। पर यह गोभी या मटर स्वादहीन भी है ऐसी भी

कई बार उपभाक्ता शिकायत करत हैं। लगता है प्रकृति क उपहारा का उपयोग करने का सूत्र गड़बड़ा गया है।

प्रकृति की विपुल सम्पदा के आगे मनुष्य रक क समान है पर स्थिति यह है कि वह मालिक बन कर इसके दाहन में बिना विश्राम किये लगा हुआ है और यह दाहन भा प्रार्थना क साथ विनम्रतापूर्वक न हाकर बलात्कार के रूप में हा रहा है। मनुष्य को प्रकृति का रक बना देने की इस इच्छा के फलस्वरूप उसकी भौतिक सम्पत्ति तो बढ रही है मनुष्य का उस पर अधिकार भी हो रहा है। दूसरे शब्दा म मनुष्य की वैचारिक दरिद्रता या आन्तरिक धरातल दुराग्रह की सीमा छूने लगी है। सम्भवतया मनुष्य को यह ज्ञान नहीं है कि वह प्रकृति के साथ अत्याचार करके स्वय ही दण्डित हो रहा है। मनुष्य एक ओर तो बाह्य पर्यावरण को जिसम जीव-जन्तु, जल वायु, पेड पौधे पृथ्वी नदी तालाब कुएँ, वन पर्वत और आकाश आदि सम्मिलित हैं प्रदूषित कर रहा है अपने चार ओर के ससार को विपाक्त कर रहा है तथा इसके विपरीत दूसरी ओर अपने मनोजगत रूपी आन्तरिक पर्यावरण क पूर्ण सर्वनाश के बीन बीन रहा है। प्रकृति तथा पशु-पक्षी का बिना मनुष्य की सहायता के भी अस्तित्व रहता आया है। पर यदि मनुष्य उनकी सुरक्षा करता है तो ऐसा करके मनुष्य स्वय अपनी सुरक्षा के प्रति आशस्त हो रहा है तथा वह प्रकृति मा पशु-पक्षी पर कृपा नहीं कर रहा है।

आन्तरिक पर्यावरण या मनोजगत या वैचारिक पृष्ठभूमि आज जितनी प्रदूषित हो गई है, सम्भवतया मानव जाति के विकास के इतिहास में ऐसा पूर्व मे कभी नहीं हुआ। मनुष्य-मनुष्य का शत्रु बन गया है आज की जैसी मूल्यहीन सस्कृति पूर्व में शायद कभी नहीं रही आज की जैसी व्यापक सपेदन हीनता का भूतकाल में कभी संकेत नहीं मिलता है। यदि आज का पर्यावरण विपैला है मूल्यहीन है मानव कल्याण से परे है तो सस्कृति भी उससे कैसे बची रह सकती है? वह भा उसस प्रभावित तो हागी हा। आन्तरिक विचारधारा मनाजगत या वैचारिक पृष्ठभूमि हमारे जीवन मूल्यों नैतिक मानदण्ड तथा हमारे मानव धर्म क स्तम्भों पर टिकी हुई है। पर आज की स्थिति म य स्तम्भ चरमरा गये हैं टहने लगे हैं। "जीओ और जीने दो" की जगह ऐसा लगता है कि उसने दूसरों को मार कर, मैदान से हटा कर स्वय अकेले ही जीने का निश्चय कर लिया है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि मानव सभ्यता के विनाश का असली छतरा अन्त जगत मा वैचारिक प्रदूषण है। आज के प्रदूषण के लिए कुछ उत्तरदायी पक्ष हैं- जगला का अनियन्त्रित कटाव कारखानों एव फैक्टरियों के अनुपयोगी कचरा का मुक्त उत्सर्जन मिलावट

राकने में शिथिलता काटनाशकों एव रासायनिक खादा का खेतों में अधाधुध प्रयाग कारखाना-मशीना की अनवरत वृद्धि जलवायु-पृथ्वी आकाश को विपाक करने वाले यातावरण की सृष्टि सभ्यता-संस्कृति के नाम पर कणकटु चीत्कार करने वाले साधन कला तथा विनोद की आड में रचि तथा चतना को विकृत करने वाले शृंगार एव प्रसाधनमुक्त नाच गान के उपक्रम आदि-आदि। प्रदूषण का फल है-समाज में विघटन अमुरक्षा तथा नरक के समान यातना भागना और एक ही शब्द में कहे तो अपराध।

“डॉ विवेकी राय ने कितनी पीडा के साथ सही लिखा है कि वनों को काट कर आकाश को विपेली गैसों से भर कर नदियाँ को सत्यनाशी कचरा से परिपूर्ण कर और उर्वर धरती में रासायनिक खाद व दवाओं का जहर मिला कर क्या मनुष्य अभूतपूर्व क्रूर रिसक आस्थाहीन स्वार्थी अहमकेन्द्रित असामाजिक आर फिर इनके प्रभावों से तनावग्रस्त छण्डित भग्राशय उखडा डायडोल तथा पागल नहीं होता जा रहा है?”

क्या इस मनोजगत को शुद्ध बनाये रखने का कोई तरीका है? क्या इस बढ़ते वैचारिक प्रदूषण को राकने का कोई तरीका है? क्या मनुष्य को प्रकृति की गोद में लोटना होगा? इसका उत्तर हाँ में देना होगा कारण कि अन्य कोई रास्ता नहीं दीख रहा है। विज्ञान मनुष्य के बाह्य पर्यावरण को प्रभावित करता है काबू में करता है। विज्ञान ने ही उसे प्रदूषित करने में पहल की है तो क्या वह उसे शुद्ध करने में पीछे रहेगा? नहीं नहीं उसे शुद्ध भी करेगा पर उसकी पहुँच बाह्य पर्यावरण तक ही है वैचारिक पर्यावरण उसका क्षेत्र नहीं है। मनोजगत को वैचारिक क्षेत्र को शुद्ध करने का कार्य धर्म का है कर्तव्य का है। धर्म सुनकर आप आश्चर्य में कीजिये-यहाँ धर्म का सम्बन्ध शाश्वत कर्तव्यों से है मानव कल्याण कार्य धर्म ही वह तत्व है जो वैचारिक जगत को जीवन देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। धर्म के सार्वभौमिक शाश्वत लक्षण धृति क्षमा दया दान स्नेह शौच इन्द्रियनिग्रह धी विद्या सत्य तथा अक्रोध ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि मनोजगत की वैचारिक पृष्ठभूमि को आन्तरिक पर्यावरण को शुद्ध करने वाली ऊर्जाओं को पुष्ट करने से आदमी बाह्य पर्यावरण को अशुद्ध करने प्रदूषित करने से अपना हाथ पीछे खींच लेगा उसे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तथा पर्यावरण को अशुद्ध करने का प्रदूषित करने का साहस नहीं करेगा।

ऊपर क इस विवेचन से स्पष्ट है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं एक को फलन-फूलने के लिए दूसरे की सहायता चाहिए। वन बने रहने

तो जगली जानवर सुरभित रहेंगे और वर्षा हागी वर्षा होगा तो नदिया भरी रहेंगी नदियाँ भरी रहेंगी ता मगर-कछुआ और मछलियाँ जीवित रहेंगी और मनुष्य को अतिरिक्त भाजन मिलगा और अतिरिक्त पानी से खता में सिचाई हागी सिचाई हाने से खेतों में खाद्याना की मात्रा बढ़गी खाद्यानों की मात्रा बढ़न पर मानव को आवश्यकतानुसार पौष्टिक आहार मिलेगा तथा आहार ही मानव का पहाडो की सैर करने की शक्ति दगा। माटे रूप में जीवित रहने के लिए, फलन-फूलन के लिए-हम सब को एक दूसरे की सहायता चाहिए। पहाड नगी खलिहान खत मैदान पशु पक्षी आदि सभी प्रकृति के उपहार मानव जीवन का अधिक खुशहाल बनात हैं। इसी को कहते हैं अन्तनिर्भरता। इस अन्तनिर्भरता का सूत्र बिगडत ही प्रकृति के विपरीत एक का दूसरे द्वारा अधिक उपयोग-शोषण करने पर तालमल बिगड जाता है और मानव तथा प्रकृति में उत्पन्न विसंगतियाँ उनके लिए प्राण लेना सिद्ध हाती हैं। यही कारण है कि आज मानव का समरसतापूर्ण जावन समाप्त हा गया सा लगता है। इन्हीं आधारों पर मानव को सजगतापूर्वक सही दिशा में प्रयास करने हागें।

प्रदूषण की समस्या के निवारणार्थ युद्ध-स्तर पर सजगतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न हाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सघ के एक प्रतिषेदन के अनुसार राग आरम्भ हाने के पूर्व राग के कारणों का उपचार करना कहीं अधिक अच्छा है ये प्रयत्न कम खर्चोले भी हांगे इससे धन बचेगा तथा मानव स्वास्थ्य की भी रक्षा हा सकगी। इस अध्याय को एक नयादित कवि की रचना से समाप्त करना समीचीन लगता है-

'आआ! मन की पावनता के साथ-साथ तन को भी पुनीत बनाय।
जल वायु, मृदा को स्वच्छ बनाकर जीवन का सच्चा संगीत सुनाये।

□

शिक्षा में नैतिक एवं आचरण मूल्य

पिछले एक अध्याय में भावनीय जीवन में आई अनैतिकताओं के कई उदाहरण गिनाये गये हैं जो भारतवासियों के नैतिक पतन की महाकाण्ड बताते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब बच्चों को आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाने वाला नागरिक शास्त्र का अध्यापक स्वयं ही अपने निवास स्थान की ऊपरी मजिल से बिना अपने पढासिया की सुख मुविधा का ध्यान रखे कचरा कूड़ा करकट नीचे फेंकता है। एक समय था जब भारतवासी घर में ताले नहीं लगाते थे घी दूध की नदिया बहती थी। पर पिछली तान चार शताब्दिया से हमारी नैतिकता का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है। कुछ अशों में इसका एक महत्वपूर्ण कारण हमारी प्रचलित शिक्षा प्रणाली को बताया जा सकता है। पर नैतिक पतन का यही एक मात्र कारण हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। तो फिर

। आखिर इसका कारण क्या है? भारत धर्मप्राण देश रहा है अधिकारा भारतवासियों के जीवन में धर्म एक प्रेरक शक्ति के रूप में विद्यमान है। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि पड़ोसी की दुःख दर्द में सहायता न करो या किसी का बुरा पहुचाओं या किसी का सामान चुराओ। सभी धर्म ईमानगरी और सच्चाई दूसरों का ख्याल रखना बृद्धजनों के प्रति आदर, पशुआ पर दया दीन दु खियों के प्रति सहानुभूति जैसे चरित्र के आधारभूत गुणों पर बल देते हैं। गीता के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण ने धर्म का कैसा स्वाभाविक स्वरूप सामने रखा है? धारयति इति धर्म अर्थात् धर्म वही है जो धारण किया जाता है। पानी का धर्म बहना है सूर्य का धर्म गर्मी देना है। इसप्रकार सभी को अपने अपने नैसर्गिक धर्म की जानकारी मिलती है। भगवान् कृष्ण आगे चलकर कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रयस्कर है पर दूसरों के धर्म को स्वीकार करने की कल्पना भी भयावह है- स्वधर्मं निधन श्रेय परधर्मो भयावह ।

इसी की व्याख्या पूज्य बापू ने और भी अधिक स्पष्ट की है। उनका कहना है कि कुम्हार यदि पढ लिखकर वकील बन जाता है तो उसे कालत का धधा सेवा की भावना से अपनाना चाहिए तथा जीविकोपार्जन के लिए तो उसे कुम्हार के व्यवहार पर ही निर्भर रहना चाहिए। कितना ऊचा त्याग वाला दर्शन है इस व्याख्या में।

मूल्य शब्द से तात्पर्य-

ऊपर क विवचन से यह समीचीन लगता ह कि मूल्य शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाय। मूल्य शब्द अंग्रेजी क वल्यू [Value] शब्द का हिन्दी रूपान्तर है तथा वल्यू [Value] शब्द अंग्रेजी में क्रिया रूप म भी प्रयोग किया जाता रहा है जिससे आशय है महत्व किया जाना विचार किया जाना या वरीयता देना आदि। अंग्रेजी के वल्यू [Value] शब्द का यही अर्थ वतमान मन्दर्भ म समीचान लगता है। इस प्रकार मूल्य शब्द का आशय है उच्च स्थान दना प्रार्थमिकता दना क्रमानुसार महत्वपूर्ण मानना विचार करना आकाक्षा करना वरीयता यताना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहना इच्छा करना आदि। सभी इच्छाए या विचार या वृत्तिया समान नहीं हाती है अत इन विचारों इच्छाओं तथा आकाक्षाओं म महत्व के क्रमानुसार वरीयता निश्चित की जाती है। यही कारण है कि मूल्य शब्द से भिन्न-भिन्न विचारक भिन्न-भिन्न अर्थ लगाते हैं तथा अपने तरीके से परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। मूल्य से आदर्श सम्प्रत्यय वृत्ति धारणाए या विचार है जिनकी मनुष्य इच्छा करता है तथा प्राप्ति के लिए सब प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहता है। मूल्या क सुस्थापित होने में अधिक मानवाय प्रयासों क साथ ही लम्बा समय कीमत के रूप में चुकाना पडा है। इस प्रकार मूल्य जीवन में स्थायी विश्वास या धरोहर है।

मूल्य मार्गदर्शक निर्देशक तत्व है दीप स्तम्भ है। ये ही मानव जीवन के क्रम को निर्धारित करते हैं जीवन का सार बताते है ये कार्य प्रयास तथा वरीयता क्रम का चयन एव निधारण करते है ये मानव के विचार, उनकी आकाक्षा या अभिवृत्ति तय करत हैं मूल्य ही जीवन को अधपूर्ण तथा गुणवत्ता प्रदान करते हैं।

नैतिक शिक्षा

इसी दर्शन पर आधारित नैतिक शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा को विस्तृत एव सही अर्थों में धम से पृथक नहीं किया जा सकता दोनों पर पृथक-पृथक रूप से विचार नहीं किया जा सकता ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की सफदी को दूध से पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसी शिक्षा जो केवल सातात्कालिक उद्देश्यों की ही पूति करती हा उस समग्र शिक्षा व्यवस्था नहीं कहीं जा सकती। शिक्षा का शाश्वत मूल्यों-सत्य शिव सुन्दरम् के विकास का आग्रह करना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष एव विख्यात शिक्षा शास्त्री डॉ डी एम कोठारी का यह कथन कितना सत्य है कि 'हम नैतिकता

विहीन शिक्षा की कल्पना भा नहीं कर सकत। 'इसी भाति विख्यात शिक्षा शास्त्री स्वर्गीय प्रो पी एस नायडू ने कहा था कि ' ईश्वर विहीन शिक्षा एसी बुराई है जिम पर विचार भी नहीं करना चाहिए

एक भयकर मूल

यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि नैतिक शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं किया गया है। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने नैतिक शिक्षा के लिए समय समय सस्तुतिया की है पर उन पर सही क्रियान्वयन की दृष्टि से कोई प्रयत्न नहीं दिया गया। कई बार यह भा डर था कि नैतिक शिक्षा को विद्यालय के अन्य पाठ्य विषयों की तरह यदि एक विषय बना दिया गया तो इसका अध्यापन भी यात्रिक मनउवाऊ एव नीरस बन जायगा विद्यार्थियों को सूचना मात्र दी जायेगी। अन्य विषयों क समान ही विद्यार्थी नैतिक शिक्षा के सिद्धान्त एव विषयवस्तु को रट कर उत्तीर्ण हो जायग और यहा तक कि प्रथम श्रेणी म भी। रात्रि मे दर तक याद करके परीक्षा म उगल देना तो नैतिक शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य नहीं है। नैतिक शिक्षा की परीक्षा म प्रथम श्रेणी क अंक प्राप्त कर या सम्मान सहित परीक्षा पास कर परीक्षा भवन से लौटते समय परीक्षा देकर लौटती हुई सहपाठी छात्रा का दुपट्टा खींच लेना या साइकिल स्टैण्ड पर खड़ी साइकिल की हवा निकाल देना या सार्वजनिक खुलें नल मे पानी बहने देना तो नैतिक शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। यह तो नैतिक शिक्षा का उपहास है मखोल है।

कथनी और करनी

यह याद रखा जाना महत्वपूर्ण है कि नैतिक शिक्षा कक्षा के कमरे म ही नहीं दी जा सकती उसका अध्यापन गिनती के कालाशो या घटो म नहीं कराया जा सकता। यदि ऐसा क्रिया गया तो नैतिक शिक्षा न होकर सूचना मात्र रह जायेगी। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि विद्यालय के हर कार्यक्रम से विद्यालय हा हर गतिविधि से विद्यालय के कण-कण स बालको को नैतिक शिक्षा मिले स्कूल के जीवन एव वातावरण म नैतिक शिक्षा प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। विद्यालय का कोना काना नैतिक वातावरण प्रस्तुत करे यही प्रयत्न होना चाहिए।

नैतिक शिक्षा प्रदान करने का काय किसी एक उच्च शिक्षक का ही उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए बल्कि इस कार्य की जिम्मेदारी सभी शिक्षकों को समान रूप स अपने कधो पर लेनी चाहिए। शिक्षका का यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अपना विशिष्ट विषय पढाते हुए और छात्रा के सम्पर्क

म आत समय सहज रूप म विना अतिरिक्त प्रयत्न या तैयारी क ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी जैस आधारभूत गुणा का विकास करण। नैतिक मूल्या की प्रतिष्ठा हेतु साहसी क्रियाओं क महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि इन मूल्या का चरित्र का अभिन्न अंग बनाना अभाष्ट हो तो नैतिक जीवन को सब और से सवारन का प्रयत्न करना चाहिए।

कथनी तथा करनी के अन्तर को एक अन्य रूप म देखिए। लोगों मे सही बात का कहन का साहस ही नहीं रह गया है व उत्तरदायित्व स बचते है। इसी आधार पर एक दूसरे पर विश्वास समाप्त हाता जा रहा है। इस सन्दर्भ म भारतीय तथा पारवात्य मूल्या म कितना भारी अन्तर है। उदाहरण स यह बात अधिक स्पष्ट हा जायेगी। मान लीजिये- काई विद्यार्थी बिना टिकिट रेल म यात्रा करते पकडा गया तथा परिचय पत्र के आधार पर उसके प्रधानाध्यापक को उपयुक्त जानकारी दी गई या अन्य काई विद्यार्थी परीक्षा भवन म नकल करते पकडा गया। अब प्रश्न यह है कि कितने सस्था प्रधान उनके विद्यार्थियों के इन कार्यों का उनके चरित्र प्रमाणपत्र में उल्लेख करने का साहस जुटा पायग या उनके इन आपत्तिजनक कार्यों के आधार पर उन्हें जिम्मेदारी क कार्य न सौंपन का चरित्र प्रमाण-पत्र में उल्लेख कर सकेंगे।

भारत में मूल्या का बडा हास हुआ है। अब यह भी मान लीजिए कि शायद कोई प्रधानाध्यापक साहस करके अपने विद्यार्थियों की इन नाजायज हरकतों का उनके चरित्र प्रमाण-पत्र में उल्लेख कर दे। यदि किसी ने साहस करके विद्यार्थी की नाराजगी मोल लेकर उल्लेख कर भी दिया तो नौकरी या धधा प्राप्त करने के समय वह उस प्रमाण-पत्र को बताये ही नहीं यह वह भी कह सकता है कि प्रधानाध्यापक ने प्रमाण-पत्र दिया ही नहीं। यहा प्रश्न प्रमाण-पत्र दिखाने या न दिखाने का नहीं है। ध्यान देने की बात तो यह है कि नियोक्ता भी मैट्रिक या हायर सैकण्डरी स्कूल या स्नातक के प्रमाण-पत्र या उपाधि पत्र पर ही आग्रह करेंग श्रेणी-अका का प्रतिशत या विषय आदि पर ही। नियोक्ता इस पर कोई ध्यान नहीं देग कि उस विद्यार्थी का प्रधानाध्यापक उसके लिए क्या राय रखता है? जबकि पाश्चात्य देशों में इसक विपरीत स्थिति है। यहा व प्रधानाध्यापक की राय जानना चाहते हैं आवश्यक शैक्षिक योग्यता तो वे धारण करते ही होंगे तभी आवदन किया ह। पर यहा महत्वपूर्ण यह है कि व उसके प्रधानाध्यापक की राय जाने पर भारत म ऐसा नहीं है। प्रत्याशी भी अपन प्रधानाध्यापक के प्रतिकूल सूचना वाले प्रमाण-पत्र को बताना जरूरी नहीं समझते वे भी बाह्य परीक्षा का बोर्ड या विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र ही बताना पसंद करते हैं। इससे दाना प्रधानाध्यापक के

विश्वास की स्थिति स्पष्ट होती है।

इसी तरह का एक और उदाहरण देखिए। भारत में एक अधीनस्थ कर्मचारी सर्विस छोड़कर चला जाता है तो वह अपने नियोजक से अपने कार्य व्यवहार के बारे में एक प्रमाण पत्र लेता है तथा अगले नियोजक को बताकर अपना पक्ष सबल करता है। पाश्चात्य देशों में स्थिति उल्टी है। वहाँ नियोजक को अपने अधीनस्थ कर्मचारी से अपने अच्छे व्यवहार का प्रमाण-पत्र लेना होता है। अमरीका से लौटते एक अधिकारी ने बताया कि उनको अपने कुक से उसके साथ मधुर व्यवहार करने एवं भेदभाव न बरतने का प्रमाण-पत्र लेना पड़ा। इस प्रमाण-पत्र को उन्हें अपने नये कुक का बताना भी पड़ा। आप अपने अधीनस्थ कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे खाने-पीने में भेदभाव नहीं बरतेंगे इस बात का विश्वास आपको अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले कुक या अन्य कर्मचारी को देना होगा तभी वह आपका कार्य करना स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि पाश्चात्य देशों में मूल्यां के विकास तथा उनके स्थापित होने में कितना अन्तर है ?

नैतिक शिक्षा के साधन

नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ या तकनीकें काम में लाई जा सकती हैं

सदैव विद्यालय का कार्यक्रम आरम्भ होने के पूर्व शान्त एवं सुरभित वातावरण में प्रार्थना-ईश बन्दना करावय। विभिन्न धर्मों पर आधारित प्रतिदिन प्रार्थना का कार्यक्रम आयोजित हो। इससे बालकों को विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रार्थना के बाद एक-दो मिनट का मौन रखिए- बच्चों से आग्रह कीजिये कि वे इस समय अपने अपने ईश्वर का एकाग्रचित होकर ध्यान करें स्मरण करें तथा प्रयत्न करें कि वे सर्वोच्च सत्ता एवं प्रकृति में लीन हो जायें एकाकार हो जायें और इस दुनिया के रोज के धर्मों से अपने को दूर ले जाकर परमात्मा के अस्तित्व से तादात्म्य स्थापित करें। प्रार्थना के साथ ही नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित कोई वार्ता या महान धार्मिक ग्रन्थ पर आधारित सारभूत उपदेशों पर वार्ता बच्चों को सुनाय वार्ता में छिपा मन्तव्य गम्भीर हो पर बच्चों को स्वीकार्य रूप में हो अर्थात् भाषा एवं विधा सरल हो कहानी या वार्तालाप के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत की जायें।

कहानी का बच्चों पर अनोखा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। 'सदा सच बोलो। कहने का बच्चों पर यह प्रभाव नहीं पड़ेगा जो प्रभाव सत्यवादी हरिश्चन्द्र की कहानी सुनने या नाटक देखने से पड़ता है। इस प्रकार नैतिक मूल्यां और जीवन की समस्या पर चर्चा करते समय विश्व के बड़े-बड़े धर्मों

से ली गई कहानियों की चर्चा करना अत्यन्त सार्थक एवं उपयुक्त होगा। इन पाठार्थों के लिए सस्था प्रधान का या वयोवृद्ध शिक्षक या सही अर्थों में समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जाये। राष्ट्रगान का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थी सिर्फ राष्ट्रगान लय के साथ गाने से ही परिचित न हो वरन् वे राष्ट्रगान में निहित अर्थ एवं सही भावना से भी परिचित हो।

विनम्र प्रयास

जब भी विद्यार्थी पानी पीने के लिए जलगृह जाये या स्कूल बस में बैठने का प्रयत्न करे तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि पक्ति बनाकर जाय या बस में बैठे। कहीं ऐसा न हो कि स्वस्थ छात्र कमजोर या दुबले पतले छात्र का धक्का देकर पीछे धकेल दें। इससे उनमें - 'प्रथम आओ स्थान पाओ' सुन्दर नियम के पालन की भावना का विकास होगा। वे अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करना सीखेंगे। इससे वे डाकघर से पोस्टेज आदि खरीदने का कार्य भी पक्किबद होकर करने के अभ्यासी बनेंगे।

विद्यार्थी जब भी कोई वाद-विवाद प्रतियोगिता हो या नाट्य अभिनय हो या वन भ्रमण के लिये विद्यालय की चार दीवारी से बाहर गये हों तो उन्हें धैर्य रखने को कहा जाए। उन्हें समझाया जाय कि कोई सवाद पसद न आने पर भी धैर्य से बैठिये। आपको विरोध करने का मौलिक अधिकार है पर आपके ही साथी को भी अभिनय प्रस्तुत करने का आपकी तरह ही समान रूप से अधिकार प्राप्त है। यदि आप अपने साथी के अभिनय की प्रशंसा करके उसका साहस नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम शांति से बैठिये इतनी सहिष्णुता सहन-शीलता तो आपन आनी ही चाहिये। विद्यार्थियों को यह बताया जाना चाहिए कि जो पाठार्थ या वस्तु उन्हें दुःखदायी है या पसद नहीं है या रचिकर नहीं है जरूरी नहीं कि वह दूसरों के लिए भी वैसी ही हो या दुःखदायी हो। संक्षेप में शालीनतापूर्ण व्यवहार सीखना ही नैतिक शिक्षा की प्रथम सीढ़ी है।

“नैतिक शिक्षा दी नहीं जाती यह तो पकड़ी जाती है।” सिद्धान्त के अनुसार स्वयं सभी सदैव अपने दैनिक व्यवहार में आदर्श एवं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। सभी अध्यापकों का व्यवहार निष्कपट सरल एवं निश्छल हो। कृत्रिमता पूर्ण न हो अनुकरणीय हो। विद्यार्थियों को कहने की जरूरत नहीं होती कि यह कार्य करो या वह कार्य मत करो। विद्यार्थी तो अपने अध्यापकों का अनुकरण करते हैं अतः अध्यापकों को स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये। नैतिक शिक्षा तो हृदय को शुद्ध करती है अतः शिक्षा तो पाशविक सवेंगो पर नियन्त्रण करना सिखाती है और अनुशासित जीवन क्रम का विकास

करती हैं। उन्हें सदैव सजग रहना चाहिये कि वे ऐसा कोई कार्य या व्यवहार न करें जो बच्चों के लिये अनुपयुक्त हो। ऐसा हाने पर शिक्षका के मना करने पर भी बालक उस करना सीख लेगा।

जीवनिया द्वारा नैतिक शिक्षा

महापुराणों की जयन्तियों को सांस्कृतिक पर्वों राष्ट्रीय उत्सवों या त्यौहारों को प्रभावी ढंग से बिना किसी प्रकार का भेदभाव किये विद्यालय में मनाया जाये सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का प्रेरित किया जाये। महापुराणों की जीवनिया के महत्वपूर्ण अंश प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किये जाये। इन जीवनियों में महात्मा बुद्ध महावीर कन्फ्यूशियस सुकरात ईसामसीह रामानुज माधव मीरा तुलसी सूर मोहम्मद कबीर जोरोस्टर नानक गांधी विनोबा आदि के नाम सम्मिलित किये जा सकते हैं। इसी भाँति गीता रामायण वेद पुराण कुरान ग्रंथ-साहब बाइबिल धम्मपद ओल्ड या न्यू टेस्टामेण्ट के अंशों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मूल बात यह है कि सभी धर्मों की अच्छाइयाँ प्रस्तुत की जाये तथा सभी धर्मों की मौलिक एकता पर आग्रह किया जाये। एक उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जायेगी।

एक बार स्वामी विवेकानन्द प्रवचन कर रहे थे उनकी तेजस्विता विद्वत्ता भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर एक अधेड़ महिला ने उनसे वचन चाहा कि वे उसका कहना मानेंगे। विवेकानन्द उसका मन्तव्य जानने का आग्रह करते रहे। अंत में महिला ने विवश होकर कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ऐसा सुनना था कि विवेकानन्द भौचक रहे गये। तत्काल ही स्थिर पर गम्भीर हात हुए बाले- 'मैं तो दुनिया से निर्लिंग साधु हूँ। मेरे साथ विवाह करने से आपको क्या मिलेगा?

उस महिला ने बिना एक क्षण खोये तत्काल उत्तर दिया- मैं आप जैसा ही एक तेजस्वी पुत्रल चाहती हूँ।

ऐसा सुनना था कि विवेकानन्द ने तत्क्षण ही कहा- ठीक है। आप मुझे ही और अभी से अपना बेटा मानिये। मुझे आदेश दीजिये कि मैं क्या करूँ?

व्यावहारिक नैतिकता का कैसा अनुपम उदाहरण है। बिरले ही ऐसे उदाहरण व्यवहार में दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। क्या इस उदाहरण से हमारे बच्चे के मस्तिष्क गौरव से ऊपर नहीं उठेंगे? इसी भाँति 25 दिसम्बर या जन्माष्टमी मनाने में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। ईदुलफ़ितर मनाते समय भी सभी विद्यार्थियों को समान रूप से अवसर दिया जाना चाहिये।

प्रस्तुत किये जान वाले कार्यक्रमों में सभी को भाग लेने का प्रेरित करना चाहिए। यदि शिक्षण समस्याओं से आध्यात्मिक या नैतिक शिक्षा पृथक् कर दें तो यह शिक्षा व्यवस्था भारतीयता रहित हो जायेगी। इसमें सन्देह की वहाँ कोई तनिक भी गुणाइरा नहीं है।

देश भक्ति की प्रेरणा -

अन्तर्राष्ट्रीय धर्मों के नैतिक मूल्या पर अधिकारा-विद्वानों का भाषण करवाना चाहिये। वे धर्मों की महान बातों का कहानियाँ के माध्यम से विद्यार्थियों के सम्मुख रख सकते हैं। उच्च स्तर पर धर्म का सावभौमिक रूप तथा उच्चतर स्तर पर धर्म के दर्शन का अध्ययन कराया जा सकता है। जिन नैतिक मूल्या की शिक्षा देने का प्रयत्न किया जाता है वे बड़े-बड़े धर्मों के उपदेशों में निहित हैं। विद्वानों का ध्यान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि विद्वानों की कथनों तथा करनी में न्यूनतम-अन्तर है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विद्यार्थी उनको पाठ्यपुस्तक समझेंगे क्योंकि विद्वानों धर्माचार्यजी जो यह कह रहे हैं वे स्वयं वैसा नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी तो अयोध एव कोमल भक्ति वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में कथनों एव करनी में अन्तर रखने वाले विद्वानों का भाषण विद्यार्थियों को लाभ की जगह हानि पहुँचा सकते हैं। यह बड़ा नाजुक तथ्य है जिसे दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीयता से ओतप्रोत देश भक्ति की बातें छात्रों के सम्मुख रखी जाये। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि यह अन्तर्राष्ट्रीयता अधदेशभक्ति मात्र बन कर न रह जाये। इसके लिए इतिहास का विभिन्न पात्रों को चुना जा सकता है विश्व इतिहास की मदद ली जा सकती है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुरक्षित कविताओं का लय के साथ पाठ कराया जा सकता है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सत-महात्माओं समाज सुधारकों धर्म के उपायकों के उपदेशों को सम्मिलित किया जाना चाहिये। इससे बच्चों में अपनत्व की भावना का विकास होगा सार्वजनिक सम्पत्ति का प्रति लगाव-प्रेम पैदा होगा। कितना आश्चर्य है कि आज देश प्रेम की किसी भी स्तर पर शिक्षा नहीं दी जाती?

देश भक्ति ही आगे चलकर विशुद्ध अन्तर्राष्ट्रीयता में बदली जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव अविश्वास घृणा एव शीतयुद्ध की समाप्ति के लिए इसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है? इस पर ठण्डे दिमाग से विस्तृत अर्थों में गहरा समग्र मानवता के कल्याण की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये। आशय यह है कि बालकों में देश भक्ति श्रद्धा साहस अनुशासन मानवता के लिए प्रेम त्याग विश्व नागरिकता तथा सहिष्णुता जैसे गुणों का विकास किया जाए।

उद्देश्य यह हो कि विद्यार्थियों में दश क लिए हर सम्भव त्याग करने की भावना का तीव्रतम विकास हो जो आज की राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से प्रथम आवश्यकता है।

शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिये कि दश की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं अभिवृत्तियों की प्रकृति प्रकृत सीमाओं तक विकास में योग दें। अवकाश के समय में अन्तर्राज्यीय कार्य गोष्ठियां आयोजित की जाये जहां राष्ट्रीय महत्व की रचनात्मक प्रायोजनाओं पर बिना किसी रंग वर्ण लिंग, जन्म स्थान जाति एवं धर्म के आधार पर भेद किये सभी विद्यार्थियों को विचार विमर्श के लिय अवसर मिले। देश में वृहद छात्रावास संचालित किये जाये तथा उनमें मेधावी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाये। वे एक दूसरे के सम्पर्क में आयगे उनके दृष्टिकोण का समझेंगे उनके दुःख दर्द के समय मदद करेगा एक दूसरे के लिये त्याग करना सीखेंगे जो समरसतापूर्ण जीवन जीने के लिए आधार का कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को ऐसी स्थितियां प्रस्तुत करनी चाहिये कि वे मानसिक शान्ति के साथ समृद्ध जीवन प्राप्ति के उद्देश्यों के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकें।

गैर विद्यार्थी नवयुवकों के लिये उपयुक्त मनोविनाद की सुविधाएं जुटाई जाये। शिक्षण संस्थाओं से निकले ऐसे विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में एक दिवस स्थानीय महाविद्यालयों में अध्ययन की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।

नैतिक मूल्यों के विकास का भी संकेत तो नई शिक्षा नीति के दस्तावेज में किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने 84 मूल्यों की एक तालिका भी तैयार की है। राज्यों ने इसका अपनी आवश्यकतानुसार अनुवाद भी किया है। मोटे रूप से इन मूल्यों में प्रजातान्त्रिक मूल्य व्यक्तित्व का आदर, सहिष्णुता धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीयता सहयोग सहानुभूति सामाजिक न्याय सबन्धी मूल्यों को जोड़ा गया है।

भारतीय पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण मूल्य बताया जा सकता है और वह है बड़ों या वृद्धों का आदर। वृद्धों को सम्मान केवल दिल्ली की बसों में ही देखने को मिलता है अन्यत्र तो उसके दर्शन कठिनाई से ही होते हैं। बसों में भी यह अक्रिय है। भारतीय नागरिक अपनी विधवा बहिन या विधवा बुआ या भाभी या माता का पालन पौषण करना अपना परम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य मानते हैं केवल इतना ही नहीं बल्कि वे ऐसा करके प्रसन्नता- गर्व अनुभव करते हैं। यहाँ पाश्चात्य संस्कृति की एक घटना का वर्णन करने का लोभ सवरण नहीं किया जा सकता। आज से 20-22

वर्ष पूर्व भी अमरीका में उग्रशुदा लोग वृद्धजन आश्रम में रहा करते थे। एक पिता को उनका एक पुत्र रविवार को घटी लगकर आश्रम से युलाता है तथा प्रार्थना के लिए अपनी गाड़ी से गिरजाघर ले जाता है। प्रार्थना पूरी होने पर उन्हें पुनः वृद्धजन आश्रम में छोड़ देता है। रास्त में कोई बात न कोई कुशल क्षेम पूछना न पिता के पडोसियों के कोई समाचार पूछना किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं यह है पाश्चात्य देशों में वृद्धों के सम्मान हेतु मूल्य। इस शिक्षा नीति में वृद्धों के प्रति बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान के लिये स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है।

भारतीय संस्कृति के अनुसार साधु-सन्तों महात्माओं त्यागी पुरुषों तथा उपदेशकों को सम्मान दिया जाता है। कहा है वह भावना [मनोवृत्ति] आज? जब महात्मा लोग बाजार से निकलते थे तो श्रद्धा के साथ सभी लोग खड़े हो जाते थे राजा लोग अपना सिंहासन छोड़कर दूर खड़े होकर उन्हें सम्मान देते थे। आज न तो साधु सन्त दिखते हैं तथा न ही सम्मान करने वाले नागरिक।

भारत में प्राचीन समय से ही पुरुषों का बड़ा महत्व रहा है। उस समय की अर्थ व्यवस्था में कृषि ही मुख्य व्यवसाय था कृषि में बलिष्ठ पुरुषों की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती थी वे शिकार भी करते थे। स्पष्ट है कि इस कार्य के लिये पुत्र ही अधिक उपयुक्त होते थे पुत्रियाँ उनकी तुलना में कमजोर मानी जाती हैं पुत्र का समाज में महत्व आज भी है पर महत्व का आधार बदल गया है तथा पुत्रियों को हीन या तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाने लगा जिसका कोई औचित्य नहीं है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि प्राचीन भारत में ग्राम आत्मनिर्भर इकाई होते थे हो सकता है यह स्थिति आज से 200 वर्ष पूर्व भी रही हो। किसान खाद्यान्न तथा दालें पैदा करता था सुधार उनके खेती के औजार बना देता था मरम्मत कर देता था चमार जूते बना देता था दर्जी कपड़े सी देता था, सुनार जेवर बना देता था धोबी कपड़े धो देता था लोहार आवश्यकता के समय उनके औजारों को ठीक कर देता था या नये बना देता था। संक्षेप में गाँव के निवासियों की हर आवश्यकता वहीं पूरी हो जाती थी आवश्यकताएँ भी सीमित थीं। आज इस प्रकार के आत्मनिर्भर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज आवश्यकताएँ अनगिनत हो गई हैं। अर्थशास्त्र के एक सिद्धान्त के अनुसार तो विकास के लिए आवश्यकताओं में वृद्धि आवश्यक है। पर ये अनन्त तथा असंख्य आवश्यकताएँ मनुष्य को कहा ले जायेगी? क्या इस दृष्टि से कुछ भी सोचे जाने की आवश्यकता नहीं है?

प्राचिन भारत में गावों में किमी घटी की शादी हा जाने पर पूरा गाव उसकी सुरक्षा को अपना जिम्मेदारी मानता था उसको पूरे गाव की घेटी माना जाता था। उसक प्रत्येक सुख दु ख म व समान भागीदार हाते थे ऐस समय व जाति वर्ण धर्म आदि पर काइ विचार नहीं करते थे। इतिहास एस उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कभी किसी घेटी पर आपत्ति क समय पडौसी या गाव क अन्य नागरिक जान की बाजी लगा दते थे कहा है यह विचारधारा- कहा है ऐसी मनोवृत्ति? आरचर्य तब हाता है जब गाव तो दूर पडोस क लाग ही दरिन्दे बन जाते हैं।

सामाजिक सगुथन

जब भी कोई व्यक्ति गाव से निकलता तथा सध्या या रात का समय होता तो ग्रामीण उसे वहीं ठहर जाने का आग्रह करते थे। उन्ह कष्ट न होने तथा हैसियत क अनुसार भोजन प्रस्तुत करने का भी नियदन करते थे। आज स्थिति यह है कि आप कभी किसी से किसी जगह जाने के लिए रास्ता पूछे तो आप तो वहीं छडे रह जायेगे तथा उत्तर देने वाला बिना उत्तर दिये 10-12 कदम आग बढ चुका होगा। वास्तविकता यह है कि आज जीवन बडा ध्यस्त हो गया है तथा आदमी अपने आप मे कन्द्रित होता जा रहा है उसे दूसरा से काइ मतलब ही नहीं है। आप किसी क यहा रात्रि बिताने की यात करे तो आपको धमशाला या विश्रामगृह का रास्ता बतायग। इसके दूसरी ओर पुरातन समाज के सुगथन का एक उदाहरण देखिए। चालीस पचास वर्ष पूर्व तक समाज में जब कभी मृत्यु या शादी-विवाह का अवसर आता तो आटा दाल बेसण की पडौसी या मुहल्ले के सभी बडे-बूडे लोग मिल-बैठकर व्यवस्था कर लेते। सन्ध्या में सभी वस्तुएं बाट लेते तथा प्रात पीसकर वापस ठीक स्थान पर पहुचा देते। चूकि उस वक्त आटा पीसने की चक्री हर गाव में नहीं पहुची थी । सब काम हा गया और किसी को कोई शिकायत नहीं। इसी भाति गावों में शादी के समय पडौसी कपडे सिल देते- यह कार्य किसी एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे गाव का माना जाता। कितना जुडाव कितनी निकटता थी उन दिनों गावों में?

जीवन मे सहयोग का स्थान

सहयाग-सहकार सामूहिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। इसका जीता-जागता उदाहरण यों बताया जा सकता है- जब किसी परिवार मे कोई मृत्यु हो जाती तथा परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती ता सम्बन्धी-रिश्तदार एव आसपास के मिलने वाले सभी लाग केवल शोक बताने ही नहीं आते वरन् अपने साथ आटा दाल घी बेसण गुड तथा दलिया भी

आवश्यकतानुसार लकर आते दु ख म हाथ घटाते। सामूहिक भोजन तैयार होता तथा मिल-बैठकर प्रसाद पाते। आगन्तुक विखरने के पूर्व मुखिया से आग्रह करते कि दु ख भूलिए, ईश्वर को एसा हा मभूर था तथा अपने दैनिक कार्य को जीविका को सम्भालिये। ऐसी परम्पराए आज भी देश के विभिन्न भागों या पयतो के चरणों में बसे आदिवासिया म पाई जाती हैं। जिन्द हम जगली अनपढ तथा पिछड लोगा की सज्ञाआ से पुकारत हैं। पर क्या ये लोग मानवता की कसौटी पर हम पढ-लिख या साभर [शिक्षित नहीं] सभ्य करलाने वाले लोगों से ज्वाग अच्छ नहीं ह? निश्चय ही य सही अर्थों म शिक्षित हैं इन ग्रामीणा के जावन म कोई बनावटापन नहीं छल या कृत्रिमता नहीं न झूठ का सहारा एक समान व्यवहार। क्या उन लोगों का सहयागा जीवन हम तथाकथित सभ्य तथा शिक्षित लोगा की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च एव अनुकरणीय श्रेणी का नहीं है।

वैयक्तिक विचारधारा का विकास

हमारे पडोस म कौन रहता है? आन हम यह मालूम नहीं है। कोई किसी के दु ख दर्द म काम नहीं आता उसे अपने कार्यों से ही फुर्सत नहीं है। एक समय था जब पडोस म कोई शादी है या मांगलिक उत्सव है तथा किसी के यहा कोई मृत्यु हो गई ह तो एक निश्चित अवधि तक गाना बजाना नहीं होता था। यदि पथवारी पूज कर आ रहे हैं तो एक निश्चित सीमा तक आनन्द या विनाद का कार्य नहीं हाता अर्थात ढोल नगारे या ब्रेण्ड नहीं बजायेगें। कितनी निकटता थी उस वक्त कितना लगाव था लोगों म और आज उन्ह बात करने की भी फुर्सत नहीं है।

पडोसी के साथ कैसा व्यवहार करना है? रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना है? यह मोटे रूप स यही सामाजिक धर्म माना जाता था। यह सामाजिक दायित्व ही मानव धर्म था। आज स्थिति यह है कि मानव धर्म का निर्वाह तो दूर आतक फैलाया जाता है अपहरण किया जाता है विमान रोक् जाते हैं बस लूटी जाती हैं घटिया जानलेवा दवाइया बनाई जाती हैं। स्पष्ट है कि मानव धर्म या सामाजिक धर्म आकाश कुसुम जैसा हो गया है।

भारत म मानव ने प्रकृति को सदैव ही सहचरी माना है उस अपने अधीनस्थ कभी नहीं माना। पर आज मानव विज्ञान के विभिन्न साधनों स प्रकृति पर विजय पा लेना चाहता है। क्या यह भारतीय सस्कृति के प्रतिकूल नहीं है? आज यदि कोई आदमी पडो की रक्षा करता है पौधों को पानी दता है काटता नहीं है तो आदमी ऐसा करके पेडो पर कृपा नहीं कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा करके आदमी प्रकृति क साथ अपने ही

सहअस्तित्व की सुरक्षा कर रहा है यह अपने जीवन की सुरक्षा कर रहा है। मनुष्य को यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मनुष्य की बिना महायता क भी पेड़-पौधे पशु पक्षी प्रकृति जीवित रह सकते हैं पर यदि मानव इनकी सुरक्षा करता है तो ऐसा करके वह अपनी स्वयं की सुरक्षा की गारंटी कर रहा है अपने सुख सुविधायुक्त जीवन की व्यवस्था कर रहा है।
ब्रह्माण्ड पर भी हस्तक्षेप

आज मनुष्य ब्रह्माण्ड तक पहुँच गया है वह वहाँ भी छेड़खानी कर रहा है या शाश्वत नियमों में दखल दे रहा है। कई सार्वभौमिक या सर्वव्यापी नियम व्यवस्थाय मनुष्य को अपने सकुचित स्वार्थ के कारण रास नहीं आ रही है या मनुष्य उन्हें उपयुक्त नहीं पा रहा है वह उनमें परिवर्तन चाहता है। उनमें परिवर्तन होगा या नहीं इसके लिए तो निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता पर वह अपने प्रयत्नों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वह हर सम्भव प्रयत्न कर ब्रह्माण्ड को भी अपने वश में करना चाहता है।

यह स्मरण रखना चाहिए कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य में कोई अन्तर स्पष्ट नहीं होगा पर नैतिक शिक्षा अध्यापन की व्यवस्था के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण अन्तर दिखाना ही इसकी सफलता है। कक्षाध्यापन के समय यदि इन कतिपय सुझावों पर ध्यान दिया गया तो नैतिक शिक्षा के फलितार्थ स्पष्ट दृष्टिगोचर होंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन अधिकारियों को चाहिए कि क्रियान्विति के समय भारतीय सांस्कृतिक मूल्य उनकी आँखों से ओझल न हो जाय। तभी बालक का सही मानव के रूप में विकास हो सकेगा। इस प्रकार यदि देश के भावी नागरिकों को सही रूप में नैतिक शिक्षा दी गई तो देश में प्रसन्नता उज्वल भविष्य चरित्र व्यवहार सम्पन्नता विश्वबन्धुत्व की भावना श्री वृद्धि एवं एकता अग्रसर होगी।

□

मूल्या का मापन और मूल्यांकन

बालकों में मूल्य या वृत्ति विकास की मात्रा पर परेन्सिल से परीक्षा नहीं ला जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो यह कयल सूचना प्राप्ति की परीक्षा होगी। अतः परीक्षा की अन्य विधियों यथा-अनुसूची आत्मकथा समाजमिति घटनावृत्त मान निर्धारण सामाजिक दूरी मापन तथा क्रियात्मक परीक्षा आदि का भी सहारा लेना होगा। अध्यापक के निर्णय उनकी सम्मति उनका वस्तुनिष्ठ एवं पक्षपात रहित अवलोकन भी महत्पूर्ण है तभी मूल्यांकन को अधिक विश्वास के साथ स्वीकारा जा सकता है। मूल्य विकास के क्षेत्र में विद्यार्थियों की नियोग्यता का पता लगा कर उन पर व्यक्तिगत रूप से से अधिक ध्यान दिया जा सकता है। अस्तु, हम स्पष्टतः जान सकेंगे कि किसी एक विशिष्ट मूल्य के मूल्यांकन में एक या एक से अधिक तकनीक या विधियों को काम में लिया जा सकता है। इसी भाँति एक तकनीक या साधन एक से अधिक मूल्यांकन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है।

मूल्यांकन के उद्देश्य

मूल्यांकन किसी भी क्षेत्र में किया जाये उसके कुछ स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। अध्यापक कुछ उद्देश्य निश्चित करके मूल्य शिक्षण करता है। मूल्यांकन के द्वारा वह यह जानने का प्रयास करता है कि अपनी उद्देश्य-प्राप्ति में उसे किस सीमा तक सफलता मिली है। यह भी कि उसे अपने शिक्षण के मूल्यांकन-कार्यक्रम में कहाँ सशोधन करना वाञ्छनीय है? छात्र की कहाँ एवं किस स्थल पर विवशता रही है? इसकी कठिनाई क्या है? अस्तु, अध्यापक अपने विद्यार्थियों के सबंध में अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर उनका उपयुक्त मार्गदर्शन कर सकता है एवं स्वयं द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में सशोधन एवं परिवर्तन ला सकता है।

इस अनुच्छेद को पढ़कर आप

- मूल्यांकन के मूल्यांकन की विधियों प्रविधियों तथा साधनों को जान सकेंगे।
- किसी विशिष्ट मूल्य के मूल्यांकन हेतु अधिक सक्षम बन सकेंगे।
- विभिन्न मूल्यांकन के मूल्यांकन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि साधन या तकनीक

का चयन कर सकगे।

निष्कपत निग्राहित दा क्षेत्रा में कार्य किया जा सकगा-

- मूल्याकन म सुधार-सहाधन की नई तकनीकों का प्रयोग पाठ्यक्रम म सुधार हतु सुझाव।

- विद्यार्थिया क आचरण म आई पुटिया का आकलन एव उनका समुचित मागदर्शन।

क्रिया कलाप- प्रेमचन्द की कहानी पर आधारित नीचे लिखा अंश पढ-

रियासत दवागढ के लिए नय दायान का चयन करना था। राजा साहिय ने यह कार्य दीवान को ही सापा। रिक्त पद के विज्ञापन क उत्तर मे प्राप्त आवेदन पत्रो में से कइया को साभात्कार के लिये युस्ताया गया। साक्षात्कार कई दिन चलना था। अत उनर रहने की व्यवस्था की गई। उनका आचरण दृष्टिकोण विचारधारा खलते खाते सोते उठते-बैठते-यात करते समय दख कर उपयुक्त प्रत्याशी का चयन करना था। प्रत्याशी खल-खेलकर लौट रहे थे। सध्या म नाले में एक गाडी धस गई- एक ता गाडी म अनाज अधिक भरा था दूसर बैल कमनोर थे। अत बैल गाडी को नाले के ऊपर ले जा नहीं पा रह थे। इसलिए गाडी वाला यह आशा कर रहा था कि गाडी को नाला पार कराने मे कोई उसकी मदद कर दे। खिलाडी एक-एक करके नाला पार कर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुच रहे थे। इसी बांच उसमें से एक खिलाडी रका तथा गाडी घाल से बैलों को साधने को कहा तथा स्वय नाले म कीचड में उतर कर पहिए को जोर से धुमाकर ऊपर चढाने का प्रयत्न किया तो गाडी नाले के ऊपर थी।

गाडी वाले का चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था कि "आपने सहायता न की हाती तो सभव है रात यहीं रहना पडता। भगवान ने चाहा तो आप ही दीवान बनगे।'

यहा कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अनाज से भरी गाडी नाले म गाडी का फसना एक-एक कर खिलाडियो का नाला पार कर लेना गाडी निकलवाने का आग्रह करना कीचड में उतर कर गाडी को नाले पर चढवाना। ये सभी घटनाए बहुत छोटी हैं पर मूल्यो के मूल्याकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस छोटी सी घटना में दूसरों के लिए विचार, सहिष्णुता सहायता सहानुभूति आदि मूल्य स्वत स्पष्ट हो जाते हैं। थोडा और धारीकी से विचार करने पर श्रम की महत्ता का मूल्य भी उजागर होता है।

क्रिया कलाप

- मूल्याकन करते समय आधार सामग्री को लेकर विचार कीजिए।

आचार्य द्रोणाचार्य की परीक्षा- व्यवस्था सबधी उदाहरण पढ़ें -

आचार्य द्रोणाचार्य एक बार पाण्डवों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें जंगल में ले गए। वहाँ एक पड़ की ऊँची डाली पर एक चिड़िया रख दी। परीक्षा में छात्रों को चिड़िया की आँख की पुतली छेदनी थी। आचार्य द्रोणाचार्य के पूछन पर छात्र बताते रह कि उन्हें चिड़िया दीख रही है। पेड़ की डालियाँ दाख रही हैं। पेड़ से परे आकाश भी दीख रहा है। पेड़ से दूर आग खत में चरती हुई गाय भी दीख रही है। घर पर थाली में परोसा हुआ खाना दीख रहा है। आचार्य दीख रहे हैं। अर्जुन के सिवाय चारों भाइयों से ऐसे उत्तर पाकर द्रोणाचार्य ने उन्हें परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। अब अर्जुन की बारी थी। द्रोण ने इसी प्रकार के प्रश्न अर्जुन से भी किये। अर्जुन ने बताया- कि उस केवल आँख की पुतली दीख रही है। चिड़िया तो दूर उसे चिड़िया की आँख भी नहीं दीख रही है। इस प्रकार अर्जुन परीक्षा में

निम्नांकित बिन्दु ध्यान रखते हैं- परीक्षा की व्यवस्था सामूहिक परीक्षा जंगल में ले जाना एक-एक को बुलाना परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना बताना आचार्य का अप्रसन्न न होना छात्रों को स्वीकार करना अर्जुन की परीक्षा लेना वही प्रश्न अर्जुन की एकाग्रता प्रयत्न का केन्द्रित होना और अर्जुन की परीक्षा में सफल घोषित करना

यह घटनावृत्त छाटा हो सकता है पर मूल्यांकन के क्षेत्र में मुख्यतः मूल्य विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बार-बार वांछित उत्तर न पाने पर भी आचार्य जी द्वारा क्रोध न करना हताशा न होना छात्रों को प्रोत्साहित करना तथा अर्जुन की एकाग्रता जीवन मूल्यांकन विकास की अभूतपूर्व परख है। यहाँ आचार्य जी का धैर्य गुण सवेदनशीलता अथवा विद्यार्थियों के प्रति ममत्व भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। साथ ही अर्जुन के व्यक्तित्व में निहित एकाग्रता गुण को भी नहीं भुलाया जा सकता।

क्रिया कलाप

उदाहरण को पढ़ कर उससे विकसित होने वाले मूल्यांकन को पहचानिए।

अध्यापक महात्मा गांधी की आत्म कथा- 'सत्य के प्रयाग' से संबंधित अंश कक्षा में पढ़ें-(सार नीचे दिया गया है)

एक बार विद्यालय निरीक्षक विद्यालय का निरीक्षण करने आये। निरीक्षण के समय उन्होंने विद्यार्थियों को श्रुतलेख लिखवाया। एक छात्र ने श्रुतलेख में अंग्रेजी के एक शब्द 'कटल' की बर्तनी गलत लिख दी। यह बात विद्यालय के प्रधानाचार्य को अनुचित लगा तथा उन्हें निरीक्षक की डाट फटकार को भी आशंका हुई और वे इससे बचना चाहते थे। अतः कथा

म घूमकर पर्यवेक्षण करते समय उन्होन उस छात्र को पाँव के अगूठे से सकेत क्रिया कि वे आगे सामने बैठे छात्र की उत्तर पुस्तिका देखकर गलत वर्तनी को सही कर ले। पर छात्र ने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं यह बालक कौन था?

विद्यालय का निरीक्षण श्रुतलेख लिखवाना वर्तनी गलत लिखना प्रधानाचार्य द्वारा नकल करने का सकेत छात्र द्वारा उस सकेत पर ध्यान न देना।

यह घटना सामान्य होते हुए भी परीक्षा की पवित्रता बनाये रखने का सकेत करती है। परीक्षा में अनुचित साधन नहीं अपनाना चाहिए- छात्र से स्वयं को धोखा न देने का आग्रह करता है।

उदाहरण को पढ़कर उससे विकसित होने वाले मूल्यों को पहचानिए।

'नियमितता' गुण के मूल्यांकन हेतु अध्यापक द्वारा मापन (रेटिंग) इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

अन्य कार्य कलाप-

संस्थिति विद्यालय जाते समय आप रास्ते में ही चेतावनी की घनी सुन लेते हैं-आप जो व्यवहार करना पसंद करें उसे चिह्नित कीजिए -

- दौड़ कर विद्यालय पहुंचने का प्रयास करना।
- साइकिल पर जाने वाले मित्र से स्वयं को ले जाने का आग्रह करना।
- रास्ते में किसी मित्र की सहायता करने का बहाना बनाना।
- कारण पूछने पर घर से ही देर से चलना बताना।
- पूछने पर यह कहना कि सभी कौन से समय पर आते हैं।
- पूछने पर देरी से आना ही स्वीकार नहीं करना।
- घटी की बिना परवाह किये विद्यालय देर से पहुंचना।
- घर लौट जाना।

ये सम्भावित उत्तर गम्भीरता की दृष्टि से न्यूनाधिक रूप में दिये जा सकते हैं। नियमित बनने के लिए प्रथम उत्तर अति महत्वपूर्ण है जबकि अंतिम उत्तर निकृष्ट। अन्य सम्भावित उत्तर इन दोनों के मध्य में है।

सेवा भावना सहायता संवेदनशीलता के मूल्यांकन के लिये स्थितिजन्य परीक्षण द्रष्टव्य हैं-

संस्थिति-स्कूल जाते समय एक रोगी सड़क पर पड़ा कराह रहा है- अपनी पसन्द के कार्य- व्यवहार को चिह्नित कीजिए -

- बड़बड़ायेंगे कि बीमार होकर सड़क पर आ जाते हैं।
- बिना ध्यान दिये आगे बढ़ जायेंगे।

- विद्यालय से लौट कर उसके बारे में पूछताछ करेंगे।
- अन्य राहगीरों से उसको चिकित्सालय पहुंचाने के लिए कहेंगे।
- सर्वप्रथम उसे चिकित्सालय पहुंचाएंगे।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह परीक्षण-पद एक से अधिक मूल्यांकन का मूल्यांकन करता है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऊपर के दोनों परीक्षण पदों में सम्भावित व्यवहार एक दूसरे के विपरीत क्रम से है। प्रथम परीक्षण पद में प्रथम उत्तर सर्वोत्कृष्ट स्तर पर जांचा जा रहा है। दूसरे परीक्षण पद में अंतिम सम्भावित उत्तर सर्वाधिक अपेक्षित है। यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सम्भावित उत्तरों को 1 2 3 की भांति सख्ता से अभिहित नहीं किया है- इससे भी विद्यार्थियों को पद सापान का संकेत मिल सकता है- अतः इससे भी बचने का प्रयास किया गया है।

क्रिया-कलाप

धैर्य- सहिष्णुता मूल्यों के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित पद पर भी दृष्टि डालिए -

कल परीक्षा है तथा आप आज पुस्तकालय जाकर पुस्तकें मांगते हैं तो पुस्तकालयाध्यक्ष कहता है कि पुस्तकें तो अन्य छात्रों के नाम चढ़ी हैं। आप द्वारा किये जाने वाले कार्य-व्यवहार को चिह्नित कीजिए-

- पुस्तकालयाध्यक्ष पर क्रोध करेंगे।
- रिजर्व-प्रति से यहीं बैठ कर पढ़ेंगे।
- पुस्तक लेने वाले का नाम तथा पता जानना चाहेंगे।
- बिना तैयारी के परीक्षा देने का मानस बनायेंगे।
- पुस्तक की प्राप्ति का स्थल जानकर पुस्तक खराद लेंगे।

क्रिया-कलाप

श्रम की महत्ता या निष्ठा के मूल्यांकन का पद देखिये-

वृक्षारोपण के लिए खड्डा खोदना है। नीचे लिखे सम्भावित उत्तरों पर क्रमशः बाएँ हाथ की ओर दिये कोष्ठक में क्रम सख्ता लिखिये-

- () तत्काल स्वयं खड्डा खोदेंगे।
- () अपने से छाटी बक्सा के छात्र को बुलाकर उससे खड्डा खुदवायेंगे।
- () खड्डा खोदने का काम चपरासी को सौंपने के लिए उसे बुलायेंगे।
- () पानी को बर्बाद करताकर वृक्ष लगाना बेकार बतायेंगे।
- () लापरवाही से वृक्षारोपण का कार्य टाल देंगे।

ऊपर के उत्तर सकारात्मक रूप से प्रमाणित किये गये हैं।

क्रिया-कलाप

उद्देश्याधारित कार्य-सपादन का मूल्यांकन इस प्रकार भी किया जा सकता है-

गृह कार्य हर दश म समय पर जाचना ही चाहिए। जो कथन सवाधिक रूप से आप पर लागू हो उसे चिह्नित कीजिए।

1 सदैव 2 अधिकांश अवसर पर 3 यदाकदा 4 संभव होने पर
5 कभी-कभी 6 कभी नहीं

क्रिया-कलाप

बडों के प्रति आदर क मूल्यांकन हेतु एक परीक्षण पद दृष्ट्य है-
पिकनिक के लिए जाते समय बस में आप जिन्ह जगह दग उस
उत्तर का चिह्नित कीजिए-

- शिक्षक को
- अपनी ही कक्षा की छात्रा को
- भोजनालय क सेवक को
- वरिष्ठ कक्षा क छात्र को
- अपनी बारी से बस में प्रवेश करने वाल प्रथम व्यक्ति को।

मूल्यांकन क पक्ष-विपक्ष देखकर पता लगाइये कि उसमे किन मूल्यां
की उपेक्षा हुई है। नीचे एक अनुसूची प्रस्तुत का जा रही है। इसके जो
कथन आप पर लागू हों उन्हें बायीं आर () चिह्नित कीजिए-

- समय पर गृह कार्य जाचना
- भ्रमित बालक का मार्ग दर्शन करना
- समय पर कक्षा म पहुँचना
- जरूरतमद छात्र की मदद करना
- प्रार्थना सभा में दिनभर के कार्यक्रम की जानकारी देना
- कक्षाकक्ष मे छात्रों से फर्नीचर न तोडने का आग्रह करना
- बस क समय पर विद्यालय म पहुँचने की आशा करना
- निर्धन छात्रा का अवकाश के समय बगीच म कार्य करवा कर
सहायता देना
- छात्रा का जल-गृह से पक्ति बनाकर पानी पीने का आग्रह करना
- मीरा के पद्य को लय के साथ गाने का आग्रह करना
- बीमार छात्र को चिकित्सालय पहुँचाना
- सहभाज क समय पहले छात्रा का भाजन करवाना
- नल से व्यर्थ बहते पानी पर ध्यान न देना
- सर्दी म भी पखे चलाना
- छात्रा से खिडकियो के शीशे साफ करवाना

इस प्रकार क और भी कथन जोड़ जा सकते हैं।

मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन द्वारा पुष्टि कागिए।

अन्य क्रिया कलाप

कभी कक्षा में श्रुतलेख लिखवाइये। उसका विना किसी प्रकार का चिह्न लगाय मूल्यांकन कागिए। छात्रों की अशुद्धियाँ सूचीबद्ध कर तागिए। अब इन्हीं श्रुतलेखों को उन्ही छात्रों से जचवाइये। देखिये मूल्यांकन में कोई अन्तर आया है अथवा नहीं।

इसी कार्य को कभी स्वयं जाचन क बाद छात्रों द्वारा अदल-बदल कर जचवाया जा सकता है। देखिये क्या इस प्रकार के मूल्यांकन मे कोई अन्तर आया या नहीं। इसस छात्रों की ईमानदारी या धाखा देने की प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है।

मुक्त अभिव्यक्ति

कुछ विवादास्पद विषया पर बालकों को बोलने-लिखने का अवसर दना चाहिए। ऐसे विषयों पर भाषण या वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित का जा सकता है-उनस लेख लिखवाय जा सकत हैं। भाषण सुनकर या लेख पढकर उनका मूल्यांकन किया जा सकता है-एस विषयों में उनका तर्क-शक्ति स्पष्ट दीखती है। भूमिका निर्वहन (रोल प्लेइंग) विधि मे ये खुलकर बोलना पसद करते हैं। ऐसे विषय हो सकते हैं-आरक्षण छुआछूत पजाब समस्या जाति-प्रथा दहेज आदि। इन्हीं विषयों पर लेख के रूप में मुक्त विचार भी लिखवाये जा सकत हैं। लिखित अभिव्यक्ति को पढकर उनके मनोभावों का पता लगाया जा सकता है और विकसित मूल्यों को ज्ञात किया जा सकता है।

उपर्युक्त सामग्री को पढने के बाद हम मूल्यांकन के उपकरण साधन तकनीक या विधिया की सूची भी बनाएँ।

अनुसूची मान निर्धारण मापनी निरीक्षण अवलोकन निष्पादित कार्य की जाच आत्मकथा डायरी घटनावृत्त अभिलेख सचयीवृत्त चैकलिस्ट समाजमिति तथा सामाजिक दूरी मापन मूल्यांकन सबधी उपकरण हैं।
व्यावहारिकता-

मूल्यांकन के इन उपकरणों को कक्षा में सामूहिक रूप से प्रयुक्त किया जा सकता ह। इसके अलावा वैयक्तिक रूप से भी इनकी प्रतिक्रिया इन उपकरणों द्वारा जानी जा सकती हैं। यह कार्य निर्धारित उद्देश्या पर निर्भर करेगा। यदि किसी विद्यार्थी के किसी व्यवहार का गहनता से निरीक्षण कर उसके बारे मे निर्णय लना है तो यह भी संभव है कि निरीक्षण को दोहराना

पडे अथवा परीक्षण का दूसरी बार भी आयोजन हो।

भूमिका निर्वहन प्रभेदनीय विधियो म से एक है। भूमिका निभाते समय छात्र की क्या स्थिति रही है-इस पर विवेक से वस्तुनिष्ठ निर्णय कर छात्र के कार्य-व्यवहार का मूल्याकन या वर्गीकरण किया जा सकता है।

अब यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि कौनसी विधि या तकनीक किस मूल्य के मूल्याकन में प्रयोग की जा सकती है-

पक्ष/अंग	मूल्याकन के लिए प्रस्तावित साधन या उपकरण या तकनीक
- ज्ञान या सूचना की जाच	निबधात्मक तथा वस्तुगत परीक्षण-इन परीक्षा क पूरक रूप म मौखिक परीक्षा
- विद्यालय एव विद्यालय के बाहर की वैयक्तिक एव सामूहिक गतिविधिया।	कार्यकलापों का निरीक्षण अवलोकन (सह-भागित्व युक्त तथा सहभागित्व रहित)
- प्रवृत्ति विचारधारा दृष्टि-कोण वृत्ति धारणा रुचि अवधान आदि निर्धारण	निर्धारण समाजमिति छात्र द्वारा लिखे गये वृत्त अभिलेख आत्मकथा डायरी आदि का अध्यापक द्वारा निरीक्षण-अवलोकन
- शारीरिक विकास स्वास्थ्य	बालका द्वारा सम्पादित कार्य की क्रियात्मक परीक्षा

मूल्याकन-

- 1 'मूल्याकन' के मुख्य कार्य बताइये।
- 2 मूल्यों का मूल्याकन अन्य पाठ्य विषयों के मूल्याकन से किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट कीजिये।
- 3 श्रम के प्रति निष्ठा के मूल्याकन हेतु श्रेष्ठ विधि (कारण सहित) बताइये।
- 4 सहिष्णुता गुण के मूल्याकन हेतु दो पदों की रचना कीजिए।
- 5 बालकों में विकसित सामाजिकता के मूल्याकन का कार्यक्रम सुझाएँ।

6 प्रेमचन्द की आप द्वारा पढी अन्य किसी कहानी मे उजागर हुए मूल्यों की सूची बनाइये।

7 अवलोकन कीजिए तथा बताइये कि निम्नांकित स्थितियों में किन मूल्या का विकास बालकों में नहीं हुआ है-

- शुल्क जमा कराते समय पक्ति न बनाना।
- पवतारोहण के समय टाफी के रेपर वहीं फक देना।
- ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर अपना नाम लिखना।
- जन्माष्टमी मनाते समय कुछ छात्रों का पलायन कर जाना।
- पुस्तकालय की पुस्तकों से पसद आए चित्रों को फाड लेना।

मूल्याकन सबधी अतिरिक्त क्रिया कलाप

अध्यापक ने किसी छात्र का परीक्षण या अवलोकन किया तथा इसके बाद उस छात्र का क्या व्यवहार रहता है तथा उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है-अध्यापक अवलोकन कर इस सदर्थ मे टिप्पणी तैयार करे।

मूल्यों के मापन सबधी यदि कोई विशिष्ट परीक्षण या तकनीक विकसित हुई तो आप उसका प्रयोग करते हुए भिन्न न्यादर्श/विषय पर काम कर सकते हैं। उसे प्रमापीकृत करने की योजना भी बना सकते हैं।

निष्कपत यह कहा जा सकता है कि मूल्या का मूल्याकन एक जटिल कार्य है। इसका महत्व इससे समझा जा सकता है कि जब डॉ राधाकृष्णन् से पूछा गया कि शिक्षा क क्षेत्र मे सुधार के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सुझाव दीजिये तो उन्होंने मूल्याकन प्रक्रिया में सुधार को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। इस दृष्टि से वस्तुनिष्ठ मूल्याकन ही सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है। संक्षेप में बालक का अपेक्षित मूल्या से सस्कार युक्त होना मूल्याकन पर ही निर्भर करता है।

□

मित्रता के लिए शिक्षा

मित्र यही है जो आवृत्ति के समय काम आये।

— एक अंग्रेजी कहावत

जे न मित्र राति दुप्यारी तिनहि विलाकत पत्रक भाग॥

— रामचरित मानस

मित्र को प्रकृति की उत्कृष्ट कृति माना जा सकता है।

— इमर्सन

जो काम पढ़न पर सहायक बनता है यही मित्र है।

— दीर्घ निकाय 6/8/2

सर्वाधिक दुःखी व्यक्ति कौन है? किसी ने पूछा। मित्र मित्र उग मिले- धनवान व्यक्ति मकान रहित व्यक्ति रिभाहीन व्यक्ति विवेक रहित व्यक्ति खेत रहित व्यक्ति रिश्वतदार रहित व्यक्ति और भा कइ किने ने नहीं बताया कि मित्रहीन व्यक्ति सर्वाधिक दुःखी है निर्धन है। धन से मित्रता नहीं छरीदी जा सकती मित्रहीन व्यक्ति ससार का सर्वाधिक दर्दनाक एवं असहाय व्यक्ति है यह कटार सत्य है।

हमसे अधिकारा व्यक्ति मित्रता की बातें करते हैं तथा वे इसे भावदजा से जुड़ी कृति पात हैं। प्रायः यह आगत सी बन गई है कि दो मित्रों के बीच पाइ जान वाली मित्रता पर विचार के प्रवाह तथा गभीरता की अभाव चल कृति सतही रोमान्टिक या भावुकता के स्तर पर ही विचार करते हैं।

जय काई कहता है कि अमुक उमका मित्र है तो इसका जरूर उससे परिचित होने या सहकर्मों होने से अधिक नहीं है। यह असवधानी से बोलो गई भाषा या भावधेत हुए बिना थोले गये शब्दों का फल है। वे वास्तव में प्रगाढ मित्रता पारिवारिक सम्बन्ध कल्याणकारी पारस्परिक दृष्टिकोण रक्त सम्बन्धों पर नहीं साव रहे हैं। शब्दकोष के अनुसार भी सच्चा मित्रता का यही आशय है।

कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्ति यदि परिवार के सिवाय धन की मित्रता की बात ही न कर तो समाज का रूप ही बदल सकता है। उनका यह भी विचार है कि मित्रता का यही आदर्श रूप है। आज का

व्यक्ति मित्रता पर अशा तथा वर्गों या श्रणियों में विचार करने लगा है जैसे काम की या स्वार्थ का मित्रता सामाजिक सम्बन्धों की मित्रता अच्छी मित्रता पकी मित्रता अविच्छिन्न मित्रता कामचलाऊ मित्रता। अन्य विचारक इसका भिन्न रूप भी तैयार कर सकते हैं। यदि शोधकर्ता अवन करना चाहे तो इन वर्गों को अका में भी बदल सकते हैं। प्राचीनकाल में लखको तथा विचारको ने इस प्रकार का कोई वर्गीकरण तैयार नहीं किया था। वे केवल अविच्छिन्न या कभी न बिगड़ने वाली मित्रता पर विश्वास करते थे। गास्वामी तुलसीदास ने तो मित्र के गुणों को बताते हुए उसकी अनिवायता पर पर्याप्त जोर दिया है। वे आगे कहते हैं कि जो मित्र अपने मित्र के दुःख में दुःखी नहीं होता ऐसे मित्र को देखने मात्र से भी पाप लगता है। इतना ही नहीं वे आगे बढ़कर और कहते हैं कि जो मित्र अपने मित्र के गुणों का प्रचार करता है तथा अवगुणों को छिपाता है वह उसे धुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है। अरस्तु तो मित्रता को दो शरीरों में एक आत्मा के समान मानता था। फ्रांसिस बेकन का कहना था कि मित्रता वहाँ देखी जा सकती है जहाँ आप अपने दुःख और प्रसन्नता आशा निराशा सन्देह की बात कर सकें दुःख के समय में उससे सलाह मशविरा कर सकें। स्पष्ट है कि इस प्रकार की उच्च श्रेणी की मित्रता के बिना ही उदाहरण मिलते हैं। इसीलिए दार्शनिक हेनरी एडम ने ठीक ही कहा है कि मित्र तो जीवन में एक ही मिलता है यदि दो मित्र मिल गये तो भगवान को धन्यवाद है तथा तीन मित्रों के मिलने की सम्भावना तो बहुत ही क्षीण होती है। डॉ. सेमुएल जॉनसन तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि मित्रता के लिए कई गुणों की आवश्यकता होती है तथा कठिन क्षणों में ही मित्रता परखी जा सकती है। जब उसकी श्रेणी ऊपर उठती है तभी वह अधिकाधिक नागरिकों के लिए कल्याणकारी हो सकती है तथा महत्वहीन बातों पर ध्यान नहीं देती है। मित्रता करना या मित्र बनाना असंभव नहीं है यदि आप सम्पर्क में आने वाला की पर्याप्त चिन्ता करें तथा उनकी आवश्यकतानुसार सार-सम्भाल करें उन पर ध्यान दें। इस सम्बन्ध में वेद व्यास ने कितना सटीक लिखा है

“मित्र तो वही है जिस पर पिता की भाँति विश्वास किया जा सके दूसरे तो साथी मात्र हैं।”

—महाभारत उद्योग पर्व, 36/37

“मित्र को कृतज्ञ धर्मनिष्ठ सत्यवादी क्षुद्रता रहित दृढ़ निष्ठा वाला जितन्द्रिय मर्यादा में स्थित और मित्र को न त्यागने वाला होना चाहिए।”

मित्रता के लिए शिक्षा

मित्र वही है जो आपत्ति के समय काम आये।

— एक अंग्रेजी कहावत

जे न मित्र होहि दुखारी तिन्हि विलोकत पातक भारी॥

— रामचरित मानस

मित्र को प्रकृति की उत्कृष्ट कृति माना जा सकता है।

— इमर्सन

जो काम पढ़ने पर सहायक बनता है वही मित्र है।

— दीर्घ निकाय 6/8/2

सर्वाधिक दुखी व्यक्ति कौन है? किसी ने पूछा। मित्र भिन्न उत्तर मिले— धनहीन व्यक्ति मकान रहित व्यक्ति शिक्षाहीन व्यक्ति विवेक रहित व्यक्ति खेत रहित व्यक्ति रिश्तेदार रहित व्यक्ति और भी कई किसी ने नहीं बताया कि मित्रहीन व्यक्ति सर्वाधिक दुखी है निर्धन है। धन से मित्रता नहीं खरीदी जा सकती मित्रहीन व्यक्ति ससार का सर्वाधिक दयनीय एव असहाय व्यक्ति है यह कठोर सत्य है।

हमसे अधिकांश व्यक्ति मित्रता की बातें करते हैं तथा वे इसे भावनाओं से जुड़ी वृत्ति पाते हैं। प्रायः यह आदत सी बन गई है कि दो मित्रों के बीच पाई जान वाली मित्रता पर विचारों के प्रवाह तथा गभीरता की अपेक्षा घबल वृत्ति सदही रोमान्टिक या भावुकता के स्तर पर ही विचार करते हैं।

जब कोई कहता है कि अमुक उसका मित्र है तो इसका आशय उससे परिचित होने या सहकर्मी होने से अधिक नहीं है। यह असावधानी से बोली गई भाषा या सावचेत हुए बिना बोले गये शब्दों का फल है। वे वास्तव में प्रगाढ़ मित्रता पारिवारिक सम्बन्ध कल्याणकारी पारस्परिक दृष्टिकोण रक्त सम्बन्धो पर नहीं सोच रहे हैं। शब्दकोष के अनुसार भी सच्ची मित्रता का यही आशय है।

कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्ति यदि परिवार के सिवाय प्यार की मित्रता की बात ही न करे तो समाज का रूप ही बदल सकता है। उनका यह भी विचार है कि मित्रता का यही आदर्श रूप है। आज का

व्यक्ति मित्रता पर अशों तथा वर्गों या श्रेणियां में विचार करने लगा है जैसे काम की या स्वार्थ की मित्रता सामाजिक सम्बन्धों की मित्रता अच्छी मित्रता पकी मित्रता अविच्छिन्न मित्रता कामचलाऊ मित्रता। अन्य विचारक इसका भिन्न रूप भी तैयार कर सकते हैं। यदि शोधकर्ता अकन करना चाहे तो इन वर्गों को अका में भी बदल सकते हैं। प्राचीनकाल में लेखकों तथा विचारकों ने इस प्रकार का कोई वर्गीकरण तैयार नहीं किया था। वे कवल अविच्छिन्न या कभी न बिगडने वाली मित्रता पर विश्वास करते थे। गास्वामी तुलसीदास ने तो मित्र के गुणों को बताते हुए उसकी अनिवार्यता पर पर्याप्त जोर दिया है। वे और आगे कहते हैं कि जो मित्र अपने मित्र के दुःख में दुःखी नहीं हाता ऐसे मित्र को देखने मात्र से भी पाप लगता है। इतना ही नहीं वे आगे बढ़कर और कहते हैं कि जो मित्र अपने मित्र के गुणों का प्रचार करता है तथा अवगुणों को छिपाता है वह उसे कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है। अरस्तु तो मित्रता को दो शरीरों में एक आत्मा के समान मानता था। फ्रांसिस बेकन का कहना था कि मित्रता वहा देखी जा सकती है जहा आप अपने दुःख डर प्रसन्नता आशा निराशा सन्देह की बात कर सके दुःख के समय में उससे सलाह मशविरा कर सके। स्पष्ट है कि इस प्रकार की उच्च श्रेणी की मित्रता के बिना ही उदाहरण मिलते हैं। इसलिए दार्शनिक हेनरी एडम ने ठीक ही कहा है कि मित्र तो जीवन में एक ही मिलता है यदि दो मित्र मिल गये तो भगवान को धन्यवाद है तथा तीन मित्रों के मिलने की सम्भावना तो बहुत ही क्षीण होती है। डॉ. सेमुएल जॉनसन तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि मित्रता के लिए कई गुणों की आवश्यकता होती है तथा कठिन क्षणों में ही मित्रता परखी जा सकती है। जब उसकी श्रेणी ऊपर उठती है तभी वह अधिकाधिक नागरिकों के लिए कल्याणकारी हो सकती है तथा महत्वहीन बातों पर ध्यान नहीं देती है। मित्रता करना या मित्र बनाना असंभव नहीं है यदि आप सम्पर्क में आने वाला की पर्याप्त चिन्ता कर तथा उनकी आवश्यकतानुसार सार-सम्भाल करे उन पर ध्यान दे। इस सम्बन्ध में वेद व्यास ने कितना सटीक लिखा है

“मित्र तो वही है जिस पर पिता की भाँति विश्वास किया जा सके दूसरे तो साथी मात्र हैं।”

—महाभारत उद्योग पर्व, 36/37

“मित्र को वृत्तज्ञ धर्मनिष्ठ सत्यवादी क्षुद्रता रहित दृढ़ निष्ठा वाला जितेन्द्रिय मर्यादा में स्थित आर मित्र को न त्यागने वाला होना चाहिए।

—महाभारत उद्योग पर्व 39/50

‘विद्या शूरवीरता दक्षता बल तथा धर्म ये पांच तत्त्व मित्रता का आधार स्तम्भ बताये जाते हैं। विद्वान् पुरुष इनका द्वारा ही जगत का काय करते हैं।’

—महाभारत शांति पर्व 139/85

इस सम्बन्ध में भास ने सम्मति निम्न शब्दों में बताई है जो करणीय विषयों में दूयते हुए पुरुष का उच्चारण है यद्यपि मित्र है अन्यथा वह शत्रु है।’

—अभिषेक नाटक 6/22

और भी

अहित से राक्षस हित में लगाना तथा विपत्ति में न छोड़ना ही मित्रता का तीन लक्षण हैं।

—अश्वघोष उद्बुद्धचरित 4/64

सच्ची मित्रता की कसौटी

साधारणतया इसका पहला ही उत्तर श्रद्धा दिया जा सकता है। जब दो व्यक्तियों की स्थिति समान हो उनको अपना भविष्य उज्वल दीखता हो वे एक दूसरे के लिए आवश्यकता के समय त्याग करने को तत्पर हों एक दूसरे को एक ताम्बे के पैसे की भी हानि न पहुँचाना चाहें वे एक दूसरे के लिए प्रयत्नशील रहें सावधान विचार आपत्ति में होने पर मित्र के लिए सहानुभूति रखें यह सहानुभूति एक दूसरे के लिए त्याग विचार या दृष्टिकोण ही मित्रता का सूचक बन जाता है कई बार आपके हाव भाव व्यवहार से ही मित्रता स्पष्ट हो जाती है। पर इसके दूसरी ओर, कई बार व्यक्ति मित्र के विपत्ति में होने पर भी बहुत दिखावा करते हैं व्यवहार में कृत्रिमता लाते हैं। जब भी किसी ने प्रयत्न किया कि मैं साथी को एक पैसे की हानि पहुँचाऊँ, या मित्र का एक पैसा अधिक खर्च हो जाये तो वहीं मित्रता समाप्त हो जाती है। इस दृष्टि से जातक का यह विचार कितना सही है?

‘यदि दुर्बल व्यक्ति भी कर्त्तव्य पूरा करता है तो वह मित्र रिश्तेदार बंधु, सखा सभी कुछ है।’

—सुहृत्तु जातक

कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मित्र आपस में उधार दे या ले या नहीं। बहुत छोटी राशि उधार ली तथा दी जा सकती है पर ऐसा करते समय क्रमशः बड़ी राशि की भी माग हो सकती है। इसलिए अच्छा तो यही रहना कि आप मित्रों को उतनी ही बड़ी राशि उधार दे कि वह (आपका

मित्र) न लौटाये तो भी आप किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव न करें। इसलिए कई विचारकों का तो यह कहना है कि मित्रता लम्बे समय तक चनी रहे- इसके लिए आप रुपये पैसे उधार लें ही नहीं। उनके अनुसार रुपया उधार दान से न कवल मित्रता हा टूटता है वरन् दुश्मन तैयार कर लेते हैं। पर साथ ही कई लोग आपत्ति के समय हैसियत के अनुसार उधार देने तथा दी हुई राशि पुन प्राप्त न करने की अपेक्षा को ही सच्ची मित्रता कहते हैं। अन्य कई लोग कष्ट पाकर भी प्राप्त ऋण हर सम्भव प्रयत्न कर लौटाना ही सच्ची मित्रता मानते हैं।

मित्रता की गम्भीरता का आधार मित्र की ख्याति पर भी निर्भर हो सकता है। आपके लिए अपने मित्रों के साथ व्यावसायिक या सामाजिक क्षेत्रों में उपयुक्त दूरी बनाये रखना व्यावहारिक हो सकता है। ऐसा उस वक्त और आवश्यक लगता है जबकि मित्र लोग आर्थिक सक्तों में हों। संभव है आगे स्थितिया और खराब बन जाये। ऐसी स्थिति में सच्चे मित्र को अपराधी बताया जा सकता है। क्या आप अपनी प्रतिष्ठा या ख्याति के नाम पर अपने मित्र की स्थिति का उपहास या मजाक नहीं कर रहे हैं? मान लीजिये वह अपराधी है गलती पर है और लोग भी ऐसा ही कुछ कहें तब भी क्या आप उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार ही करेंगे?

अपने विचारों को बाटिए

किसी को अपने विचारों में भागीदार बनाना भी मित्रता का ही सूचक माना जाता है। साथियों में वस्तुओं तथा भेंट के समान ही प्रयत्नों इच्छाआ अनुभवा विचारों आदि का भी आगमन-प्रदान होता है। बहुत ही अच्छे निकट के मित्र को आप अपने मन की बात बता सकते हैं उसे दुःख दर्द में भागीदार बनाते हैं तथा उसे हृदय विदारक बात भी बता देते हैं। जितनी अधिक भयावह या एकान्त या गम्भीर बीमारी या प्रियजन की मृत्यु की दारण स्थिति हो मित्र का उतना ही अधिक पास होना आप आवश्यक समझते हैं। यह मान करके कि वही आपको सन्ताप दे सकता है आपका दुःख बाट सकता है आप उससे बतियाते हैं तथा ऐसा करके हल्कापन अनुभव करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड सच्ची मित्रता पर विचार करते हुए लिखते हैं कि सच्ची मित्रता वहा है जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे मित्र को अपने वहा होने वाला भोज में आमंत्रित न करे- कोई व्यक्ति दुःखा में डूबा हुआ है तथा मित्र को उन्हें बाटने से उनमें मदद करने से मना करता है तो बड़ी असहनीय दयनाय या करणाजनक स्थिति होती है। मित्र उससे बार बार सहायता स्वीकार करने का आग्रह करता है, यदि वह द्वार बंद कर ले तो भी बार बार वहा जाये तथा मदद स्वीकार

करने के लिए निवृत्तन करे आग्रह कर तथा विनम्रता के साथ कह कि कृपा कर मुझे उन सब बातों में कार्य में भाग लेने दीजिए जिनमें मैं ऐसा कर सकता हूँ। सच्ची मित्रता की आँस्कर याइरड महोदय की अपनी कसौटी है।

मित्रता की सखट की घड़ी में परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। जो व्यक्ति आपसे हर समय के दुःख सखट के साथी रहे हैं सभव है आप पर आये दुःख के समय वह हर प्रकार से समर्थ तथा योग्य होते हुए भी किसी अप्रत्याशित सखट में फसा हो या उसे और किसी के लिए कुछ करना पड रहा हो या दूसरों के दबाव से वह समय न निकाल पा रहा हो। अग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक रोयर्टसन इसी विचार के समर्थक हैं। कई बार यह भी कहा जाता है कि जो मित्रता आपकी सखट के समय ही विकसित होती है वही मित्रता गाढी चलती है।

कहावत है कि मित्र पुराना ही अच्छा होता है। इसीलिए सच्चाई यह है कि समय ही मित्रता की कसौटी है। यह भी सही है कि आदमी ज्यों ज्यों वृद्ध होगा व- मित्रता का आनन्द उठाना चाहता है व्यक्ति अपना अधिकाधिक समय अपने उन मित्रों के साथ बिताना चाहता है जिनके साथ उसने अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के दिन बिताये हैं।

प्रसन्नता का स्रोत मित्रता

जीवन का वास्तविक लक्ष्य सुख या प्रसन्नता है तथा इसकी प्राप्ति में मित्रता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए मित्रता के लाभों या उपयोगिता को कम नहीं आका जा सकता। आदमी मित्रता पर भविष्य में आपत्ति के समय बीमा के रूप में विचार करते हैं। वे ऐसा इसलिए सोचते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से सामान्य होते हुए वे अपने ही जैसे लोग से सम्पर्क रखना पसंद करते हैं। प्रतिदिन का मित्रतापूर्ण व्यवहार ही मानव की इस मूल प्रवृत्ति को सतुष्ट करता है कारण कि मनुष्य अपने ही जैसे साथियों के बीच रहकर उनमें अपनी पहचान बनाता है सुरक्षा अनुभव करता है। इसी सदर्थ में हितोपदेश में कहा गया है— 'स्वाभाविक मित्र भाग्य से ही मिलता है और ऐसी मित्रता विपत्ति में भी नहीं छूटती।' (हितोपदेश 1/205) नूर मोहम्मद के अनुसार

जो सुख पर ऐसुन कह महामित्र है सोई।

ताको मित्र न जानिए ऐगुण राखे गोई ॥

(ऐगुन=अवगुण गोई=गुप्त)

—इन्द्रावती से।

विलियम जेम्स के अनुसार मित्रता का बुनियादी आधार आनन्द लेना है। हमारी प्रसन्नता जब अपने ही समान रुचि वाले, विचारधारा वाले तथा आदतों वाले में बाँटी जाती है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है।

मित्रों के साथ याटी जाने वाली वस्तुओं में एक महत्वपूर्ण वस्तु हास्य है। न्यूनधिक रूप से जावनक्रम समान होने से मित्र भी इसी प्रकार की घटनाएँ तथा स्थितियाँ पाते हैं। मित्रता हमें समान लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाती है। जासफ एडरसन तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसा करने में प्रसन्नता दूनी हो जाती है। इस तथ्य का ज्ञान हम विवाहों तथा जन्मदिवस समारोहों के अवसर पर हाता है जब दो मित्र आपस में मिलते हैं तथा कुशलभेन पूछते हैं। पर हम में से कई लोग प्रतिदिन के इन आनन्दों का उचित उपयोग करना तो दूर य इनकी प्रशंसा भी नहीं कर पाते।

आज के इस गत्यात्मक तथा व्यस्तता भर समाज में सतत मित्रता निभा पाना कठिन है भागालिख दूरी भी इसमें एक आर अन्य बाधा है। कई बार हम प्रमादवश भट तो नहीं कर पाते पर मित्रता पत्र बधाई काड तथा दूरभाष पर याता कर प्रकट करते हैं। इस प्रकार भूल बिसर मित्रों से भी फिर से मित्रता जुड जाता है। रल्फ वाट्टन इससेन कहते हैं कि दूसरों के लिए विचार करो या उनसे बात करों में कभी ऐसा आवश्यकता अनुभव नहीं करता न मुझे स्मृति चिह्न भन्ने की जरूरत पडती है न मुझे किसी का याद दिलाता पडता है। जहाँ हृदय से निकटता हाती है वहाँ ऐसा आपचारिकता का जरूरत नहीं पडता है।

जहाँ गहरी मित्रता हाती है तो मित्र की अनुपस्थिति खटकती है। जब दो व्यक्ति काफी समय से मित्रता में बंधे हुए हैं तो वे एक दूसरे के मनोभाव वृत्ति विचार, अनुभव अच्छाइयों तथा बुराइयाँ से भी परिचित हाते हैं पर मित्रता में आदान-प्रदान का अधिक महत्व है तथा कई बातों का अथहीन मानकर या महत्व की न मानकर अनदखी भी की जाती है। सम्बन्धा की निकटता के आधार पर मित्रता पर विचार किया जाता है तथा स्वीकार की जाती है। उनकी कमियों तथा सकारात्मक बिन्दुओं पर भी विचार किया जाता है। यह कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि इससे मित्रता में सुधार करने का अवसर मिलता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि-

“जो मित्रता समाप्त हो सकती है वह वस्तुतः कभी आरम्भ ही नहीं हुई थी।”

—पबलिलस साइरस नीतिवचन

यह मानने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है या दोष रहित नहीं है। यदि ऐसा हो जाय तो आदमी आदमी नहीं रहेगा तब तो यह देवता बन जायेगा। एक मित्र जो भरे ही जैसे कई गुण रखता है वह भी अन्य कई दोषों का पुतला हो सकता है।

फिर भी उसके साथ कई विचारों तथा वस्तुओं में आदान प्रदान चलता रहता है और इनमें से भी कुछ अपने ही जैसे हो सकते हैं।

बिना दूसरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे उनके भावों पर विचार किया कोई भी मित्रता लम्बे समय तक नहीं चल सकती। यदि इस पर दृढ़ता से विचार किया जाय तो स्वकन्द्रित व्यक्ति तो कोई मित्र ही नहीं बना सकेगा। इसी आधार पर मित्र की निष्कटता बताने से बचा जा सकता है। जब ये उदासीनता बहाकर भावनाओं को आहत करते हैं तो अन्य व्यक्ति भी शान्त रहकर उसी भाँति व्यवहार करते हैं। सफल वार्तिक सम्बन्धों के विकास के लिए भूलना तथा माफ करना सुनहरा नियम है इसी भाँति गाँधी मित्रता के विकास के लिए भी इसी सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके विपरीत टेक्पूर्ण या चातुरीयुक्त या चालाकीपूर्ण कृत्रिम व्यवहार मित्रता को ख़ाई और बड़ा देता है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप मित्र के साथ कृत्रिम व्यवहार होते हुए भी मित्रता निभान का ही प्रयत्न कर। आखिरकार एक लम्बे समय तक किसी को घोर कष्टों में पाकर आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। ये घोर कष्ट शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक सभी प्रकार के हो सकते हैं।

एक पाश्चात्य कहावत के अनुसार मित्रता का अर्थ है सजग बनाना चलावनी देना। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक लगता है कि यह चलावनी देना आलोचना करने से सर्वथा भिन्न है तथा मित्र को लाभ पहुँचाने का दृष्टिकोण ही सर्वोपरि है। यह मानव का स्वभाव है कि यह दूसरों की अपेक्षा अपनी असफलताओं से अधिक चिन्तित रहता है। इस स्थिति में मित्र का कार्य अच्छे बुरे का निर्णय करने का नहीं है। यहाँ मित्र को बताया जाना चाहिए कि दूसरे भी इन्हीं कमजोरियों से पीड़ित हैं ये मित्रों को तग करते हैं तथा मित्रों के भले उनके कल्याण के लिए ये सजग नहीं हैं।

किसी के गलत कार्य या त्रुटिपूर्ण निर्णय लिये जाने पर एक मित्र को उसे बताया ही जाना चाहिए, उसे ध्यान रखना चाहिए कि मित्र की आलोचना न हो। “एकान्त में मित्र को डाँटिये फटकारिये पर प्रकट में मित्र मण्डली में उसकी प्रशंसा कीजिए।” यह एक पुरानी नेक सलाह है। यदि आदमी को यह पता लग जाय कि उसके लिए कौन क्या कह रहा है तो कोई भी किसी का भी मित्र नहीं बन सकेगा। यदि अपने मित्र की प्रशंसा या अच्छाई के लिए प्रकट में कहने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कुछ कहने की अपेक्षा खामोश ही रहिए।

पवित्र बाइबिल के अनुसार कोई किसी का दोस्त नहीं है और कहने का नाम पर सभी मित्र हैं। उनके अमित्रतापूर्ण कार्यों को कौन नहीं जानता

कई आदमी अपन कार्य स्वार्थवश जारी रखते हैं जा आगे चलकर मित्र के साथ विश्वासघात क रूप में सामन आते हैं। इम प्रकार क कपटपूर्ण व्यवहार क उदाहरणों से कई कहानी संग्रह उपन्यास तथा नाटक भरे पडे हैं। ऐसे व्यक्ति प्रकट में प्रशंसा करत हैं या जोरदार शत्रु में पथ लते हैं। ऐसे लाग का कई मुखतापूण तथा अशिष्ट शब्दा स सम्बाधित किया जाता है वे प्रकट में अपने नियोक्ता या अधिकारी की चापलूसी करते हैं क्यकि वे जानते हैं कि य सहायक हो सकते हैं उनको अपनी नीवित्रा में लाभ पहुचा सकत हैं पदानति की सम्भावनाएँ बढा सकते हैं। व अपने आक्रामक छद्म प्रशंसको से उनकी सुरक्षा तथा प्यार का स्वाग रचते हैं तथा सभी चापलूस अपने अधिकारी की कीमत पर जीते हैं। अधिकारियों का यह तथ्य समय रहते समझ लेना चाहिए। क्या कौआ तथा लोमडी की कहानी इस सिद्धान्त की पुष्टि नहीं करती है?

राजनीति तथा व्यापार में लगे लाग यह विश्वास कठिनाई से ही करते हैं कि उनके मित्र हो सकते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार कम या घटिया किस्म का खाना खाओ तथा मित्रता निभाओ। कुछ लोग इससे भी एक कदम और आगे बढकर कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं किया तो वे भविष्य म पूर्ण विश्वास किया जाने वाला कोई मित्र नहीं बना सकत। दुनियागारी के दैनन्दिन व्यवहार में पुराने मित्रो के साथ छोड देने पर मित्रहीनता की विशाल गभीर स्थिति आनी स्वाभाविक है।

मित्रता व्यक्ति का महत्वपूर्ण निजी कार्य है। शायद ही कोई अभागा व्यक्ति इसका महत्व न जानता हो? यद्यपि यह आशिक रूप में ही सही है क्यकि महत्वपूर्ण व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले उनसे नीचे के स्तर के लोगों से उनक सम्बन्ध समान धरातल पर विकसित नहीं होते हैं। यह सवमान्य तथ्य है कि मित्रता समान स्तर के लोगा में ही निभाई जा सकती है।

जहा एक मित्र सदैव ही दूसरे मित्र से अधिक पाने की आशा करता हो वहा सदैव ही मित्रता निभ जाती हो ऐमा कोई विश्वास नहीं किया जा सकता और न ही ऐसा विश्वास कर लेना बुद्धिमानी है। व्यवहार में कई बार विश्वास किया जा सकता है कि एक मित्र दूसर मित्र की आशा से अधिक सहायता करता है पर ऐसा तब ही होता है जबकि उनके सम्बन्ध गाढे हो किसी भी स्थिति में न टूटने वाले हो। दूसरे शब्दों में सहायता की मात्रा या विस्तार सम्बन्धों की प्रकृति पर निर्भर होगी। व्यवहार में कई बार दोनों मित्रों की स्थितियों में परिवर्तन भी आ जाता है।

गुणी चिकित्सक के समान चातुर्य तथा निरीक्षण सजग परिचारिका के समान महनती तथा सावधानी रखना माता के समान धैर्य तथा कोमलता के लक्षण जरूरी है।" इसी भाँति भृंतहरि कहते हैं कि "दुष्ट की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान हाती है-पहले छोटी तथा बाद में क्रमशः बढ़ने वाली।" (नीतिशतक-60) अमृतवर्षन तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि "विद्वज्जनो के साथ की मित्रता आरम्भ में मद मद मध्य म समरस तथा अन्त म अत्यंत स्रहपूर्ण हो जाती है।" (वल्लभ देव कृत सुभाषितावली 254) साराश रूप में बुद्धिमान वीर पुरुष तथा महिलाओं में उच्च श्रेणी का प्यार सर्वाधिक मुक्त व्यवहार महान उपयोगिता विशाल त्याग धार पीडा कडवा सत्य हृदय के अन्त स्थल से कल्याणकारी परामर्श तथा मन की वास्तविक एकता ही मित्रता की कसौटी है। इसी सन्दर्भ में भवभूति ने कहा है कि "प्राण दकर भलाई करना द्रोह तथा छल का कभी नाम न लेना ही मैत्री धर्म है।" महावीर चरित 5 59

मित्रता के सभावित विकास के लिए त्याग के रूप में समय समय पर किये गये प्रयास प्रकाश में आये हैं पर ऐसे बहुत कम उदाहरण ज्ञान में आये हैं जिनमें मित्रता बनाये रखने के लिए, आनन्दानुभूति के लिए त्याग किया गया है। परम आनन्द की प्राप्ति के लिए त्याग ही एक रास्ता है जिससे मित्रता में जुड़ सभी स्त्री पुरुष आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि मित्रों के आनन्द में दूसरा की भलाई में उनकी प्रगति देखकर प्रसन्न होइये उनके उत्थान को ही अपना उत्थान मानिए। ठीक इसी प्रकार के विचार पाश्चात्य विचारक लीडिया वाइल्ड ने भी व्यक्त किये हैं। मित्रता के विकास के लिए चरित्र के ये ही गुण या लक्षण आवश्यक हैं जो एक मानव के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ-निःस्वार्थ भाव उदारता विशाल दृष्टिकाण मानवकल्याण दूसरों के व्यक्तित्व का आदर क्षमा दया शील अहिंसा दुःख निवृत्ति सहिष्णुता विश्वासपात्रता श्रद्धा ईमानदारी कष्ट में मदद करना आदि। यदि क्षण भंगुर जीवन प्राप्त मनुष्य इन सब गुणों के अनुसार सब समय तथा सभी स्थितियों में व्यवहार करना चाह तो यह अति कठिन कार्य होगा क्योंकि मानव स्वभाव के अनुसार वह उनका प्रतिफल की भी आशा करेगा वह अपने द्वारा किये गये कार्यों के अनुसार ही मित्र से त्याग या स्रेट का प्रतिदान भी चाहेगा। पर इन सबसे दूर हटकर सर्वाधिक अच्छी स्थिति है-आप दूसरा से प्यार करें इसके लिए आवश्यक है कि आप दूसरों के भी प्रिय बने अर्थात् साथी मित्र आपसे भी प्यार कर। अतः यह सुनहला नियम याद रखा जाना चाहिए कि मित्र पाने के लिए आप भी दूसरों के मित्र बने।

□

अनुपस्थित पर स्थायी मित्र

बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मित्रता के लिए मित्रता करते हैं। पर ऐसा कहने का भी पक्का आधार है कि आदमा किसी कापवरा या स्वार्थ के धशीभूत होकर ही मित्रता विकसित करत ह। कइ बार बताया जाता है एव सलाह दी जाती है कि अपने सुधार के लिए अधिक सम्पन्न लोग मे मित्रता की जाय या पुराने मित्रों की जगह नये मित्र बनाये जाये क्यकि सम्भव है पुराने मित्र सही भूमिका न निभा रह हों नौकरी करन वाले लोग स्थानांतरण पर एक जगह छाडकर दूसरी जगह जाने पर वहा नय मित्र बनात ही हैं।

एक पिता न अपने पुत्र का स्वेट मॉडन की ' मित्रों का कैसे जीते तथा आदमिया को कैसे प्रभावित कर? ' पुस्तक की प्रति दी ता पुत्र ने लौटाते हुए कहा-"यह पुस्तक तो बहुत कृत्रिमता लिय हुए ह। सही प्रमिया की तरह ही सही मित्र ढूढना तथा प्राप्त करना सम्भव है पर रामाटिक प्रम के समान सहज विकसित मित्रता ही अच्छ फल देती है। पर डॉ जॉन्सन इसक विपरीत विचार रखते है। वे कहते है कि आयु बढन क साथ-साथ यदि मानव का परिचय नहीं बढता है मित्र नहीं बनाता है ता वह शीघ्र ही अलग-थलग पड जाता है एकाकी रा जाता है। साथ ही यह भी सही है कि हम कई मित्रा को मृत्यु के पश्चात ही छोडते हैं और इस भाति व भी क्षणिक नहीं है। इस प्रकार जिन्होंने भौतिक रूप में अपना जीवन बिता दिया है शरीर छोड दिया है वे भी हमारे हृदय म स्थायी छाप छोड जात हैं। यह तथ्य ठीक एसा ही है जैसे कि युद्ध में सैनिकों के आर्ये उठाते ही उनके सामने मित्रा को अनुपस्थित मानते है।

जब तक मित्र जीवित है उन पर प्रकृति के बहुत बडे क्षीमती उपहार के रूप म विचार किया जाना चाहिए। इमरसन ने अपने एक लेख म लिखा है-हम अपने स्वास्थ्य की परवाह करते है अपने मजान की व्यवस्था करत है कपडा का प्रबन्ध करते हैं पर यह सब चीज हमको कौन सर्वाधिक उपयोगी एव अच्छी सुझा सकता है इन सबके लिए कौन सर्वाधिक अच्छी राय दे सकता है? इसका उत्तर है मित्र-एकमात्र मित्र। 'इसीलिए चार्ल्स कैत्व कॉल्टन ने कितना ठीक कहा है कि सच्ची मित्रता उत्तम स्वास्थ्य के समान है उसका महत्व तभी ज्ञात होता है जब हम उसे छो बैठते हैं। मित्र पाने के लिए स्वय भी मित्र बनिये

इमरसन न अपने एक अन्य लेख में लिखा है कि मित्र पाने के लिए आपको भी किसी का मित्र बनना चाहिए-इस सिद्धान्त या तथ्य को आप हल्का फुल्का न समझिए। इसी सन्दर्भ में मित्र की भूमिका की कसौटी के लिए अर्त आफ क्लेरण्डन क विचार देखिए-"मित्रता क विकास के लिए

गुणों चिकित्सक क समान जातुर्य तथा निरोधन सजग परिचारिका क समान मेहनती तथा सावधाना रखना माता क समान धैर्य तथा कामलता क लक्षण जरूरी है।" इसी भाँति भूतहरि कहते हैं कि "दुष्टा की मित्रता दापहर से पहल का छाया क समान होती है-परले छोटी तथा याद में ब्रमश बढ़ने वाली।" (मातिशतक-60) अमृतपर्दन ता इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहत ह कि "विद्वज्जना के साथ की मित्रता आरम्भ में मद मद, मध्य में समरस तथा अन्त में अत्यन्त छेहपूण हो जाती है।" (वल्लभ दय कृत सुभाषितावली 254) साराश रूप में बुद्धिमान धीर पुरप तथा महिलाओं में उच्च श्रणी का प्यार, सर्वाधिक मुक्त व्यवहार, महान उपयोगिता विशाल त्याग धार पीडा कडवा सत्य हृदय क अन्त स्थल से कल्याणकारी परामश तथा मन की वास्तविक एकता ही मित्रता की कसाटी है। इसी सन्दर्भ में भवभूति ने कहा है कि "प्राण देकर भलाई करना द्राद तथा छल का कभी नाम न लेना ही मैत्री धर्म है।" "महावीर चरित 5 59

मित्रता क सभावित विकास क लिए त्याग क रूप में समय समय पर किये गये प्रयास प्रकार में आप हैं पर ऐसे बहुत कम उदाहरण ज्ञान में आय हैं जिनमें मित्रता बनाय रखने के लिए, आनन्दानुभूति के लिए त्याग किया गया है। परम आनन्द की प्राप्ति के लिए त्याग ही एक रास्ता है जिससे मित्रता में जुड़ सभी स्त्री पुरप आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि मित्रों के आनन्द में, दूसरों की भलाई में उनकी प्रगति देखकर प्रसन्न होइये उनके उत्थान को ही अपना उत्थान मानिए। ठीक इसी प्रकार के विचार पाश्चात्य विचारक लीडिया वाइट ने भी व्यक्त किये हैं। मित्रता क विकास के लिए चरित्र के ये ही गुण या लक्षण आवश्यक हैं जो एक मानव के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ-नि स्वार्थ भाव उदारता विशाल दृष्टिकोण मानवकल्याण दूसरों के व्यक्तित्व का आदर क्षमा दया शील अहिंसा दुःख निवृत्ति सहिष्णुता विधासपात्रता श्रद्धा ईमानदारी कष्टों में मदद करना आदि। यदि क्षण भंगुर जीवन प्राप्त मनुष्य इन सब गुणों के अनुसार सब समय तथा सभी स्थितियों में व्यवहार करना चाहे तो यह अति कठिन कार्य होगा क्योंकि मानव स्वभाव के अनुसार वह उनके प्रतिफल की भी आशा करेगा वह अपने द्वारा किये गये कार्यों के अनुसार ही मित्र से त्याग या सहाय का प्रतिदान भी चाहेगा। पर इन सबसे दूर हटकर सर्वाधिक अच्छी स्थिति है-आप दूसरों से प्यार करें इसके लिए आवश्यक है कि आप दूसरों के भी प्रिय बने अर्थात् साथी मित्र आपसे भी प्यार करे। अतः यह सुनहला नियम याद रखा जाना चाहिए कि मित्र पाने के लिए आप भी दूसरों के मित्र बन। □

सवेदनशीलता के लिए शिक्षा

मानवीय सवेदनशीलता का अर्थ सीधे सादे शब्दों में या बताया जा सकता है कि मात्र अपनी दह की अपने स्वार्थों की चिन्ता न कर दूसरों के सुख दुःख में विपत्ति न विषम परिस्थितियों में हाथ बटाना। इसी बात को ऐतरेय ब्राह्मण में या कहा गया है कि दूसरों के हित न त्याग करना ही प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। इसका आशय मात्र यही है कि मानव केवल अपने लिये ही न जीये उसे दूसरों के सुख दुःख में सहभागी बनना चाहिए, वह दूसरों के लिये भी जीना सीखे उसे दूसरों की सुख सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी इच्छाओं का विचार का भी सम्मान करना चाहिए। एक बार हुआ था कि रावदास वाले प्रधानाचार्य श्री शर्मा ने जब देखा कि चार दिन से उनके सहायक कर्मचारी गणेशराम के अवकाश का प्रार्थना पत्र आ रहा है चार दिन समाप्त होने पर दो दिन का अवकाश और बढ़ा लिया। रविवार को भी उसे उपस्थित हाना था पर अन्य सहायक से मिलकर रविवार को भी न आने की व्यवस्था करली। जब मि शर्मा को पता लगा कि गणेशराम नहीं आ रहा है तो उन्हें चिन्ता हुई। गणेश बिना पूछे कभी गैर हानिर नहीं रहता है अवकाश नहीं लेता है पूछ कर ही छुट्टी पर जाता है। हो न हो उस पर कोई विपदा आ गई है। प्रधानाचार्य मि शर्मा से रहा नहीं गया वे गणेश के घर चले गये। प्रधानाचार्य को देखते ही गणेश शर्मिन्दा हो गया बोला-सा 55 व आप यहाँ बच्चा जरा बीमार हो गया था अब सुधार हो रहा है मैं शीघ्र ही काम पर लौट आऊंगा। प्रधानाचार्य बोले-अरे गणेश बच्चा इतना बीमार हो गया कि खाट ही पकड़ली और तुमने बताया भी नहीं। तुम स्कूल की चिन्ता न करो करो। बोलो-मैं सकता हूँ बाजार से कोई हो तो बताओ। न करो-गणेश ने नम्रतापूर्वक ने गणेश रुपये का नोट दे दिया और हो सकती के समय कम से आप हैं विवश न तो चुके थे।

सारे ग्रन्थो नीतिशास्त्रा का ही सार इसम आ जाता है कि हम दूसरो के लिए काम आ सक तभी इस शरीर की सार्थकता है। मानव जीवन का उद्देश्य ही यह बनता है कि आप दूसरा के लिए जीना सीखे सामूहिक उन्नति का प्रयास करे मित्रा को सुखी बना सके दूसरों को प्रगति क पथ पर आगे बढ़ते देख कर प्रसन्न हो उनकी उन्नति में ही अपना उन्नति माने। यदि आप दूसरों को सुखी बनान में तनिक भी यागदान कर सके तो आपका जीवन स्वत ही उन्नत एवं ससृत बन जायेगा। मित्र आपके दृष्टिकान का आदर करेंगे दूसरा क हित में अपना हित सोचग आर आपको कभी किसी का अभाव ही अनुभव नही हागा। ऐसा विचार ही आपको किसी का शापण न करने को उद्यत बनायगा सबके साथ आपका व्यवहार उदारतापूर्ण हागा अपन लाभ की बात पीछे तथा मित्र-दूसरा के हित की लाभ की बात आप आगे रखेंग आप किसी पर नाराज नही हागे सबक साथ सहिष्णु बन जायेंगे दूसरा का काम निबटाना उनकी सवा करना ही आपका जीवन दर्शन बन जायगा। परिणाम स्वरूप आपको सबका स्नेह मिलगा आपको सभी मोर्चों पर सफलता मिलगी सेवा का मूल है प्रेम अहिंसा और परांपकार। इस भाति सेवा से जा सुख मिलता है सही अर्थों में घरी एक मात्र सच्चा सुख है। व्यवहार में आप देखत है कि कई बार धनी शिक्षित व्यक्ति मानवीय व्यवहार से नीचे गिर जाते हैं। राजस्थानी में एक कहावत है जिसके अनुसार ऐसे व्यक्ति पढ ता बहुत है पर गुण नहीं अर्थात् ज्ञान को उन्हाने जीवन में नहीं उतारा है।

सभी साचते हैं कि मानव का स्वभाव सुखी जीवन जीने का है। यह मिल जाये तो अच्छा है यह सुविधा मिल जाय तो जीवन थोडा आरामदायक हो सकता है। मनुष्य यह नही सोचता कि जितनी सुविधाए यह चाहता है जितने सुखो की यह चाहना कर रहा है उतने ही सुख सुविधाए मित्र या सगी साथी भी तो चाहते होंगे चाह सकते है। यदि ये सब आपको मिल जायें तथा साथिया को न मिले तो य दु खी हागे। क्या य सब आप उनके हिस्से में से प्राप्त नही कर रह है? यदि ऐसा है तो कल्पना कीजिये कि समग्र समाज सुखी कैसे रह सकता है? एक अच्छे इन्सान क रूप में यह तो आपको सोचना ही हागा।

अरुण को फेकरी पहचाना है-देर हो रही है। यदि उनकी पत्नी कोट पहनने में या डूढ कर उपलब्ध करवाने में मदद करती है तो अरुण प्रसन्नचित फेकरी पहचत है। माना कि उनकी पत्नी उर्वशी को भी कई काम निपटाने ह। पर अरुण के रवाना हाने के बाद सभी समय जैसा चाहे जो

सवेदनशीलता के लिए शिक्षा

मानवीय सवेदनशीलता का अर्थ सीधे साधे शब्दों में या बताया जा सकता है कि मात्र अपनी दह की अपने स्वार्थों का चिन्ता न कर दूसरों के सुख दुःख में विपत्ति म विपन्न परिस्थितिया में हाथ चढ़ाना। इसी बात को एतरेय ब्राह्मण में या कहा गया है कि दूसरों के हित में त्याग करना ही प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। इसका आशय मात्र यही है कि मानव केवल अपने लिये ही न जीय उसे दूसरों के सुख दुःख में सहभागी बनना चाहिए, वर दूसरों के लिये भी जीना सीखे उसे दूसरों की सुख सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी इच्छाओं का विचार का भी सम्मान करना चाहिए। एक बार हुआ यो कि रावणार वाले प्रधानाचार्य श्री शर्मा ने जब देखा कि चार दिन से उनके सहायक कर्मचारी गणेशराम के अवकाश का प्रार्थना पत्र आ रहा है चार दिन समाप्त होने पर दो दिन का अवकाश और बढ़ा लिया। रविवार को भी उसे उपस्थित होना था पर अन्य सहायक से मिलकर रविवार को भी न आने की व्यवस्था करली। जब मि शर्मा को पता लगा कि गणेशराम नहीं आ रहा है तो उन्हें चिन्ता हुई। गणेश बिना पूछे कभी गैर हाजिर नहीं रहता है अवकाश नहीं लेता है पूछ कर ही छुट्टी पर जाता है। हो न हो उस पर कोई विपदा आ गई है। प्रधानाचार्य मि शर्मा से रहा नहीं गया वे गणेश के घर चले गये। प्रधानाचार्य को देखते ही गणेश शमिन्दा हो गया बोला-सा 55 व आप यहाँ बच्चा जरा बीमार हो गया था अब सुधार हो रहा है मैं शीघ्र ही काम पर लौट आऊंगा। प्रधानाचार्य बोले-अरे गणेश बच्चा इतना बीमार हो गया कि छाट ही पकडली और तुमने बताया भी नहीं। तुम स्कूल की चिन्ता न करो बच्चे की देखभाल करा। बोले-मैं क्या कर सकता हूँ बाजार से कोई दवाई आदि मगानी हो तो बताओ। साहब शर्मिन्दा न करे-गणेश ने नम्रतापूर्वक कहा। चलते चलते प्रधानाचार्य ने गणेश को 100 रुपये का नोट दे दिया और बोले इसे रखलो जरूरत हो सकती है घेतन के समय कम ले लेना। ठीक काम । गणेश -साहब आप बड़े लोग हैं विवश न करे। सब ठीक चल रहा है। पर प्रधानाचार्य तो खाना हो चुके थे।

सारे ग्रन्था नीतिशास्त्रा का ही सार इसम आ जाता है कि हम दूसरा क लिए काम आ सके तभी इस शरीर की सार्थकता है। मानव जीवन का उद्देश्य ही यह बनता है कि आप दूसरों क लिए जीना सीख सामूहिक उन्नति का प्रयास करे मित्रा को सुखी बना सके दूसरों को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते देख कर प्रसन्न हो उनकी उन्नति म ही अपनी उन्नति माने। यदि आप दूसरों को सुखी बनान म तनिक भी योगदान कर सके ता आपका जीवन स्वत ही उन्नत एव ससृत बन जायगा। मित्र आपक दृष्टिकोण का आदर करेग दूसरा क हित म अपना हित सोचग और आपको कभी किसी का अभाव ही अनुभव नही होगा। ऐसा विचार ही आपको किसी का शापण न करन का उद्यत बनायेगा सयक साथ आपका व्यवहार उदारतापूर्ण हागा अपने लाभ की बात पीछे तथा मित्रो-दूसरा क हित की लाभ की बात आप आगे रखेंगे आप किसी पर नाराज नही हागे सबक साथ सहिष्णु बन जायेंगे दूसरा का काम नियंटाना उनकी सवा करना ही आपका जीवन दर्शन बन जायगा। परिणाम स्वरूप आपका सयका खेद मिलगा आपको सभी मोर्चों पर सफलता मिलगी सेवा का मूल है प्रेम अरिसा और परोपकार। इस भाति सेवा से जा सुख मिलता है, सही अर्थों म वही एक मात्र सच्चा सुख है। व्यवहार म आप देखते है कि कई बार धनी शिक्षित व्यक्ति मानवीय व्यवहार से नाचे गिर जात है। राजस्थानी में एक कहावत है जिमके अनुसार ऐसे व्यक्ति पडे तो बहुत है पर गुणे नहीं अर्थात् ज्ञान को उन्होंने जीवन में नहीं उतारा है।

सभी सोचते हैं कि मानव का स्वभाव सुखी जीवन जीने का है। यह मिल जाये तो अच्छा है यह सुविधा मिल जाये तो जीवन थोडा आरामदायक हो सकता है। मनुष्य यह नही सोचता कि जितनी सुविधाए वह चाहता है, जितने सुखा की वह चाहना कर रहा है उतने ही सुख सुविधाए मित्र या सगी साथी भी तो चाहत होंगे चाह सकते है। यदि वे सब आपको मिल जायें तथा साथिया को न मिले तो वे दु खी हागे। क्या ये सब आप उनके हिस्से में से प्राप्त नही कर रह है? यदि ऐसा है ता कल्पना कीजिये कि समग्र समाज सुखी कैसे रह सकता है? एक अच्छे इन्सान के रूप में यह तो आपको साचना ही होगा।

अरुण को फेकरी पहचाना है-देर हो रही है। यदि उनकी पत्नी कोट पहनने मे या दूढ कर उपलब्ध करवाने म मदद करती है तो अरुण प्रसन्नचित फेकरी पहचते है। माना कि उनकी पत्नी उर्वशी को भी कई काम निपटाने ह। पर अरुण के रवाना होने के बाद सभी समय जैसा चाहे जो

चाह काम वे कर सकती है। जरा कोट उपलब्ध करा देने से अरुण को कितना सुख मिलेगा वह प्रसन्नचित फेक्टरी पहुँचेगा दिनभर कर्मचारियों के साथ स्वस्थ दिमाग से चहकते हुए चेहरे के साथ काम निपटायेगा। अब कल्पना कीजिये कि इस असमजस की स्थिति में यदि वह घर पर आलमारी की चाबी भूल जाता है या चश्मा छूट जाता है तो उसे दिन भर कितनी असुविधा हो सकती है? यदि वह अप्रसन्न हुआ उदासीन हुआ तो दिन भर चिडचिडा रहेगा वह सहकर्मियों से झगड भी सकता है इससे उसे मानसिक शान्ति तो नहीं मिल सकती काम का घाछित मात्रा में निष्पादन नहीं होगा अपनी ध्वय की हानि हागी और मोटे रूप से राष्ट्रीय अपव्यय होगा।

उर्ध्वशी जिस भाति पति को प्रसन्नतापूर्वक हसमुख मुद्रा में रवाना कर रही है उसी भाति उस सन्ध्या में पति का लौटने पर स्वागत भी करना चाहिए। दिन भर का थका काम के प्रति उदासीन कर्मचारियों को राह पर लाने में उसे कितने प्रयत्न करने पडे हैं इन सबमे दूर घर पर उसे बनावटीपन नहीं लगना चाहिए मा पत्नी तथा बच्चों का स्नेह प्यार वात्सल्य उस मिले घह पूरी तरह से स्वतन्त्रता अनुभव कर सके खुल कर अट्टहास के साथ यह हस सके। यदि यह सब हो जाता है तो वह एक उपयोगी नागरिक के रूप में राष्ट्र की सेवामें प्रस्तुत होता है।

दूसरी की सुरक्षा कीजिये आपकी सुरक्षा अपने आप हो जायेगी दूसरो को सुख पहुँचाइये कई कठिनाइया स्वत ही हल हा जायेगी। एक बार विद्यालय निरीक्षक निरीक्षण के लिए पधार विद्यालय सुव्यवस्थित चल रहा था-कोई गम्भीर अव्यवस्था देखने को नहीं मिली तो सहसा निरीक्षक जी ने पूछा-अर्द्धवार्षिक परीक्षा की वापिस जाच कर अभी तक किसने नहीं लौटाई है? प्रधानाध्यापक भी चतुर थे। बात टालने के लिए निरीक्षक जी को अन्य अभिलेख देखने में व्यस्त कर दिया। पर फिर दूसरी बार निरीक्षक जी ने वही प्रश्न किया इस बार प्रधानाध्यापक ने विद्यालय पत्रिका की तैयारी का विवेचन आरम्भ कर दिया पर निरीक्षक जी ने फिर उत्तर पुस्तिकाओं के लिए पूछा। अब देखिए प्रधानाध्यापक किस प्रकार अपने साथियों का बचाता है? प्रधानाध्यापक का उत्तर था कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाय जाच कर समय पर न लौटाने वाला की सूची में पहला नाम ता मेरा लिखिये-मैंने अभी तक नहीं लौटाई है। अब मैं परीक्षा प्रभारी को बुला कर पूछ लेता हूँ कि और ऐसे कितने अध्यापक हैं? स्वयं प्रधानाध्यापक का नाम आते ही बात यही आई गई हो गयी। जब यह बात लिपिक ने स्टाफ के साथियों को अगले दिन बताई तो प्रधानाध्यापक जी का चेहरा कितना प्रसन्न था? स्टाफ

के साथी तो एहसान मान ही रहे थे।

दूसरो की सुविधा का तनिक ध्यान रखिये-उनके मन को जीत लीजिये उनको कष्ट में मत डालिये फिर देखिये कैसा य कितना आश्चर्यजनक काम होता है कितना अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। एक बार एक जिला शिक्षा अधिकारी प्रात ही विद्यालय में पहुचे तथा सामान्य बातचीत क बाद वे जानना चाहते थे कि कौन कौन अध्यापक मुख्यावास पर नहीं रहते हैं। प्रधानाध्यापक यह तथ्य बताना नही चाहते थे। बोले सर आप प्रार्थना सभा तो देखना ही चाहेगे प्रार्थना हो ही रही ह-पधारिये बच्चा को आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना से लौट कर, आफिस मे पहुच कर शिक्षा अधिकारी जी ने फिर मुख्यावास पर न रहने वालों के नाम जानना चाहा तभी प्रधानाध्यापक बोले-सर घटी लग गई है तथा अध्यापन कार्य शुरू हो गया है-आप तो अपने समय के ख्याति प्राप्त अग्रेजी क अध्यापक रह है तो हमारे शिक्षका का मार्गदर्शन कीजिये। प्रधानाध्यापक ने कागज लगे क्लोप पेड को शिक्षा अधिकारी जी की ओर बढ़ाते हुए कहा सर नवी कक्षा में अग्रेजी पढाई जा रही है। कक्षा देख कर अधिकारी जी जब घापस पधारे तो फिर वही रट कि उन अध्यापकों के नाम बताओं भाई टालो नही। अब तो प्रधानाध्यापक जी को बोलना ही था वे बोले-सर सबसे पहले मेरा नाम लिखिये मैं यहा नही रहता हूँ, मैं ही सदैव अपडाउन करता हूँ। अब मैं पूछ लेता हूँ कि कौन कौन यहा नही रहते है? मैं सोचता हूँ कि सब यही रहते है पर पुष्टि के लिए प्रथम सहायक से पूछ लेना भी जरूरी है। वस इतना कहना था कि बात यही समाप्त हो गई-समाप्त होनी ही थी।

अब आप जरा ध्यान दीजिये कि प्रधानाध्यापक ने इन दो उदाहरणों म अपने सहकर्मियो के प्रति सहानुभूति बताई है उनको कष्ट से बचाया है ऐसा करके उनका हृदय जीता है। अब यदि कभी प्रधानाध्यापक यह कहे कि बोर्ड की परीक्षा निकट आ रही है जरा दसवीं तथा बारहवीं कक्षा क विद्यार्थियों को रविवार को मार्गदर्शन देना है जिससे कि वे परीक्षा म अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर सके या गणित या अग्रेजी का पाठ्यक्रम अतिरिक्त समय मे पूरा करवाइये या विज्ञान का प्रायोगिक कार्य विद्यालय समय क बाद रक कर पूरा करवाइये तो क्या वे शिक्षक मना करेगे? यदि कभी प्रधानाध्यापक पर कोई कष्ट आता दिखा तो क्या वे सब शिक्षक एक हो कर कष्ट स बचने का उपाय नही करेंगे? ऐसे ही क्षणा मे सवदनशीलता स्पष्ट हाती है। सब क सब अध्यापक पूरा स्टाफ प्रधानाध्यापक की सहायता के लिए खडा हो जायेगा। अधिकारी को चाहिए कि अधीनस्थ अधिकारियों

एव कर्मचारिया का साहस बढ़ाये उनकी पीठ धपथपाये उनको उत्प्रेरित करे उनके हितों की सुरक्षा करे फिर देखिये कार्यों में कैसी चमत्कारपूर्ण सफलता मिलती है!

ऐसे संवेदना के सहानुभूति के मदद के अक्सर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। आवश्यकता है उन्हें समझने की तथा समझ कर लाभ उठाने की। दीप्ति कालेज से आई है आज उसे गृहविज्ञान की व्यावहारिक परीक्षा देनी थी-पता नहीं लगातार यह कितनी दर खड़ी रही यही स्थिति सुधा की विज्ञान के व्यावहारिक कार्यों के समय हो जाती है। अब यदि इनके घर लौटते ही माता वहे कि बेटी-खाना बनाले तो दीप्ति या सुधा को कैसा लगेगा? इसके विपरीत यदि माता दीप्ति के आते ही उसे नाराज देती है या चाय पिलाती है या सुधा को पानी का गिलास देती है तो दीप्ति या सुधा का मन कितना प्रसन्न होगा? दिन भर की थकान से सुधा या दीप्ति का मुझाया चेहरा एक दम खिल उठेगा ये प्रसन्नता से भर उठेगी। माता भी थकी हो सकती है सम्भव है वे भी दिन भर व्यस्त रही हों पर माता को अपनी थकान या व्यस्तता नहीं बतानी है। माता को बेटी का स्वागत करना है उसकी दिनचर्या पूछनी है। माता की थकान तो पुत्री दूर करेगी ही उसके कामों में हाथ बटायेगी ही। पर इसके विपरीत यदि आपने उदासीनता बरती या झुंझलाहट बताई तो जीवन कष्टमय हो जायेगा। प्रयत्न कीजिये कि जीवन मधुर एवं सुखमय बन सके। बेटी आपसे ही तो शीलगुण नम्रता अध्ययनाय विनय संवेदनशीलता सीखती है। पुत्री का भी दायित्व है कि यह मा के कामों में सहायता करे मा के सिर में तेल डालना उसके कपडों पर इस्तरी कर देना यदि ये विश्राम करके उठी है तो तत्काल ही चाय तैयार कर प्रस्तुत करना अच्छे परिवार के लक्षण है ऐसे परिवारों में स्वर्ण के समान सुख छाये रहते हैं घर के अन्य सदस्यों की सुख सुविधा का ध्यान रखे-यही तो संवेदनशीलता है। माता-पिता भाई का अधिक ध्यान रखते हैं तो इसको भी बुरा न माने आप अधिकाधिक काम कर माता पिता की अधिक लाडली बन सकती है माता पिता का मन रखने के लिए आप भी भाई को अधिक सम्मान दे उसका ध्यान रखे ऐसा करके आप माता पिता की भावनाओं की रक्षा कर रही हैं बदले में आपको भी मिलता है भैया का असीमित लाड दुलार प्यार। माता पिता भाई का अधिक ध्यान रखते हैं या उसके लिए अधिक सुख सुविधाएं जुटाते ह-ध्यान रखिये कि इन बातों पर सोच विचार करके कभी भाई से ईर्ष्या या डाह न करे नहीं तो परिवार नरक बन जायेगा। आपको कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भाई या माता-पिता को

कष्ट पहुँचे। मा को घंटी की तथा बेटी को मा की भावनाओं का सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना ही है। पारिवारिक सुख शान्ति के लिए दूसरो के मन की उनकी भावनाओं की रक्षा कीजिये उनके विचारा पर ध्यान दीजिये।

पति क रूप मे आपकी जिम्मेदारी अधिक हो सकती है आपका कार्यक्षेत्र घर के बाहर रहता है। पर जब भी घर पढ़रहने का अवसर मिलता है तो पत्नी क कामों म हाथ बटाना न भूलिये। पत्नी गाय को पानी पिला रही है तथा घर पर मेहमान आ गये है तो रमेश बिना पत्नी की प्रतीक्षा किये स्वय ही मेहमान के लिये पानी का गिलास ले आता है। इसी भाति जब कभी पत्नी रसोईघर में व्यस्त दीखी तथा मुन्ना रान लगा ता रमेश तत्काल ही उसे गोद म ले लेता है। रमेश के दिमाग म है ही नहीं कि यह काम केवल पत्नी का ही है पत्नी को ही करना है। मनोविज्ञान क अनुसार काम म जब परिवर्तन आता है ता यह परिवर्तन ही विश्राम का रूप ल लेता है परिवर्तन से एकरसता समाप्त होती है तथा सुख मिलता है।

इसके विपरीत यदि पति कार्यालय से आते ही बच्चों पर क्रोध करे पत्नी के काम में दोष निकाले उसकी आलोचना करे उसकी उपेक्षा कर उसकी कम शिक्षा पर ताना मारे या उसकी ओर ध्यान न दे तो परिवार कष्टा मे फस जायेगा। पत्नी भी आपकी ही तरह सवेदनशील है उसका भी हृदय है वह भी प्यार छोट सम्मान चाहती है आप ही उसे सभा-सोसायटी में ले जाने योग्य बनाइये पत्नी म कई अन्य गुण हो सकते है कई अन्य मित्रा में सराही जान वाली विशेषतायें हो सकती हैं आप उन पर ध्यान दीजिये नकारात्मक दृष्टिकोण छोडिये इस पास न आने दीजिये। लखक का क्षतिपूर्ति सिद्धान्त म दृढ विश्वास है। व्यवहार में आप देखत है कि अधे व्यक्ति कितने सहनशील होते है जब दो अधे व्यक्ति टकरा जाते है तो वे कुछ नहीं कहते। एक कमी की जगह दूसरे गुण की अधिक पूर्ति हा गई। कई चाये हाथ से लिखन वालों को लिपि कितनी सुन्दर होती है माना मोती हो। इन उदाहरणों म क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त ही काम कर रहा है।

पत्नी आपक प्यार भरे दो शब्दा की भूखी है उसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बच्चा को आप प्यार करे यही उसे प्रसन्नता से भर दगा। प्रभाकर पत्नी के बनाये खाने की बड़ी प्रशंसा करता है। कभी वह रसाई में देखता है कि पत्नी सब्जी कतर रही है तथा दूध चूल्हे पर गर्म हो रहा है तो प्रभाकर पत्नी से यात करने के बटाने दूध उबलने तक वही खडा रहता है तथा चूल्हा बंद कर देता है। एसा करके प्रभाकर पत्नी की सहानुभूति जीत लेता है। पत्नी भी यदि कभी कष्ट में है ता सहानुभूति जतायें। प्रभाकर पत्नी की सहलियों

का बड़ा सम्मान करता है कभी कभी वह उन्हें पत्र पत्रिकाओं में लिखने के लिए भी प्रेरित करता है मागदर्शन करता है यताता है कि किस पत्रिका में क्या छपने की सम्भावना हो सकती है। पत्नी आपके परिवार का आपका अभिन्न अंग है और उसका अपना स्थान है उसका अपना व्यक्तित्व है आप उसकी गरिमा स्वीकार कीजिये उसका महत्वपूर्ण स्थान है उसकी भावनाओं की विचारों की रक्षा कीजिये उन्हें उच्च स्थान प्रदान कीजिये।

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि कोरा किताबी ज्ञान या सैद्धान्तिक ज्ञान ही काफी नहीं है। लेखक के ज्ञान में ऐसे कई दम्पती है जो उच्च शिक्षा प्राप्त ह पर पारिवारिक कार्यों में तालमेल न बिठा पाने से दोनों के सम्बन्ध बिच्छेद हो गये दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं दोनों अपने अपने विचारों पर हठता से अड जात दोनों का अपना अपना अहम् सुमधुर वातावरण की रचना में बाधा बन जाता। इससे स्पष्ट होता है कि सैद्धान्तिक ज्ञान तथा दुनियादारी की समझ बृद्धि में बड़ा अन्तर है दोनों में बुनियादी भेद है। उच्च शिक्षा प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञान धनी उदारता सवेदनशीलता न होने पर अग्रिय हो सकता है। सम्भव है वह दूसरों का दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न ही न करे यह आवश में कुछ भी बोल सकता है यह बिडबिडा हा सकता है उसकी बाली कर्कश हा सकती है उसका व्यवहार मानवता से परे हो सकता है यह शीघ्रता में किसी को कुछ भी कह कर अपमान कर सकता है। ऐसे आदमियों से कौन मित्रता करना चाहेगा? यह तो मनुष्य रूप में पशु समान है उसे दूर से ही नमस्कार कीजिए।

□

विकास के लिए शिक्षा

राजस्थानी में एक कहावत के अनुसार पढ़े लिखे व्यक्ति के चार आँखें होती हैं। व्यवहार में चार आँखें किसी भी व्यक्ति के नहीं देखी जाती-अतः इसके शाब्दिक अर्थ पर ध्यान न देकर गूढ़ अर्थ में छिपी भावना पर विचार करना चाहिए। सही अर्थों में पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं जीता वह दूसरों के सुख दुःख में भागीदार बनता है उनकी सहायता करता है बड़ हितों के लिए छोटे स्वार्थों का त्याग करना सीखता है सहकार के साथ काम करके प्रसन्नता-गौरव अनुभव करता है और सन्तुष्ट व्यक्ति ही कम समय में अधिक काम का निष्पादन करता है। ऐसी शिक्षा ही सही शिक्षा है विकास की शिक्षा है।

पिछली तीन चार दशकियों से विश्व के सामाजिक चिन्तकों अर्थशास्त्रियों समाजविज्ञानियों तथा योजना बनाने वालों का ध्यान विकास की ओर केन्द्रित रहा है। आज सभी निर्धन देश विकास करना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि केवल विकास या सम्पन्नता ही उनके देशवासियों की भुखमरी बकारी गरीबी एवं असन्तोष आदि से छुटकारा दिला सकती है। विकास के लिए शिक्षा ही इस प्रकार का विचार का फलितार्थ है। आज प्रत्येक राष्ट्र विकास की दृष्टि से ही शिक्षा की योजनाएँ बना रहा है। भारत में विकास के लिए शिक्षा के विचार ने 1960 से ही जोर पकड़ा तथा कोटारी शिक्षा आयोग (1964-66) ने तो अपने प्रतिवेदन का नाम ही शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पसंद किया।

यद्यपि निर्धन राष्ट्र भी विकास के लिए शिक्षा पर विचार कर रहे हैं तथा योजनाएँ भी बना रहे हैं पर वे विकास के लिए शिक्षा की निश्चित भूमिका पर अयमजस में हैं सन्देह में हैं। क्या शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास में मदद करती है? यदि हा तो कैसे? किस प्रकार प्राविधिक तकनीकी व्यावसायिक साहित्यिक या उदार या धंधा की तथा किस स्तर की (पूर्व प्राथमिक प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक या उच्च या विश्वविद्यालय स्तरीय) शिक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक मदद कर सकती है? क्या शिक्षा का नियोजन इस प्रकार किया जा सकता है कि इससे विकास

को कई गुनी तीव्र गति से दर मिले? आज विश्व के विभिन्न देशों में इस प्रकार के प्रश्नों पर विवाद है। प्रस्तुत अध्याय में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का विनम्र प्रयास किया जा रहा है जिससे आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश पड़े तथा नीति निर्धारण में लाभ उठाया जा सके।

व्यवहार में देखा जाता है कि शिक्षित व्यक्ति मशीनों को अधिक सावधानी से चलाता है इससे उनका जीवन (लाइफ एक्सपेक्टेन्सी) बढ़ता है उनके रखरखाव या सार सम्भाल पर खर्चा कम आता है। कारीगर कम समय में उतनी ही या अधिक मात्रा में वस्तुएँ पैदा करता है, इससे प्रति इकाई लागत खर्च कम आता है तथा वस्तुएँ सस्ती बिकती हैं इससे उपभोक्ता अधिक वस्तुएँ काम में लेने योग्य बनाते हैं इससे सम्पन्नता बढ़ती है। सम्पन्न व्यक्ति अच्छा खाना अच्छा कपड़ा अच्छा मकान तथा बच्चों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा तथा मनोरंजन के साधन जुटाता है। यदि उनका जीवन स्तर ऊँचा उठता है तो वे नई वस्तुओं की मांग करेंगे जिससे उनका उत्पादन बढ़ाया जायेगा या शुरू किया जायेगा व्यवसायी अधिक उत्पादन के लिए अधिक श्रमिक चाहेंगे इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वृहद् स्तर पर उत्पादन के कारण वस्तुएँ सस्ती होंगी फलतः उनकी और मांग बढ़ेगी तथा इस प्रकार यह रोजगार के अवसरों की वृद्धि का चक्र निरन्तर चलता रहेगा।

पाश्चात्य देशों में हुए अनुसंधानों से स्पष्ट हुआ है कि शिक्षित महिलाओं ने कम सन्तान को जन्म दिया है अर्थात् गर्भ धारण करने की उनकी इच्छा में कमी आई है इससे माताओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है जीवन का विस्तार बढ़ा है तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवारत अन्य जरूरतमंदों को उपलब्ध होने लगी है बच्चा के लालन-पालन में सुधार हुआ है उनका जीवन स्तर ऊँचा उठा है इससे उन्हें उपयोगी नागरिक बनने में मदद मिली है। यह प्रभाव भारत में भी देखा जा सकता है।

रोजगार प्राप्त कम शिक्षित व्यक्ति को उच्च शिक्षा पाते ही उच्च पद पर पदोन्नत कर, उच्च वेतन उपलब्ध करवाकर समाज में धन के समान वितरण को अग्रसर किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा न केवल उत्पादन तथा विनियोग में ही मदद करती है वरन् यह वितरण में भी मदद करती है संक्षेप में यही विकास के लिए शिक्षा है।

विकास के लिए शिक्षा का अर्थ

विकास के लिए शिक्षा का अर्थ समय समय पर बदलता रहा है। कभी जिस सन्दर्भ में प्रगति (प्रोग्रेस) शब्द का प्रयोग किया जाता था आज

उसी सन्दर्भ में विकास शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है और आज भी भिन्न-भिन्न लक्षण विकास का भिन्न-भिन्न अर्थ लगाते हैं वे सब विकास के एक अर्थ पर मतेक्य नहीं रखते हैं यह क्षेत्र बड़ा ही विवादास्पद बन गया है। अर्थशास्त्री विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि या यढ़वार (ग्रोथ) से लगाते हैं जबकि समाजशास्त्री इसका अर्थ प्रचलित सामाजिक प्रतिमान पर नये प्रतिमान की स्थापना या परिवर्तन से लेते हैं। इस तथ्य को लेकर विभिन्न चिन्तक या योजना निर्माता अपने विचारों में कितनी ही भिन्नता रखते हो वे सब इस एक बात से सहमत हैं कि विकास का जनसाधारण की सम्मत्ता तथा उनके कल्याण से गाढा सम्बन्ध है। इस दृष्टि से स्पष्ट कहा जा सकता है कि विकास का अर्थ जनसाधारण के लिए युनियादी सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि उनके जीवन स्तर में सुधार तथा उनके सोचने-विचारने के दृष्टिकोण में व्यापकता लाना है। उत्पादन तथा वित्तीय साधनों में वृद्धि करके यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। इस क्रम में यातायात तथा सम्प्रेषण के साधन भी जोड़े जा सकते हैं यहीं शिक्षा तथा चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विकास की इस प्रक्रिया में प्राकृतिक सम्पदा तथा भौतिक सुविधाओं की महत्वपूर्ण ही नहीं निर्णायक भूमिका भी रहती है। इन दोनों की अनुपस्थिति में विकास की प्रक्रिया पर विचार ही नहीं किया जा सकता।

विकास के लिए प्राकृतिक साधनों तथा भौतिक सम्पदा का दोहन अधिकतम सीमा तक वाछनीय हो नहीं परन्तु अनिवार्य है। यह केवल तभी किया जा सकता है जबकि उत्पादन कार्यों में लागी मानवशक्ति शिथिल हो ट्रेण्ड हो। इस भाँति प्रकारान्तर से यह कहा जा सकता है कि विकास के लिए शिक्षा प्राथमिक आवश्यकता है। इसीलिए जनसाधारण शिक्षा की बात करता है। अब कुछ प्रश्न उठते हैं जैसे विकास की प्रक्रिया में दिमाग व चरित्र की भूमिकाओं की कितनी आवश्यकता है? विकास के विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार की शिक्षा तथा किस स्तर की शिक्षा की कितनी आवश्यकता है? आज की शिक्षा प्रणाली में विकास की गति को तेज करने के लिए किस प्रकार के परिवर्तनों की जरूरत है? आज की स्थितियाँ में यदि इन प्रश्नों का उत्तर प्रभावी बनाया जा सके तो ऐसी शिक्षा को विकास के लिए शिक्षा कहा जाना चाहिए।

जनसाधारण विकास के लिए शिक्षा दृष्टिकोण पर दो प्रकार से विचार करता हुआ पाया जाता है। प्रथम के अनुसार-विकास के लिए शिक्षा का अर्थ है-व्यावसायिक शिक्षा खेती-बाड़ी या उद्योग धर्मों या भारी व्यवसाय

की शिक्षा चिकित्सा या अभियान्त्रिकी शिक्षा जिससे प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय सीधी प्रभावित होती है। इससे दूसरा अर्थ लिया जाता है कि मानव को विकास की गतिविधियाँ के लिए उद्यत किया जाये उनमें इच्छा विकसित कर तत्पर बनाया जाये कि यह उत्पादन के साधनों का अधिक प्रभावी एवं सही उपयोग करे जिससे उनका जीवन स्तर बढ़े, उत्पादन का लागत खर्च कम आय कम समय में वस्तुओं की अधिक मात्रा पैदा की जाये जिससे वस्तुएँ सस्ती या कम मूल्य पर बिके तथा उपभोक्ता अधिक वस्तुओं की मांग करे ये अधिक वस्तुओं का उपभोग करें। इसमें उपभोक्ताओं में इच्छा उत्पन्न करना तथा उपभोग के लिए त्याग करने को तत्पर बनाना दोनों ही सम्मिलित हैं। क्षेत्र का विस्तार करते हुए दोनों बातों पर विचार किया जा रहा है। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका

एक लम्बे समय से विकास में शिक्षा की भूमिका पर योजना से जुड़े अधिकारियों में मतविभ्रता रही है। प्रायः कई शताब्दियों से शिक्षा को समाज सेवा माना जाता रहा है आज भी शिक्षा को राजकीय व्यय में समाज सेवा की विभिन्न मंदा में ही सम्मिलित किया जाता है तथा प्रत्यक्ष आर्थिक विकास में इसका योगदान नगण्य या नाममात्र का माना जाता है। पर अब इस विचार में परिवर्तन आया है तथा आज इस विचार को कोई महत्व नहीं देता कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता है। इससे अधिक कि आज शिक्षा को विनियोग माना जाता है क्योंकि यह प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया में शिक्षा अभिन्न अंग बन गई है।

आज यह तर्क महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि श्रमिक की उत्पादकता बढ़ा कर विकास की गति या प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है जिससे राष्ट्र का सकल उत्पादन बढ़ता है फलतः प्रति व्यक्ति आय भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। आर्थिक विकास के सूचकों में से यह भी एक महत्वपूर्ण सूचक है। शिक्षा यह कार्य करती है। श्रमिक के ज्ञान का विकास करके उसमें श्रम के प्रति निष्ठा या आदर विकसित करके उचित मूल्यों एवं अभिवृत्तियों का विकास करके कार्य की आवश्यकतानुसार कौशल अर्जित करवाकर मस्तिष्क का सही दिशा में विकास करके श्रमिक को अधिक उपयोगी बनाकर राष्ट्र को विकास के मार्ग पर बढ़ाती है।

आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) की प्रक्रिया में श्रमिक को प्रभावी सहभागिता के लिए तैयार करके शिक्षा ही राष्ट्र के आर्थिक विकास को संचालित करती है। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका पर अनुसंधानों से निम्नलिखित निष्कर्ष प्रकाश में आये हैं -

* साक्षरता की वृद्धि के साथ साथ आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) बढ़ती है। चालीस प्रतिशत से कम साक्षर देश गरीब हैं विपन्न हैं जबकि 70 प्रतिशत से अधिक साक्षर देश धनी हैं- सम्पन्न हैं। इससे चामेन तथा एण्डरसन (1950) ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी देश को निश्चित रूप से आर्थिक सकटों से मुक्ति पाने के लिए 50 प्रतिशत साक्षरता से ऊपर आना ही होगा।

* हरीसन तथा मायर्स (1964) के अनुसार मानव ससाधन विकास सकल उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में समुक्त रूप से सकारात्मक सहसम्बन्ध है।

* इस्टरलीन (1981) के अनुसार आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) आपचारिक शिक्षा के विकास-विस्तार पर निर्भर करती है। स्टुमलाइन (1924) की सम्मति है कि पढा लिखा श्रमिक या कर्मचारी अधिक कुशल उत्पादक होता है।

इन निष्कर्षों से आर्थिक विकास में शिक्षा की सकारात्मक भूमिका की पुष्टि होती है। यहाँ इस तर्क पर विचार नहीं किया जा रहा है कि शिक्षा के बिना आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता। वास्तविकता यह है कि बिना शिक्षा भी कुछ अर्थों में आर्थिक विकास होता है। व्यवहार में ऐसे उदाहरण भी मिल जायेंगे। यही कारण है कि आर्थिक विकास के लिए शिक्षा ही एकमात्र उत्तरदायी घटक नहीं है। इनमें अन्य घटक हैं- प्राकृतिक साधन वित्तीय विनियोजन अच्छी प्रबन्धन प्रणाली वैयक्तिक गुण आदि मुख्य हैं इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है उत्पादकता की उपलब्धि उत्प्रेरणा। शिक्षा मार्गदर्शक-उत्प्रेरक एवं प्रबोधन का काम करती है। यदि विकास के लिए अन्य तत्व उपलब्ध हैं कार्यशील हैं पोषण कर रहे हैं तो शिक्षा उन्हें अधिक तीव्र गति प्रदान कर सकती है।

भारत में शिक्षा और विकास की स्थिति

विकसित देशों के आँकड़ बताते हैं कि शिक्षा तथा विकास में गहरा सम्बन्ध है। पिछली चार दशकियों से अविकसित देशों ने सभी साधन शिक्षा के विकास की ओर मोड़ दिये हैं इस अपेक्षा से कि इससे राष्ट्र का विकास होगा। भारत सहित अन्य सभी अविकसित या विकासोन्मुखी देशों में इस विचार के अनुसार शैक्षिक साधना का निरन्तर विस्तार किया गया है। आज भारत में 6.85 लाख प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक तथा 68 हजार माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के समकक्ष दर्जा प्राप्त 190 संस्थान हैं 7000 महाविद्यालय हैं जिनमें 40 लाख छात्रों को 2 लाख अध्यापक पढाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के 2.80 लाख केन्द्र तथा प्रौढ शिक्षा के 2.80 लाख केन्द्र हैं। सम्भवतः शिक्षा की यह व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। पर प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा के इस विस्तार से आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) को मदद मिली है? वास्तविकता तो

यह है कि शिक्षा के इस विस्तार के बाद भी भारत में आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) अपेक्षित रूप एवं मात्रा में नहीं हुई है।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से 40 वर्षों में राष्ट्रीय सकल उत्पाद में 35 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जबकि शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से यह दर अधिक होनी चाहिए। परिणामतः देश की आबादी का एक बड़ा भाग आज भी गरीबी में गुजर-बसर कर रहा है। उन्हें चुनियादी सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। फिर जीवन स्तर में सुधार की ता बात ही नहीं करनी चाहिए। क्या इसे ही विकास कहा जाये? यह तो निश्चित रूप से विकास नहीं है। विकसित राष्ट्रों की तुलना में शिक्षा ने भारत में आर्थिक विकास (डवलपमेन्ट) में अधिक मदद नहीं की है।

शैक्षिक नियोजन में क्या गलती है?

हमारी शिक्षा प्रणाली में उसके विस्तार में क्या गलती हुई है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षा नियोजकों से बार-बार पूछा जाता है। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली में नीचे लिखे दोष बताये जाते हैं -

* शिक्षा का विस्तार देखने में अच्छा लगता है पर यह जरूरतों से कम है। प्राप्त सूचनाएँ बताती हैं कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शालाओं में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों की दृष्टि से सुविधाएँ कम हैं। विद्यालय भवन तथा अध्यापक भी कम हैं। 85 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार उपयुक्त मात्रा में नहीं हुआ है।

* शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार में असंतुलन देखा जाता है। उच्च शिक्षा का विकास तुलनात्मक रूप से अधिक हुआ है। वास्तविकता यह है कि आज उच्च शिक्षा आर्थिक विकास में तुलनात्मक रूप से कम योगदान करती है जबकि यह प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा की तुलना में कहीं अधिक महंगी या खर्चीली है। प्राप्त 1975 की सूचनाओं के अनुसार एक स्नातक का लागत खर्च 66 प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के खर्च के बराबर है।

* भूतकाल में व्यावसायिक शिक्षा का विकास नहीं हुआ तथा शिक्षा के विस्तार पर खर्च की जाने वाली सभी राशि सामान्य शिक्षा पर ही खर्च की गई। यह समझ लिया जाना चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा सामान्य शिक्षा की अपेक्षा आर्थिक विकास में अधिक योगदान करती है।

* शिक्षा का जो कुछ भी विस्तार हुआ है वह मात्रा में है या सख्यात्मक है-गुणात्मक नहीं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता का सीमाहीन हास

हुआ है। जनसाधारण को जो शिक्षा दी जा रही है उससे शिक्षार्थियों में उपयुक्त गुणों कौशला श्रम के प्रति निष्ठा या आदर तथा समाज सम्मत मूल्यों का विकास नहीं हुआ है शिक्षा व्यवस्था अनुपयुक्त है इससे राष्ट्र को आर्थिक विकास में मदद नहीं मिली है।

* भारत में वृहद स्तर पर बेकारी है। भारी राशि खर्च करके बालको को शिक्षित किया जाता है तथा वे बच्चार हाने से देश के आर्थिक विकास में मदद नहीं कर रहे हैं। न केवल इतना ही बल्कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी भी है तथा आदमी जन बल काम की आवश्यकता के अनुसार शिक्षित भी नहीं हुए हैं उदाहरण के लिए डाक्टर को कम्पाउण्डर का तथा इजीनियर को ओवरसियर का काम करना पड रहा है। प्रात शिक्षा या ट्रेनिंग की दृष्टि से आदमियों को उपयुक्त काम नहीं मिला हुआ है। प्राय गाल खूटी को चौकोर छेद में बिठाया जा रहा है। इसका परिणाम साफ है कि उत्पादन के साधन के रूप में जैसी उनसे अपेक्षा की गई थी-वैसा वे नहीं कर पा रहे हैं। पर इसके लिए केवल शिक्षा को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था एवं नियोजन को भी दोष देना चाहिए। हा शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका से मना नहीं किया जा सकता।

* राजकीय तथा अराजकीय अनगिनत प्रयत्नो के बाद भी हमार देश में निरक्षरता दूर नहीं हुई है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में आज भी 48 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर हैं। यह 48 प्रतिशत ही यह जनसंख्या है जो श्रमिक कामगार या राज या निम्न श्रेणी के मजदूर वर्ग में आते हैं तथा क्या शिक्षाधिकारियों ने याजना बनाने वाला ने तथा प्रशासका ने इनको शिक्षित करने की कोई चिन्ता की है? फलत विकास में भी अन्तर स्पष्ट दीखता है।

* उच्च शिक्षित व्यक्ति कारण कुछ भी रहे हो विदेशों में जाकर बस जाते हैं वहा उन्हें उच्च धन सम्मान तथा अधिकारियों का उत्साह पद्धक व्यवहार मिलता है कुछ वहा पढने के लिए जाते हैं तथा अध्ययन समाप्त कर वहाँ बस जाते हैं। राष्ट्र ने उनकी शिक्षा-दीक्षा पर धन राशि खर्च की है उनके लिए भव्य भवन विशाल पुस्तकालय साधन सम्पन्न प्रयोगशालायें सुरम्य क्रीडागण उपलब्ध करवाये हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है 66 प्राथमिक विद्यालय के बालको का खर्चा एक ही खातक पर खर्च किया गया है। यदि अभियान्त्रिकी या चिकित्सा क क्षेत्र में यात करे तो यह अनुपात 66 से और अधिक बैठेगा। पाठक भिन्न राय रख सकते हैं पर गरीब देश या विकासोन्मुखी राष्ट्र के लिए तो इस प्रवृत्ति से बचना ही चाहिए अन्यथा प्रतिकूल स्थितिया बनी ही रहेंगी।

* भारतीय जनसंख्या का अधिकांश ग्रामीण आदिवासी गिरिजन पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं का है। विकास में इस वर्ग के योगदान की कोई परवाह नहीं की गई है। यदि देश के विकास कार्यों में इस वर्ग का योगदान प्राप्त किया जाता तो निश्चय ही देश के आर्थिक विकास को इससे कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता था।

देश में आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) के निम्न स्तर के लिए बहुतांशों में हमारी शिक्षा ही उत्तरदायी है और फिर दायपूर्ण शिक्षा पद्धति भी कम उत्तरदायी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि न्यूनधिक रूप से देश में सकल उत्पाद बढ़ाने में शिक्षा प्रणाली असफल या निष्प्रभावी ही रही है तथा उसका प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ा है।

निष्प्रभावी शिक्षा के लिए उत्तरदायी तत्व

देश के आर्थिक विकास में शिक्षा को निष्प्रभावी करने के दो मुख्य कारण या बताये जा सकते हैं।

(अ) शिक्षा तथा आर्थिक विकास में उपयुक्त सलगतता न होना

देश के आर्थिक विकास में शिक्षा का आशानुकूल योगदान न होने का मुख्य कारण यह है कि भूतकाल में इस दिशा में कोई उपयुक्त, गम्भीर तथा पूरे मन से प्रयत्न ही नहीं किये गये। देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का अनुमान ही नहीं लगाया गया देश की आवश्यकता तथा शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार में कोई सम्वन्ध नहीं जोड़ा गया देश के विकास के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की आवश्यकता के ज्ञान के बिना ही अध्यापक शिक्षण संस्थाएँ खोली गईं। ऐसा लगता है कि यह बिना योजना के ही हो गया या शैक्षिक नियोजन वास्तविकताओं से परे किया गया या शैक्षिक नियोजनसम्वन्धी अनुमान ही त्रुटिपूर्ण लगाये गये।

(आ) साधनों की कमी

दूसरा कारण है साधनों की कमी। गुणात्मक एवं उपयुक्त शिक्षा बालकों को नागरिकों को सुलभ हो इसके लिये आवश्यकतानुसार साधन सरकार के पास नहीं हैं। पिछली योजनाओं में सरकार ने इसके लिए उपयुक्त राशि का आवंटन नहीं किया है यद्यपि हम सब स्वीकार करते हैं जानते हैं कि शिक्षा उपयोगी प्रतिफल देने वाली है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए सात प्रतिशत धन दिया गया था जो आगे चलकर सातवीं योजना में (जो वर्ष 1991 में समाप्त हुई है) 3.3 प्रतिशत ही रह गया। यहाँ यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1950-51 से राष्ट्रीय सकल उत्पाद का 1.2 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च किया गया था जो 1986-87 में बढ़

फर 39 प्रतिशत हो गया पर यह राशि 6 प्रतिशत से बहुत नीचे है जिसके लिए कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) ने भी अनुशंसा की है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि 2000 तक सबको शिक्षा मिलनी चाहिए तो इसके लिए मात्र प्राथमिक शिक्षा के मद में ही अगले 10 वर्षों में 80 000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी क्योंकि इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक 5 मिनट में 230 छात्रों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोलते रहना होगा।

नीतिगत निहितार्थ

शिक्षा के प्रतिफल के रूप में विकास पर भारत तथा विदेशों में सम्पादित कई अनुसंधान प्रतिवेदनों में प्रकाश डाला गया है। इन शोधों के निष्कर्षों से योजनाधिकारियों को लाभ उठाना चाहिए। विकास की दृष्टि से इनके निष्कर्ष योजना के लिए आधार का काम कर सकते हैं। कुछ पर यहाँ विचार किया जा रहा है-

* चूँकि साक्षरता तथा साक्षरता का स्तर सीधा विकास से जुड़ा हुआ है अतः देश की निरक्षरता के निवारण पर सर्वोच्च प्राथमिकता का रूप में विचार किया जाना चाहिए। सन 1991 की जनगणना के अनुसार यद्यपि 52 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हो गई पर यह काफी नहीं है तथा अभी भी करने के लिए बहुत कुछ शेष है।

* ज्यों ज्यों शिक्षा का स्तर बढ़ता है शिक्षा का आर्थिक वृद्धि (प्रोथ) की दर के रूप में प्रतिफल गिरता जाता है। इससे स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा से मिलनेवाले प्रतिफल की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा से मिलनेवाला प्रतिफल अधिक होगा। या उच्च माध्यमिक शिक्षा का प्रतिफल स्नातक शिक्षा के प्रतिफल से अधिक होगा इस प्रकार निष्कर्षित कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रतिफल सर्वाधिक होता है। इससे प्रकारान्तर से यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा ही आर्थिक विकास में सर्वाधिक मदद करती है भूमिका निभाती है। इस विवेचन से यह भी संकेत मिलता है कि शिक्षा के अन्य सभी स्तरों की अपेक्षा प्राथमिक स्तर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सर्वाधिक योगदान करती है और दुर्भाग्य से हो यह रहा है कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की ही भारी दुर्गति है इसे ही सबसे कम महत्व दिया जा रहा है। न केवल इतना ही शिक्षा की सीढ़ी में यही सबसे कमजोर कड़ी है। प्रत्येक योजना में प्राथमिक शिक्षा को दिये जानेवाले धन के प्रतिशत में कमी आई है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थितियाँ में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कि प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक प्रतिशत धन की व्यवस्था न की जाय।

* भारतीय जनसंख्या का अधिकांश ग्रामीण आदिवासी गिरिजन पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं का है। विकास में इस वर्ग के योगदान की कोई परवाह नहीं की गई है। यदि देश के विकास कार्यों में इस वर्ग का योगदान प्राप्त किया जाता तो निश्चय ही देश के आर्थिक विकास को इससे कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता था।

देश में आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) के निम्न स्तर के लिए बहुतांशों में हमारी शिक्षा ही उत्तरदायी है और फिर दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति भी कम उत्तरदायी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि न्यूनधिक रूप से देश में सकल उत्पाद बढ़ाने में शिक्षा प्रणाली असफल या निष्प्रभावी ही रही है तथा उसका प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ा है।

निष्प्रभावी शिक्षा के लिए उत्तरदायी तत्व

देश के आर्थिक विकास में शिक्षा को निष्प्रभावी करने के दो मुख्य कारण यो बताये जा सकते हैं।

(अ) शिक्षा तथा आर्थिक विकास में उपयुक्त सततता न होना

देश के आर्थिक विकास में शिक्षा का आशानुकूल योगदान न होना का मुख्य कारण यह है कि भूतकाल में इस दिशा में कोई उपयुक्त गम्भीर तथा पूरे मन से प्रयत्न ही नहीं किये गये। देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का अनुमान ही नहीं लगाया गया देश की आवश्यकता तथा शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार में कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया देश के विकास के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की आवश्यकता के ज्ञान के बिना ही अधाधुध शिक्षण सस्थाएँ खोली गईं। ऐसा लगता है कि यह बिना योजना के ही हो गया या शैक्षिक नियोजन वास्तविकताओं से परे किया गया या शैक्षिक नियोजनसम्बन्धी अनुमान ही झुटिपूर्ण लगाये गये।

(आ) साधनों की कमी

दूसरा कारण है साधनों की कमी। गुणात्मक एवं उपयुक्त शिक्षा बालकों को नागरिकों को सुलभ हो इसके लिये आवश्यकतानुसार साधन सरकार के पास नहीं हैं। पिछली योजनाओं में सरकार ने इसके लिए उपयुक्त राशि का आवंटन नहीं किया है यद्यपि हम सब स्वीकार करते हैं जानते हैं कि शिक्षा उपयोगी प्रतिफल देने वाली है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए सात प्रतिशत धन दिया गया था जो आगे चलकर सातवीं योजना में (जो वर्ष 1991 में समाप्त हुई है) 3.3 प्रतिशत ही रह गया। यहाँ यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1950-51 से राष्ट्रीय सकल उत्पाद का 12 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च किया गया था जो 1986-87 में बढ़

कर 39 प्रतिशत हो गया पर यह राशि 6 प्रतिशत से बहुत नीचे है जिसके लिए कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) ने भी अनुशंसा की है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि 2000 तक सबको शिक्षा मिलनी चाहिए तो इसके लिए मात्र प्राथमिक शिक्षा के मद में ही अगले 10 वर्षों में 80 000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी क्योंकि इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक 5 मिनट में 230 छात्रा के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोलते रहना होगा।

नीतिगत निहितार्थ

शिक्षा के प्रतिफल के रूप में विकास पर भारत तथा विदेशों में सम्पादित कई अनुसंधान प्रतिवेदनों में प्रकाश डाला गया है। इन शोधों के निष्कर्षों से योजनाधिकारियों को लाभ उठाना चाहिए। विकास की दृष्टि से इनके निष्कर्ष योजना के लिए आधार का काम कर सकते हैं। कुछ पर यहाँ विचार किया जा रहा है-

* चूँकि साक्षरता तथा साक्षरता का स्तर सीधा विकास से जुड़ा हुआ है अतः देश की निरक्षरता के निवारण पर सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में विचार किया जाना चाहिए। सन 1991 की जनगणना के अनुसार यद्यपि 52 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हो गई पर यह काफी नहीं है तथा अभी भी करने के लिए बहुत कुछ शेष है।

* ज्यों ज्यों शिक्षा का स्तर बढ़ता है शिक्षा का आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) की दर के रूप में प्रतिफल गिरता जाता है। इससे स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा से मिलनेवाले प्रतिफल की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा से मिलनेवाला प्रतिफल अधिक होगा। या उच्च माध्यमिक शिक्षा का प्रतिफल स्नातक शिक्षा के प्रतिफल से अधिक होगा इस प्रकार निष्कर्षित कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रतिफल सर्वाधिक होता है। इससे प्रकारान्तर से यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा ही आर्थिक विकास में सर्वाधिक मदद करती है भूमिका निभाती है। इस विवेचन से यह भी संकेत मिलता है कि शिक्षा के अन्य सभी स्तरों की अपेक्षा प्राथमिक स्तर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सर्वाधिक योगदान करती है और दुर्भाग्य से हो यह रहा है कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की ही भारी दुर्गति है इसे ही सबसे कम महत्व दिया जा रहा है। न केवल इतना ही शिक्षा की सीढ़ी में यही सबसे कमजोर कड़ी है। प्रत्येक योजना में प्राथमिक शिक्षा को दिये जानेवाले धन के प्रतिशत में कमी आई है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थितियाँ में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कि प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक प्रतिशत धन की व्यवस्था न की जाये।

* यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हानी चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा सामान्य या उदार शिक्षा से आर्थिक विकास में अधिक योगदान करती है। इससे आर्थिक विकास में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका स्पष्ट होती है। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि दश में अधाधुनिक बिना साचे विचारे व्यावसायिक शिक्षा सस्याए खोलते रहे। एक ऐसे समय की भी कल्पना की जा सकती है जब व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी मानविकी या कला के विद्यार्थियों से भी अधिक हा या आवश्यकता से अधिक हों यह स्थिति कला स्नातको की आज भी है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश में अभियान्त्रिकी शिक्षा का येतदारा विकास हुआ तथा देश में आज ढरों इंजीनियर बेकार हैं। यह याद रखा जाना चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा सामान्य या उदार शिक्षा की अपेक्षा कहीं अधिक महगी होती है। इसलिए कोई भी व्यावसायिक शिक्षा का नया सस्थान खोलने के पूर्व पक्ष विपक्ष की सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक इंजीनियर को तैयार होने में आज एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 लाख रुपये खर्च आता है इसमें से दो ढाई लाख रूपया माता-पिता खर्च करते हैं तथा शेष सार्वजनिक या राष्त्रीय कोष से व्यय किया जाता है। इतने भारी खर्च के बाद यदि इंजीनियर बेकार रहे तो माता-पिता के मन पर क्या बीतेगी? इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। प्रशिक्षित जन बल का जिस क्षेत्र में अभाव है वहां अवश्य ही ऐसी शिक्षा के सस्थान खोले जाने चाहिए। इसके सिवाय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की अधिक आवश्यकता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया पर शिक्षार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा स्लोक प्रिय नहीं हो पाई इसके कारण कुछ भी रहे हैं। अब इस प्रतिशत को घटाकर 10 प्रतिशत ही स्वीकार किया गया है। यह आशा की जानी चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा पानेवाले विद्यार्थी इसे सही रूप में लेंगे।

* आर्थिक विकास में उच्च शिक्षा का योगदान प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षा सबसे कम है। सम्भवतया इन सबसे कम योगदान का कारण यह है कि उच्च शिक्षा सामाजिक दृष्टि से अति महगी है और महगी होने का कारण शायद यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कार्य में लगे लोगों की सख्या तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है। उच्च शिक्षा की उत्पादकता या प्रतिफल बढ़ाने का एक ही तरीका हो सकता है कि इसकी सामाजिक - सार्वजनिक लागत घटाई जाय। उच्च शिक्षा की वैयक्तिक या निजी लागत को बढ़ा कर इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता

है। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि उच्च शिक्षा के सामाजिक प्रतिफल से निजी या वैयक्तिक प्रतिफल अधिक ऊंचे होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना बहुत आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में तथा किसी भी कीमत पर प्रतिफल कम प्राप्त होने पर भी उच्च शिक्षा के स्थान का उसकी गुणवत्ता का हास न किया जाये क्योंकि उच्च शिक्षा के अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिफल की गणना बहुत कठिन है। उच्च शिक्षा के मुख्य अंग अनुसंधान नवाचार उच्च स्तरीय अध्यापन सस्थितियाँ तथा अभिनव विचारों का विकास होता है तथा उनका हर स्थिति में लागत-लाभ का विश्लेषण न तो उपयुक्त होता है तथा नहीं सही। इस दोष का उपचार केवल या बताया जा सकता है कि वास्तविक सही उपयुक्त प्रतिभा सम्पन्न मेधावी विद्यार्थियों को ही उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाये। इससे उच्च शिक्षा की लागत घटाने में मदद मिलेगी। इसके सिवाय उच्च शिक्षा को इस दृष्टि से भी महत्व दिया जाना चाहिए कि इससे अर्थतन्त्र के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के व्यक्तियों को तैयार किया जाता है शिक्षित या प्रशिक्षित किया जाता है।

* सामान्यतया शिक्षा के सार्वजनिक या सामाजिक प्रतिफल की अपेक्षा निजी या वैयक्तिक प्रतिफल अधिक होते हैं उच्च शिक्षा की दृष्टि से तो यह बात प्रतिशत सही है ही। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षा का व्यक्ति के लिए उसके निजी रूप में अधिक महत्व है व्यक्ति इसे बुनियादी आवश्यकता मानता है तथा सर्वोच्च स्थान देता है। नीतिनिर्धारकों के हाथों में शिक्षा को उतना महत्व नहीं मिलता पर जनसाधारण को यह स्थिति तो सहना ही होगी क्योंकि शिक्षा का केवल एक आर्थिक उद्देश्य-कार्य ही नहीं है बल्कि समाज सेवा भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है।

समाहार

शिक्षा तथा विकास में अविच्छिन्न एव परस्पर गाढ़ा सम्बन्ध है तथा शिक्षण को विकास की दृष्टि से नियोजित करने की आज प्रथम स्थान पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। देश के आर्थिक विकास के लिए शैक्षिक नियोजन को सही रूप में आर्थिक नियोजन से अविलम्ब जोड़ा जाना चाहिए। शैक्षिक नियोजन तथा ससाधनों के आवंटन की व्यूह रचना के समय देश में आर्थिक विकास की दृष्टि से शिक्षा के प्रकार (उत्तर शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा प्राविधिक शिक्षा विधि शिक्षा आदि) तथा शिक्षा के स्तर (पूर्व प्राथमिक प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक उच्च विध्विद्यालय) पर निर्विवाद रूप से ध्यान दिया ही जाना चाहिए। ऐसा करते समय देश की शिक्षित या ट्रेण्ड जन बल की आवश्यकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं किया

जाना चाहिए क्योंकि इन्हीं सब तत्वों पर या अर्थों पर देश का सामान्य विकास निर्भर करता है। या इन सब क्षेत्रों का विकास मिलकर ही तो देश का विकास बनता है। योजनाधिकारियों को शिक्षा तथा विकास को शीतल मस्तिष्क से सही रूप से लेना चाहिए, यही आज की शीपस्थ आवश्यकता है।

अन्तिम पर महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का नियोजन करते समय वहाँ के सामाजिक पक्षों उनके परिणामों सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सामाजिक मूल्यों विचार धाराओं एवं निवासियों के जीवन दर्शन पर भी विचार किया जाना चाहिए। शिक्षा का जिस किसी रूप में नियोजन किया जाये उसे सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करना ही होगा अर्थात् वह शिक्षा समाज के प्रति उत्तरदायी हो। बिना सामाजिक सन्दर्भ का ध्यान रखे किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास कोई महत्व नहीं रखता। सारांशत शिक्षा का विकास देश के आर्थिक विकास की अपेक्षा समग्र या सकल विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण है अधिक अर्थपूर्ण है। इसीलिये इसे (शिक्षा के विकास को) समग्र विकास की दृष्टि से नियोजित किया जाना चाहिए तथा इस समग्र विकास में आर्थिक विकास को उसका वांछित तथा उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए। स्पष्ट है कि शैक्षिक नियोजन के समय सामाजिक पक्ष को छोड़ा नहीं जाना चाहिए अर्थात् शैक्षिक नियोजन शून्य में नहीं किया जाना चाहिए।

□

उपभोक्ता की शिक्षा

औद्योगिक विकास के साथ ही उत्पादन के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गये हैं। क्रान्तिकारी इस अर्थ में कि एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न नामों से एक से अधिक वस्तुएँ बाजार में दिखती हैं तथा खरीदी जा सकती हैं। उपभोक्ता के लिए सही वस्तु का चुनाव करना आज के समय में टेढ़ी खीर बन गया है। कारण कि कई वस्तुएँ तो समान मात्रा में समान भार की होती हुई भी उनकी कीमत में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि का पूरा पूरा लाभ उसे मिले यहीं से उपभोक्ता शिक्षा आरम्भ हो जाती है।

सामान्य जनता को इस क्षेत्र में शिक्षित करने के लिए जनसंचार माध्यमों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इन जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्र आकाशवाणी दूरदर्शन कैसेट चलचित्र जनसम्पर्क विभाग तथा प्रचार निदेशालय सम्मिलित हैं।

समाचार पत्र मुद्रित सामग्री हैं जबकि जन सम्पर्क तथा प्रचार निदेशालय प्रचार के साथ मुद्रित सामग्री भी वितरित करता है पर वे सदैव ही अपने कार्यक्रमों के प्रचार में इनका अनिवार्यतः प्रयोग नहीं करते हैं। इनमें से कुछ साधन तो उपभोक्ता देख सकते हैं जबकि कुछ अन्य साधनों से वे देख भी सकते हैं तथा सुन भी वे देखने तथा सुनने दोनों की श्रेणी में आते हैं। समाचार पत्र एक ऐसा साधन है जिसे उपभोक्ता दृश्य साधन मानता है जबकि आकाशवाणी तथा कैसेट श्रव्य साधन है और शेष साधन श्रव्य तथा दृश्य दोनों प्रकार के हैं।

आकाशवाणी दूरदर्शन चलचित्र तथा कैसेट जनसंचार के शक्तिशाली एवं प्रभावी साधनों के रूप में उपभोक्तियों को निर्णायक स्थिति में पहुँचाते हैं। आकाशवाणी तथा कैसेट ऐसे साधन हैं जिनसे बदल सुना जा सकता है- इनमें कहने वाले को देखा नहीं जा सकता। कहते समय कहने वाले के हाव भाव अगचालन नेत्र-संकेत मुखमुद्रा का जो प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है यह प्रभाव ही उनके निर्णय को संचालित करता है पर उपभोक्ता इससे बचिब रहता है यही इसकी सीमायें हैं। इसके विपरीत चलचित्र तथा

दूरदर्शन में ये दोनों ही विशेषताएँ पाई जाती हैं। उपभोक्ता उनसे सुनता है तथा सुनने के साथ ही सुनाने वाले को भी देखता है।

कैसेट तथा समाचार पत्र के सिवाय अन्य सभी संचार माध्यमों पर सरकार का नियन्त्रण रहता है। इसमें कई चार उपभोक्ताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जाता है और लगता है कि संचार माध्यम सही वांछित दिशा में काम नहीं कर रहे हैं और वे सही तथा गलत का या विवेक का विकास करने के बजाय सरकारी नीतियों के प्रचारक मात्र भी बन सकते हैं। उपभोक्ताओं के पृष्ट हित में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा पूर्ण रूप से नियन्त्रित जनसम्पर्क विभाग तथा प्रचार निदेशालय का तो स्पष्टतः कार्य ही यही है कि वे राज्य सरकारों की नीतियाँ तथा कार्यों का प्रचार करें तथा जनसाधारण की प्रतिक्रियाओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराएँ जिससे वे जनभावना का सम्मान करते हुए अपने सिद्धान्तों-कार्यों में परिवर्तन ला सकें।

जनसंचार के पत्रकारिता अंग को कभी कभी अपने मालिकों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर उसका दुरुपयोग भी किया जाता है। किसी के चरित्र हनन करने अपनी दुश्मनी निकालने या अपने लाभ हेतु किसी उपभोक्ता को ब्लेकमेल करने के कार्य को पीत पत्रकारिता कहते हैं। समाचारों को तोड़ मरोड़ कर छापना भी इसी श्रेणी में आता है। उपभोक्ताओं को इससे सचेत रहना चाहिए।

हम में से प्रत्येक व्यक्ति शहरी-ग्रामीण बालक-वृद्ध पुरुष-नारी शिक्षित-निरक्षर बालक-बालिका श्रमिक-नियोक्ता छात्र-अध्यापक गरीब-धनी सभी एक न एक रूप में उपभोक्ता है। हर उपभोक्ता चाहता है कि वह जो राशि चुका रहा है उसके बदले में सही वस्तु तथा वह भी उच्च गुणवत्ता एवं पूरे तोल में प्राप्त हो। ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय सही अर्थों में शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। मान लीजिये- समाचार पत्र में वीको वज्रदन्ती तथा कोलगेट या प्रॉमिस दूधपेस्ट का विज्ञापन छपा है। तीनों दूधपेस्ट का वजन बराबर होने के साथ ही कीमत भी बराबर है। वीको वज्रदन्ती दूधपेस्ट में मिलाई गई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी दर्शायी गई हैं। अब यदि पाठक दाँतों की सुरक्षा की दृष्टि से कोलगेट या प्रॉमिस के बजाय वीको दूधपेस्ट का चयन करता है तथा प्रयोग के लिए खरीदता है तो उपभोक्ता को सही अर्थों में शिक्षित कहा जाना चाहिए। यही बात किसानों के सम्बन्ध में जेटर तथा एच एम टी ट्रैक्टर को लेकर कही जा सकती है। दोनों की कीमत गारण्टी निःशुल्क सेवा की दृष्टि से किसान निर्णय करता है। अब यदि किसान को

यह भी पता लग जाये कि किसी भी एक ट्रेक्टर का फल जमीन कितनी गहराई तक खोदता है ता किसान को यह अतिरिक्त लाभ होगा तथा वह अपने निर्णय का अधिक विवेकपूर्ण बना सकता है। मैनो ब्लाक तथा क्रिलोस्कर पम्पसेट के लिए भी यही कहा जा सकता है। समाचार पत्र से फिल्म समीक्षा पढ़ कर पाठक पिढर देखने या न देखने का निर्णय करते हैं। उपभोक्ता के रूप में पाठक पुस्तक समीक्षा पढ़ कर पुस्तक खरीदने या न खरीदने का निर्णय लेता है। यही उपभोक्ता शिक्षा है।

मान लीजिए- आप आयकर दाता हैं। जब आप दूरदर्शन से सुनते हैं कि युनिट ट्रस्ट ने कर दिखाया न अपना वादा सही 18 प्रतिशत बोनस पर जब आप देखते हैं कि इससे आयकर में छूट नहीं मिलती है तो आप जीवन बीमा निगम या विकास बोण्ड या डाकघर की बचत योजना की ओर मुड़ते हैं तथा विभिन्न विकल्पों में से सही एवं लाभदायक विकल्प चुनते हैं जो आपको आयकर भुगतान से बचा सके। कालेज के विद्यार्थी को एच एम टी तथा टाइटन की घड़ी में से चुनाव करना है। दोनों घड़ियों की कीमत लगभग समान है दोनों की गारण्टी की अवधि भी समान है पर टाइटन घड़ी की शक्ति सूरत आकर्षक है तो विद्यार्थी टाइटन घड़ी खरीदने का निर्णय ले सकता है पर एच एम टी की घड़ियों ने जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान ख्याति या साख पाई है उससे भी विद्यार्थी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता तथा वह एच एम टी की घड़ी चुन लेता है।

आजकल देश के हर जिले में उपभोक्ता मंच या फोरम का गठन किया गया है। जहाँ भी उपभोक्ता के हितों की अनदेखी की जाती है या हितों को आघात पहुँचाया जाता है तो सम्बन्धित उपभोक्ता ऐसे मंचों से अपने हितों की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं जिसका कोई शुल्क भी नहीं होता है। लेखक के एक मित्र ने वर्षों में साइकिल से गिरने के कारण अदालत में वाद प्रस्तुत करके नगर पालिका से हरजाना प्राप्त कर लिया। उसका तर्क था कि जब वह मार्ग कर देता है तो सड़क सही स्थिति में रखने की नगरपालिका की जिम्मेदारी है। आजकल न्यायालयों में डेरों वाद विचारधीन पड़े हुए हैं तथा समय पर न्याय नहीं मिलता इसलिए उपभोक्ता संरक्षण मंच का गठन किया गया है। कम तोलने पर, मिलावट करने पर, सड़े फल बेचने पर घटिया माल बेचने पर इन मंचों में शिकायत की जा सकती है जहाँ तत्काल सुनवाई होती है। अरहर की दाल में चने की दाल हल्दी में ईंट पिसवा लेना चोनी में पानी उडल देना चावल में ककर मिला देना तो सामान्य बात हो गई है इसी भाँति स्टेशनरी में निर्धारित से कम पृष्ठ की अभ्यास

पुस्तिका या कम वजन के गते की जिल्द वाली कापी प्राय छात्रों के हाथों में धमा दी जाती है। नला में पानी का न आना या पर्याप्त मात्रा में न आना या समय पर न आना या उसको एक अधिक ईंच वाली मुख्य धारा से न जोड़कर कम ईंची धारा से जोड़कर कष्ट पहुँचाया जाता है तो उपभोक्ता अपने हिता की सुरक्षा के लिए ऐसे मच से सहायता ले सकता है। गदे पानी का नाला बहते रहना या सार्वजनिक स्थानों से कचरा न हटवाना या सफाई न करवाना भी इसी प्रकार के कार्य हैं इन्ह पब्लिक न्यूसेंस एक्ट में भी लिया जा सकता है पर वहाँ सुनवाई में बहुत समय लगता है तथा शुल्क भी देना होता है। वहा वकील की सहायता भी ली जाती है। पर इन उपभोक्ता मचों म वकीलों की सहायता जरूरी नहीं है। इन्हीं सब बातों को पर्यावरण सुरक्षा के अन्तर्गत भी इन्हीं मचों म सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस प्रकार उपयुक्त विवचन से स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए किसी विद्यालय या किसी सस्थान की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा जनसंचार माध्यमों द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से शिक्षित क्रिया जा सकता है। सही वस्तु न मिलने पर सजग होना उच्च गुणवत्ता तथा मानक वस्तु की प्राप्ति का आग्रह करना ही उपभोक्ता शिक्षा का मूलमंत्र है। आज हर उपभोक्ता को तथा नागरिक को इस प्रकार की शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है।

□

डिग्री नौकरी अलग-अलग

डिग्री तथा नौकरी की पृथक्ता से जनसाधारण में कैसे भ्रम का विकास हुआ है इससे वे कैसे गुमराह हुए हैं? लोग समझ रहे हैं कि अब हर कोई जिलाधीश या न्यायाधीश बन जायेंगे या इंजीनीयर का काम सम्भाल लेंगे। कौन इन्हें समझाए कि बिना डिग्री के अब भी कलेक्टर या इंजीनीयर या न्यायाधीश नहीं बन सकेंगे। मान लो यना भी दिये तो क्या वे काम का निष्पादन कर पायेंगे? क्या वे त्वरित गति से निर्णय ले लेंगे? क्या वे विश्वास के साथ काम निपटा देंगे? क्या वे सहकर्मियों पर रोबदाय या प्रभाव रख सकेंगे? क्या वे विपन्न परिस्थितियों में बिना धैर्य खोये विवेक सम्मत निर्णय ले सकेंगे? क्या वे अच्छे बुरे का निर्णय फिर साधियों का नेतृत्व कर सकेंगे? क्या वे साधियों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सकेंगे? ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर शान्त मस्तिष्क से विचार किया जाना वाञ्छनीय है। यदि बिना किसी शैक्षिक सामाजिक पृष्ठ भूमि पर विचार किये व्यक्ति को उच्च पद पर बिठा दिया तो काम निष्पादन में विलम्ब नहीं होगा? क्या बिना हिचक के निर्णय ले लेंगे? जो सदैव ही आदेश के लिए उच्चाधिकारिया की ओर देखता रहा है वह अचानक पद प्राप्त करते ही सही निर्णय ले लेंगा नेतृत्व प्रदान करेगा मार्गदर्शन करेगा आदेश दे देगा किसी अप्रिय घटना की आशंका के समय साहस और विश्वास के साथ अप्रत्याशित निर्णय ले लेंगा तदनुसार आदेश दे देगा ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती और कार्य का स्तर भी गिरेगा ही यह भी निश्चित है। व्यक्ति की स्वयं की हानि होगी तथा काम भी बिगड़ेगा और न वह समय पर ही निपटाया जा सकेगा।

इसके दूसरी ओर व्यवहार में देखा जा रहा है कि स्वतन्त्रता के बाद जनसाधारण में उच्च शिक्षा की मांग कई गुणा बढ़ी है। साधारण चपरागी भी अपने बच्चों को स्नातक या एम.ए. तक शिक्षा दिलाना चाहता है। अभिभावकों में इस विकसित महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप 1947 में उपलब्ध 500 कॉलेजों तथा 27 विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ कर 1995 में क्रमशः 8000 तथा 150 हो गई है। सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी स्कूलों की संख्या इन्हीं अवधि में 7300 से 62300 हो गई है। उच्च शिक्षा के अवसरों में वृद्धि

के साथ- साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई है। परिणाम स्पष्ट है कि शिक्षितों में बेकारी द्रापदी के चीर की तरह बढ़ी है। और फिर शिक्षित व्यक्ति को अशिक्षित व्यक्ति के समान न ता गुमराह किया जा सकता है तथा न ही उनकी आवाज को महत्वहीन मान कर छोड़ा जा सकता है।

उच्च शिक्षा को एक दूसरे सन्दर्भ में भी देखा जाना चाहिए। भारत में उच्च शिक्षा लगभग पौने पाच-पाच प्रतिशत है तथा ढर्रा शिक्षित बेकार रोजगार की तलाश में इधर-उधर घूम रहे हैं जबकि पाश्चात्य देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति दशमलव में आते हैं। भारतीय व्यावहारिक अर्थशास्त्रीय अनुसंधान परिपद की एक शोध के अनुसार 1985-86 में उच्च शिक्षा सस्थानों में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों का आधे ही आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त थे। इस दृष्टि से यदि भारत में अब भी उच्च शिक्षा का और विकास किया जाता है तो बढ़ने वाली बेकारी की एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में सहज ही कल्पना की जा सकती है। इस समस्या की गम्भीरता तब और बढ़ जाती है जब उच्च शिक्षा सस्थानों में प्रवेश प्राप्त 60 प्रतिशत विद्यार्थी या इससे भी अधिक छात्र-छात्राएँ या तो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। इससे प्रति छात्र उच्च शिक्षा पर होने वाला व्यय कई गुना बढ़ जाता है। सामान्य विषयों के स्नातकों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही काम मिल सकता है। पर यह क्षेत्र भी उनके 20 प्रतिशत भाग को ही नियोजित कर सकता है। इस प्रकार तीन-चौथाई से भी अधिक शिक्षित नवयुवक रोजगार पाने के लिए पूर्व से खड़े लोगों की पंक्ति में जुड़ जाते हैं। शिक्षित बेकारों की इसी समस्या को हल करने के लिये या इस समस्या की गम्भीरता को कम करने के लिए-नई शिक्षा नीति के अनुसार डिग्री की नौकरी से पृथक् करने का प्रस्ताव है जिससे डिग्री के प्रति लोगों की ललक कम हो यद्यपि शिक्षा की चुनौती मसौदे में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पूर्व से नियुक्त लोक सेवकों को गतिशीलता के साथ बेहतर पद एवं सेवा स्थितियाँ देने के लिए पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम पर विचार करना होगा।

व्यवहार में देखा जाता है कि आज शिक्षा के बाद नौकरी प्राप्त करने के लिए डिग्री आशार्थी की योग्यता के रूप में महत्वपूर्ण कसौटी मानी गई है। केम्ब्रिज तथा आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की डिग्रीया आज भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं। डिग्री प्राप्त करने का अर्थ होता है रोजगार या नौकरी के कई रास्ते खुलना। कई समाजों में आज भी डिग्री श्रेष्ठता का सूचक मानी जाती है। आज विश्व के हर देश में डिग्री उच्च शिक्षा सस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है

पेरिस विश्वविद्यालय ने पहली बार बेचलर की डिग्री दी थी। आज ससार के भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों में काफी विविधता है। उदाहरण के लिए भारत के ही बिहार के कुछ विश्वविद्यालय कानून के विद्यार्थी को बी एल की डिग्री देते हैं जबकि देश के अन्य विश्वविद्यालय एल एल बी की डिग्री देते हैं। इसी भाँति गढ़वाल तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय शोध छात्र को डी फिल की डिग्री देता है जबकि देश के अन्य विश्वविद्यालय पी एच डी की डिग्री देते हैं। कुछ पाश्चात्य शिक्षा संस्थान शिक्षा में उच्च डिप्लोमा देते हैं जिसे भारत में कुछ विश्वविद्यालयों ने एम एड के समकक्ष माना है। इसी कारण इनकी समतुल्यता स्थापित करने के लिए प्रयत्न भी किये जाते हैं। ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रसार हुआ है डिग्रियों की सामाजिक स्वीकार्यता व मान्यता में कमी आई है और आज बेकारी छिपी हुई बेकारी अर्द्ध बेकारी की स्थिति में डिग्रियों के महत्व का हास हुआ है। आज स्थिति यह है कि कभी श्रेष्ठता की प्रतीक कही जाने वाली डिग्रियाँ नवयुवकों में निराशा कुण्ठा हताशा एवं कटुता का स्रोत बन गई हैं।

उन सेवाओं में डिग्रियों को नौकरी से अलग किया जायेगा जिनमें विश्वविद्यालयों की डिग्रियों की अनिवार्य योग्यता के रूप में आवश्यकता नहीं होती। यह लागू किये जाने से विशिष्ट नौकरियों के लिये चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्धारण शुरू हो जायेगा और इससे उन उम्मीदवारों के प्रति अधिक न्याय होगा जो नौकरी के लिए पूरी तरह योग्य होते हुए भी छात्रक उम्मीदवारों को अनावश्यक तरजीह और प्राथमिकता दिये जाने के कारण नौकरी पान से वंचित रह जाते हैं।

“भिन्न-भिन्न काम के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान कौशल एवं रुझान की आवश्यकता होती है तथा किसी भी नौकरी या काम के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री के आधार पर किसी आशार्थी को चुनना या निरस्त करना उपयुक्त साधन नहीं है। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण कदम यह लिया जा सकता है कि उपलब्ध नौकरी या कार्य के अवसरों का सोच विचार कर विश्लेषण किया जाये। इससे यह लाभ होगा कि काम के निष्पादन हेतु या उस निपटाने के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता है उन कौशलों से युक्त शिक्षा तथा ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाये इससे शिक्षा के व्यवसायीकरण में मदद मिलेगी।”

1 प्रोग्राम आफ एक्सन मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट (शिक्षा विभाग)
भारत सरकार नई दिल्ली प्रबन्धक टेक्सट बुक प्रस 1986 पृष्ठ 77

डिग्री को नौकरी से अलग करने के बाद इसके स्थान पर विभिन्न चरणों में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा जैसे उपयुक्त तंत्र की स्थापना की जायेगी। इसका उद्देश्य निर्धारित नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के बाद स्वैच्छिक आधार पर परीक्षण का आयोजन करना है। इसका उद्देश्य देशव्यापी स्तर पर तुलनात्मक योग्यता के मानक या मानदण्डों के निर्धारण के लिए मार्ग प्रशस्त करना भी है। ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य लोगो को चाहे उनके पास औपचारिक डिग्रीया हैं या नहीं यह दिखाने का अवसर प्रदान करता है।

साधारणतया नागरिका के पास वे मारे विभिन्न काम करने की क्षमता योग्यता तथा कुशलता है पर वे काम व्यवहार में परम्परागत रूप से खातको को ही उपलब्ध हाते रहे हैं। जो सस्थान भर्ती के लिए अपने यहा परीक्षाए आयोजित करते हैं ठीक से ठोक बजाकर नौकरी देते हैं उन्हे औपचारिक डिग्री का आग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसा परीक्षण पहले से नौकरी पर लगे लोगो को पदोन्नति पाने में भी सहायक हो सकता है। संक्षेप म यह स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्र व्यापी परीक्षणो का आयोजन करने के लिए गुणवत्ता नियन्त्रण की प्रक्रिया है ताकि योग्यता दक्षता एव कुशलता के तुलनात्मक अध्ययन के लिए मानदण्डा का विकास हो सके। इस प्रक्रिया में स्वतन्त्र परीक्षण भी आयोजित किये जा सकते हैं। इससे नवयुवको में स्वत ही डिग्री पाने की ललक कम होगी जिसके फलस्वरूप उच्च शिक्षा सस्थान में प्रवेश के लिय दबाव भी कम होगा प्रवेश के लिए भीड कम उमडेगी। इन सकेता पर काम करने के लिए आरम्भ में कार्मिक विभाग में एक प्रकोष्ठ बनाया जा सकता है जो कार्यों का पता लगाए तथा कर्मचारियो की भर्ती का समाकलन करे।'।

व्यवहार में डिग्री का नौकरी स पृथक करना जितना सरल तथा आसान माना जा रहा है वास्तव में उतना है नहीं स्थिति उल्टी ही है। इस तथ्य पर शान्त मस्तिष्क से लाभ-हानि की दृष्टि से विचार करना होगा। डिग्री को नौकरी से पृथक करने में सैद्धान्तिक कमियों के साथ-साथ व्यावहारिक कठिनाइया भी हैं। इस विषय के स्वरूप एव सीमा पर विस्तृत विचार मथन की आवश्यकता है बिना पूर्व तैयारी के कई कठिनाइयों को व्यर्थ ही मे आमन्त्रित किया जा सकता है।

सेवाओ के तीन वर्ग माने जाते हैं- उच्च मध्यम तथा निम्न। काफी

समय से यह आवाज उठती रही है कि निम्न वर्ग की सेवाओं में कर्मचारियों को भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता या डिग्री या प्रमाणपत्र की आवश्यकता न रहे। उदाहरण के लिए पत्रों के आवक-जावक विभाग में एक कर्मचारी को लिफाफों पर पता लिखना है। यदि इस कार्य के लिए आशार्थी का साधारण लिपि का ज्ञान है जिससे कि वह पते लिख सके तो उसके लिए हायर सैकेण्डरी परीक्षा पास होने या स्नातक होने पर आग्रह क्यों किया जाय? साधारण शिक्षा से उनका कार्य हो सकता है तो डिग्री की आवश्यकता क्यों? इसी भाँति यदि किसी बैंक में रुपया के लेन-देन के लिये कर्मचारी की आवश्यकता है तो साधारण गणित जानने एवं जोड़ बाकी कर सकने वाले को भर्ती किया जा सकता है जो रुपयों को गिन कर दे या ले सकें। अब यदि वह स्नातक नहीं है तो क्या हानि हो रही है? बिना हायर सैकेण्डरी परीक्षा पास व्यक्ति बैंक के इस कार्य को कर सकता है तो इस कार्य के लिए भर्ती किये जाने के लिए स्नातक या हायर सैकेण्डरी परीक्षा पास आशार्थी मागना घेमानी बात है। इसी भाँति मध्यम वर्ग की कुछ निचली सेवाओं के लिए भी शैक्षिक योग्यता की छूट दी जा सकती है और यह आशा की जानी चाहिए कि इससे सेवाओं से जुड़ निष्पादित कार्य के स्तर में कोई गिरावट नहीं आयेगी।

डिग्री- नौकरी पृथक-पृथक के पक्ष में तर्क

कुछ चुने हुए क्षेत्रों में डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिए कदम लिये जाने चाहिए। ऐसी नौकरियाँ जिनमें डिग्री की आवश्यकता नहीं है तथा डिग्री वाले उपलब्ध हों तो उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाये। उदाहरण के लिए चपरासी तथा क्लर्क के लिए यदि सांख्यिक तथा मेट्रिक पास आशार्थी चाहिए तो इन पदों पर क्रमशः मेट्रिक तथा स्नातको को नियुक्तियाँ नहीं दी जाये। अर्थ यह है कि उच्च शैक्षिक योग्यता को श्रेष्ठ न माना जाये अपरोक्ष रूप से इसका आशय यही है कि डिग्री को अनावश्यक रूप से महत्व नहीं दिया जाये।

डॉ. एम. एस. गारे के अनुसार डिग्री को नौकरी से अलग करने से विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए निरिच्छ आने वाली भीड़ का दबाव कम होगा इससे शिक्षा का भी स्तर सुधारा जा सकेगा क्योंकि काम करने के लिए डिग्री का नहीं, बल्कि काम से सम्बन्धित वाछित रुचि कौशल एवं रूझान की जरूरत होती है। ये आगे कहते हैं कि इससे एक लाभ और होगा और वह यह है कि विश्वविद्यालय में सही रुचि तथा ज्ञान प्राप्ति की तीव्र भूख और इच्छा वाले विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा जिससे विश्वविद्यालयों की अन्य कई समस्याएँ दूर की जा सकेंगी।

कार्यालय संचालन से जुड़े लोगों को योग्य डिग्री प्राप्त करने के सार्वजनिक सम्बन्धों टक्कण आशुलिपि आफिस मेकेनिग्म सफ्रेटेरिएट प्रासिन्गर आदि की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऐसा ही विचार 1955 में कुलपतिया क सम्मेलन में प्रकट किया गया था।

एक बार सय लाख सया आयाग क अध्ययन श्रा किदवई का करना था कि हाई स्कूल क बाद सामान्य विषयों में छात्रक यनन न लिए 4 से 6 वष क समय का जरूरत पडती है तथा उनमें किसी प्रकार की विशिष्टता नहीं होता। इसलिये अच्छा यह होगा कि हाई स्कूल क बाद बालक की रज्ञान जानकर 4-6 वष तक विशिष्ट ज्ञान और कौशल की शिक्षा दी जाय जिससे उस कौशल और अनुभव भा प्राप्त हो सके। डिग्री को नौकरा से अलग करने की योजना उन संवाओं में शुरू की जायेंगी जिनमें विध-विद्यालय की डिग्री आवश्यक नहीं हागा। इस योजना का लागू करने से विराप कार्यों म अपक्षित कुशलताओं पर आधारित नये पाठ्यक्रम बनने लगेंगे और इससे उन आशार्थियों के साथ अधिक न्याय हो सकगा जिनके पास किसी विराप काम को करने की कुशलता एव क्षमता ता है लेकिन उन्हें यह काम इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि उनके लिए स्नातक आशाधिया को अनावश्यक रूप से तरगीह दी जाता है। पर इससे ध्यावहारिक व शैक्षिक समस्याएं आ सकती हैं-जा समय पर उपचार भी चाहगी। प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मी कान्त झा ने कहा था कि नौकरी के इच्छुक आशार्थियों का धयन हायर सैकेण्डरी परीक्षा पास करने क बाद ही कर लिया जाय तथा आशार्थियों द्वारा चाहे गये काम के दृष्टि से विशिष्ट प्रकृति की शिक्षा तथा उससे जुड़ा उपयोगी प्रशिक्षण दिया जाय। चिकित्सा इन्जिनियरी रक्षा विधि के क्षेत्र में ऐसा तत्काल किया जा सकता है। उन्होंने इस समस्या को एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखा कि इससे विध विद्यालयों मे प्रवेश का दबाव कम हो जायेगा। शप विद्यार्थियों क लिए ये शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण तथा गहन बना सकेंगे।

श्रा आरपी मिश्र के अनुसार यह मानन म कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि नवाचार नतृत्व उच्च बौद्धिक क्षमता त्वरित निणय प्रत्युत्पन्न मति की जिन पदों के लिए आवश्यकता है यह डिग्री की अनिवार्यता बनी रहेगी। विशिष्ट ध्यावसायिक क्षेत्रों जैसे इन्जिनियरी चिकित्सा कानून शिक्षा आदि में इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मानविकी सामाजिक विज्ञान और शुद्ध या प्राकृतिक विज्ञान आदि में जहाँ विरापज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है अक्रादमिक अर्हताओं की आवश्यकता बनी रहेगी।

डिग्री-नौकरी पृथक्-पृथक् के विपक्ष में तर्क

युनियादी शिक्षा सीखो क्याओं कार्यानुभव आदि प्रयागा के फल हमार सामने है। आशा की गई थी कि 50 प्रतिशत छात्र स्कूल शिक्षा क बाद राजगार म चल जायेंग तथा शेष 50 प्रतिशत छात्र ही उच्च शिक्षा प्राप्त करगे। पर यह आशा पूरी नहीं हुई-हाथ से काम करना काई नहीं चाहता। हायर सैकण्डरी स्कूल छोड़न वाले आधे छात्रा के लिए भी काम या अपना रांगार कहाँ हैं? इसलिये डिग्री को नौकरी से अलग करने क विपक्ष मे यह तर्क दिया जाता है कि स्कूल की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी का काम नहीं मिला तो विश्वविद्यालय उस कुछ समय ता व्यस्त रखगा।

यह भी विचार सामन आया कि डिग्री का नौकरी स अलग करने क विचार का धुआधार या युद्ध स्तर पर प्रचार किया गया या इस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया तो उच्च शिक्षा के प्रति जनसाधारण की इच्छा लुप्त हो जायेगी या मात्रा में कमी आयेगी। शिक्षित लोगों म यह विचार विकसित हो सकता है कि आने वाले समय मे डिग्री का कोई महत्व नहीं रहेगा। इस प्रकार प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों की सेवाओ स समाज वचित हो जायेगा तथा समाज के हित में उनका वाछित उपयोग नहीं होगा। यह भी सम्भावना है कि डिग्री को नौकरी स अलग करने के स्थान पर डिग्री का अवमूल्यन हो जाय। यहा भी इस दृष्टि से सतर्कता बर्ती जानी अत्यन्त आवश्यक है।

कटु आलाचक वर्तमान स्थितियों म इसे अप्रासंगिक तथा निरर्थक बतायगे। ऐसा कहने के लिए उनके पास पर्याप्त आधार व तर्क होंगे। सरकार एक तरफ खुले विश्वविद्यालय तथा पत्राचार पाठयक्रम आरम्भ कर रही है तथा कर्मचारिया को सतत अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर रही है तथा दूसरी ओर डिग्री का महत्व कम करना चाहती है विश्वविद्यालयों में घढती हुई भीड के नाम पर आधे स्कूली छात्रो को रोजगार में भेजना चाहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब तक डिग्री नौकरी शिक्षा उच्च शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा आदि के सम्बन्ध में और मुख्यत इनके आपसी सम्बन्धों मे भी नीति स्पष्ट नहीं हो जाती जनसाधारण अनिश्चय की स्थिति में ही रहेगा। जब तक इस क्षेत्र म योजनानुसार पूर्व प्रयोग नहीं कर लिया जाता विचार की व्यावहारिकता जानने के लिये तत्परता नहीं बरती जाती विचार का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

निष्कर्ष

ऊपर के विवेचन से तथा पक्ष-विपक्ष के तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डिग्री को नौकरी से अलग करना आसान कार्य नहीं है। ऐसा करना न तो सम्भव है तथा न अपेक्षित ही तथा वर्तमान परिस्थितियों

म न व्यावहारिक ही है इस विचार पर खुल कर बहस करने की जरूरत है। डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिए राज्यो के विभागों तथा राज्यो के लाक सेवा आयोगों को अपेक्षित योग्यता तथा कौशलों पर विचार-विमर्श कर निश्चय करना हागा। विभिन्न पदा के लिए चयन के बाद अभिरचि तथा क्षमता की दृष्टि से सेवा पूर्व प्रशिक्षण शुरू किये जाने चाहिए। इसके लिए सम्भव है कई नई सस्थाआ की स्थापना करनी होगी-इसी सन्दर्भ मे राष्ट्रीय परीक्षण सेवा सस्थान की स्थापना भी विचाराधीन है।

समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए डिग्री को नौकरी से अलग करने का कार्य एकाएक लागू नहीं किया जाये वरन् इस कार्यक्रम को विभिन्न चरणा म समय का अन्तराल देकर किया जाये इस सम्बन्ध में शीघ्रता में लिया गया निर्णय समस्या का सुलझाने की अपेक्षा और उलझा भी सकता है। क्योंकि यह छोटी मोटी या आसान या महत्वहीन समस्या नहीं है। विश्वविद्यालय इस बात को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं इसमे उनकी सुविधा निहित है कि उन्हे ज्ञान की उत्कट रचि एव सीखने की जिज्ञासा वृति वाले चयित छात्र प्रवेश के लिए मिलगे जिनसे उनकी अन्य कई समस्यायें समाप्त हो जायेंगी।

माता-पिताओ का एक वर्ग यह मान सकता है कि सामाजिक जीवन म डिग्री का महत्व स्टेट्स सिम्बल या प्रतिष्ठा या सम्मान के रूप में बना रहेगा तथा डिग्री को नौकरी से अलग न करके उसे कुछ सीमा तक महत्व अवश्य दिया ही जाना चाहिए। माता-पिताओं का एक अन्य वर्ग इस राय का भी हो सकता है कि उन्हें डिग्री से जुडे महत्व से कोई मतलब नहीं है पर उनकी सरक्षित सन्तान अपने पैरों पर खडी हो सके इतनी आशा तो वे करगे ही न केवल इतना ही वरन् वे अवश्य ही यह भी चाहेंगे कि यदि उनके सरक्षितों को उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता है तो अन्य विकल्प तत्काल उपलब्ध हों। नौकरियों में जा सक्ने वालों की सख्या ज्ञात कर उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा की निश्चित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि माता-पिता यह अनुभव करते हैं कि नई सस्थायें श्रेष्ठ नहीं हैं या उनका स्तर निम्न है या वे माता-पिताओं की अपेक्षाएँ पूरी नहीं कर पायेगी तो स्पष्ट है कि माता-पिता अपनी सन्तान को इन सस्थाआ में नहीं भेजेंगे। इसीलिए विश्वविद्यालय से बाहर रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल का प्रशिक्षण देने की सुविचारित योजना तैयार की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से परम्परागत विश्वविद्यालयों पर विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अधिक भार बना ही रहेगा।

डिग्री को नौकरी से अलग करने के सम्बन्ध में यूनेस्को ने 1971

में 'लर्निंग टू थी' शीपक वाले प्रतिवेदन में पूरे महत्व के साथ बताया है कि छात्रों की बढ़ती हुई सख्या तथा विविधता को देखते हुए उनके लिए स्कूली शिक्षा के बाद भी सस्थाओं में विविधता लाने की प्रथम स्थान पर नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा सस्थाओं में चुनियादी परिवर्तन करने होंगे। स्कूली शिक्षा के बाद विभिन्न पदों के लिए चयनित आशार्थियों को निष्पादित किये जाने वाले काम के लिए अपेक्षित गुणों तथा कौशलों की दृष्टि से लम्बे समय की शिक्षा व ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायगी। इससे न केवल पदों के लिए उपयुक्त शिक्षा प्राप्त आशार्थी ही उपलब्ध हाने वरन् उच्च शिक्षा सस्थाना को उद्देश्यहीन विद्यार्थिया को प्रवेश देने के दवाव से भी मुक्ति मिलगी। इस भाति कुछ सीमा तक डिग्री अपना महत्व खोने से भी बच सकेगी।

□

अन्तर्विषयी शोध

पाश्चात्य देशों में शोध की एक नई विधि बड़ी लोकप्रिय होती जा रही है वह है अन्तर्विषयी शोध। वहा किसी एक ही प्रकरण या प्रानक पर एक से अधिक कई शोध कार्यकर्ता कार्य करते रहते हैं-साथ बैठत हैं समम्या के विभिन्न पहलुओं पर खुले मस्तिष्क से विचारों का आदान-प्रदान करते हैं इसका पीछे भावना यही है कि एक से अधिक मस्तिष्कों द्वारा सोच-विचार कर किया गया शोध कार्य तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावी उपयोगी सार्थक स्पष्ट तथा तर्क-संगत होगा। भारत वर्ष में भी बदलती हुई सामाजिक स्थितियों में अन्तर्विषयी अनुमधान के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। एक-दूसरे अनुशासन या विषय के जानकार विद्वानों का दृष्टिकोण समझा जाय तथा उसमें लाभ उठाया जाये। जहा कहीं भी योग्य व्यक्ति एकत्र हाते हैं वहा विचारों का आदान-प्रदान सभव है और इससे रचनात्मक ऊर्जा के नवीन स्तर को टटोला जाता है। जब किसी शोध में विभिन्न विषया या विज्ञानो या अनुशासनों के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है तो उसे अन्तर्विषयी शोध कहते हैं। इसे कई विद्वान सहकारी शोध भी कह सकते हैं पर लेखक के अनुसार दोनों की आत्मा या भावना (spirit) में अन्तर है।

चैसे ता प्रत्येक अनुरामन या विषय का अपना दृष्टिकोण होता है उसकी अपनी स्वतन्त्र अध्ययन विधि होती है उदाहरण के लिए समाज शास्त्र मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं का समाज के सदस्य के रूप में अध्ययन करता है राजनीति शास्त्र मनुष्य तथा राज्य के अन्त सम्बन्धों पर केन्द्रित रहता है सास्कृतिक अध्ययन मानव शास्त्र में किया जाता है। बाजार में किसी वस्तु की कमी होने पर उपभोक्ता तथा उत्पादक का क्या व्यवहार रहता है इसका अध्ययन अर्थ-शास्त्र में किया जाता है अधिगम के लिए प्रभावी स्थितिया कौनसी हैं इसका अध्ययन मनाविज्ञान में किया जाता है। इस प्रकार एक लम्बे समय से प्रत्येक विषय का स्वतंत्र अध्ययन मनुष्य के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है अर्थात् मनुष्य का धुरी बनाकर विभिन्न विषय अपनी सीमाओं में रहते हुए अध्ययन करते हैं। उनका अपना-अपना भिन्न दृष्टि कोण है तथा वे व्यवहार के भिन्न-भिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जब प्रत्येक विषय

का अपना अपना भिन्न दृष्टिकोण होता है तो स्पष्ट है कि उसकी अध्ययन विधि भी निश्चित रूप से भिन्न होगी। उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा अधिगम की प्रभावी स्थितियाँ ज्ञात करने के लिए बच्चों पर प्रयोग किया जाता है। दोनों शोध क्रमशः अर्थ-शास्त्र तथा मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दोनों विषयों में शोध की अध्ययन विधि में समानता नहीं है। यह भी संभव है कि अन्य विशिष्ट प्रकरणों में न्यूनाधिक रूप से समानता मिल भी जाये परन्तु प्रत्येक विषय की अपनी धारणाएँ, सकल्पनाएँ होती हैं जिनके आधार पर ज्ञान का विकास होता है तथा प्रत्येक विषय का अपना इतिहास होता है उसकी अपनी शब्दावली होती है। उस विषय में शोध करते समय शोध विधि उसके इतिहास से निदोष की जाती है तथा शोध में उसी विषय की शब्दावली का अनिवार्यतः पालन किया जाता है। सम्भवतया इसीलिए उसे अनुशासन के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

कालान्तर में इस विचारधारा में परिवर्तन आया। शिक्षाशास्त्रियों का कहना था कि ज्ञान टुकड़ों में नहीं दिया जाना चाहिए, एक विषय को दूसरे विषय से पूर्णतः शत प्रतिशत पृथक् करके भिन्न कमरे में उसे बन्द नहीं किया जा सकता। ऐसा ज्ञान एकांगी है जो समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करता। एक विषय को पढ़ते समय दूसरे विषय को दिमाग से निकाल दें यह स्थिति वाछनीय नहीं है कुछ अंशों में निश्चित रूप से हानिकारक भी हो सकती है। ऐसा ज्ञान जो बच्चे के सामने समग्र चित्र प्रस्तुत न करे, संभव है उनके लिए अपच का कारण बने।

अन्तर्विषयी शोध की परिभाषा

पाश्चात्य दशा में इस दशक में हुई लोकप्रिय शोध विधि में सम्बन्धित विज्ञानों या विषयों की विधियों का अनुसरण किया जाता है तथा उन विषयों के विशेषज्ञों की विभिन्न सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसे ही अन्तर्विषयी या अन्तर्विद्युत शोध कहते हैं। यद्यपि यह विधि भारत में अभी लोकप्रिय नहीं हो पायी है। इतना ही नहीं कई विशेषज्ञ तो इसे मानने को ही तैयार नहीं हैं। उनका दृढ़ मत है कि समाजशास्त्र समाजशास्त्र है उसे मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र नहीं बनाया जा सकता। इस अन्तर्विषयी शोध विधि को कई लेखक सहकारी विधि भी कहते हैं चूँकि इस विधि में कई अनुशासनों के विद्वान सहयोग से काम का आगे बढ़ाते हैं। कई विद्वानों ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर इसे सहकारी अनुशासन ही नाम दे डाला है। भिन्न-भिन्न विषयों के विशेषज्ञ अपने-अपने ज्ञान व सेवाओं का इस तरह योगदान करते

हैं कि उनकी विधियाँ में एकीकरण हो जाता है तादात्म्य हो जाता है। भिन्न-भिन्न अनुशासनों के विशेषज्ञ भले ही एक अनुसंधान योजना पर काम क्यों न कर रहे हों उसे अन्तर्विषयी शोध तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उनमें परस्पर समन्वय न हो। जिस प्रकार एक कारस संगीत के लिए हारमोनियम तबला वासुरी आदि विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों पर कलाकार काम करते रहते हैं इनका अपना पृथक् पृथक् व्यक्तित्व होता है फिर भी वे पूर्णतया स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करते तथा न ही उनका स्वतंत्र अस्तित्व कोई अर्थ रखता है। उनमें विभिन्नता होते हुए भी एक समझौता है एक प्रकार की विशिष्ट समझ-बूझ है एकता है जिससे एक कर्णप्रिय मधुर संगीत की रचना होती है। इसी प्रकार विभिन्न विज्ञानों के विशेषज्ञ-अर्थशास्त्री समाज-शास्त्री शिक्षा-शास्त्री मानव शास्त्री वाणिज्य-शास्त्री मनोवैज्ञानिक प्रशासक भूगोलवेत्ता राजनीति-शास्त्री यद्यपि अपने अनुशासनो का पालन करते हैं परस्पर एक हाकर काम करते हैं। इस भाँति कई व्यक्तियों का ज्ञान का उनकी विशिष्टताओं का प्रयोग होने से इसे सुधरी हुई परिष्कृत विधि कहा जा सकता है तथा गृहशोध प्रायोजनाओं में इसका निरूपण उपयोग किया जा सकता है।

इस प्रकार के शोध को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है -

(क) अन्तर्विधा या (Intra Disciplinary) इसमें शोध को एक ही विषय की परिधि में सीमित कर दिया जाता है उदाहरणार्थ ग्रामीण बेकारी-प्रकृति मापन सघनता अर्थतंत्र से संबंध तथा उपचार -

(ख) अन्तर्विधा विधि-(Inter-Disciplinary) इसमें शोध को एक साथ कई विषयों से संबंधित करके अनुसंधान आरम्भ किया जाता है यथा- नदी-घाटी योजनाओं के साथ बसे लोगों के एकीकृत विकास की समस्याएँ।

इस प्रकार के शोध कार्य को तीन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है -

- 1 सैद्धान्तिक स्तर-विकास का विज्ञान मानवीय विकास आदि
- 2 व्यावहारिक स्तर-शिक्षानुशासन अन्य विषयों प्रतिमानों सिद्धान्तों आदि से ज्ञान प्राप्त करता है।
- 3 वैचारिक स्तर-समाज को चिन्तन की सही दिशा प्रदान करना-मानव द्वारा पर्यावरण के साथ समझन पर विवेचन आदि। इस स्तर में दार्शनिक पक्ष पर आग्रह रहता है।

अन्तर्विषयी शोध की आवश्यकता

सहकारी या अन्तर्विषयी शोध की आवश्यकता या महत्त्व के लिए निम्न आधार प्रस्तुत किये जाते हैं -

1 काइ भा एक अनुशासन स्वतन्त्र रूप से अपने आप मे पूर्ण नहीं है। विशपज्ञा क अनुसार कइ क्षेत्रा क वैज्ञानिक भी सामान्य व्यक्ति के समान हैं यदि वह उसम प्रयुक्त सामान्य वैज्ञानिक विधि के गूढ अर्थ को जाने बिना सिर्फ अपने निजी अनुशासन की वैज्ञानिक विधि अपनाता है ता वह इस अनुशासन के किसी भी अन्य व्यक्ति के समान ही घोर परम्परावादी हैं। यह मात्र विहम्बना होगी यदि अर्थ शास्त्री यह कहे कि समाज की समस्त बुराइयों व समस्याओं का मूल कारण अर्थशास्त्र के गर्भ में है तथा केवल अर्थशास्त्रीय उपायों से ही ये दूर करने का आग्रह करें। स्पष्ट है कि सहकारी या अन्तर्विषयी विधि द्वारा अन्य विशेषज्ञों की भी मदद ली जानी चाहिए।

2 विभिन्न अनुशासनों के पृथक-पृथक होते हुए भी उनका क्षेत्र पूर्णतया एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इसका एक मात्र कारण यह है कि सभी अनुशासना का केन्द्र एक ही है मनुष्य। भौतिक विज्ञान भी मानव द्वारा संचालित है तथा मानव के लिए है। समाज विज्ञान में यह एकता और भी अधिक है इसलिए भौतिक विज्ञानों का सामाजिक पहलू भी हैं तथा सामाजिक विज्ञानों का भौतिक पहलू क्षेत्र विस्तृत रहता है कई लोग मिलकर काम करते हैं तो विषय का विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि लोग व्यस्त हो जाते हैं। कई सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं के कारण किसी नई दवा का आविष्कार होता है। आर्थिक विकास केवल आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता- इसके लिए सामाजिक व मानवीय प्रयास भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। समान साधन सुविधाए होने पर भी दो कक्षाओं की शैक्षिक प्रगति में भिन्नताएँ हो सकती है। आर्थिक उन्नति के लिए भी ऐसा ही कहा जा सकता है। इन सब भिन्नताओं के लिए सामाजिक कारण उत्तरदायी होते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी एक अनुशासन की समस्या सुलझाने के लिए तुरन्त दूसरे विज्ञानों की सहायता की आवश्यकता पड जाती है।

3 अन्तर्विषयी शोध में वस्तुनिष्ठता लाना भी आवश्यक है। इस शोध विधि के प्रमुख लेखक यंग का कथन है कि ' अन्तर्विषयी शोध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक कारणों से घिरे एव उलझे हुए मनुष्य जीवन में शोध कार्य सहज एव स्पष्ट बना देता है। सभी विषयों के ज्ञान तथा विशेषज्ञता प्राप्त होने से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हाती समस्या उत्पन्न नहीं होती। विभिन्न विषया का तुलनात्मक अध्ययन करने से किसी एक विषय पद्धति के दोष स्पष्ट दृष्टिगोचर होत हैं तथा इन पद्धतियों से प्राप्त विपरीत व विरोधी निष्कर्षों का समन्वय भी हो जाता है।

4 सामाजिक घटना की प्रकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि उसके लिए अन्तर्विषयी शोध अधिक उपर्युक्त रहता है। सामाजिक घटनाओं आर्थिक

मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक तथा भौतिक घटनाओं से प्रभावित होती हैं जिनके लिए विशिष्टीकरण के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये घटनायें स्वयं भी परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। अतः आधुनिक समाजशास्त्री सामाजिक घटना का उसने समग्र रूप में सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए-आधुनिकीकरण एक ऐसा पहलू है जिस पर आर्थिक सामाजिक भौतिक राजनैतिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक आदि अनेक पहलू प्रभाव डालते हैं। इसका प्रभाव भी इतना मिश्रित है कि उसका पृथक्-पृथक् अध्ययन नहीं किया जा सकता। ऐसे अध्ययन का यदि प्रयत्न किया गया तो एकांगी होगा जो पहलू या घटना का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकता।

कतिपय निश्चित प्रकल्पनाओं या निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए उसी से सम्बन्धित विभिन्न अज्ञात उन समस्याओं की आरंभिक परीक्षा किया जाना है कार्य करने की प्रक्रियाओं में अन्तर्विषयी शोध फलप्रद एवं प्रभावी हो सकता है। हाँ यह सम्भव है कि क्षेत्र एवं विषय की दृष्टि से उनका महत्व न्यूनताधिक हो सकता है। इसीलिए वृहद् शोध प्रयोजनाओं तथा क्षेत्रीय अनुसन्धानों की निरन्तर आवश्यकता ने व्यक्तिगत प्रयासों के समन्वय के महत्व को और भी प्रकाशित कर दिया है।

यही नहीं विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी सस्थाओं ने अनुदान देकर इस तरह के शोध कार्य के प्रति जो रुचि प्रकट की है इससे भी अन्तर्विषयी शोध के विकास में मदद मिली है। जैसे भी कई सस्थाएँ शीघ्र ही फल जानने को उत्सुक रहती हैं। अतः ये समस्या पर अन्तर्विषयी शोध प्रक्रिया से ही काम करवाना पसंद करती हैं।

यह तो सुनिश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं कर सकता तथा न ही इस प्रकार की आशा की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में यह व्यावहारिक नहीं होगा कि सभी अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर ही कराये जायें। अन्तर्विषयी शोध में एक दूसरे की कार्य पद्धतियाँ की भी आपस में जाँच पड़ताल हो जाती है और फिर विभिन्न विचारधारा वाले अपने अनुशासनों में आपस में विचार-विमर्श के बाद जो निर्णय लेते हैं उससे किसी प्रकार की सामान्य त्रुटि तथा तकनीकी दोष रहने की सम्भावना भी समाप्त हो जाती है। हाँ यह अवश्य है कि इस प्रकार के आपसी बौद्धिक विचार मन्थन तथा निर्णय में समय लगता है पर अन्तर्विषयी शोध के महत्व को देखते हुए यह सारहीन है। इसलिये कुछ अंशों तक यह कहना कि आधारभूत योगदान अनुसंधानकर्ताओं के दल द्वारा नहीं किया जा सकता त्रुटिपूर्ण होगा। यदि समस्या शुद्ध अनुसंधान का विषय हो तो इसमें कई विषयों या अनुशासनों के विद्वानों से योगदान की अपेक्षा की जा सकती है। इसीलिये इस प्रकार

के अनुसंधान की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज सभी समाज वैज्ञानिक इस प्रकार की शोध विधि की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। न केवल इससे एक दूसरे के योगदान का परिचय मिलता है बल्कि इससे कई सामान्य समस्याओं का भी उपचार प्राप्त होता है इसीलिए आज अन्तर्विषयी अनुसंधान दलों का संगठन करके विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है।

अन्तर्विषयी शोध का महत्व एवं आवश्यकता पर विचार करने से इसकी निम्न विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं -

(1) अन्तर्विषयी शोध कार्य में जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है विभिन्न अनुशासनों के विशेषज्ञ परस्पर सहयोग से आपसी समझ-बूझ एवं सद्भाव से एक दूसरे का दृष्टिकोण समझते हुए प्रायोजना पर अग्रसर होते हैं। इस विधि में किसी एक अनुशासन की विधि को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि सहयोग से काम किया जाता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अनुशासनों के विशेषज्ञ अपनी भूमिका निभाते हैं सहयोग देते हैं।

(2) दल के सभी सदस्यों को केवल सम्बन्धित समस्या के लिए ही अनुसंधान करना चाहिए। प्रायोजना में सम्मिलित विभिन्न विशेषज्ञ यदि मुख्य बात ध्यान में रख कर किसी गौण बात पर ही ध्यान केन्द्रित कर लेते हैं तो मूल कार्य के प्रति पक्षपात हो सकता है तथा यह भी संभव है कि मूल शोध कार्य सही ढंग से नहीं हो। एक उदाहरण से यह बात अधिक स्पष्ट हो जायेगी। बेरोजगारी के सर्वेक्षण पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। इस बीच मनोवैज्ञानिक शोध के विभिन्न चरणों पर कार्य करते हुए, यदि यह जानने का प्रयत्न करें कि माता-पिता अपने प्रथम पुत्र के लिए क्या धंधा पसंद करते हैं या भूगोलवेत्ता उसी शोध अध्ययन के साथ साथ जो की भूमि का सर्वेक्षण जाति वार करना चाहता है या संस्कृति का विद्वान उनके मनोरंजन के साधनों का पता लगाना चाहता है या अर्थशास्त्री उनके पारिवारिक बजटों का अध्ययन करना चाहता है या राजनीति शास्त्री उनकी राजनीतिक दल के पसंदगी या किसी दल या किसी नेता के प्रति पसंदगी का अध्ययन करना चाहता है तो सभी विशेषज्ञ न तो ठीक अध्ययन करने की स्थिति में होंगे न इसे अन्तर्विषयी शोध विधि कहा जायेगा और संभव है- मूल कार्य बेरोजगारी का सर्वेक्षण पूरा भी न हो और यदि पूरा हो भी गया तो सर्वसम्मत निश्चित निष्कर्ष ही न निकल पायें। ऐसी स्थिति में सभी मानवीय प्रयत्न निष्फल होंगे।

(3) अनुसंधान का प्रयोजन समाज को लाभ पहुंचाना है। अतः सर्वाधिक

महत्वपूर्ण उद्देश्य किसी तात्कालिक या दीर्घगामी समस्या का हल खोजना है। दूसरे शब्दों में या कहा जा सकता है कि शोध निष्कर्षों का उपयोग समाज की व्याधियों को दूर करने के लिए सरलता एवं सुविधा से किया जा सकता है अतः निम्न खोजते समय समस्या की व्यावहारिकता ही मस्तिष्क में रहती है। मान लीजिये बढ़ती हुई जनसंख्या पर एक वृद्ध शोध कार्य हाथ में लिया जाना है विद्यालय के शिक्षक बढ़ती हुई जनसंख्या छोटे व बड़े परिवार की धारणा बड़ी कक्षाओं में जनसंख्या सम्बन्धी माल्थस के सिद्धान्त आदि पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं। बाल-मृत्यु तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर चिकित्सा विज्ञानी कार्य करते हैं। बड़े परिवारों की या जनसंख्या के सघन घनत्व या नगरीकरण की कठिनाइयों का अर्थशास्त्री अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। श्रम के विशिष्टीकरण की हानियाँ या श्रम कल्याण संबंधी समस्याएँ मजदूर बस्ती के सामाजिक जीवन का अध्ययन समाजशास्त्री अच्छा कर सकता है। गर्भ-निरोधक उपायों पर कार्यरत चिकित्सक अच्छा कार्य कर सकता है। इस स्थिति में इस योजना पर विभिन्न अनुशासनों के विशेषज्ञों ने मिलकर सोच-विचार कर, सही परिस्थितियों में अन्तर्मान से काम किया है तो प्राप्त निष्कर्ष जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी रूप से लागू किए जा सकेंगे। इस भाँति समस्या का निदान में व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रमुख रहता है।

सहकारी या अन्तर्विषयी शोध विधि के गुण

इस विधि की विशेषताएँ, महत्व एवं आवश्यकता जान लेने के बाद उचित लगता है कि अन्तर्विषयी शोध विधि के गुणों पर प्रकाश डाला जाय-

इससे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के बीच विरोध समाप्त होकर एकता सहानुभूति तथा समन्वय का विकास होता है। इस विधि के माध्यम से एक दूसरे के दृष्टिकोण को सही रूप में समझने का प्रयत्न किया जाता है। अनेक सन्देहपूर्ण स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं। अनुसंधान दल के सभी सदस्य प्रायोजना को अपना कार्य मान कर आगे बढ़ते हैं।

किसी भी विषय का विस्तृत व गहन अध्ययन हो जाता है। पृथक पृथक टुकड़ों में शोध करने से होने वाली त्रुटियों से भी मुक्ति मिल जाती है।

विषय या शोध प्रायोजना का अध्ययन एकांगी न होकर समग्र रूप में होता है। प्रायोजना के सभी पहलुओं पर आवश्यकतानुसार प्रकाश पड़ता है। एक से अधिक मस्तिष्कों द्वारा काम करने से त्रुटि की सम्भावना समाप्त हो जाती है। इसकी वस्तुनिष्ठता पर निर्भर किया जा सकता है।

अनुशासनों का विशिष्ट आग्रह समाप्त हो जाता है तथा विभिन्न विषयों में समन्वय की भावना उत्पन्न होती है।

सामाजिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है इनका वाछित सही तथा सवागीण अध्ययन किया जाता है।

इस विधि में साधनों का अधिकतम उपयोग होता है। जो साधन या उपकरण जिनके पास होते हैं उन्हें अधिक उपयोगी कामों में लगा दिया जाता है इसमें साधनों की गतिशीलता बढ़ती है जिससे अनुसंधानकर्ता भी लाभ उठाते हैं तथा सजग रहते हैं।

व्यवहार में अन्तर्विषयी शोध विधि

अन्तर्विषयी शोध की पूर्व मौलिक आवश्यकता एक सुनिश्चित शोध प्रायोजना की रचना है जिसमें शोध के उद्देश्य तथा क्षेत्र सही सही निरूपित हो। उद्देश्य प्रयत्नों का निर्धारण करते हैं। तभी यह निश्चित किया जाता है कि प्रायोजना में किन किन विषयों का विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ेगी। प्रायोजना में हाथ बटाने वाले विभिन्न अनुशासना के विद्वान ऐसे व्यक्ति हो जो अपने विषय का जाने माने ज्ञाति प्राप्त विद्वान होने के साथ ही रुढ़िवादी न हो। विचारों में वे इतने उदार हों कि वे दूसरे विज्ञानों की पद्धतियाँ ग्रहण कर लें तथा उनसे हाथ मिला कर परस्पर विचार विमर्श से कार्य करें। कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार अनेक सीमा तक और अन्तर्विषयी विषय शीघ्रता से विकसित हो कर स्वतंत्र अध्ययन और अनुसंधान के क्षेत्र बन रहे हैं। उदाहरण के लिए गणित और भौतिकी रसायन और भूविज्ञान जीव विज्ञान और भौतिकी गणित और अर्थशास्त्र के सरिलिप्त पाठ्यक्रम बड़े लाभदायक और रचिक्कर होंगे। ऐसे पाठ्यक्रमों की व्यवस्था सञ्चित विभागों को समुक्त रूप से करनी चाहिए।

जीव विज्ञान विभाग के चुने हुए आदमी भौतिकी में तथा भौतिक विभाग के चुने हुए आदमी रसायन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रह सकते हैं। फिर विज्ञान विभाग विशेषतया भौतिकी तथा गणित अनुसंधान में रचि रखने वाले इन्जीनियरों के घनिष्ठ सम्पर्क से अत्यन्त लाभान्वित हो सकते हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में विज्ञान शिल्प विज्ञान तथा अनुशासनों को पास-पास लगाया जाये। जैसा कि जे. ए. स्ट्रेटन ने कहा है 'विज्ञान व इन्जीनियरी के विषय में सबसे बड़ा अपकार और कोई नहीं हो सकता है कि एक को दूसरे के विरुद्ध उकसाया जाये और दाना के बीच खाई डाली जाये।' इसी सम्बन्ध में पी. पी. यंग का यह कथन है- 'अन्तर्विषयी शोध के लिए विभिन्न विभागों के अनुशासन युक्त सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है जो स्वार्थ तर्क-दलीलों तथा ईर्ष्या से विचलित न हो। सभी विशेषज्ञों में परस्पर एक दूसरे

महत्वपूर्ण उद्देश्य किसी तात्कालिक या दीर्घगामी समस्या का हल ढाजना है। दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि शोध निष्कर्षों का उपयोग समाज की व्याधियों को दूर करने के लिए सरलता एव सुविधा से किया जा सकता है अतः निदान ढोजते समय समस्या की व्यावहारिकता हा मस्तिष्क मे रहती है। मान लाजिये बढती हुई जनसंख्या पर एक मृद्द शोध कार्य हाय मं लिया जाना है विद्यालय के शिक्षक बढती हुई जनसंख्या ढोटे व बडे परिवार की धारणा बढी कक्षाओं म जनसंख्या सम्यन्धी मात्थस के सिद्धान्त आदि पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं। बाल-मृत्यु तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर चिकित्सा विज्ञानी कार्य करते हैं। बडे परिवारों की या जनसंख्या क सघन घनत्व या नगरीकरण की कठिनाइयों का अर्धशास्त्री अढ्ढा अध्ययन कर सकते हैं। श्रम के विशिष्टीकरण की हानिया या श्रम कल्याण सबधी समस्याय, मजदूर बस्ता के सामाजिक जीवन का अध्ययन समाजशास्त्री अढ्ढा कर सकता है। गर्भ-निरोधक ढपायों पर कार्यरत चिकित्सक अढ्ढा कार्य कर सकता है। इस स्थिति मे इस योजना पर विभिन्न अनुशासनों के विशपज्ञ ने मिलकर सोच-विचार कर, सही परिस्थितियों में अन्तर्मन से काम किया है तो प्राप्त निष्कर्ष जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी रूप से लागू किए जा सकेगें। इस भाति समस्या क निदान में व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रमुख रहता है।

सहकारी या अन्तर्विषयी शोध विधि के गुण

इस विधि की विशेषताए, महत्व एव आवश्यकता जान लेने के बाद उचित लगता है कि अन्तर्विषयी शोध विधि के गुणों पर प्रकाश ढाला जाय-

इससे विभिन्न विषयो के विशेषज्ञों के बीच विरोध समाप्त होकर एकता सहानुभूति तथा समन्वय का विकास होता है। इस विधि के माध्यम से एक दूसरे के दृष्टिकोण को सही रूप मे समझने का प्रयत्न किया जाता है। अनेक सन्देहपूर्ण स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं। अनुसंधान दल के सभी सदस्य प्रायोजना को अपना कार्य मान कर आगे बढते हैं।

किसी भी विषय का विस्तृत व गहन अध्ययन हो जाता है। पृथक पृथक ढुकडों में शोध करने से होने वाली त्रुटियों से भी मुक्ति मिल जाती है।

विषय या शोध प्रायोजना का अध्ययन एकागी न होकर समग्र रूप मे होता है। प्रायोजना के सभी पहलुओं पर आवश्यकतानुसार प्रकाश पढता है। एक से अधिक मस्तिष्को द्वारा काम करने से त्रुटि की सम्भावना समाप्त हो जाती है। इसकी वस्तुनिष्ठता पर निर्भर किया जा सकता है।

अनुशासनों का विशिष्ट आग्रह समाप्त हो जाता है तथा विभिन्न विषयो म समन्वय की भावना उत्पन्न होती है।

सामाजिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है इनका वाछित सही तथा सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है।

इस विधि में साधनों का अधिकतम उपयोग होता है। जो साधन या उपकरण तिनके पास होते हैं उन्हें अधिक उपयोगी कामों में लगा दिया जाता है इससे साधनों की गतिशीलता बढ़ती है जिससे अनुसंधानकर्ता भी लाभ उठाते हैं तथा सजग रहते हैं।

व्यवहार में अन्तर्विषयी शोध विधि

अन्तर्विषयी शोध की पूर्ण मौलिक आवश्यकता एक सुनिश्चित शोध प्रायोजना की रचना है जिसमें शोध के उद्देश्य तथा क्षेत्र सही सही निरूपित हो। उद्देश्य प्रयत्नों का निधारण करते हैं। तभी यह निश्चित किया जाता है कि प्रायोजना में किन किन विषयों के विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ेगी। प्रायोजना में हाथ बटाने वाले विभिन्न अनुशासनों के विद्वान ऐसे व्यक्ति हो जो अपने विषय के जाने माने ख्याति प्राप्त विद्वान होने के साथ ही रूढ़िवादी न हो। विचार में वे इतने उदार हो कि वे दूसरे विज्ञानों की पद्धतियाँ ग्रहण कर लें तथा उनसे हाथ मिला कर परस्पर विचार विमर्श से कार्य करें। कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार "अनेक सीमा तक और अन्त विद्या विषय शीघ्रता से विकसित हो कर स्वतंत्र अध्ययन और अनुसंधान के क्षेत्र बन रहे हैं। उदाहरण के लिए गणित और भौतिकी रसायन और भूविज्ञान जीव विज्ञान और भौतिकी गणित और अर्थशास्त्र के सरिलिप्त पाठ्यक्रम बड़े लाभदायक और रुचिकर होंगे। ऐसे पाठ्यक्रमों की व्यवस्था संबंधित विभागों को समुक्त रूप से करनी चाहिए।

जीव विज्ञान विभाग के चुने हुए आदमी भौतिकी में तथा भौतिकी विभाग के चुने हुए आदमी रसायन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रह सकते हैं। फिर विज्ञान विभाग विशेषतया भौतिकी तथा गणित अनुसंधान में रचि रखने वाले इन्जीनियरों के घनिष्ठ सम्पर्क से अत्यंत लाभान्वित हो सकते हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में विज्ञान शिल्प विज्ञान तथा अनुशासनों को पास-पास लगाया जाये। जैसा कि जे. ए. स्ट्रेटन ने कहा है 'विज्ञान में इन्जीनियरी के विषय में सबसे बड़ा अपकार और कोई नहीं हो सकता है कि एक को दूसरे के विरुद्ध उकसाया जाये और दोनों के बीच खाई डाली जाये।' इसी सम्बन्ध में पी. वी. यंग का यों कहना है- 'अन्तर्विषयी शोध के लिए विभिन्न विशेषज्ञों के अनुशासन युक्त सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है जो स्वार्थ तर्क दलीलों तथा ईर्ष्या से विचलित न हो। सभी विशेषज्ञों में परस्पर एक दूसरे

के प्रति समझदारी तथा सहानुभूति होनी चाहिए। ये बातें न होकर अन्तर्विषयी शोध में अनावश्यक खर्चतान उत्पन्न होने की पूरी-पूरी संभावना रहती है। अन्तर्विषयी शोध पर कार्य करने की तीन स्थितियाँ हो सकती हैं-

1 शिक्षा शास्त्री स्वयं समस्त अनुसंधान कार्य कर। या केवल आवश्यकता के समय विभिन्न समस्याओं पर विशेषज्ञ से परामर्श कर लें।

2 अन्तर्विषयी शोध प्रायोजना पर कार्य उनके विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाय। वे स्वयं अपनी शोध योजनाएँ बनायें तथा मिलकर समन्वय कर लें। उसके बाद शोध का उपक्रम आरंभ हो तथा सभी विशेषज्ञ एक मन हो समन्वय से काम कर। शोध के विभिन्न चरणों में सभी विशेषज्ञ प्रायोजना की प्रगति पर विचार करें। मिल बैठ कर, परस्पर विचार-विमर्श कर सतुलन बनायें रहें। अन्त में एक स्थान पर शोध का एकीकरण कर दिया जाये।

3 विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अपना अनुसंधान कार्य स्वतंत्र रूप में करें और अन्त में उनकी शोध के आधार पर समन्वय तथा एकीकरण के द्वारा उसी रूपरेखा के अनुसार कार्य किया जाये।

अन्तर्विषयी शोध प्रायोजनाओं में निदेशक को अधिक रचि लनी चाहिए। कभी कभी उसे क्षेत्रीय अनुसंधान कर्ताओं के साथ जाना चाहिये। तथा उत्तरदाताओं से मिलना चाहिए। इससे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा एवं स्वयं को क्षेत्र सम्बन्धी समस्याओं से जानकारि रहेगी। इससे न केवल अध्ययन को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है बल्कि इससे समय एवं धन की भी बचत हो सकती है। प्रायः देखा जाता है कि जो व्यक्ति प्रायोजना प्राप्त करता है वह सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से आर्थिक मदद लेता है एवं स्वयं उसका निदेशक बन जाता है तथा अन्य सहयोगियों को उपनिदेशक तथा अनुसंधान सहायक आदि बना देता है। इससे दलीय भावना सगठित नहीं हो पाती। फिर भी निदेशक को सम्पादकीय व निरीक्षकीय भूमिकाएँ अदा करते हुए शोध क्षेत्र में जाने को अपनी प्रतिष्ठति को नीचे नहीं मानना चाहिए। क्षेत्रीय कार्य में भाग लेने से उसे क्रियात्मक रूप से अपना शैक्षिक अधिकार स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी।

अन्तर्विषयी अनुसंधान विधि से शोध कार्य सम्पन्न करने के लिए, उदाहरणार्थ नदी घाटी परियोजना क्षेत्रों के निवासियों के समग्र विकास का विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। सम्पूर्ण शोध कार्य को विभिन्न शीर्षकों में बारीकी से लिपिबद्ध कर विशिष्ट ज्ञान या कौशल या तकनीक के जानकार अनुसंधानकर्ताओं को या उनके दल को सौंपा जा सकता है -

1 आधुनिकता नैतिक मूल्य तथा सामाजिक परिवर्तना के प्रति किशारों की अभिवृत्ति	- समाजविज्ञानी
2 सामाजिक आधिः स्थिति के सन्दर्भ में स्कूली बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति	- मनावैज्ञानिक
3 जन्मदर में परिवर्तन कुपोषण तथा राग	- चिकित्सक
4 विभिन्न आयु स्तरों पर मातृभाषा का शब्द भण्डार	- शिक्षाधिकारी
5 अन्तर्जैवीय तत्व तथा सामाजिक दूरी	- जैव विज्ञानी/मनावैज्ञानिक
6 मतदान या व्यवहार में प्रजातन्त्र	- राजनातिशास्त्री
7 भू स्वामित्व जेत तथा राजस्व	- भूगोलवेत्ता/भूविज्ञानी
8 पारिवारिक बजट बचत तथा ग्रामीण बेरोजगारी	- अर्थशास्त्री
9 लोकगीत लाकनृत्य तथा लाक सस्कृति	- समाज विज्ञानी/नृशास्त्री
10 निवास की सुनिर्धारित वस्तुकला तथा सस्ते मकान बनाने के साधन व तरीक	- अभियान्त्रिक
11 शिशु पालन की विधियों तथा बच्चों का स्वास्थ्य	- चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञानी
12 भूमि विवाद तथा इसी प्रकार के विवादों के नियमन की विधिया	- वकील
13 कल्याणकारी गतिविधियों का सर्वेक्षण	- समाज सुधारक/सामाजिक कार्यकर्ता

ऊपर बताये सभी 13 दल एक साथ एक ही वृहद् कार्य योजना पर शोधकार्य करेंगे। जब जहा जैसी आवश्यकता होगी वे मिल बैठ कर बात करेंगे विचार विमर्श करेंगे विवाद के बिन्दु पर विचारों का मूल रूप से आदान प्रदान होगा। ऐसी बैठक दल सकलन सारणीकरण अवन विश्लेषण तथा प्रतिवेदन लेखन के समय आवश्यकतानुसार हुआ करगी।

शोध के लिए कुछ और विषय सुझाये जा सकते हैं-

- * पिछड़ी जातियों के कुपोषण तथा बीमारी सम्बन्धी समस्यायें
- * पचायती राज का नगरीय प्रशासन व्यवस्था पर प्रभाव
- * उद्यम तथा श्रमिक सघों की शिकायतों का निराकरण
- * ग्रामीण बेरोजगारी प्रकृति गम्भीरता विस्तार विकास तथा सम्भावित उपचार
- * प्राथमिक बन्धुओं के विद्यार्थियों का नैतिक विकास
- * इन्दिरा गांधी/महात्मा गांधी के बारे में विद्यार्थियों के ज्ञान का विस्तार तथा मात्रा

- * किसी गाव का समग्र अध्ययन
 - * ध्यावसायिक शिक्षा का इतिहास
 - * सहयोगी तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार का अध्ययन
 - * आम चुनाव में जीती महिला प्रत्याशिया का समग्र अध्ययन
 - * प्रशासन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिला प्रत्याशिया का समग्र अध्ययन
 - * कैदिया के असामानिक व्यवहार का अध्ययन
 - * पंचायत चुनाव का गहन एवं समग्र अध्ययन
- अन्तर्विषयी शोध विधि की परिसीमाए -

अन्तर्विषयी अनुसंधान में कई विषयों का मिश्रण होता है तथा एक प्रायोजना में कई शोध सहायक तथा शाधकर्ता होते हैं। अत यह जरूरी होता है कि वे सब प्रायोजना से सम्बन्धित मूलभूत सज्ञाआ तथा अवधारणाओं से परिचित हों तथा शोध प्रायोजना के उद्देश्या का ज्ञान हा। वे अपने विचार प्रकट करने को स्वतन्त्र ही न हो बल्कि ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिल तथा वे अपने आपको दल प्रायोजना से सम्बद्ध समझें।

एक प्रायोजना पर सफल कार्य के लिए वैयक्तिक विशेषताआ के अतिरिक्त और भी कई तत्वा को ध्यान में रखना पडता है। उचित समन्वय बनाये रखने के लिए अन्तर्विषयी शोध दल में प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के विषय का कम से कम प्रारम्भिक ज्ञान अवश्य रखना चाहिए और फिर यह भी जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की समस्याओ का अध्ययन अन्तर्विषयी शोध विधि द्वारा ही हो। इस विधि से केवल सामान्य तथा ध्यावसायिक समस्याओ पर ही सर्वेक्षण द्वारा अनुसंधान किया जा सकता है। गहन अध्ययन तथा सैद्धान्तिक विवेचन एवं सभी परिस्थितियों में योग्यताआ की बहुलता का समाकलन गहन तथा विस्तृत अन्वेषण अथवा दैनिक कार्यों में विनियोजन अन्तर्विषयी अनुसंधान विधि द्वारा अधिक उपयुक्त होता है।

अन्तर्विषयी शोध में प्राय अधिक धन खर्च होता है जिसके अभाव में न तो तकनीकी शोध हेतु सहायता और न विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी प्रकार इस तरह के शोध में समय का भी बहुत महत्व होता है बहुत थोड़े समय में बृहद् शोध कार्य एक बड़े शोध दल द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है। सभी अनुशासनो के विशेषज्ञ एक अमुक समय ही उपलब्ध हो सकेंगे इसमें भी सन्देह बना रहता है शोध आयोजना बृहत् स्तर पर होने में व्यय होता है। अत आर्थिक दृष्टि से सरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाओं पर निर्भर रहना पडता है और यही कारण है

कि कभी कभी आर्थिक समस्या भी इस प्रकार के अनुसंधान में बाधा उत्पन्न कर देती है। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता नहीं मिली तो शोध कार्य की गति धीमी हो जाती है और कभी कभी तो प्रायोजना पूरी ही नहीं हो पाती।

प्रायः होता यह है कि अनुसंधान दल में जिन विभिन्न विशेषज्ञों का चयन होता है वह चयन सही नहीं हो पाता और उसकी वजह से शोध प्रायोजनाएँ असफल हो जाती हैं। अतः एक अनुसंधान दल में प्रत्येक सदस्य को अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ या ज्ञाता होना चाहिए। स्पष्ट है कि वे अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं और उनमें जितना ज्यादा ही विभिन्न विज्ञानों के अन्तःसम्बन्ध तथा उनके भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को सीखने एवं समझने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा न होने पर प्रायः एक सर्वसम्मत निर्णय लेने में देरी हो जाती है तथा कभी कभी मतभेद भी हो जाते हैं। अतः ऐसे समय पर विशेषज्ञों का आपसी मतभेद भुला कर बहिष्कृत संभाव्य दिखाना चाहिए जिससे शोध कार्य सही दिशा बनाय रखे सभी को आपस में सहयोग करना चाहिए।

कभी कभी अन्तर्विषयी शांति में दल सदस्यों के मध्य संघर्ष से मतभेद न होने से हानि पहुँचती है जबकि दल में ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि भिन्न होती है जैसे भाषा धर्म तथा विभिन्न आर्थिक वर्ग। ऐसे दल में समायोजन में कठिनाई उत्पन्न होती है दल को इन बातों से ऊपर रह कर कार्य करना चाहिए। दल की सफलता के लिए संगठन एक मुख्य बात है। शोध दल के सरल संगठन के लिए शैक्षणिक प्रतिमान (एकेडेमिकनार्क) शक्ति अथवा तन से अधिक महत्वपूर्ण है। नौकरशाही ढांचे में लागू से अपने उच्चाधिकारियों की आज्ञा (बिना किसी प्रकार का प्रश्न किये) मानने की अपेक्षा की जाती है तथा यह जरूरी होता है कि वे अपने उच्चाधिकारियों के विचारों से हमेशा सहमत हों। लेकिन यह अन्तर्विषयी शोध में नहीं चल सकता। यहाँ पर उच्च पद पर कार्यरत व्यक्ति को नौकरशाही की तरह बॉस (Boss) न मानकर उसे एक विशेषज्ञता प्राप्त विद्वान व अनुभवी व्यक्ति माना जाय। लेकिन इसके साथ ही यह पद सोपान में यदि दल का कोई सदस्य नीचे के पद पर हो तो भी उसके विचारों का उसके ज्ञान एवं अनुभव का आदर करना चाहिए उनको यह कभी अनुभव न होने देना चाहिए कि वे आलाचना से बाहर हैं। वे भी उतने ही उत्तरदायी हैं जितने कि शोध प्रायोजना के निदेशक।

इस विधि में शोध प्रायोजना के असंगठित तथा अकेन्द्रित होने का डर रहता है। प्रत्येक विशिष्ट विषय की अपनी अनुसंधान विधि होती है जो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। विभिन्न पद्धतियों के समन्वय व

सहयोग से बनी शोध प्रायोजना कहा तक वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक रह सकेगी? यह सन्देहास्पद है।

अन्तर्विषयी शोध अध्ययन दल में कई स्तर के कार्यकर्ता होते हैं जैसे निदेशक शोध सहायक सर्वेक्षणकर्ता आदि। महत्वपूर्ण यह है कि वे सब एक दूसरे के प्रति समान दृष्टि से देख तथा यदि उच्च पदासीन व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है तो वह इसलिए नहीं कि उस पर कोई जोर जबरदस्ती है बल्कि इस लिए कि वह व्यक्ति विशेषज्ञ एवं अनुभवी है। यह सम्मान की भावना अपने आप उत्पन्न होती है न कि किसी दबाव से।

यह स्पष्ट है कि एक दल समन्वयात्मक परिणाम प्राप्त करसकता है जिसमें ऐसी एकता हो जो विविध प्रकार के विशेषज्ञों के एकत्रित होने से प्राप्त नहीं हो सकती है। परन्तु यहाँ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्धान्त एवं कार्य पद्धति में सम्बन्धित है। अतः दल में एक ऐसा विशेषज्ञ होना चाहिए जो समस्या की गहराई तक जा सके एवं अपने सहयोगियों को भी समझाने में सफल हो सके, उन्हें सन्तुष्ट दे सके। यह केवल उस अध्ययन तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि भविष्य में होने वाले शोध कार्यों के लिए भी एक आधारभूत प्रलेख हो सकेगा।

अन्तर्विषयी शोध विधि में समस्या का सही हल निकालने के स्थान पर विभिन्न अनुशासनो में समन्वय स्थापित करने पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। सम्भव है अन्तर्विषयी शोध प्रायोजना के लालच में इतने परिवर्तन करने पड़े कि वे उसका स्वरूप ही बदल दे उसकी मूल आत्मा ही न रहे तथा सही निष्कर्ष निकालना ही असम्भव हो जाये।

* अन्तर्विषयी शोध विधि से केवल सामान्य तथा व्यावहारिक समस्याओं पर सर्वेक्षण द्वारा अनुसंधान किया जाता है। गहन अध्ययन तथा सैद्धान्तिक विवेचन इसके द्वारा संभव नहीं है।

* इस विधि में शोध प्रायोजना के असंगठित तथा अकेन्द्रित होने का डर रहता है। प्रत्येक विशिष्ट विषय की अपनी अनुसंधान पद्धति होती है जो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। विभिन्न पद्धतियों के समन्वय व सहयोग से बनी शोध प्रायोजना कहा तक वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक रह सकेगी? यह सन्देह-पूर्ण है।

* अन्तर्विषयी शोधविधि में समस्या का सही हल निकालने के स्थान पर विभिन्न अनुशासनो में समन्वय स्थापित करने पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। संभव है अन्तर्विषयी शोध प्रायोजना के लालच में इतने परिवर्तन करने पड़ें कि वे इसका स्वरूप ही बदल दें उसकी मूल आत्मा ही न रहे तथा सही निष्कर्ष निकालना ही असंभव हो जाये।

उपसंहार

अन्तर्विषयी शोध विधि के दोष एवं सीमाय पढ लेने के बाद भी इस बात से मना नहीं किया जा सकता है कि यह विधि समाज विज्ञानों में प्रयोग नहीं की जा सकती या हानिप्रद है। सावधानी सजगता आग्रह से मुक्त होकर, निष्पक्ष रह कर कार्य किया जाये तो इस विधि की उपयोगिता का लाभ उठाया जा सकता है। इसकी व्यावहारिकता पर सन्देह नहीं किया जा सकता। वैसे भी भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के बाद से अन्तर्विषयी शोध का महत्ता दी जाने लगी है। 'विश्वविद्यालय के अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए' कोटारी शिक्षा आयोग (1964-66) का कहना है कि "यह आवश्यक है कि टोली कार्य (टीम वर्क) का विकास हो। इसकी आवश्यकता विभागों के अन्दर तथा समूह विश्वविद्यालय क्षेत्र में स्वस्थ अनुसंधान के वातावरण और अनुसंधान के विकास के लिए है। टोली कार्य यास्तविक रूप में होना चाहिए।" इसके अलावा प्रायोजना में जिस सदस्य का जो भी योगदान रहा हो, उसे उसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए। यह नहीं कि काम सवने किया तथा श्रेय कवल प्रायोजना निदेशक को मिले। व्यवहार में देखा जाता है कि सामाजिक विज्ञानों में वृहद् शोध कार्यों में कई लोग अच्छे उच्च स्तर का कार्य करते हैं पर उनको अपने इस कार्य का श्रेय नहीं मिलता तथा अनुपयुक्त रूप से प्रायोजना निदेशक का श्रेय दिया जाता है जोकभी एक पक्ति नहीं लिखता तथा अनुसंधान क्षेत्र को भी जाकर नहीं देखता। अच्छा हो इस तरह की सकीणताओं का अन्तर्विषयी शोध में प्रवेद न हो।

□

समाज विज्ञानों में अनुसंधान की स्थिति

स्वर्गीय आचार्य विनोबा भावे ने आज की शिक्षा व्यवस्था पर असन्तोष व्यक्त करते हुए एक बार कहा था कि आज की शिक्षा व्यवस्था में 33 या 36 प्रतिशत अंक या श्रेय प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। इसका अर्थ यह भी बताया जा सकता है कि न्यूनधिक रूप से 10 में से साठे तीन या चार अंक प्राप्त कर लेना उत्तीर्ण होने के लिए ठीक है। यदि इसे ठीक मान लिया जाये तो अब जो कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति भूखा है तथा वह 10 रोटिया खा सकता है। अब यदि कोई भोजन कराने वाला उसे 4 रोटी तो ठीक से सेकी या पकी हुई परोस दे तथा शेष 6 रोटिया कच्ची ही बिना पकी परोस दे तो उस भूखे व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा—उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुसंधान के क्षेत्र में इस दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता? सम्भवतः अनुसंधान की भी यही स्थिति है। विनोबा जी के उदाहरण में अतिशयोक्ति हो सकती है पर यह भी निश्चित है कि कहीं न कहीं तो सीमा रेखा खींचनी ही होगी।

सत्य को जानने के लिए अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है अनुसंधान परीक्षण की अन्य तकनीकों के समान ही सगत विधिवत एवं उपयुक्त तकनीक है जो कल्पनाशीलता सृजनात्मकता तथा दक्षतापूर्ण तकनीकों के प्रयोग पर आश्रित हैं। अनुसंधान का तात्पर्य सत्य की खोज नये तथ्यों की जानकारी तथा पूर्व से ज्ञात निष्कर्षों का नई स्थितियों में नया या सशोधित अर्थ लगाना है या उसे प्रकाश में लाना है जो तर्कों पर आधारित हो स्वीकार्य मानदण्डों पर खरा उतरता हो। इस भाँति अनुसंधान शोधकर्ता का मानस विकसित करता है उसके ज्ञान को पैना बनाता है तथा उसकी सूचनाओं का विस्तार करता है। इससे तथ्यों के बारे में समाज की अन्त क्रियाओं के बारे में उसकी समझबूझ बढ़ती है तथा वह किसी भी घटना या तथ्य के बारे में अधिक पारखी बनता है। अर्थपूर्ण अनुसंधान के लिए यहाँ मात्र आवश्यक नहीं है कि शोधकर्ता तर्कों की उलझनों से ऊपर उठे वरन् उसे मानव के समग्र कल्याण की दृष्टि से भी सोचना है।

अनुसंधान एक श्रम साध्य तथा कठिन कार्य है। इसके आरंभ होने

से लेकर समाप्त होने तक अनुसंधान कर्ता को सतत सजग रह कर काम करना होता है सत्य- सग्रह के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि वह अपने पूर्व निर्धारित मार्ग से कठिनाई या बाधा आन पर डिग न जाये उद्देश्य से जरा सी भटकन अनुसंधान क स्तर का निश्चित रूप से गिरा देती है। जिस प्रकार अपनी पैदावार से मात्र किसान ही सम्बन्धित नहीं है वरन् उसकी पैदावार से बनिया सहयोगी पडौसी या खती में सत्योग करने वाले राजस्व घसूली वाले कर्मचारी आदि सभी सम्बन्धित है जुड़े हुए हैं। उसी भाँति मोटे रूप से समाज उससे जुड़ा हुआ है। कल कारखानों के उत्पाद की भी यही स्थिति है, उससे न केवल मालिक या साहसी या प्रबंधक या श्रमिक ही सम्बन्धित है बल्कि समाज का हर सदस्य सम्बन्धित है व इससे सराकार रखत हैं। इसी भाँति अनुसंधान कर्ता क कार्य से प्राप्त निष्कर्षों से अन्तिम फलों से पूरा समाज सराकार रखता है तथा वे उससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए अनुसंधान कर्ता का यह भा निरन्तर दिमाग में रखना चाहिए कि सिद्धांत या कोई ज्ञान का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक उसका व्यावहारिक पक्ष सबल तथा स्पष्ट न हो साथी समाज क उत्थान प्रगति एवं कल्याण में योग दें इसलिए अनुसंधान का विशेष बल सिद्धांतों के व्यावहारिक पक्ष पर ही रहता है।

शोध मार्गनिर्देशक को कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) की टिप्पणियाँ अवश्य याद रखना चाहिए। आयोग क अनुसार कुछ प्रमुख कालेजों के अतिरिक्त सम्बद्ध कालेजों में अनुसंधान की वास्तविक सुविधाएँ या तो है ही नहीं या अत्यन्त सीमित है। शैक्षिक शोध अब भी शंकावस्था में है। एम एड के शोध निबन्धों में कदाचित् ही अनुसंधान कहलाने की योग्यता होती है। पी एच डी के स्तर पर यह कार्यरत विधितंत्र में कमजोर रहता है। इसी संदर्भ में प्रो रईस अहमद ने इक्रीस विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त किया कि विद्यार्थियों को अनपेक्षित रूप से उच्च श्रेणी या गुण या अंक दिये जाते हैं निम्न स्तरीय शोध ग्रन्थ पी एच डी के लिए स्वीकार किये जाते हैं सबधों की यहाँ वहाँ से व्यवस्था कर ली जाती है। आन्तरिक मूल्यांकन में वैधिता अधिक अंक दिये जाते हैं। पी एच डी के छात्रों के प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जाता है।

(1) शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन (1964-66) शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नं० शिक्षा दि.मेनेजर पब्लिकेशन डिप्रीशन (हिन्दी संस्करण) 1968 पृष्ठ 354

(2) पृष्ठ 366

(3) हिन्दू जन्मदिनांक 1994

मूलतः जो कारण शिक्षा के स्तर गिरने के लिए उत्तरदायी बताये जाते हैं न्यूनाधिक रूप से वे सभी कारण अनुसंधान के गिरते स्तर के लिए भी उत्तरदायी माने जा सकते हैं। जिस प्रकार हर कोई उच्च शिक्षा पाना चाहता है उद्देश्यहीन भीड़ विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश की इच्छुक है-इसी भाँति हर कोई शोध करने को तत्पर है। प्रथम तो उनको भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा है दूसरे वे अनुसंधान के विद्यार्थी बन कर जीविका की खोज को दो ढाई या तीन वर्ष टाल रहे हैं। अनुसंधान के विद्यार्थी बनने के पीछे उनका एक निहित स्वार्थ भी है और वह है नौकरी न सही तो छात्रवृत्ति ही सही। आज की स्थितियाँ में अनुसंधान करने के पीछे एक ओर महत्वहीन आधार यह भी बताया जा सकता है कि वे वरिष्ठ छात्र के रूप में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में दादागिरी करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि इन विचारों से या पृष्ठभूमि में अनुसंधान करने वाला पूरे मन से काम नहीं करेगा उनका उद्देश्य येनकेन प्रकारेण उपाधि प्राप्त करना रहेगा। इन स्थितियों में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुसंधान का स्तर यदि गिरे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

पिछले दशक में विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में व्याख्याता पद के आप्रवेशन के लिए अनुसंधान उपाधि की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनिवार्यता से लागू किये जाने से भी अनुसंधान का स्तर गिरा है। कारण कि हर कोई व्याख्याता बनने का इच्छुक येन-केन प्रकारेण शॉर्टकट से भी उपाधि प्राप्त करने में जुट जाता है। इससे पी एच डी के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन तथा निर्देशन करने वाले शिक्षाविदों के सामने प्रवेशार्थियों की अनपेक्षित भीड़ इकट्ठी हो गई। प्राप्त समय को तो आप बढा नहीं सकते फलतः वे सभी

करते हैं वे शार्टकट भी अपनाते हैं आप मर विद्यार्थी को पाम कीजिये बदल में मैं आपके विद्यार्थी को पास करता हू या करवाता हूँ। यह होड की प्रवृत्ति कई बार सकाया तथा विश्वविद्यालयों में भी देखी जाती है। इस मनोवृत्ति से भी अनुसंधान कार्य का स्तर गिरा है।

इस तथ्य पर एक अन्य दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना चाहिए। आप्रवरान के लिए आपको सामने तीन आशार्थी हैं-

अ-हाई स्कूल या सैकेण्डरी स्कूल से अधिस्नातक तक की सभी पराक्षाएँ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण

आ-हाई स्कूल या सैकेण्डरी स्कूल से अधिस्नातक तक का सभी पराभाएँ सामान्य द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण+पी एच डी

ई-हाई स्कूल या सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा द्वितीय श्रेणी हायर सैकेण्डरी प्रथम स्नातक परीक्षा तृतीय तथा अधिस्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण+पी एच डी

इन आशार्थियों की योग्यताओं से इनकी गुणवत्ता स्वयं स्पष्ट है। ध्याख्याता पद के लिए पी एच डी की अनिवार्यता दूसरे तथा तीसरे आशार्थी को ध्याख्याता तो बनना दगी पर क्या वे सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण आशार्थी से श्रेष्ठ हैं? यह सयाग ही माना जाना चाहिए कि सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करन वाला आशार्थी पी एच डी की ओर ध्यान न दे। पर उसकी श्रेष्ठता पर सन्देह किया जाना समीचीन नहीं लगता।

पारचात्य नशा में भारतीय शोध उपाधि का गिरता हुआ स्तर देखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिस्नातक तथा पी एच डी के बीच में एक सत्रोय (या कहीं-कहीं अशकालीन दा सत्रोय भी) एम फिल पाठ्यक्रम आरभ करने की अनुशमा की है। पर यू जी सी की सभी अनुशसाये मानने के लिए सभी विश्वविद्यालय अनिवार्यत बाध्य नहीं है। यही कारण है कि कई विश्वविद्यालयों में कई विषयों में अभी तक एम फिल पाठ्यक्रम का विकास ही नहीं किया गया है। यहा अभी तक अधिस्नातक परीक्षा पास विद्यार्थी ही पी एच डी के लिए पात्र माने जाते हैं। एम फिल पाठ्यक्रम से शाध के स्तर में सुधार की आशा की गई थी पर उसे भी विश्वविद्यालय की मनमानी ने कार्यरूप में परिणत नहीं होने दिया।

समाज विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की तरह प्रयोग नहीं किये जा सकते कारण कि समाज विज्ञानी जिन पर प्रयोग करते हैं वे निर्जीव वस्तुएँ नहीं हैं जिन बालकों या विद्यार्थियों पर प्रयोग किया गया है या जिनसे सूचनाएँ प्राप्त की गई हैं वे प्रतिवेदन पहुँचने तक परिवर्तित हो जाते हैं-बालक का मन/विचार हर क्षण बदलता है। इसलिए एक बार प्राप्त किया गया निष्कर्ष हर समय हर बालक पर हर स्थिति में समान रूप से लागू हागा ऐसी

मूलतः जो कारण शिक्षा के स्तर गिरने के लिए उत्तरदायी बताया जाते हैं न्यूनाधिक रूप से वे सभी कारण अनुसंधान के गिरते स्तर के लिए भी उत्तरदायी माने जा सकते हैं। जिस प्रकार हर कोई उच्च शिक्षा पाना चाहता है उद्देश्यहीन भीड़ विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश की इच्छुक है-इसी भाँति हर कोई शोध करने को तत्पर है। प्रथम तो उनको भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा है दूसरे वे अनुसंधान के विद्यार्थी बन कर जीविका की खोज को दो ढाई या तीन वर्ष टाल रहे हैं। अनुसंधान के विद्यार्थी बनने के पीछे उनका एक निहित स्वार्थ भी है और वह है नौकरी न सही तो छात्रवृत्ति ही सही। आज की स्थितियाँ में अनुसंधान करने के पीछे एक ओर महत्वहीन आधार यह भी बताया जा सकता है कि वे खरिष्ट छात्र के रूप में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में दादागिरी करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि इन विचारों से या पृष्ठभूमि में अनुसंधान करने वाला पूरे मन से काम नहीं करेगा उनका उद्देश्य येनकेन प्रकारेण उपाधि प्राप्त करना रहेगा। इन स्थितियों में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुसंधान का स्तर यदि गिरे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

पिछले दशक में विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में व्याख्याता पद के आप्रवेशन के लिए अनुसंधान उपाधि की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनिवार्यता से लागू किये जाने से भी अनुसंधान का स्तर गिरा है। कारण कि हर कोई व्याख्याता बनने का इच्छुक येन-केन प्रकारेण शॉर्टकट से भी उपाधि प्राप्त करने में जुट जाता है। इससे पी एच डी के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन तथा निर्देशन करने वाले शिक्षाविदों के सामने प्रवेशार्थियों की अनपेक्षित भीड़ इकट्ठी हो गई। प्राप्त समय को तो आप बँदा नहीं सकते फलतः वे सभी का सही रूप में उपयुक्त मार्गदर्शन नहीं कर सकते और न ही स्पष्ट है कि भीड़ में सम्मिलित सबके सब विद्यार्थी पी एच डी के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके सिवाय शोध प्रबन्ध की रूपरेखा अनुमोदित होते ही शोध प्रबन्ध लेखन का कार्य भी तय हो जाता है। जो शोधकर्ता रूपरेखा ही तैयार नहीं कर सके तथा उसमें बार-बार संशोधन होता रहे इस स्थिति में शोध प्रबन्ध लेखन बड़ा दुःख हो जाता है इसलिए उसे इस प्रविधि में निष्णात होना चाहिए। यदि कार्य प्रणाली या योजना ही ठीक न बने तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिये इन स्थितियों से बचना श्रेयष्कर रहता है।

व्याख्याता की पदोन्नति प्रकाचक के पद पर होती है इस पदोन्नति के लिए मानदण्ड में अपने मार्गदर्शन में पी एच डी प्राप्त छात्रों की संख्या भी एक है। शोध निदेशक अपनी पदोन्नति की आशा में अधिकाधिक पी एच डी करवाने का काम में जुट जाते हैं वे अपने साथियों से आगे बढ़ने की होड़

करते हैं वे शार्टकट भी अपनाते हैं आप मरे विद्यार्थी को पास कीजिये बदले में मैं आपके विद्यार्थी को पास करता हूँ या करवाता हूँ। यह होड की प्रवृत्ति कई बार सकाया तथा विश्वविद्यालयों में भी देखी जाती है। इस मनोवृत्ति से भी अनुसंधान कार्य का स्तर गिरा है।

इस तथ्य पर एक अन्य दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना चाहिए। आप्रवेशन के लिए आपके सामने तीन आशार्थी हैं-

अ-हाई स्कूल या सैकेण्डरी स्कूल से अधिस्तातक तक की सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण

आ-हाई स्कूल या सैकेण्डरी स्कूल से अधिस्तातक तक की सभी परीक्षाएँ सामान्य द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण+पी एच डी

ई-हाई स्कूल या सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा द्वितीय श्रेणी हायर सैकेण्डरी प्रथम स्नातक परीक्षा तृतीय तथा अधिस्तातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण+पी एच डी

इन आशार्थियों की याग्यताओं से इनकी गुणवत्ता स्वयं स्पष्ट है। व्याख्याता पद के लिए पी एच डी की अनिवार्यता दूसरे तथा तीसरे आशार्थी को व्याख्याता तो बनवा देगी पर क्या वे सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण आशार्थी से श्रेष्ठ हैं? यह सयाग ही माना जाना चाहिए कि सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाला आशार्थी पी एच डी की आर ध्यान न दे। पर उसकी श्रेष्ठता पर सन्देह किया जाना समीचीन नहीं लगता।

पश्चात्त्य देशों में भारतीय शोध उपाधि का गिरता हुआ स्तर देखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिस्तातक तथा पी एच डी के बीच में एक सत्रीय (या कहीं-कहीं अशकालीन दो सत्रीय भी) एम फिल पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनुशंसा की है। पर यू जी सी की सभी अनुशंसायें मानने के लिए सभी विश्वविद्यालय अनिवार्यतः बाध्य नहीं हैं। यही कारण है कि कई विश्वविद्यालयों में कई विषयों में अभी तक एम फिल पाठ्यक्रम का विकास ही नहीं किया गया है वहाँ अभी तक अधिस्तातक परीक्षा पास विद्यार्थी ही पी एच डी के लिए पात्र माने जाते हैं। एम फिल पाठ्यक्रम से शोध का स्तर में सुधार की आशा की गई थी पर उसे भी विश्वविद्यालय की मनमानी ने कार्यरूप में परिणत नहीं होने दिया।

समाज विज्ञानों में भौतिक विज्ञान की तरह प्रयोग नहीं किये जा सकते कारण कि समाज विज्ञानी जिन पर प्रयोग करते हैं वे निर्जीव वस्तुएँ नहीं हैं जिन बालकों या विद्यार्थियों पर प्रयोग किया गया है या जिनसे सूचनाएँ प्राप्त की गई हैं वे प्रतिवेदन पहुँचने तक परिवर्तित हो जाते हैं-बालक का मन/विचार हर क्षण बदलता है। इसलिए एक बार प्राप्त किया गया निष्कर्ष हर समय हर बालक पर हर स्थिति में समान रूप से लागू होगा ऐसी

मूलतः जो कारण शिक्षा के स्तर गिरने के लिए उत्तरदायी बताये जाते हैं न्यूनाधिक रूप से वे सभी कारण अनुसंधान के गिरते स्तर के लिए भी उत्तरदायी माने जा सकते हैं। जिस प्रकार हर कोई उच्च शिक्षा पाना चाहता है उद्देश्यहीन भीड़ विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश की इच्छुक है-इसी भाँति हर कोई शोध करने को तत्पर है। प्रथम तो उनको भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा है दूसरे वे अनुसंधान के विद्यार्थी बन कर जीविका की खोज को दो ढाई या तीन वर्ष टाल रहे हैं। अनुसंधान के विद्यार्थी बनने के पीछे उनका एक निहित स्वार्थ भी है और वह है नौकरी न सही तो छात्रवृत्ति ही सही। आज की स्थितियों में अनुसंधान करने के पीछे एक ओर महत्वहीन आधार यह भी बताया जा सकता है कि वे खरिष्ट छात्र के रूप में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में दादागिरी करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि इन विचारों से या पृष्ठभूमि में अनुसंधान करने वाला पूरे मन से काम नहीं करेगा उनका उद्देश्य येन-येन प्रकारेण उपाधि प्राप्त करना रहेगा। इन स्थितियों में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुसंधान का स्तर यदि गिरे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

पिछले दशक में विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में व्याख्याता पद के आप्रवेशन के लिए अनुसंधान उपाधि की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनिवार्यता से लागू किये जाने से भी अनुसंधान का स्तर गिरा है। कारण कि हर कोई व्याख्याता बनने का इच्छुक येन-केन प्रकारेण शॉर्टकट से भी उपाधि प्राप्त करने में जुट जाता है। इससे पी एच डी के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन तथा निर्देशन करने वाले शिक्षाविदों के सामने प्रवेशार्थियों की अनपेक्षित भीड़ इकट्ठी हो गई। प्राप्त समय को तो आप बँदा नहीं सकते फलतः वे सभी का सही रूप में उपयुक्त मार्गदर्शन नहीं कर सकते और न ही स्पष्ट है कि भीड़ में सम्मिलित सबके सब विद्यार्थी पी एच डी के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके सिवाय शोध प्रबन्ध की रूपरेखा अनुमोदित होते ही शोध प्रबन्ध लेखन का कार्य भी तय हो जाता है। जो शोधकर्ता रूपरेखा ही तैयार नहीं कर सके तथा उसमें बार-बार संशोधन होता रहे, इस स्थिति में शोध प्रबन्ध लेखन बड़ा दुरूह हो जाता है इसलिए उसे इस प्रविधि में निष्पात होना चाहिए। यदि कार्य प्रणाली या योजना ही ठीक न बने तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिये इन स्थितियों से बचना श्रेयष्कर रहता है।

व्याख्याता की पदोन्नति प्रवाचक के पद पर होती है इस पदोन्नति के लिए मानदण्ड में अपने मार्गदर्शन में पी एच डी प्राप्त छात्रों की संख्या भी एक है। शोध निष्पन्न अपनी पदोन्नति की आशा में अधिकाधिक पी एच डी करवाने के काम में जुट जाते हैं वे अपने साथियों से आगे बढ़ने की होड़

करते हैं वे शाटकट भी अपनाते हैं आप मेर विद्यार्थी को पास कीजिये बदले म मैं आपके विद्यार्थी को पास करता हू या करवाता हूँ। यह होड की प्रवृत्ति कइ बार सकाया तथा विश्वविद्यालया मे भी देखी जाती है। इस मनावृत्ति स भी अनुसधान कार्य का स्तर गिरा हैं।

इस तथ्य पर एक अन्य दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना चाहिए। आप्रवेशन के लिए आपक सामन तीन आशार्थी है-

अ-हाई स्कूल या सैकण्डरी स्कूल से अधिस्नातक तक की सभी परीक्षाए प्रथम श्रेणी स उत्तीर्ण

आ-हाई स्कूल या सैकण्डरी स्कूल से अधिस्नातक तक की सभी परीक्षाए सामान्य द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण+पी एच डी

इ-हाई स्कूल या सैकण्डरी स्कूल परीक्षा द्वितीय श्रेणी हायर सैकण्डरी प्रथम स्नातक परीक्षा तृतीय तथा अधिस्नातक द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण+पी एच डी

इन आशार्थियों की योग्यताओं से इनकी गुणवत्ता स्वय स्पष्ट है। प्याख्याता पद क लिए पी एच डी की अनिवार्यता दूसरे तथा तीसर आशार्थी को प्याख्याता तो बनवा देगी पर क्या वे सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण आशार्थी से श्रेष्ठ है? यह सयाग ही माना जाना चाहिए कि सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी म उत्तीर्ण करने वाला आशार्थी पी एच डी की ओर ध्यान न दे। पर उसकी श्रेष्ठता पर सन्देह किया जाना समीचीन नहीं लगता।

पारचात्य देशा में भारतीय शोध उपाधि का गिरता हुआ स्तर देखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयाग न अधिस्नातक तथा पी एच डी के बीच में एक सत्रीय (या कहीं-कहीं अशकालीन दा सत्रीय भी) एम फिल पाठ्यक्रम आरभ करने की अनुशसा की है। पर यू जी सी की सभी अनुशसाये मानन के लिए सभी विश्वविद्यालय अनिवार्यत बाध्य नहीं है। यही कारण है कि कई विश्वविद्यालयों म कई विषयों म अभी तक एम फिल पाठ्यक्रम का विकास ही नहीं किया गया है वहा अभी तक अधिस्नातक परीक्षा पास विद्यार्थी ही पी एच डी के लिए पात्र माने जाते है। एम फिल पाठ्यक्रम से शोध के स्तर मे सुधार की आशा की गई थी पर उसे भी विश्वविद्यालय की मनमानी ने कार्यरूप में परिणत नहीं होने दिया।

समाज विज्ञानों मे भौतिक विज्ञाना की तरह प्रयोग नहीं किये जा सकते कारण कि समाज विज्ञानी जिन पर प्रयोग करते हैं वे निर्जीव वस्तुएँ नहीं है जिन बालकों या विद्यार्थियों पर प्रयोग किया गया है या जिनसे सूचनाएँ प्राप्त की गई हैं वे प्रतिवेदन पहुँचने तक परिवर्तित हो जाते है-बालक का मन/विचार हर क्षण बदलता है। इसलिए एक बार प्राप्त किया गया निष्कर्ष हर समय हर बालक पर हर स्थिति में समान रूप से लागू हागा ऐसी

आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार समाज विज्ञानों में शोध के निष्कर्ष प्राकृतिक या शुद्ध विज्ञानों की तरह तो अपक्षानुसार या पूर्व निश्चित प्राप्त नहीं होते हैं तथा न ही शत-प्रतिशत सही रूप से लागू हो सकते हैं। समाजविज्ञानी सामान्यीकरण पर पहुँचते हैं पर समाज में भी भिन्नता पाई जाती है एक समाज की संस्कृति से दूसरे समाज में भी भिन्नता पाई जाती है एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से भिन्न होती है।

इसके अतिरिक्त समाज विज्ञानी भी शोधकर्ता होने के पूर्व समाज का सदस्य है। उस पर अच्छे बुरे बॉछनीय-अबॉछनीय सभी बातों का प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेते वक्त वह अपने मनोभावों से स्वच्छलित होता है उसकी विचारधारा दर्शन वातावरण उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं। समाज विज्ञानी इन सब तथ्या तथा पृष्ठभूमि से न चाहते हुए भी अनजाने में निष्कर्षों का प्रभावित कर सकता है। एक हस्तक्षेप पसंद न करने वाला अर्थशास्त्री उदाहरण के लिए, मुक्त व्यापार से जुड़े प्रकरण या समस्या पर शोध करवाना पसंद करेगा। इसी प्रकार की स्थिति शैक्षिक अनुसंधान के लिए भी आ सकती है। और, न्यूनाधिक रूप से उसके निष्कर्ष उसकी वैयक्तिक मूल्य संरचना से प्रभावित हो सकते हैं। और यह शुद्ध या प्राकृतिक विज्ञानी की तरह ही निर्णय लगा ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इस स्थिति में भी अनुसंधान का स्तर गिरता है।

अनुसंधानकर्ता की मूल्य संरचना के साथ ही जरा भिन्न एक कदम आगे बढ़कर देख तो ज्ञात होता है कि अनुसंधानकर्ता निर्धारित उद्देश्यों के विपरीत निष्कर्षों के प्राप्त होने पर उसके उद्देश्यों से ही संशोधन कर लिया उन्हें बदल दिये कई बार ऐसा करना शोध निदेशक की जानकारी में होता है तथा कई बार नहीं भी। विद्यार्थी अपने शोध निदेशक का अप्रसन्नता माल न लेने के कारण निष्कर्ष बदल लेता है। ऐसा प्रायः परिवर्तनाओं के परिष्करण के लिए किया जाता है। एक विवेकी अनुसंधानकर्ता का यह नैतिक एव व्यावहारिक दायित्व है कि वह जो भी जैसे भी निष्कर्ष प्राप्त करता है साहस पूर्वक उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करे। यही व्यावहारिक नैतिकता का आग्रह है।

कई अनुसंधान कार्य निरीक्षण या अवलोकन तकनीक पर आधारित होते हैं। कई बार निरीक्षणकर्ता का समक्ष एकत्र करने का उद्देश्य ही ज्ञात नहीं होता उसे नहीं मालूम कि उस क्या सूचनाएँ लनी है फिर वह भी समाज का सदस्य है उस पर भी अच्छे बुरे का प्रभाव पड़ता है। कई बार सहभागिता निरीक्षण के समय सूचना दाता जागरूक होने से सही प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। एक बात और भी कि न ही निरीक्षणकर्ता का सूचना एकत्र

करने का विधिवत ट्रेनिंग मिला जाती है। इन गलत सूचनाओं से शोध की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी-पूरी संभावना रहती है।

एक और कठिनाई यह है कि यदि शोधार्थी की पृष्ठभूमि मनाविज्ञान की है तथा उसे न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति व घटका की जाच करनी व परीक्षण करना है—ऐसा व्यक्ति किसी एक विषय की ओर झुक सकता है। बुद्धिलब्धि भी देखनी है ता वह शोधार्थी सभी पूर्वाग्रह छोड़ देगा—यह सम्भव नहीं है। बुद्धिलब्धि के लिए स्थानांतरण भाषा में या अभाषीय परीक्षण सामग्री यदि नहीं है तो अन्य उपकरणों से इसका सही-सही मापन होगा। ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी भूल है। या शोधार्थी या मार्ग निर्देशक की भिन्न-भिन्न पृष्ठ भूमि में भी शोध का स्तर गिरने की पूरी-पूरी सम्भावना रहती है और इस अनुसंधान काय धटल से सम्पन्न हो रहे है।

अनुसंधान का स्तर गिरने का एक और स्रोत है पुस्तकालय सेवाये। टिप्पणियां लेन वाद टिप्पणी बनाने सदर्थ साहित्य की सूचा तैयार करने का अधूरा ज्ञान अपनी भूमिका निभाता है। आज स्थिति यह है कि वाद टिप्पणी तथा सदर्थ साहित्य की टिप्पणी में कोई अन्तर ही नहीं किया जाता इनको तैयार करने का ज्ञान एव कौशल शोधार्थियों को होता ही नहीं है। यहा यह वाद रखा जाना चाहिए कि एक अच्छा शिक्षक या अच्छा विद्वान सन्दर्भ साहित्य के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करेगा यह जरूरी नहीं है। अच्छा शिक्षक या विद्वान जाना एक बात है तथा अच्छी सन्दर्भ सूची या वाद टिप्पणी तैयार करना पूर्णतः दूसरी या भिन्न बात है और सम्भव है एक अच्छा विद्वान वाद टिप्पणी तैयार करने की कला में पारंगत या निष्णात न हो/वाद टिप्पणी का विवरण देते समय वर्ष तथा पृष्ठ संख्या के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हो लेना चाहिए। अन्यथा पाठकों को मूल पाठ देखते समय असुविधा होती है। इसलिये सावधानी बरती जानी चाहिए। इतना ही नहीं शोधार्थियों व मार्ग निर्देशक भी कई उदाहरणों में इस कौशल में परिपक्व नहीं होते। वाद टिप्पणी बनाना जानते हैं तो लेखक सम्पादक एक से अधिक लेखक तथा पत्रिका की वाद टिप्पणियों में कोई अन्तर नहीं होता। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए पुस्तकालय सेवा को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसकी नितान्त आवश्यकता है। पर दयनीय स्थिति तो तब होती है जब स्वयं शिक्षक ही इस ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनसे कैसे उच्च स्तर के कार्य की श्रुति या दोष रहित काय की आशा की जाये? यह देखा गया है कि टिप्पणियां बनाने या वाद टिप्पणी का कौशल विकसित करने के लिए समय विभाग चक्र व कोई प्रावधान ही नहीं है इस काय के लिए कालांतर ही नहीं रखा गया है। शोध प्रतिबन्धन का स्तर सुधारने के लिए, उनका महत्व बनाय रखन के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान तथा समय दिया ही जाना चाहिए। न केवल इतना ही बल्कि शोधार्थियों का पर्याप्त अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। निम्न ग्रन्थों पत्र-पत्रिकाओं

आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार समाज विज्ञानों में शोध के निष्कर्ष प्राकृतिक या शुद्ध विज्ञान की तरह तो अपेक्षानुसार या पूर्व निश्चित प्राप्त नहीं होते हैं तथा न ही शत-प्रतिशत सही रूप से लागू हो सकते हैं। समाजविज्ञानी सामान्यीकरण पर पटु होते हैं पर समाज में भी भिन्नता पाई जाती है एक समाज की संस्कृति से दूसरे समाज में भी भिन्नता पाई जाती है एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से भिन्न होती है।

इसके अतिरिक्त समाज विज्ञानी भी शोधकर्ता होने के पूर्व समाज का सदस्य हैं। उस पर अच्छे बुरे बॉटनीय-अबॉटनीय सभी बातों का प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार का नियम लेते वक्त वह अपने मनाभावों से संचालित होता है उसकी विचारधारा दर्शन यातावरण उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं। समाज विज्ञानी इन सब तथ्यों तथा पृष्ठभूमि से न चारते हुए भी अनजाने में निष्कर्षों को प्रभावित कर सकता है। एक हस्तक्षेप पसंद न करने वाला अर्थशास्त्री उदाहरण के लिए, मुक्त व्यापार से जुड़े प्रकरण या समस्या पर शोध करवाना पसंद करेगा। इसी प्रकार की स्थिति शैक्षिक अनुसंधान के लिए भी आ सकती है। और, न्यूनाधिक रूप से उसके निष्कर्ष उसकी वैयक्तिक मूल्य संरचना से प्रभावित हो सकते हैं। और वह शुद्ध या प्राकृतिक विज्ञानी की तरह ही निर्णय लगा एसी आशा नहीं की जा सकती। इस स्थिति में भी अनुसंधान का स्तर गिरता है।

अनुसंधानकर्ता की मूल्य संरचना के साथ ही जरा भिन्न एक बंदम आग बढकर देखे ता ज्ञात होता है कि अनुसंधानकर्ता निर्धारित उद्देश्यों के विपरीत निष्कर्षों के प्राप्त होने पर उसके उद्देश्य से ही संशोधन कर लिया उन्हे बदल दिये कई बार ऐसा करना शोध निदेशक की जानकारी में होता है तथा कई बार नहीं भी। विद्यार्थी अपने शोध निदेशक की अप्रसन्नता माल न लेने के कारण निष्कर्ष बदल लेता है। ऐसा प्रायः परिवर्तनार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता है। एक विवेकी अनुसंधानकर्ता का यह नैतिक एव व्यावहारिक दायित्व है कि वह जो भी जैसे भी निष्कर्ष प्राप्त करता है साहस पूर्वक उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करे। यही व्यावहारिक नैतिकता का आग्रह है।

कई अनुसंधान कार्य निरीक्षण या अवलोकन तकनीक पर आधारित होते हैं। कई बार निरीक्षणकर्ता को समक एकत्र करने का उद्देश्य ही ज्ञात नहीं होता उसे नहीं मालूम कि उसे क्या सूचनाएँ लनी हैं फिर वह भी समाज का सदस्य है उस पर भी अच्छे बुरे का प्रभाव पड़ता है। कई बार सहभागिता निरीक्षण के समय सूचना दाता जागरूक होने से सही प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। एक बात और भी कि न ही निरीक्षणकर्ता को सूचना एकत्र

करने की विधिवत ट्रेनिंग मिला हाती है। इन गलत सूचनाओं से शाध की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पडने का पूरी-पूरा सभावना रहता है।

एक और फठिनाई यह है कि यदि शाधार्थी की पृष्ठभूमि मनाविज्ञान की ह तथा उसे न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति क घटकों की जाच करना है परीक्षण करना है-ऐसा व्यक्ति किसा एक विषय की आर झुन सकता है। युद्धिनत्रि भी दखनी है ता वर शाधार्थी सभी पूवाग्रर छाड दगा-यह सम्भव नहीं है। युद्धिनत्रि क लिए स्थानाय भाषा म या अभाषाय परीक्षण मामग्रा यदि नहीं है तो अन्य उपकरण म इसका मही-सही मापन हागा एसा मात्रा भी बहुत बडी भूल है। या शाधार्थी या मार्ग निर्णय की भिन्न-भिन्न पृष्ठ भूमि म भी शोध का स्तर गिरने की पूरा-पूरी सम्भावना रहती है आर एम अनुसधान काय धडल से सम्पन्न हो रह है।

अनुसधान का स्तर गिरने का एक और सात है पुनःकालय मवाय। टिप्पणिया लने वाद टिप्पणी बनान सदर्थ साहित्य का मूजा तैयार करन का अधूरा ज्ञान अपनी भूमिका निभाता है। आज स्थिति यह है कि वाद टिप्पणी तथा सदर्थ साहित्य की टिप्पणा म काइ अन्तर हा नहीं किया जाता इनका तैयार करने का ज्ञान एव कौशल शोधार्थियों का हाता ही नहीं है। यन यद वाद रखा जाना चाहिए कि एक अच्छा शिष्यक या अच्छा विद्वान मन्दम साहित्य क क्षेत्र में भी अच्छा काय करगा यह जरूरी नहीं है। अच्छा शिष्यक या विद्वान होना एक बात है तथा अच्छी सन्दर्भ सूची या पाद टिप्पणा तैयार करना पूर्णत दूसरा या भिन्न बात है और सम्भव है एक अच्छा विद्वान पाद टिप्पणी तैयार करने की कला म पारगत या निष्णात न हो/पाद टिप्पणा का विवरण दत समय वर्ष तथा पृष्ठ सख्या क वार पूणतया आश्रम म लना चाहिए। अन्यथा पाठकों को मूल पाठ दखते समय अगुविधा हाता है। इगदिय सावधानी बरती जानी चाहिए। इतना ही नहीं शाधार्थिया क माग निर्णय भी कइ उदाहरणा म इम कौशल में परिपक्व नहीं हात। पाद टिप्पणा बनान जानते हैं तो लेखक सम्पादक एर म अधिक लेखक तथा पत्रिका का पाद टिप्पणियों में कोइ अन्तर नहीं होता। इस दाप मे मुक्ति पान क लिए पुनःकालय सवा को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसका निदान आवश्यक है। न्य दयनीय स्थिति ता तब हाती है जब स्वय शिष्यक हा इम उन क श्रु क कोरे होत है उनस कैसे उच्च स्तर के काय की श्रुति या सन्दर्भ सूची का आशा की जाये? यह दखा गया है कि टिप्पणिया बनान म कौशल विकसित करन के लिए समय विभाग कइ कइ सत्र ही नहीं है इस कार्य क लिए कालाश ही नही रखा गया है। न्य दयनीय स्थिति का स्तर सुधारने के लिए, उनका महत्व सन्दर्भ सूची क सूचक सूचक 2 पर्याप्त ध्यान तथा समय दिया हा जाना चाहिए। उ उदाहरण म कइ शाधार्थियों को पर्याप्त अभ्यास भा करवा

से सहायता प्राप्त हुई उनकी सूची दी जानी चाहिए। यदि किसी अज्ञात सामग्री की मदद ली गई है तो इसे बिना किसी भेद भाव के सही रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सन्दर्भ साहित्य कैसे तैयार करना है—कालक्रमानुसार या वर्णमालानुसार यह निश्चित करना महत्वपूर्ण है तथा इस विषय अनुसार तैयार करना है— पृष्ठभूमि सम्प्रत्यय सन्दर्भ साहित्य शाधविधि क्षेत्रवार आदि। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व शोधार्थी को पक्ष-विपक्ष की सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। शोध निदेशक के साथ विचार विमर्श कर स्पष्ट कर लेना चाहिए। कई शोध छात्र तालिकाएँ भी पाठ्य सामग्री के साथ ही जोड़ देते हैं। इस सम्बन्ध में सर्वमान्य नियमों का पालन होना चाहिए। यदि तालिका 5 पंक्तियाँ से अधिक विस्तारवाली है तो उसके लिए पृथक्-पृथक् काम म लिया जाना चाहिए। तालिका का स्रोत यदि आवश्यक हो तो उसी के नीचे या चरण लेखन के रूप में पूरे विवरण सहित देना चाहिए। ऐसा न करने से अनुसंधान की गुणवत्ता का स्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

सूचनाएँ संग्रह करने के जिन उपकरणों प्रश्रवणियों अनुसूचियों, को चाहे वे स्वनिर्मित ही क्यों न हो सहायता ली गई है उन्हें परिशिष्ट में दिया ही जाना चाहिए। जो सर्वसुलभ हो उन्हें एक बार छोड़ा जा सकता है पर स्वनिर्मित साधनों या प्रश्रवणियों को तो परिशिष्ट में जोड़ा ही जाना चाहिए। कई अनुसंधानकर्ता इस पर ध्यान नहीं देते इस गलती से बचना चाहिए। ऐसा करके शोध ग्रन्थ की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है।

अनुसंधान कार्य का स्तर सुधारने के लिए तथा उसकी जनसाधारण सहित समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगिता की दृष्टि से रेखाचित्र ग्राफ वृत्तचित्र आदि का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, इन दृश्य साधनों की अपनी उपयोगिता है पर हर अनुसंधानकर्ता हर क्षेत्र में कुशल हो महारत हासिल किये हो— ऐसी न तो अपेक्षा करनी चाहिए तथा न ही व्यवहार में ऐसा सम्भव है। अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा पाठक रेखाचित्रों या ग्रन्थ की सहायता से शीघ्र ही अनुमान लगा लेते हैं उन्हें विषय वस्तु समझने में मदद मिलती है। यदि ऐसा होता है तो अनुसंधान कार्य की उपयोगिता कई गुणा बढ़ जाती है भाषा के सम्बन्ध में विशाल शब्द भण्डार तथा योग्यता शोधकर्ता में होनी चाहिए। इसके अभाव में गुणवत्ता का निर्वाह नहीं हो सकता। टंकण के पश्चात् टंकण की अशुद्धियाँ निश्चित रूप से सुधारी जानी चाहिए। अच्छा यह हागा कि अशुद्धियाँ का परिष्कार समान स्याही से ही लिया जाये।

प्रत्येक अध्याय के अन्त में कई शोधकर्ता अध्याय सार जोड़ते हैं। यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो अनावश्यक सामग्री जोड़ने से हर सम्भव प्रयत्न कर बचा जाना चाहिए। कोई भी शोधकर्ता सजग रह कर यह कार्य कर सकता है।

कुछ अनुसंधान कार्य क्षेत्रीय कार्यों पर या बाह्य सूचनाओं पर आधारित

हो सकते हैं। ऐसे अनुसंधान कार्य तो और भी अन्य प्रकार के दोषों से युक्त रहते हैं। यदि पूर्व सूचना देकर सूचनाएँ या समक एकत्र किये गये तो सूचना दाता मित्रा तथा अभिभावकों से सलाह मशविरा कर सकता है यह सजग हो सकता है इससे सही सूचना प्राप्त नहीं हाती है वे तैयारी कर सकते हैं जिससे सही सूचनाएँ या धास्तविक समक प्राप्त नहीं होंगे। स्वयं को अच्छे रूप में प्रस्तुत करना मानव की कमजोरी रही है। सूचना देकर निरीक्षण करने पर विद्यालय कितना सुव्यवस्थित मिलता है यह किसी से छिपा नहीं है। इतना सही मान लीजिए कि कोई अनुसंधान कार्य किशोरों के आत्म प्रत्यय से सम्बन्धित है और शाधकर्ता आत्मप्रत्यय का स्तर जानने के लिए हरनामसिंह का परीक्षण या उपकरण प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में शोध का स्तर अवश्य ही घटिया रहेगा क्योंकि हरनामसिंह का परीक्षण जाच तो आत्म प्रत्यय की ही करता है पर यह परीक्षण बालकों के लिए है न कि किशोरों के लिए। इसका कारण यह है कि शाधकर्ता को उपयुक्त परीक्षण/ उपकरण का ज्ञान ही नहीं है।

इन मनोवैज्ञानिक उपकरणों का एक और दोष है- यह यह है कि कई उपकरण विदेशों में या पाश्चात्य देशों में प्रमाणीकृत हुए हैं तथा सांस्कृतिक वातावरण से मुक्त (क्लधर फ्री) भी नहीं हैं। इन उपकरणों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित या प्राप्त निष्कर्ष भी सही ही होंगे, विश्वास के साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता। शोध कार्य आरम्भ करने के पूर्व ऐसे उपकरणों को जाँचा-परीखा जाना चाहिए। एक कदम और, 2-3 दशकों पूर्व भारतीय न्यादर्श पर प्रमाणीकृत उपकरण आज भी उतना ही प्रभावी होगा यह भी पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। समय के अन्तराल पर ऐसे उपकरणों की विश्वसनीयता फिर से देखी जानी चाहिए तथा उपयुक्त न पाये जान पर उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे उपकरण प्रयोग किये जाते हैं तो शोध का स्तर गिरने की पूरी संभावना रहती है।

क्षेत्रीय सूचनाओं पर आधारित शोध कार्यों में एक और दोष न्यादर्श सम्बन्धी यह पाया जाना है कि न्यादर्श का चयन सजगतापूर्वक निष्पक्ष हो कर नहीं किया जाता है। मान लीजिये- किसी विद्यालय के 500 छात्र म सं हर दसवा छात्र यथा 1 11 21 31 41 51 न्यादर्श में सम्मिलित किया जाना है। पर शोधकर्ता न्यादर्श चयन की उपयुक्त विधि का अनुसरण नहीं करता है या इस हेतु पचीदगियों या बारीकियों से बच कर हर कोई जो भी उपलब्ध हुआ 50 छात्रों को चुन लेता है। ऐसे शोध से प्राप्त निष्कर्ष सामान्योत्करण पर आधारित होंगे या पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे-इसमें सन्देह ही रहगा। ऐसी स्थिति में भी शोध का स्तर गिरा है।

भारतीय स्थितियों में कई क्षेत्रों में उपकरणों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित शोध कार्य वैध नहीं माने जा सकते। मुख्यत यौन सम्बन्धी साम्प्रत्य

जीवन पर आधारित शोध में प्रश्रवली अनुसूची आदि प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस क्षेत्रों में उत्तरदाताओं से सही उत्तर की मन की बात जानने की आशा नहीं की जा सकती। कितना ही आप विश्वास दिलाये कि प्राप्त सूचनाएँ गोपनीय रहेंगी तथा केवल शोध कार्य में ही उपयोग की जायगी भारतीय उत्तरदाता मन की बात कह ही दगा ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता। शोधकर्ता अपने प्रतिवेदन में इस दाव का सकत भी कर देते हैं पर ऐसे नाजुक क्षेत्रों में प्राप्त सूचनाओं की अन्य साधना या उपकरणों या तकनीकों से पुष्टि कर लनी चाहिए, उदाहरणार्थ- साक्षात्कार एवं निरीक्षण आदि। पारिवारिक आय के सम्बन्ध में भी यही स्थिति न्यूनाधिक रूप से पाई जा सकती है।

लेखक को एक बार एक पी एच डी के निदेशक ने बड़ी शिथिलता से अनौपचारिक भट के समय बताया कि वे अपने विद्यार्थियों को तीन भागों में बाँट लेते हैं-

- 1 पी एच डी का पजीकरण कराओ तथा मौखिक परीक्षा दो।
- 2 पी एच डी का पजीकरण कराओ श्रुतलेख लिखो प्रतिवेदन टाईप कराओ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करो तथा मौखिक परीक्षा दो।
- 3 तीसरे वर्ग में वे विद्यार्थी आते हैं जो पजीकरण करवाते हैं पढ़ते हैं सूचनाएँ संग्रह करते हैं टिप्पणियाँ लेते हैं प्रतिवेदन तैयार करते हैं शोध निदेशक से अनुमति करवाते हैं प्रतिवेदन में संशोधन होता है टाईप करवाया जाता है विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाता है मौखिक परीक्षा दी जाती है।

इन तीनों प्रकार के विद्यार्थियों से शोध निदेशक महोदय अपने गुणानुक्रम की दृष्टि से स्तरानुसार विद्यार्थी की स्थिति एवं गंभीरतानुसार शुल्क वसूल करते हैं।

पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के शोध निदेशकों की उपज पी एच डी पाने वाले विद्यार्थी कैसे होंगे? पाठक पटना चण्डीगढ़ दिल्ली बम्बई के शोध निदेशकों के व्यवहार से भी अपरिचित नहीं होंगे। शोध ग्रन्थ किसका मुखपृष्ठ कहा किसने बदला? मौखिक परीक्षा किसने दी उपाधि किसको मिली? दिल्ली में विज्ञान सभा की शोध छात्रा के साथ निदेशक का क्या कैसा व्यवहार रहा? पाठक इन घटनाओं से भलीभाँति परिचित होंगे।

अब आप साब सकते हैं कि अनुसंधान कार्य का स्तर गिरने में कौन कितना उत्तरदायी है? यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध का स्तर सुधार कर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए समान धरातल पर लाना \rightarrow इन स्थितियों में सुधार करना ही होगा अन्य कोई विकल्प नहीं है।



डॉ जगन्नालाल नायक, डी. लिट.

जन्म 1938 पारसेली (बिहार) राजस्थान
शिक्षा एच. ए. (चार बार) एच. कॉम. एम
एच. ए. एच. आई. ई. साहित्य त्र. पी. जी.
पत्रकारिता डिप्लोमा पी. एच. डी. (शिक्षा)
डी. लिट. (यू. एस. ए. शिक्षा)

प्रकाशित पुस्तकें बालकों की सामान्य समस्यायें
शैक्षिक विचार, सफल साक्षात्कार कैसे दे? शिक्षा
के नये उभरते क्षितिज, शिक्षा छोड़ पर, बालक
की समस्यायें नैतिक परीक्षण एवं उपचालक
शिक्षण, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, योजना विज्ञान,
रीडिंग इन एनूकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ एनूकेशन
इन दि बर्ड क्लर्क स्टूडेंट लिटरलरिज व्यावसायिक
शिक्षा भाग एक दो नीबरी कैसे चर्चें? नैतिक
ऑफ रिजल्ट्स

यन्त्रण शैक्षिक विविध गुणवत्ता वित्त के समर्थ
में शिक्षा की समस्यायें

पदक एवं सम्मान अन्ता मेरठ एचपुर म्दस
समा पटना से प्रकाशित चंच राष्ट्रीय परिषदों के
सम्मानक मण्डल के सम्मान

अखिल भारतीय शैक्षिक शोध परिषद के
उपध्यक्ष

18 विभिन्न राष्ट्रीय शैक्षिक साप्ताहिक एवं
संस्कृतिक संगठनों की कार्ययोजना सम्बन्ध
शिक्षा संशोधन की पूर्व सम्बन्ध

पी. एच. डी. शोध छात्रों के वर्दीसक/परीक्षक
राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय विभिन्न इन्स्टीट्यूटों
में अनेक बार प्रासङ्गिक

राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय शोधों में संशोधन
कार्य

बुन्देलखण्ड एज्युकेशनल एन्वेलोपमेंट ऑफ इण्डिया
से ग्रेड सेलरक एवं कन्ट्रिब्यूट एज्युकेशन

राज्य स्तरीय शैक्षिक विद्येयन के टास्क फोर्स
का सम्मान

पूर्व इन्डिया : शिक्षा राज्य डॉ. एन. कृष्णन द्वारा
अध्ययन शिक्षा संस्कार, बंगलौर (एन.)

सम्बन्धी डा. इन्द्रदेव एन. ए. द्वारा अध्ययन
शिक्षा संस्कार, बंगलौर (एन. ए.)